गणतंत्र दिवस समारोह 2012, के दौरान माननीय जनजातीय कार्य और पंचायतीराज्य मंत्री झांकी कलाकारों और जनजातीय अतिथियों को समबोधित करते हुए

गणतंत्र दिवस समारोह 2012, के दौरान माननीय जनजातीय कार्य और पंचायती राज्य मंत्री झांकी कलाकारों और जनजातीय अतिथियों के स्वागत समारोह का उद्घाटन करते हुए

गणतंत्र दिवस समारोह 2012, के दौरान माननीय जनजातीय कार्य मत्री और पंचायतीराज्य मंत्री झांकी कलाकारों और जनजातीय अतिथियों को उपहार भेंट करते हुए

गणतंत्र दिवस समारोह 2012, के दौरान माननीय जनजातीय कार्य और पंचायती राज्य मंत्री जनजातीय शिल्प बाजार का उदघाटन करते हुए

वार्षिक रिपोर्ट
2011-12

सत्यमेव जयते

जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

2011-12

विषय सूची

अध्याय

1	वर्ष 2011-12 की विशेषताएं	1-4
2	जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप- सिंहावलोकन	5-7
3	मंत्रालय: एक परिचय	8-12
4	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	17-19
5	जनजातीय विकास के लिए रणनीति एवं कार्यक्रम	20-22
6	अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र	25-40
7	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संवधिान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत कार्यक्रम	89-97
8	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम	102-107
9	शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्यक्रम	108-118
10	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड	123-126
11	स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम	127-137
12	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए कार्यक्रम	165-170
13	अनुसंधान, सूचना और जनसंचार	176-181
14	पूर्वोत्तर राज्यों पर घ्यान	182
15	जेन्डर संबंधी मामले	186-188
16	विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम	191-192
17	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	193
18	विभागीय लेखा संगठन	196-199
19	नागरिक/ग्राहकर चार्टर	201-214

अनुलग्नक

3-क	जनजातीय कार्य मंत्रालय : संगठनात्मक संरचना	13
3-ख	वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 (31.12.2011 तक) के लिए बजट आबंटन, संशोधित आबंटन और व्यय (योजना)	14-16
5-क	वर्ष 2011-12 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निरूपित जनजातीय उपयोजना की स्थिति	23
5-ख	वर्ष 2011-12 के लिए जनजातीय उपयोजना के तहत योजना परिव्ययों का मंत्रालय/योजनावार प्रस्तावित चहि्नन	24
6-क	जनसांख्यिकी आंकड़े : 2011	41-42
6-ख	शिशु लिंग अनुपात (0-6) आयु वर्ग की जनसंख्या	43-44

6-ग	कुल जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की साक्षरता दर तथा दोनों की साक्षरता की दरों में अंतर- भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र : 1991-2001	45-46
6-घ	पुनर्संरचित बीस सूत्र कार्यक्रम, 2006-वर्ष 2011-12 (31.12.2011 तक) के दौरान लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य	47-48
6-ड	राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश	49
6-च	भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची	50-61
6-छ	अनुसूचित क्षेत्रों की राज्यवार सूची	62-88
7-क	अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय सलाहकार परिषद वाले जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों तथा राज्यों में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं/अभिकरण (आईटीडीपी/आईएडीए), संशोधित क्षेत्र विकास अप्रोच (माडा) पॉकेट, क्लस्टर तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीओ) की स्थिति के ब्यौरे	98
7-ख	वर्ष 2002-03 से वर्ष 2011-12 (31.12.11 तक) के दौरान जनजातीय उपयोजना को विषेश केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत निर्मुक्त की गई निधियां	99
7-ग	सविधांन के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत दसवीं एवं ग्यारहवीं योजना के दौरान (31.12.2011 तक) निर्मुक्त की गई धनराशियां	100-101
9-क	अनुसूचित जनजाति लडके एवं लडकियों के छात्रावास की योजना के तहत वर्ष 2008-10 से 2011-12 (31.12.2011) तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां	119
9-ख	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना के तहत वर्ष 2009-10 से 2011-11 (31.12.2011) तक की उपलब्धियों सहित निर्मुक्त की गई राशि	120
9-ग	अनुसूचित जनजातीय छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2009-010 से 2011-12 (31.12.2011) तक राज्यवार लाभार्थियो की संख्या सहित निर्मुक्त किया गया सहायता अनुदान	121
9-घ	प्रतिभा उन्नयन की योजना के तहत वर्ष 2009-10 से 2011-12 (31.12.2011) तक राज्यवार लाभार्थियो की संख्या सहित निर्मुक्त किया गया सहायता अनुदान	122
9-ड	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के तहत वर्ष 2008-09 से 2010-11 (31.12.2010) तक लाभार्थियो की संख्या सहित निर्मुक्त किया गया सहायता अनुदान	122
10	'लघु वन उत्पादों के प्रचालनों के लिए एसटीडीसीसी को सहायता-अनुदान' की योजना के तहत राज्यों को वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान निर्मुक्त किया गया सहायता अनुदान	126
11- क	अनुसूचित जनजातीयों के कल्याणर्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के तहत वर्ष 2009-10 से 2010-11 (31.12.2011 तक) के दौरान निधि पोषित स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची	138-152

11-ख	अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग की योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 से 2011-12 (31.12.2011 तक) के दौरान निर्मुक्त किए गये अनुदान	153-156
11-ग	''कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातियों की लडकियो में शिक्षा के सुदृढ.ीकरण की की योजना के तहत वर्ष 2009-10 से 2011-12 (31.12.2011 तक) के दौरान निधिपोषित संगठनों की राज्यवार सूची	157-162
11-घ	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 से 2011-2012 (31.12.2011 तक) के दौरान निधिपोषित गैर सरकारी संगठनों की राज्य वार सूची	163-164
12-क	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहो के रूप में ज्ञात) के राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार नाम	171-172
12-ख	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में ज्ञात) के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्यो क्षेत्रों/ गैर-सरकरी संगठनों को वर्ष 2009-10 से 2011-12 (31-12-2011 तक) के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण	173-175
14-क	वर्ष 2009-10 से 2011-12 (31.12.2011) तक के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को वर्षवार निर्मुक्तियां	183
14-ख	वर्ष 2011-12 (31.12.2011 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के तहत निर्मुक्त की गई राशि	184-185
15	वर्ष 2011-12 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां	189-190
17-क	सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (के. जन सूचना अधिकारी) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची	194
17-ख	सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में अपीलीय प्राधिकारी (अ.प्रा.) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची	195
18	जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित कृत कार्रवाई (एटीएन) टिप्पण की स्थिति	200

अध्याय 1
वर्ष 2011-2012 की विशेषताएं

1.1 अनुसूचित जनजातियों के अधिकार, कल्याण और विकास पर और अधिक ध्यान देने के लिए इस वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा नई पहलें और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति की आबादी के लाभ के लिए विभिन्न हितधारियों की हिस्सेदारी में अभिज्ञात क्षेत्रों में कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रभावी तथा समय पर पूरा करने के सतत प्रयास किये गये हैं।

1.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जिसका उद्देश्य ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों, जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया गया है, को वनभूमि पर उनके अधिकारों को मान्यता देना तथा उन्हें वन अधिकार सौंपना है, के प्रचालन हेतु इसे 31.12.2007 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 को भी दिनांक 1 जनवरी, 2008 को अधिसूचित कर दिया गया है।

1.2.1 इस अधिनियम और इसके तहत अधिसूचित किए गए नियमों के अनुसार इन अधिकारों को मान्यता देने तथा वन अधिकार प्रदान करने और भूमि अधिकारों के संवितरण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास है। इस अधिनियम को प्रचालित करने और नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 11.1.2008 को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए समय-सीमा के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा था। इसके बाद, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के संबंध में समय-सीमा के साथ-साथ कार्रवाई किए जाने वाले बिन्दुओं को भी अग्रेषित किया गया था। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह निदेश दिया गया था कि वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों तथा इस अधिनियम के तहत संबंधित प्राधिकरणों को इस अधिनियम के उद्देश्यों, प्रावधानों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। उन्हें यह भी सलाह दी गई थी कि इस अधिनियम और नियमों का सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद तथा उन्हें प्रकाशित कर प्रतियां पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जनजातीय और समाज कल्याण तथा वन विभागों सहित सभी ग्राम सभाओं, वन अधिकार समितियों तथा सरकार के सभी विभागों को वितरण की व्यवस्था करने और अधिकारियों, नागरिक प्रतिनिधियों तथा राज्य के गैर-सरकारी संगठनों के प्रबोधन को सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें जागरूकता कार्यक्रमों इत्यादि में संसाधन व्यक्तियों के रूप में अन्य व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए बुलाया जा सके।

1.2.2 प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और योजना आयोग इस अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा भेजी जा रही मासिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से कर रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सचिवों/जनजातीय कल्याण/विकास विभागों के आयुक्तों की समीक्षा बैठकें आयोजित करके इस अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा कर रहा है। दिनांक 18/19.02.2008, 16.05.2008, 27.06.2008, 11.11.2008, 4/05.11.2009 तथा 07.04.2011 और 26.7.2011 को अब तक ऐसी 7 समीक्षा बैठकें हुई हैं। इन बैठकों के दौरान, कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करते समय अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों को भी स्पष्ट किया गया।

1.2.3 अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन

को गति प्रदान करने के लिए वर्ष के दौरान निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

- यह मंत्रालय अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन हेतु सभी आवश्यक उपाय करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से विचार-विमर्श कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए माननीय जनजातीय कार्य और पंचायती राज मंत्री; माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं।

- अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में कुछ मुद्दों पर कुछ राज्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण इनकी जांच तथा जहां भी आवश्यक था, कानून और न्याय मंत्रालय के परामर्श के पश्चात मंत्रालय द्वारा जारी कर दिए गए थे;

- अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए माननीय जनजातीय कार्य और पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 07.04.2011 को जनजातीय कल्याण विभागों के राज्य सचिवों/आयुक्तों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए जनजातीय कल्याण विभाग के राज्य सचिवों/आयुक्तों के साथ दिनांक 26 जुलाई, 2011 को सचिव की अध्यक्षता में एक अन्य बैठक आयोजित की गई थी।

1.2.4. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों और सतत अनुरोध के परिणामस्वरुप 31.12.2011 तक 31.68 लाख दावे दायर किए गए और 12.46 लाख से अधिक अधिकार पत्र संवितरित कर दिए गए हैं। 17 हजार से अधिक अधिकारपत्र संवितरण हेतु तैयार हैं। कुल 27,16,349 दावे निपटा दिए गए हैं, जो कुल प्राप्त दावों का 85.73% है। 14 राज्यों से उपलब्ध सूचना के अनुसार वन भूमि की सीमा, जिसके तहत 12,33,316 अधिकार पत्र संवितरित किए गए हैं, 16,49,378.42 हैक्टेयर (40,73,964.71 एकड़) है।

1.2.5 अधिनियम के कार्यान्वयन का विश्लेषण दर्शाता है कि दावों की अस्वीकृति की घटना अधिक है। माननीय जनजातीय कार्य और पंचायती राज मंत्री के निदेशों और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद से प्राप्त सूचना के आधार पर, इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के तहत नियमों और दिशानिर्देशों की समीक्षा की जा रही है। दावेदारों के लिए अधिकार पत्र के संवितरण को सरल बनाना इसका उद्देश्य रहा है। मंत्रालय इस कवायद को पूरा करने जा रहा है।

1.3 माननीय मंत्री जी ने, प्रारूप राष्ट्रीय जनजातीय नीति की समीक्षा के पश्चात निदेश दिया है कि भावी निदेश के लिए संदर्भ दस्तावेज के रूप में इसे और अधिक संक्षिप्त, केन्द्रित तथा अनुकूल बनाने के लिए नीति के कुछ पहलुओं का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है। इस पर कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मंत्रालय पहले ही इस प्रक्रिया में है कि मंत्रालय में नीति कार्यान्वयन प्रकोष्ठ के सृजन के लिए स्वीकृत 11 पदों में से कम से कम 40% स्थान भरे जाएं ताकि प्रारूप नीति से संबंधित कार्य शीघ्र पूरा हो सके।

1.4 मंत्रालय पिछले वर्षों की तरह, इस वर्ष के दौरान प्रभावी जनजातीय उपयोजना संघटक (केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों में और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में) को अलग बजट शीर्ष में रखने की और जनजातियों के कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन को अधिक केन्द्रीयकृत तथा एकीकृत रूप से समर्थ बनाने के लिए सक्रिय रूप से वकालत करता रहा है ताकि संसाधनों के बिखराव से बचा जा सके। ऐसे राज्यों, जो अपनी जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में जनजातीय उप-योजना के लिए निधियां अभिनिर्धारित नहीं कर रहे हैं, को भी मंत्रालय की चिंता से अवगत करा दिया गया है। 28 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान टीएसपी के लिए योजना परिव्यय को अलग-अलग चिह्नित करने हेतु संशोधित दिशानिर्देशों का अनुवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया था तथा संतोषजनक फीडबैक की समीक्षा की गई थी। मंत्रालय ने दिनांक 28.11.2011 तथा 21.02.2012 और 05.03.2012 को भुवनेश्वर, गोवाहाटी तथा बंगलौर में 6 राज्यों के साथ राज्यों द्वारा टीएसपी के निरूपण तथा प्रभावी कार्यान्वयन प्रत्येक पर क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की।

1.5 जनजातीय क्षेत्रों/आवास स्थलों में शिक्षा के संवर्धन हेतु मंत्रालय अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस), जो गुणवत्ता में देश के अन्य विद्यालयों के समतुल्य हैं, की स्थापना हेतु राज्य सरकारों

को निधियां देता है। यह कार्यकलाप जून, 2010 में ईएमआरएस पर जारी संशोधित दिशानिदेशों के अनुसार जारी रहे।

1.6 इस वर्ष मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केंद्रीय प्रायोजित योजना, जो मंत्रालय की एक प्रमुख उपलब्धि है, को संशोधित किया गया है। संशोधित योजना के तहत, रखरखाव तथा अन्य भत्तों को बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक आय सीमा तथा पाठ्यक्रमों के समूहीकरण में संशोधन किया गया है।

1.7 कक्षा 9 तथा 10 के अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केंद्रीय प्रयोजित एक नई योजना शुरु की जा रही है। मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। योजना के तहत लगभग 22 लाख विद्यार्थियों को कवर करने का प्रस्ताव है।

1.8 संसद द्वारा शीतकालीन सत्र, 2011 में संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधित अधिनियम, 2011 (दिनांक 8 जनवरी, 2012)/(2012 की सं. 2) पारित किया था और 'भारत के राजपत्र' में 9 जनवरी, 2012 को प्रकाशित किया गया है। मणिपुर की अनुसूचित जनजाति की सूची में इन्पुई, रेंगमै, लियांगमै, सीमी, तांगखुल और माते जैसे 6 नए समुदायों को जोड़ा गया है और अरुणाचल प्रदेश के गालोंग के स्थान पर गालो किया गया है।

1.9 27.12.2011 को लोक सभा में कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जनजाति मेडा के पर्याय 'मेडारा' को शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2011 प्रस्तुत किया गया था। उपर्युक्त विधेयक को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। जन साधारण की सुविधा के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर वर्ष 1950 से 2012 तक अनुसूचित जनजातियों के समुदायों/जातियों के बारे में सभी अधिसूचनाएं अपलोड की गई हैं।

1.10 अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में विभिन्न सुरक्षा प्रदान करने के प्रभावी कार्यान्वयन में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) नेतृत्व देता है। एनसीएसटी अनुसूचित जनजातियों से प्रभावी विभिन्न मंत्रालयों के विधायी प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करते हैं।

1.11 29-30 अक्तूबर, 2011 को माननीय राष्ट्रपति की अध्यक्षता में हुए राज्यपालों के सम्मेलन के दौरान जनजातीय कार्य और पंचायती राज मंत्री ने अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में राज्यपालों के महत्व पर बल दिया है। संविधान की पांचवी अनुसूची द्वारा राज्यपालों के अधिकारों को उजागर करते हुए, उन्होंने उनसे अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के लाभ के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों को बढ़ावा) अधिनियम (पीईएसए) और वन अधिकार अधिनियमों (एफआरए) के कार्यान्वयन में मंत्रालय की सहायता का अनुरोध किया है।

1.12 मंत्रालय अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त करने और अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों से निरन्तर संपर्क बनाये हुए है और जनजातीय परामर्शदायी परिषद (टीएसी) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के बारे में है।

1.13 मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं के संबंध में उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करने के लिए सचिव (जनजातीय कार्य) की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन किया है, जिसमें योजना आयोग के अतिरिक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विद्यालय शिक्षा और साक्षरता, पेयजल वितरण, बिजली, श्रम तथा रोजगार और ग्रामीण विकास के मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति की वर्ष के दौरान 3 बैठकें हुई हैं।

1.14 वर्ष 2011-12 के दौरान, मंत्रालय ने 26.7.2011 तथा 14.11.2011 को अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु सभी केंद्रीय प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की दो बैठकें आयोजित की हैं।

1.15 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास की केंद्रीय क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन को सरल तथा कारगर बनाने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है। राज्यों से पीटीजी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भागीदारी रूप में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 12वीं योजना हेतु 'संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) योजना' को तैयार करने के लिए कहा गया है। पीटीजी की

पौषणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीसीडी योजनाएं विशेष हस्तक्षेप कर सकती हैं।

1.16 मंत्रालय ने विशेषज्ञ समिति के सहयोग से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जारवा जनजाति पर मौजूदा नीति की समीक्षा पूरी कर ली है। विशेषज्ञ समूहों की रिपोर्ट के आधार पर, सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में, जारवा की सुरक्षा हेतु अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा उठाए गए विभिन्न सुझावों को सहमति दी है। समिति ने निर्णय लिया है कि नीति में अब बदलाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान नीति द्वारा सुझाव पहले ही कवर किए गए है। नीति में बदलाव, यदि भविष्य में आवश्यक हों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह साक्ष्य आधारित अनुसंधान अध्ययन करेगा।

1.17 मंत्रालय डॉ. टी. हक समिति की रिपोर्ट के आधार पर लघु वन उत्पाद के लिए निम्नतम समर्थन मूल्य (एनएसपी) को लागू करने पर विचार कर रहा है। इस के संबंध में मंत्रालय द्वारा 24.10.2011 तथा 05.12.2011 को दो बैठकें आयोजित की गई हैं, जिसमें राज्यों, योजना आयोग और अन्य संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

1.18 वर्ष 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम ने 2 योजनाएं प्रारंभ की हैं। इनमें एक "आदिवासी शिक्षा ऋण योजना" है जिसके तहत भारत में पीएचडी सहित प्रौद्योगिकी/व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जनाजातीय विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 6% की रिआयती ब्याज दर पर 5 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दूसरी योजना के तहत ट्राइफेड के पास सचीबद्ध जरुरतमंद जनजातीय कारीगरों को रिआयती वित्त प्रदान किया जाता है।

1.19 इसके अतिरिक्त, जरुरतमंद अनुसूचित जनजातियों को एनएसटीएफडीसी की रिआयती सहायता की चैनलाइजिंग हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया तथा बैतरणी ग्राम्य बैंक ओडिसा के साथ 2 समझौता ज्ञापन किए हैं।

1.20 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) ने देश में उनके खुदरा बिक्री केंद्रों के नेटवर्क "ट्राइब्स इंडिया" के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विपणन जारी रखा और इस वर्ष के दौरान (31.12.2011 तक) 630.58 लाख रुपये मूल्य के उत्पाद की बिक्री की। इस वर्ष के दौरान ट्राइब्स इंडिया के 3 और बिक्री केन्द्र खोले गए।

1.21 31.01.2012 को माननीय जनजातीय कार्य और पंचायती राज मंत्री द्वारा जनजातियों के बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और जनजातीय हस्तशिल्प तथा हथ-करघा के लिए विशिष्ट पहचान सृजित करने के लिए जनजातीय शिल्प केन्द्र खोला गया। जनजातीय केन्द्र, ट्राइफेड द्वारा जनजातियों द्वारा निर्मित उत्पादों का उपयोग तथा विपणन करेगा।

1.22 मंत्रालय ने सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से 20 से 22 मार्च, 2012 तक त्रिदिवसीय जनजातीय नृत्य तथा संगीत पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर, खेलकूद, शिक्षा तथा संस्कृति में विशिष्ट जनजातीय विजेताओं और जनजातीय कल्याण के लिए योगदान देने वालों को राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार प्रदान किए गए।

1.23 नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड-2012 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आजीविका अवसरों तथा शिक्षा हेतु विभिन्न उपायों के सृजन द्वारा जनजातीय अधिकारिता को चित्रित करते हुए झांकी निकाली। ❑

गणतंत्रता दिवस समारोह, 2012 के अवसर पर नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदर्शित झांकी

अध्याय 2
जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप - सिंहावलोकन

2.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना एवं समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों का वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन करने एवं उन्हें पूरक बनाने तथा अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने से संबंधित है। यद्यपि, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संवर्धन के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी केन्द्रीय मंत्रालयों की होती है, तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से बनाई गई अनुकूल योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से, उनके प्रयासों, को पूरक बनाता है। आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित ये योजनाएं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं और राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

2.2 मंत्रालय की विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त सिंहावलोकन नीचे दिया गया है जबकि इनका ब्यौरा अनुवर्ती अध्यायों में दिया गया है।

2.3 चूंकि शिक्षा का विकास आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रगति का सोपान है तथा जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए सर्वाधिक कारगर उपाय है, शैक्षिक विकास आर्थिक एवं सामाजिक विकास का आधार है तथा जनजातीय लोगों के सशक्तिकरण हेतु एक अत्यधिक प्रभावी यंत्र है, इसलिए उनकी शैक्षिक स्थिति में सुधार करने के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, आश्रम विद्यालयों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, उच्च श्रेणी शिक्षा, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी अध्येतावृत्ति तथा राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं कार्यान्वित करके वर्ष के दौरान प्रयास किए गए थे।

2.4 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की ध्वजपोत योजना को छात्रवृत्ति, उच्चतम आय सीमा की दर तथा विषयों के सामूहीकरण में कुछ संशोधनों के साथ दिनांक 01.07.2010 से संशोधित कर दिया गया है तथा अनुसूचित जनजातियों में उच्चतर शिक्षा के संवर्द्धन हेतु एक महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में यह जारी है। वर्ष 2011-12 के दौरान 31.12.2011 तक योजना के तहत 669.02 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई है और 16.46 लाख (प्रत्याशित) विद्यार्थीयों को कवर किया गया है।

2.5 'अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास की योजना' का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता को बढ़ाना है जिसके द्वारा माध्यमिक/उच्चत्तर स्तर की शिक्षा में ड्रॉप आउट दरों को घटाया जा सके। राज्यों के लिए 63 नए छात्रावास स्वीकृत किए गए थे तथा 31.12.2011 तक योजना के तहत 37.59 करोड़ रु. का व्यय किया गया था। आश्रम विद्यालयों की योजना एक अन्य योजना है, जिसका उद्देश्य समर्पित आवासीय विद्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों को शिक्षा के लिए सहज वातावरण प्रदान करना तथा शैक्षिक सुविधाएं देना है। 31 दिसंबर, 2011 तक इस योजना के तहत वर्ष 2011-12 के लिए विभिन्न राज्यों में 70 नए आश्रम विद्यालयों की स्थापना हेतु 68.65 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई थी।

2.6 उच्च श्रेणी शिक्षा की केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति की योजनाओं का उद्देश्य स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल तथा पीएच-डी स्तर के पाठ्यक्रमों के उच्चतर अध्ययनों में अध्ययनरत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। उच्च श्रेणी की शिक्षा की योजना के तहत सरकारी तथा

निजी क्षेत्रों दोनों में प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून तथा वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों को कवर करते हुए 188 संस्थानों को अभिज्ञात किया गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृति की योजना के तहत एम.फिल तथा पी-एचडी डिग्री जैसे उच्चतर अध्ययनों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अध्येतावृति भी प्रदान की जाती है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 667 अध्येतावृतियां प्रदान की जाती हैं। यह योजना जनजाति कार्य मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृति की योजना इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के क्षेत्र में मास्टर स्तर के पाठ्यक्रमों, पी.एचडी तथा डाक्टरोत्तर अनुसंधान कार्यक्रमों के विशिष्ट क्षेत्रों में विदेशी विश्वविद्यालय में उच्चतर अध्ययन में अध्ययनरत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 13 अवार्ड तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के लिए 2 अवार्ड स्वीकृत किए जाते हैं।

2.7 व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के युवकों की रोजगार योग्यता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना है। इस योजना को 01.04.2009 से संशोधित किया गया है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, संस्थानों या संगठनों को मानदण्डों के अनुसार प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 30,000/- रुपए प्रतिवर्ष की अधिकतम सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत 31 दिसंबर, 2011 तक 3. 37 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। संशोधित योजना के प्रावधान राज्य द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ-साथ एनजीओ द्वारा संचालित केन्द्रों पर समान रूप से लागू होंगे।

2.8. माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2011-12 के लिए अपने बजट भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2011-12 के दौरान कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति से संबंधित जरूरतमंद विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति की योजना की शुरुआत करने की घोषणा की थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के अंतिम वर्ष (2011-12) के दौरान अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की प्रस्तावित केन्द्रीय प्रायोजित योजना कक्षा 9 तथा 10 को कवर करेगी। यह योजना अगले वित्तीय वर्ष से राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। इस योजना में लगभग 22 लाख विद्यार्थी कवर किए जाने प्रस्तावित हैं। इस मंत्रालय द्वारा निरूपित प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

2.9 वर्ष 2011-12 के दौरान 31.12.2011 तक मंत्रालय ने 9004 अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को कवर करते हुए जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचति जनजाति की महिला साक्षरता में विकास के लिए कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लडकियों में शिक्षा के सुदृढीकरण की योजना के तहत स्वैच्छिक संगठनों तथा राज्य सरकारों की स्वायत्त सोसाइटियों को 15.26 करोड रू. का अनुदान देकर 14 शैक्षिक परिसरों को निधिपोषित किया है।

2.10. वर्ष 2011-12 के दौरान 31.12.2011 तक मंत्रालय ने **'अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान** की योजना के तहत आवासीय विद्यालयों, गैर-आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, सचल औषधालयों, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों, ग्रामीण रात्रि विद्यालयों, कृषीय प्रशिक्षण इत्यादि को कवर करते हुए लगभग 925193 अनुसूचित जनजातियों को लाभान्वित करते हुए 31.50 करोड़ रुपए का अनुदान देकर लगभग 226 परियोजनाओं को निधिपोषित किया है।

2.11 वर्ष 2011-12 के दौरान 31.12.2011 तक मंत्रालय ने **विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास के रुप में जानी जाती है) की योजना के तहत 'पीटीजी के लिए संरक्षण सह विकास (सीसीटी) योजनाओं''** के तहत मंत्रालय ने प्राथमिक गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु 8 राज्यों को 159.73 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए।

2.12 मंत्रालय **"अनुसंधान सूचना और जन-शिक्षा, जनजातीय त्यौहार और अन्य"** योजना के तहत अनेक कार्यकलाप करता है जिनमें अन्य कार्यकलापों के साथ-साथ विख्यात संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसंधान और मूल्यांकन, सम्मेलन/कार्यशालाएं और प्रकाशन, फोटो प्रतियोगिताएं, जनजातीय त्यौहार, जनजातीय खेलकूद, जनजातियों द्वारा दौरों का आदान-प्रदान और राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार शामिल हैं। राज्य सरकारों के साथ 50:50 की हिस्सेदारी के आधार पर 17 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को भी

अनुदान प्रदान किए जाते हैं। ये टीआरआई अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययनों का आयोजन, आंकड़ों का संग्रह, परंपरागत कानूनों को संहिताबद्ध करते हैं तथा प्रशिक्षण, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं, और इसके द्वारा राज्य सरकारों को योजना निविष्टियां प्रदान करते हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान इस योजना के तहत 11.00 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

2.13 मंत्रालय द्वारा यथा-निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों में आय अर्जित करने वाले अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली पहलों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पिछले वर्षों की तरह ही मंत्रालय ने जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए) योजना के तहत जनजातीय उप-योजना राज्यों को निधियों को निर्मुक्त करना जारी रखा। वर्ष 2011-12 के लिए 1096.01 करोड़ रुपए के कुल बजट अनुमान परिव्यय में से 31.12.2011 के लिए 777.17 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए। इसमें वन ग्रामों के विकास के कार्यक्रम के लिए निधियन शामिल है।

2.14 संविधान के **अनुच्छेद 275(1)** के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के आधार पर धनराशि निर्मुक्त करने की योजना को वर्ष 2011-12 में जारी रखा गया। इन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को उठाने तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ विभिन्न राज्यों को 1197.00 करोड़ रुपए के कुल बजट अनुमान में से 31.12.2011 तक 720.90 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त कर दी गई है।

2.15 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) नामक राष्ट्रीय स्तर के एक अन्य संगठन ने अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त प्रदान करने, सरलीकरण एवं निधियां जुटाने के लिए एक उत्प्रेरक अभिकर्ता के रूप में कार्य करना जारी रखा। यह निगम रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता देता है। वर्ष 2011-12 के दौरान निगम ने आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत 160 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा था। इसके विरुद्ध आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत 101025 लाभार्थियों के लिए 31.12.2011 तक 157.80 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इसमें आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) के तहत 6197 महिला लाभार्थियों के लिए 16.55 करोड़ रुपए, लघु ऋण योजना के तहत 3923 लाभार्थियों के लिए 5.31 करोड़ रुपए की स्वीकृति शामिल है। वर्ष के दौरान 31.12.2011 तक स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निगम ने 41.46 करोड़ रुपए भी निर्मुक्त किए हैं। ❑

आन्ध्र प्रदेश के पडेरू के जीसीसी द्वारा साबुन निर्माण की इकाई

अध्याय 3
मंत्रालय : एक परिचय

अधिदेश

3.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन अक्तूबर, 1999 में किया गया था और इसका उद्देश्य एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से भारतीय समाज के अत्यंत अल्पसुविधा प्राप्त वर्ग अर्थात् अनुसूचित जनजातियों के समेकित सामाजिक-आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना है। इस मंत्रालय के गठन से पहले जनजातीय मामले विभिन्न मंत्रालयों द्वारा निपटाए जाते रहे थे, जो निम्नानुसार हैं:-

1. स्वतंत्रता प्राप्ति से सितम्बर, 1985 तक "जनजातीय प्रभाग" नामक गृह मंत्रालय के एक प्रभाग।
2. कल्याण मंत्रालय : सितंबर, 1985 से मई, 1998 तक।
3. मई, 1998 से सितंबर, 1999 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना एवं समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। इस उद्देश्य हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अंतर्गत आबंटित विषयों के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप करता है। इनमें शामिल हैं -

1) अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा ।

2) जनजातीय कल्याण: जनजातीय कल्याण योजना बनाना, परियोजनाओं का प्रतिपादन करना, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी एवं प्रशिक्षण।

3) जनजातियों के कल्याण में स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन एवं विकास।

4) अनुसूचित जनजातियां, जिसमें इन जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां शामिल हैं।

5) अनुसूचित जनजातियों का विकास।

5क) वन भूमियों पर वनों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के संबंध में विधान सहित सभी मामले।

टिप्पणी: जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों के लिए समग्र नीति, आयोजना और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। क्षेत्र के कार्यक्रमों और इन समुदायों की नीति, आयोजना, निगरानी, मूल्यांकन आदि के विकास की योजनाओं के विषय में, इनका समन्वय संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का दायित्व होगा। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग जो इस क्षेत्र से संबंध रखता है, नोडल मंत्रालय या विभाग होगा।

6) (क) अनुसूचित क्षेत्र;
(ख) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राज्यों के राज्यपालों द्वारा तैयार किए गए विनियम;

7) (क) आयोग अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर रिपोर्ट देता है; तथा
(ख) किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने के संबंध में निर्देश जारी करता है।

8) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।

9) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989(1989 का 33) का कार्यान्वयन, जिसमें अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपराधों के संबंध में आपराधिक मामलों का न्याय करना शामिल नहीं है।

भूमिका

3.2 इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों को वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन देने और उन्हें पूरक बनाने के लिए हैं तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने के लिए हैं। इस प्रकार, अनुसूचित जनजातियों के हितों को बढ़ावा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी सभी केन्द्रीय मंत्रालयों की है। यह मंत्रालय विशेष रूप से अनुकूल बनाई गई योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक हस्तक्षेपों के जरिए अपने प्रयासों को पूरक बनाता है। इनमें आर्थिक, शिक्षा और सामाजिक विकास से संबंधित योजनाएं सम्मिलित हैं और ये जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं तथा इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जाता है।

संगठन

3.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय केन्द्रीय मंत्री श्री वी. किशोर चन्द्र देव के समग्र निर्देश में कार्य कर रहा है। श्री महादेव सिंह खंडेला राज्य मंत्री के रूप में उनकी सहायता कर रहे हैं। मंत्रालय के मुखिया सचिव हैं तथा उनकी सहायता दो संयुक्त सचिवों, एक उप महानिदेशक (सांख्यिकी) तथा एक आर्थिक सलाहकार द्वारा की जाती है। संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की सभी वित्तीय मामलों में सहायता कर रहे हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक लेखों से संबंधित मामलों को नियंत्रित कर रहे हैं। मंत्रालय का गठन प्रभागों/शाखाओं तथा अनुभागों/एककों में किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय में 130 कर्मचारियों (पीएओ के 5 पदों सहित) की स्वीकृत संख्या है तथा 97 कार्यरत कर्मचारियों की संख्या है। समूह "क" के 37 पद, समूह "ख" के 56 पद, समूह "ग" के 37 पद जिसमें पूर्व के समूह "घ" के 16 पद शामिल हैं जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब समूह "ग" के पद में परिवर्तित हो गए हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक-3-क** में दिया गया है।

प्रशासन

3.4 मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की स्थापना और सामान्य प्रशासन से संबंधित मामलों पर प्रशासन प्रभाग में कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, विभाग के लिए केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों और इस मंत्रालय के संवर्ग बाह्य पदों तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित पदों जैसे भारतीय आर्थिक सेवा संवर्ग, विभिन्न सांख्यिकीय संवर्ग आदि के स्थापना संबंधी मामलों पर इस प्रभाग में कार्रवाई की जाती है।

3.5 जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी शुरुआत से ही जगह की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है। कुछ प्रभाग जैसे अनुसंधान और मीडिया (आर एंड एम), योजना और विविध (पी एंड एम), सांख्यिकी तथा सहकारी विपणन एवं विनियमन प्रभाग भीका जी कामा प्लेस, नई दिल्ली में अगस्त क्रांति भवन में अवस्थित हैं। माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य का कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में स्थित है। इन कार्यालयों से समन्वय के लिए अतिरिक्त स्टाफ और वाहनों की जरूरत होती है।

कंप्यूटर केन्द्र (एनआईसी)

3.6 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) ने सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग, विकास और प्रचालन के लिए शास्त्री भवन में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए कंप्यूटर केन्द्र स्थापित किया है। एनआईसी 'लैन' तथा 'वैन' के कार्यकरण का रख रखाव कर रहा है। नये एंटी वायरस सर्वर और पैच प्रबंधन सर्वर की स्थापना शास्त्री भवन में विंडोज और एंटी वायरस सॉफ्टवेयर के ऑनलाइन उन्नयन तथा पैच प्रबंधन के लिए की गई है।

3.7 एनआईसी ने इंटरनेट कनेक्शन के लिए अगस्त क्रांति भवन में 20 एमबीपीएसआरएफ के बैक-अप सहित सीजीओ कम्पलैक्स, एनआईसी मुख्यालय से 2 एमबीपीएस लीज्ड लाइन के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए भी लैन/मैन की स्थापना की है।

3.8 मंत्रालय की वेबसाइट का अद्यतनीकरण **(URL: http://www.tribal.gov.in)** किया जाता है जैसे कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, शिक्षा प्रभाग, एनजीओ प्रभाग अनुसंधान और मीडिया की अधिसूचनाएं, नियम, समाचार, योजनाएं आदि समय-समय पर वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं।

3.9 एनआईसी; ट्राइफेड, एनसीएसटी, एनएसटीएफडीसी को आईटी सहायता भी प्रदान करता है और इनकी

वेबसाइट जैसे:

http://www.trifed.nic.in,
http://www.tribes.nic.in,
http://www.ncst.nic.in,
http://www.nstfdc.nic.in का रखरखाव करता है।

3.10 अंतर जनजातीय (इंट्रा-गोव) संपूर्ण अनुकूलन तथा अंतर जनजातीय का कार्यान्वयन किया गया है तथा जो मंत्रालय में चल रहा है। पोर्टल कर्मचारियों को अपनी वेतन की चिट तक पहुंच को आसान बनाता है तथा कर्मचारी प्रशासन अनुभाग इत्यादि से जारी सूचनाओं, कार्यालय आदेशों को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्री भवन के साथ-साथ अगस्त क्रांति भवन दोनों में पोर्टल तक पहुंचा जा सकता है। पोर्टल को समग्र डीडीओ (कोंप डीडीओ) प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ताकि कर्मचारी इंट्रा-गोव प्रणाली के माध्यम से अपने व्यक्तिगत आंकड़ों तक पहुंच सकें।

मंत्रालय में एसजी प्रभाग की योजनाओं के लिए वेब आधारित निगरानी प्रणाली योजना विकसित की गई है तथा यह प्रचालित किए जाने की प्रक्रिया में है।

मंत्रालय अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति नामक एक योजना चला रहा है। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी जो विभिन्न पेशेवर/गैर-पेशेवर महाविद्यालयों में दाखिल हैं/पढ़ रहे हैं, को छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के लिए वेब आधारित प्रणाली विकसित की गई है ताकि विभिन्न महाविद्यालय अपने प्रस्तावों को ऑन लाईन प्रस्तुत कर सकें तथा अपनी स्वीकृति ऑन लाईन प्राप्त कर सकें।

एक छोटी पैकेज कार्यालय फाइल प्रबंधन प्रणाली भी उपयोग के लिए तैयार है।

3.11 मंत्रालय की वेबसाईट का रख रखाव एनआईसी एकक द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रस्तावों के लिए प्रत्येक पखवाड़े में स्वीकृति पत्रों, वन अधिकार अधिनियम पर समेकित रिपोर्ट, राज्य सरकारों से प्राप्त एनजीओ के प्रस्तावों की स्थिति पर समेकित रिपोर्ट को अपलोड करने जैसी विषय-वस्तु प्रबंधन गतिविधियां और कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय-वस्तु प्रबंधन एनआईसी एकक द्वारा किया जाता है। एसीसी रिक्ति निगरानी प्रणाली, ई-सर्विस पुस्तिका, pqars.nic.in. ई-प्रोक्यूरमेंट के कार्यान्वयन जैसी सामान्य ई-गोव गतिविधियां भी मंत्रालय के स्टाफ के साथ एनआईसी एकक द्वारा की जाती हैं। जब भी आवश्यकता होती है तकनीकी सहायता दी जाती है।

बजट आबंटन

3.12 मंत्रालय का वर्ष 2011-12 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु बजट आबंटन 3723.01 करोड़ रुपए था। संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर यही राशि रखी गई है। वर्ष 2011-12(31.12.2011 तक) के दौरान मंत्रालय द्वारा की गई कुल निमुर्क्तियां 2614.96 करोड़ रुपए हैं जो संशोधित अनुमानों का 70.72 प्रतिशत है।

3.13 वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 (31.12.2011 तक) के दौरान योजनावार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और व्यय **अनुलग्नक 3-ख** में दिए गए हैं।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

3.14 हिन्दी संघ की राजभाषा है इसलिए सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए मंत्रालय सक्रियता से कार्य कर रहा है। हिन्दी अनुभाग अनुवाद का कार्य और राजभाषा नीति तथा अधिनियम का कार्य कर रहा है। यह मंत्रालय के अधीन संगठनों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति की भी निगरानी करता है। अधिकतर अधिकारी तथा कर्मचारी हिन्दी में प्रवीण हैं या उन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है।

राजभाषा अधिनियम/नियम तथा वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3.15 राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम, 2011-12 में विभिन्न कार्यालयों/क्षेत्रों आदि के साथ किए जाने वाले पत्राचार संबंधी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिन्दी में दिया जा रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को अधिकतर पत्र हिन्दी में भेजे गए। सभी प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें द्विभाषी रूप में तैयार की जा रही हैं। रबड़ की सभी मोहरें तथा मुद्रित स्टेशनरी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाई गई है। मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी/समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है।

हिन्दी पखवाड़ा

3.16 मंत्रालय में दिनांक 14 से 28 सितम्बर, 2011 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के दौरान हिन्दी कविता पाठ, हिन्दी में टिप्पण लेखन, हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी टंकण और श्रुतलेख जैसे कार्यकलाप और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में बहुत उत्साह से भाग लिया।

सतर्कता कार्यकलाप

3.17 मंत्रालय में सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) मंत्रालय के सचिव की सहायता करते हैं और मंत्रालय तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बीच सम्पर्क-सूत्र का कार्य करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपने सामान्य कार्य करने के अतिरिक्त सतर्कता संबंधी कार्य भी देखते हैं। मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव (सतर्कता) मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यों को निभाने में सहायता करते हैं। जनता की जानकारी के लिए कार्यालय परिसर में मानक सूचना पटल लगाए गए हैं।

3.18 केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुपालन में मंत्रालय ने दिनांक 31.10.2011 से 06.11.2011 तक 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' मनाया गया। दिनांक 31.10.2011 को सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को शास्त्री भवन में तथा उपमहानिदेशक (डीडीजी) ने कर्मचारियों को अगस्त क्रांति भवन में शपथ दिलाई।

लोक शिकायत निवारण तंत्र

3.19 मंत्रालय में संयुक्त सचिव (प्रशासन) को निदेशक, शिकायत के तौर पर मनोनीत किया गया है। उनके विवरण जैसे कमरा नंबर, टेलीफोन नंबर आदि व्यापक रूप से परिचालित किए गए हैं। शिकायत निदेशक अधिकारियों/कर्मचारियों और कभी-कभार उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करते हैं ताकि उनकी समस्याएं और शिकायतें सुन सके। लोक शिकायत निगरानी तंत्र की ऑन लाईन (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है तथा डीएआरपीजी के माध्यम से, राष्ट्रपति सचिवालय तथा सीधे ही ऑन लाईन प्राप्त लोक शिकायतों का निपटान किया जा रहा है।

गणतंत्र दिवस समारोह, 2012

3.20 वर्षों से की जा रही कवायद के अनुसार, इस वर्ष भी मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड, और समारोह, 2012 में भाग लेने के लिए भारत सरकार के अतिथियों के रुप में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दो जनजातीय प्रतिनिधियों, एक महिला और एक पुरुष को आमंत्रित किया।

3.21 गणतंत्र दिवस समारोह 2012 में 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 46 जनजातीय अतिथियों ने गणतंत्र दिवस परेड 2012, 28 जनवरी, 2012 को प्रधानमंत्री की एनसीसी रैली तथा 29 जनवरी, 2012 को बीटिंग रिट्रीट समारोह को देखा। जनजातीय अतिथि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से भी मिले तथा दिनांक 24 जनवरी, 2012 को प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भी उपस्थित हुए। वे रक्षा मंत्री से भी मिले। माननीय जनजातीय कार्य मंत्री/जनजातीय कार्य राज्य मंत्री ने जनजातीय अतिथियों के सम्मान में एक स्वागत समारोह आयोजित किया तथा इन्हें गणतंत्र दिवस समारोह में सहभागिता का प्रमाण पत्र और उपहार प्रदान किए। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की ओर से भी इन्हें उपहार संवितरित किए गए। जनजातीय अतिथियों ने दिनांक 30.01.2012 को राजघाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। जनजातीय अतिथियों के सम्मान में माननीय जनजातीय कार्य पंचायती राज मंत्री/जनजातीय कार्य राज्य मंत्री ने रात्रि भोज आयोजित किया तथा अतिथियों को उपहार प्रदान किये प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री की ओर से भी उन्हें उपहार संवितरित किए गए।

3.22 मेहमानों को दिल्ली और उसके आसपास के दर्शनीय स्थानों पर ले जाया गया। उन्होंने आगरा, फतेहपुर सीकरी का भ्रमण किया और मथुरा के मंदिरों के दर्शन किए।

संसदीय स्थायी समिति

3.23 श्री दारा सिंह चौहान की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी संसदीय समिति (2010-11) ने वर्ष 2011-12 के लिए मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच के संबंध में 20.04.2011 को मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लिए। स्थायी समिति ने की गई कार्रवाई अर्थात 14वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) से संबंधित अपनी रिपोर्ट दिनांक 09.03.2011 को संसद में प्रस्तुत की।

3.24 अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 पर उप समन्वय विधान समिति, राज्य सभा द्वारा सचिव (जनजातीय कार्य) की

गणतंत्र दिवस समारोह, 2012 के दौरान महामहिम राष्ट्रपति के साथ जनजातीय अतिथि

सुनवाई के संबंध में दिनांक 21 अप्रैल, 2011 को सचिव (जनजातीय कार्य), संयुक्त सचिव, निदेशक, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अन्य अधिकारी तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति के समक्ष उपस्थित हुए। सचिव (जनजातीय कार्य) ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन तथा निगरानी पर समिति के माननीय अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न बिन्दुओं को स्पष्ट किया।

3.25 श्री फ्रांसिस्को सारदिन्हा की अघ्यक्षता में प्राक्कलन समिति (2011-12) ''जनजातीय कल्याण योजनाओं'' की जांच के संबंध में दिनांक 12.07.2011 को मंत्रालय के अधिकारियों के साक्ष्य लिए।

3.26 जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना के कार्यान्वयन पर दिनांक 05.07.2011 को मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ श्री दारा सिंह की अघ्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर स्थायी समिति द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी।

3.27 कर्नाटक की अनुसूचित जनजाति 'मेदा' के पर्यायवाची के रूप में 'मेदारा' को शामिल करने के लिए दिनांक 21.02.2012 तथा 13.03.2012 को संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2011 की जांच के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर स्थायी समिति की बैठकें आयोजित की गई थी।

3.28 वर्ष के दौरान 'एनएसटीएफडीसी के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु योजना' तथा 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास पर चर्चा करने के लिए क्रमश: 09.11.2011 तथा 28.02.2012 को जनजातीय कार्य मंत्रालय की परामर्श दात्री समिति की दो बैठकें आयोजित की गई थीं।

3.29 जनजातीय कार्य मंत्रालय 2011-12 के लिए नागरिक/क्लाइंट चार्टर इस रिपोर्ट के **अध्याय-19** में दर्शाया गया है।

❑

जनजातीय कार्य मंत्रालय : संगठनात्मक संरचना

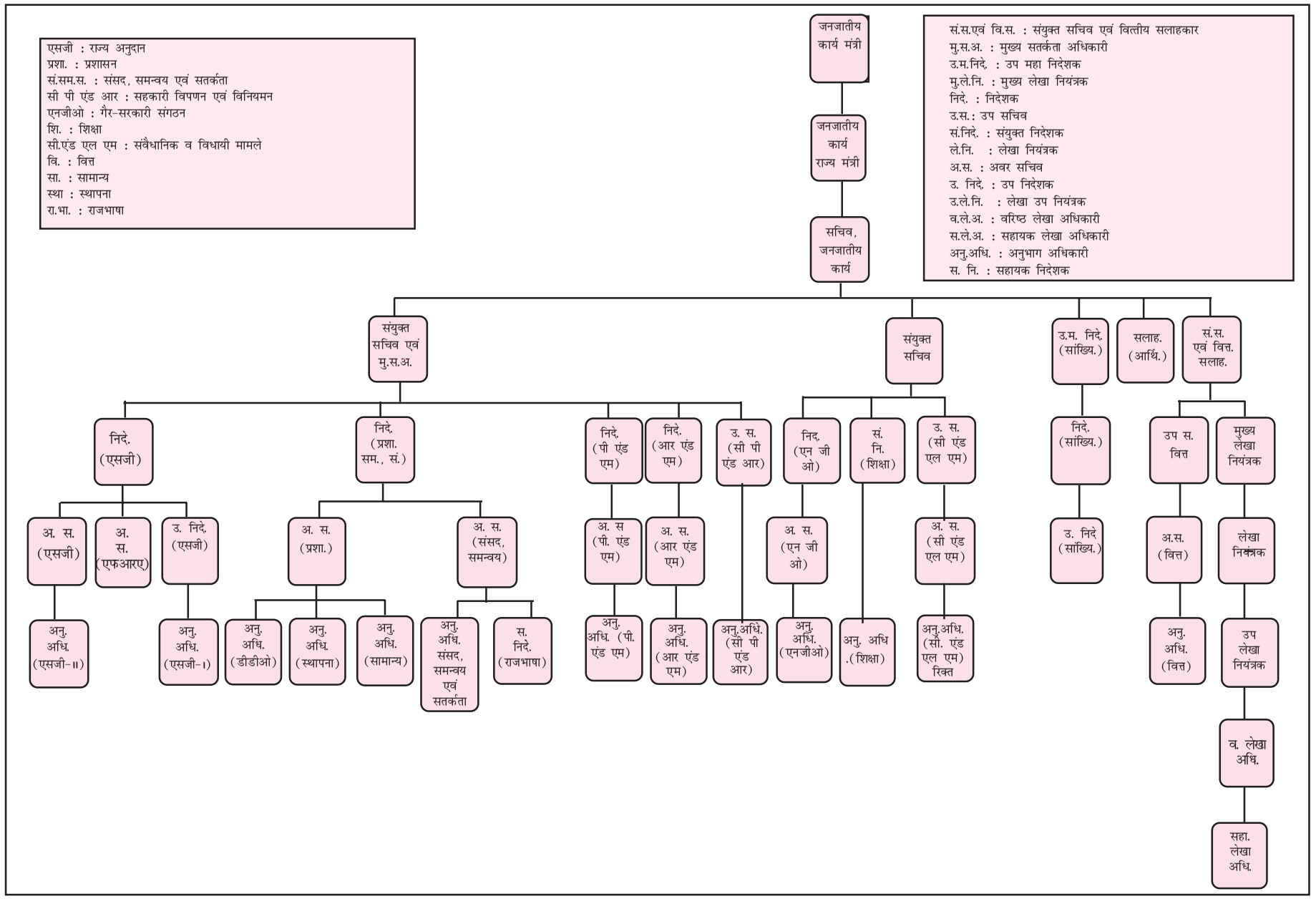

अनुलग्नक: 3-ख

2009-10, 2010-11 और 2011-12 (31-12-2011 तक) के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और व्यय (योजना)

(करोड़ रुपए में)

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/उपयोजनाएं	योजना	2009-10			2010-11			2011-12		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.'	सं.अ.	व्यय'
क.	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं**										
2225	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजनाओं और अनुकरणीय सेवा सहित अनुसूचित जनजाति के लिए गैर-सरकारी संगठनों की सहायता अनुदान	35.95	35.95	46.75	36.99	39.00	52.61	39.50	39.50	29.78
2225	अनुकरणीय कार्य निष्पादित करने वाले एनजीओ को विशेष प्रोत्साहन		0.80	0.30		0.01	0.50				
2225	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना		5.5	3.00	3.00	4.5	4.50	1.53	4.50	4.50	1.91
	2225 का कुल		**42.25**	**39.25**	**49.75**	**41.50**	**44.00**	**54.14**	**44.00**	**44.00**	**31.69**
3601	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजनाएं		0.49	0.00	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजनाएं		0.01	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2225,3601,3602 का कुल		**42.75**	**39.25**	**49.75**	**42.00**	**44.00**	**54.14**	**44.00**	**44.00**	**31.69**
2225	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक	जनजातीय क्षेत्रों में	3.72	2.00	2.00	3.00	2.90	0.88	3.00	3.00	0.00
3601	प्रशिक्षण	व्यावसायिक प्रशिक्षण	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	3.37
	कुल		**13.72**	**2.00**	**2.00**	**8.00**	**7.90**	**6.88**	**8.00**	**8.00**	**3.37**
2225	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों मे शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	**50.00**	**33.50**	**33.50**	**40.00**	**39.70**	**37.56**	**40.00**	**40.00**	**10.38**
2225	जनजातीय उत्पाद/उपज का बाजार विकास	जनजातीय उत्पाद/उपज का विपणन विकास	**19.86**	**19.86**	**19.3550**	**12.00**	**14.53**	**14.53**	**22.00**	**22.00**	**16.50**
3601	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम	लघु उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम	**10.00**	**10.00**	**10.00**	**15.00**	**15.00**	**15.00**	**20.00**	**20.00**	**11.52**
2225	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुहों (पीटीजी)	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुहों (पीटीजी)	4.00	4.00	3.9996	6.00	5.80	5.2085	5.80	5.80	1.33
3601	का विकास	का विकास	151.00	75.00	79.6180	175.00	234.40	227.2388	234.20	234.20	157.16
	कुल		**155.00**	**79.00**	**83.6176**	**181.00**	**240.20**	**232.4473**	**240.00**	**240.00**	**158.49**
4225	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	राष्ट्रीय / राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास नगम को समर्थन	50.00	0.00	0.00	70.00	70.00	69.99	70.00	70.00	35.00
4225	राज्य जनजातीय वित्त एवं विकास निगम										
	कुल		**50.00**	**0.00**	**0.00**	**70.00**	**70.00**	**69.99**	**70.00**	**70.00**	**35.00**
2225	अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अनुसूचित जनजाति छात्रा राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	**42.00**	**30.00**	**30.00**	**72.00**	**60.69**	**60.6822**	**62.00**	**84.93**	**62.00**
2225	उत्कृष्ट सस्थान/उच्च स्तर संस्थान की योजना	अनुसूचित जनजाति छात्रा राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	**4.00**	**1.75**	**1.75**	**2.50**	**5.00**	**4.9952**	**5.00**	**7.00**	**3.94**
2225	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	**0.50**	**0.31**	**0.3080**	**1.00**	**0.50**	**0.3021**	**1.00**	**1.00**	**0.34**
	'क' का कुल (केन्द्रीय क्षेत्र की योजना)		**387.83**	**215.67**	**230.28**	**443.50**	**497.52**	**496.52**	**512.00**	**536.93**	**333.23**

(करोड़ रुपए में)

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/उपयोजनाएं का विवरण	योजना	2009-10			2010-11			2011-12		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.'	सं.अ.	व्यय'
ख.	**केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं**										
2225	अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	अनुसूचित जनजाति छात्रा हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा प्रतीभा उन्नयन की योजना	0.10	0.02	0.0173	0.10	0.10	0.10	0.10	0.28	0.10
2225	पुस्तक बैंक										
	2225 का कुल		**0.10**	**0.02**	**0.0173**	**0.10**	**0.10**	**0.10**	**0.10**	**0.28**	**0.10**
3601	अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु योजना मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति		215.85	215.85	270.85	467.93	467.93	555.93	571.40	715.40	668.93
3601	पुस्तक बैंक										
3601	अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए प्रतिभा उन्नयन की योजना		2.00	0.50	0.50	2.00	1.50	0.7238	1.50	2.10	1.14
	3601 का कुल		**217.85**	**216.35**	**271.35**	**469.93**	**469.43**	**556.6538**	**572.90**	**717.50**	**670.07**
	2225 तथा 3601 का कुल		**217.95**	**216.37**	**271.3673**	**470.03**	**469.53**	**556.7538**	**573.00**	**717.78**	**670.17**
2225	अनुसूचित जनजातीय के विद्यार्थियों के लिए	अनुसूचित जनजातीय के विद्यार्थियों के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3601	मैटिक पूर्व छात्रवृति	मैटिक पूर्व छात्रवृति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
	कुल		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45.00**	**45.00**	**0.00**
2225	लड़कियों तथा लड़को के लिए छात्रावास	अनुसूचित जनजाति लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावास की योजना	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00
	2225 का कुल		**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**0.00**
3601	लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास		54.00	54.00	59.00	63.00	63.00	73.00	63.00	63.00	37.59
	3601 का कुल		**54.00**	**54.00**	**59.00**	**63.00**	**63.00**	**73.00**	**63.00**	**63.00**	**37.59**
	2225 तथा 3601 का कुल		**59.00**	**59.00**	**64.00**	**68.00**	**68.00**	**78.00**	**68.00**	**68.00**	**37.59**
2225	आश्रम विद्यालयों की	आश्रम विद्यालयों की	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3601	स्थापना	स्थापना	41.00	41.00	41.00	75.00	65.00	65.00	75.00	75.00	68.65
	कुल		**41.00**	**41.00**	**41.00**	**75.00**	**65.00**	**65.00**	**75.00**	**75.00**	**68.65**
2225	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	अनुसंधान सूचना व जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार व अन्य	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
2225	सूचना एवं मास मीडिया		1.75	1.75	1.54	3.00	3.00	1.63	3.00	3.00	2.75
2225	राष्टीय जनजातिय कार्य पुरस्कार		0.17	0.00	0.00	0.17	0.29	0.25	0.14	0.45	0.13
2225	उत्कृष्टता केन्द्र		1.00	0.60	0.58	1.00	0.65		0.65	0.56	0.00
2225	अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय प्रकृति या अंतर्राज्यीय प्रकृति की समर्थक योजनाएं		1.00	0.65	0.2171	1.00	0.40	1.8373	0.40	0.20	0.008
2225	जनजातीय त्यौहारों का आयोजन		1.50	1.50	0.90	1.75	1.75		1.50	1.73	0.30
2225	जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-पदान		0.45	0.20	0.00	0.45	0.20		0.71	0.38	0.00
	2225 का कुल		**6.47**	**4.70**	**3.2371**	**7.97**	**6.29**	**3.7150**	**6.50**	**6.32**	**3.188**
3601	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण		10.00	5.50	6.0754	12.00	5.00	4.0621	4.00	3.00	3.06
	2225 तथा **3601** का कुल		**16.47**	**10.20**	**9.3125**	**19.97**	**11.29**	**7.7771**	**10.50**	**9.32**	**6.248**
2225	निगरानी एवं मूल्याकंन	निगरानी एवं मूल्याकंन	**0.75**	**0.35**	**0.0698**	**2.00**	**1.70**	**0.3762**	**2.00**	**1.19**	**0.90**
2251	सूचना प्रौद्योगिकी	मंत्रालय	1.50	0.95	0.3752	1.50	0.4853	0.2272	1.40	0.40	0.10
2225		एन.सी.एस.टी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2147	0.2127	0.10	0.10	0.00
	कुल		**1.50**	**0.95**	**0.375**	**1.50**	**0.70**	**0.4399**	**1.50**	**0.50**	**0.10**
	ख का कुल (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं)		**336.67**	**327.87**	**386.1248**	**636.50**	**616.22**	**708.3470**	**775.00**	**916.79**	**783.66**

(करोड़ रुपए में)

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/उपयोजनाएं का विवरण	योजना	2009-10			2010-11			2011-12		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.'	सं.अ.	व्यय'
ग	**एकमुस्त प्रावधान**										
2552	पूर्वोत्तर के लिए एकमुस्त प्रावधान	पूर्वोत्तर के लिए एकमुस्त प्रावधान	80.50	76.12	0.00	120.00	120.00	0.00	143.00	143.00	0.00
4522		पूर्वोत्तर के लिए एकमुस्त प्रावधान (पूंजीगत भाग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2552 तथा 4552 का कुल		**80.50**	**76.12**	**0.00**	**120.00**	**120.00**	**0.00**	**143.00**	**143.00**	**0.00**
	क+ख+ग का कुल		**805.00**	**619.66**	**616.4054**	**1200.00**	**1233.74**	**1204.87**	**1430.00**	**1596.72**	**1116.89**
घ	**विशेष केन्द्रीय सहायता**										
2225	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	जनजातीय उपयोजना का विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3601			900.50	481.24	481.24	960.50	941.96	931.7277	1096.01	1015.01	777.17
	कुल		**900.50**	**481.24**	**481.24**	**960.50**	**941.96**	**931.7277**	**1096.01**	**1015.01**	**777.17**
3601	संविधान के अनुच्छेद 275 के परंतुक के अंतर्गत योजना	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अंतर्गत योजना	**1000.00**	**399.10**	**399.10**	**1046.00**	**1030.00**	**999.8841**	**1197.00**	**1111.28**	**720.90**
3601	अनुसूची 5 एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय बच्चों के शैक्षिक विकास हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए)	अनुसूची 5 एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय बच्चों के शैक्षिक विकास हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए)	**500.00**	**500.00**	**499.9999**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	ग का कुल (विशेष केन्द्रीय सहायता)		**2400.50**	**1380.34**	**1380.3399**	**2006.50**	**1971.96**	**1931.6118**	**2293.01**	**2126.29**	**1498.07**
	क,ख,ग तथा घ का कुल		**3205.50**	**2000.00**	**1996.7453**	**3206.50**	**3205.70**	**3136.4818**	**3723.01**	**3723.01**	**2614.96**

* विनयोजना तथा लेखा कार्यलय के अनुसार (अनन्तिम)

अध्याय 4
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

4.1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में दिए गए विभिन्न सुरक्षोपायों और विभिन्न अन्य संरक्षणात्मक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1950 में स्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय के अतिरिक्त, 1978 में एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। तथापि, 1992 में ये दो संगठन सांविधिक बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए गए। चूंकि अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताएं और समस्याएं तथा उनके अपेक्षित समाधान, अनुसूचित जातियों की समस्याओं और उनके समाधानों की तुलना में कहीं अधिक भिन्न थे, जनजातीय विकास के लिए एक विशेष दृष्टिकोण और अनुसूचित जनजाति के विशेष अधिकारों के सुरक्षोपायों के लिए विशेष स्वतंत्र तंत्र का होना आवश्यक समझा गया, इसलिए संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338 का संशोधन करके तथा अनुच्छेद 338 क का समावेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 से एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी।

4.2 आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है जबकि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐसे कार्यालय में अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक उस कार्यालय में अपने पद पर बने रहते हैं।

4.3 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के डा. रामेश्वर ओरोन-अध्यक्ष हैं तथा श्री मौरिस कुजुर-उपाध्यक्ष हैं और श्रीमती के. कमला कुमारी तथा श्री भेरु लाल मीना-सदस्य के रुप में शामिल हैं। उपाध्यक्ष का पद तथा एक सदस्य का पद रिक्त है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य, ड्यूटी तथा शक्ति संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (5), (8) तथा (9) में दी गई है। एनसीएसटी (अन्य कार्यों का निर्धारण) नियमावली, 2005 के अनुसार आयोग को अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण, विकास तथा उन्नति के संबंध में कुछ अन्य कार्य भी निपटाने होंगे जो निम्नानुसार हैं:

(क) वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उत्पाद के संबंध में स्वामित्व अधिकार देने के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपाय;

(ख) कानून के अनुसार, खनिज संसाधनों, जल संसाधनों आदि के संबंध में जनजातीय समुदायों को सुरक्षा अधिकार देने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ग) जनजातियों के विकास के लिए किए जाने वाले उपाय और अपेक्षाकृत अधिक व्यवहार्य आजीविका नीति के लिए किए जाने वाले उपाय,

(घ) विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावोत्पादकता को सुधारने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ङ) जनजातीय लोगों का भूमि से अन्य संक्रमण रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय और उन लोगों का प्रभावी रूप से पुनर्वास करना जिनके मामले में पहले ही अन्य संक्रमण हो चुका है;

(च) वनों के संरक्षण और सामाजिक वनरोपण के लिए जनजातीय समुदायों का अधिकतम सहयोग प्राप्त करने और शामिल करने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(छ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के प्रावधानों के पूर्ण

कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ज) जनजातियों द्वारा खेती को बंटाई पर देने, जिसके कारण उनकी अधिकारिता निरंतर कम होती है और भूमि तथा पर्यावरण का क्षय होता है, प्रक्रिया को कम करने और अन्ततः समाप्त करने के लिए किए जाने वाले उपाय।

4.4 आयोग के मुख्य कर्त्तव्य हैं अनुसूचित जनजातियों को दी गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच-पड़ताल करना और मॉनीटर करना और ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना; और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से वंचन और सुरक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। आयोग के पास अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के वंचन और सुरक्षोपायों से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले, विशेषकर निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जांच-पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर करने के सभी अधिकार हैं, अर्थात् :

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जाना एवं बुलावा भेजना तथा उसे शपथ दिलाकर जांच करना;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी सरकारी रिकार्ड अथवा उसकी प्रति की मांग करना;

(ङ) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी करना;

(च) कोई अन्य मामला, जिसे राष्ट्रपति नियमानुसार निर्धारित कर सकता है।

4.5 338 (क) के खंड (9) में यह प्रावधान है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने से संबंधित सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

4.6 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग के छः क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची एवं शिलांग में

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों के पते	क्षेत्राधिकार
1.	कमरा नं.309, निर्माण सदन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 (टेलीफोनः 0755-2576530/फैक्स-0755-2578272)	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा तथा संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप
2.	एन-1/297, आईआरसी ग्राम, भुवनेश्वर-751015 (टेलीफोनः 0674-2551616/फैक्स-2551818)	आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ शासित क्षेत्र तथा पुदुचेरी
3.	कमरा संख्या 101 तथा 102, पहला तल, ब्लॉक-ए, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-10, विद्याधर नगर, जयपुर-302023 (टेलीफोनः 0141-2236779/फैक्स-2235488)	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और चंडीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र और दमन व दीव
4.	आर-26, सैक्टर-2, अवंती विहार, पोस्ट ऑफिस रविग्राम, रायपुर-492006 (टेलीफोन + 0771-2443335)	छत्तीसगढ़
5.	14, न्यू ए.जी. को-ऑपरेटिव कॉलोनी, कदरू, रांची-834002 (टेलीफोनः 0651-2341677/फैक्स-2340368)	बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश
6.	रबेका विला, टेम्पल रोड, लोअर लचुमैरी, शिलांग-793001 (टेलीफोनः 0364-2504202/फैक्स-2221362)	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।

स्थित हैं। इन कार्यालयों के पते और क्षेत्राधिकार नीचे तालिका में दिए गए हैं।

4.7 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने सृजन से लेकर वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लिए अपनी पहली रिपोर्ट 8.8.2006 को; वर्ष 2006-07 के लिए दूसरी रिपोर्ट 3.9.2008 को; वर्ष 2007-08 के लिए तीसरी रिपोर्ट 29.3.2010 को; वर्ष 2008-09 के लिए चौथी रिपोर्ट 27.8.2010 तथा वर्ष 2009-10 के लिए पांचवी रिर्पोट दिनांक13.07.2011 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत की है। संविधान के अनुच्छेद 338(क) के खंड (6) के संबंध में, एनसीएसटी की रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों में रखना अपेक्षित है और इसके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन भी संलग्न करना होगा तथा ऐसी सिफारिशों को स्वीकार न करने, के कारण यदि कोई हो भी बताने होंगे।

❑

गणतंत्र दिवस समारोह, 2012 के दौरान माननीय जनजातीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री, माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री तथा अध्यक्ष एनसीएसटी द्वारा जनजातीय अतिथियों का सम्मान करते हुए

अध्याय 5
जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम

जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति तथा कार्यक्रम

5.1 प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनजातीय लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक स्पष्ट जनजातीय विकास कार्यनीति तैयार करने के स्थान पर सामुदायिक विकास दृष्टिकोण के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन के प्रावधानों पर जोर दिया गया। इस योजना के अंत तक (1954), 43 विशेष बहुउद्देश्यीय जनजातीय विकास परियोजनाएं बनाई गईं। इन विशेष बहुउद्देश्यीय जनजातीय विकास परियोजनाओं से जनजातीय लोगों के हितों का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा जा सका क्योंकि इन योजनाओं की संख्या ज्यादा थी और ये लगभग एक ही प्रकार की थी। यही दृष्टिकोण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रहा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, जनजातीय विकास के लिए एक अलग कार्यनीति तैयार की गई जिसमें उन सामुदायिक विकास ब्लॉकों, जिनमें जनजातीय जनसंख्या की बहुलता 66 प्रतिशत और उससे अधिक थी, को जनजातीय विकास ब्लॉकों में परिवर्तित किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में जनजातीय विकास ब्लॉकों की संख्या 504 तक बढ़ गई। जनजातीय विकास ब्लॉकों के माध्यम से विकास की इस कार्यनीति की अपनी सीमाएं थीं और इसलिए यह जनजातीय विकास ब्लॉकों के बाहर रहने वाली देश की जनजातीय आबादी जिसमें 60 प्रतिशत से ज्यादा जनजातीय जनसंख्या सम्मिलित है, के हितों का समाधान करने में विफल रही है।

विद्यमान कार्यनीति - जनजातीय उपयोजना

5.2 जनजातीय लोगों के त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रो. एस.सी. दुबे की अध्यक्षता में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1972 में गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जनजातीय उपयोजना कार्यनीति तैयार की गई जिसे पहली बार पांचवी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया।

अपनाई गई रणनीति आज तक जारी है तथा मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: विस्तृत दिशानिर्देशों की योजना आयोग के कार्यदल द्वारा समीक्षा की जा रही है:

(i) किसी राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र की सीमा के भीतर जनजातियों के कल्याण और विकास से संबंधित योजना तैयार करना उस राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र की समग्र योजना का एक भाग है और इसलिए इसे उपयोजना कहा जाता है।

(ii) जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत प्रदान की गई निधियां कम से कम प्रत्येक राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र की जनजातीय आबादी के अनुपात के बराबर होनी चाहिएं।

(iii) किसी राज्य अथवा किसी संघ शासित क्षेत्र की जनजातियों और जनजातीय क्षेत्रों को जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाते हैं। ये लाभ किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र, की समग्र योजना से मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त होते हैं।

(iv) जनजातीय उपयोजना में निम्नलिखित कार्यनीतियों की व्यवस्था होनी चाहिए :-

(क) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के लिए संसाधनों की पहचान करना;

(ख) विकास के लिए मोटे तौर पर नीतिगत ढांचा तैयार करना; तथा

(ग) इसके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक कार्यनीति को परिभाषित करना।

तालिका 5.1 : टीएसपी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	मध्य प्रदेश
असम	महाराष्ट्र
बिहार	मणिपुर
छत्तीसगढ़	राजस्थान
गोवा	सिक्किम
गुजरात	तमिलनाडु
हिमाचल प्रदेश	त्रिपुरा
जम्मू और कश्मीर	उत्तर प्रदेश
झारखंड	उत्तराखंड
कर्नाटक	पश्चिम बंगाल
केरल	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
ओडिशा	दमन और दीव

(v) जनजातीय उपयोजना कार्यनीति को 22 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। टीएसपी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम **तालिका 5.1** में दिए गए हैं।

(vi) टीएसपी की अवधारणा जनजातीय बहुल अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैण्ड राज्यों तथा लक्षद्वीप तथा दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं है, जहां जनजातीय लोग जनसंख्या का 60% से अधिक हैं, क्योंकि इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वार्षिक योजना स्वयं जनजातीय योजना है।

5.3 यद्यपि टीएसपी निधियां, जो कम-से-कम राज्य में कुल जनसंख्या के जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर है, के तहत राज्यों को निधियां प्रदान करने की आशा की जाती है और यद्यपि जनजातीय कार्य मंत्रालय और योजना आयोग दोनों ने राज्यों को ऐसा करने के लिए लिखा है तो भी दुर्भाग्य से वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक योजना तैयार करते समय सभी राज्यों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय के ब्यौरे तथा टीएसपी के तहत प्रदान की गई निधियां या भाग **अनुलग्नक 5-क** में दी गई है।

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के टीएसपी घटक

5.4 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में टीएसपी रणनीति के पालन किए जाने की आशा की जाती है ताकि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में निधियों के पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित किया जाए। पहले मंत्रालय/विभाग परियोजनाओं की अविभाज्यता का उल्लेख करते हुए टीएसपी के कार्यान्वयन में कठिनाई की रिपोर्ट दे रहे थे, परियोजनाओं को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित सभी समुदायों के लिए लागू किया जा रहा है। मंत्रालय ने वर्ष 2009 में इस बात को घ्यान में रखते हुए टीएसपी पर केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए एक अलग रणनीति तैयार करने हेतु योजना आयोग से सम्पर्क किया है।

5.5 योजना आयोग ने (क) टीएसपी के कार्यान्वयन में प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों की समीक्षा करने, तथा (ख) टीएसपी के प्रभावी एवं अर्थपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए जून,2010 में डा. नरेन्द्र जाधव, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया है। इसने टीएसपी के लिए योजना परिव्यय को चिह्नित करने हेतु उनके दायित्व के अनुसार मंत्रालयों/विभागों के वर्गीकरण की सिफारिश की है। योजना आयोग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित 28 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा टीएसपी के तहत योजना निधियों के चिह्नन के साथ-साथ कार्य बल की सिफारिशों को स्वीकृत किया है। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, वार्षिक योजना प्रस्ताव 2011-12 में टीएसपी के तहत निधियों के उपयुक्त चिह्नन सुनिश्चित करना था। योजना आयोग ने मंत्रालयों/विभागों, जिनकी कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता नहीं है, से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वैच्छिक आधार पर टीएसपी के तहत आबंटन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। 31.12.2012 तक कुल 17 मंत्रालयों/विभागों ने अनुपालन के बारे में रिपोर्ट की है। मंत्रालय ने निधियों के पर्याप्त चिह्नन की पुष्टिकरण तथा टीएसपी के तहत व्यय की स्थिति के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों से कह रहा है। इस उद्देश्य के लिए कार्यान्वयन के नए उपागम पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं सहित अभिज्ञात 28 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सूची अनुलग्नक 5-ख में दी गई है।

राज्य सरकारों की जनजातीय उपयोजना

5.6 योजना आयोग ने भी राज्यों को निर्देश देते हुए आदेश जारी किया है कि राज्य के कुल बजट परिव्यय में से जनजातीय उपयोजना हेतु राशि आरक्षित रखें, जो अलग बजट शीर्ष कोड 796 में रखी जानी है। योजना आयोग द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार जनजातीय उपयोजना की निधियां अपरिवर्तनीय तथा अव्यपगत हैं। इन दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था भी की गई है कि राज्यों में जनजातीय उपयोजना

के निरूपण एवं कार्यान्वयन हेतु जनजातीय कल्याण विभाग नोडल विभाग होगा। उपरोक्त पैरा 5.5 में संदर्भित कार्य बल राज्यों द्वारा टीएसपी के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा कर रहा है।

5.7 जनजातीय उपयोजना को अपनाने के लिए, जैसा कि जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों की निर्मुक्ति हेतु दिशा-निर्देशों में उपबंधित है, कुल आबंटन के 10 प्रतिशत की राशि निर्धारित की जाती है एवं इसे उन राज्यों को निर्मुक्त किया जाता है, जो जनजातीय उपयोजना क्रियान्वयन से संबंधित विगत समय में निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन राशि हेतु अर्हता प्राप्त करते हैं, अर्थात् जो पूर्व वर्ष में कार्यान्वयन एजेन्सियों को राज्य के जनजातीय विकास विभाग के बजट शीर्ष के माध्यम से अनुमोदित जनजातीय उपयोजना निधियों की 75 प्रतिशत से अधिक राशि उपयोग कर चुके हैं।

5.8 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अर्न्तगत अनुदान कार्यक्रम के तहत निधियों की निर्मुक्ति हेतु दिशा निर्देशों में समान रूप से दस प्रतिशत आबंटन का प्रावधान है, जिसके अर्न्तगत ऐसी निधियां उन 22 राज्यों को निर्मुक्त की जाती हैं, जो उपर्युक्त रूप से अर्हता प्राप्त करते हैं; तथा 4 जनजातीय बहुल राज्यों के मामले में मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के तहत निर्मुक्त अनुदान के 75 प्रतिशत भाग का उपयोग करना ऐसी विशेष निधियों हेतु अर्हता मानदण्ड हैं। अभिनव परियोजनाओं हेतु अनुदान पर विचार करने के लिए मंत्रालय राज्यों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन राशियों को अभिनव परियोजनाओं हेतु ही उपयोग किया जाता है; तथा जनजातीय उपयोजना को अपनाने हेतु संस्थागत ढांचे में परिवर्तन लाने हेतु यह एक उपकरण है।

जनजातीय विकास कार्यक्रमों का वित्त पोषण

5.9 जनजातीय विकास के लिए निधियां निम्नलिखित स्रोतों से आती हैं :

(i) राज्य योजना।

(ii) जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) को विशेष केन्द्रीय सहायता, (एससीए) के विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान तथा मंत्रालय की अन्य योजनाओं के तहत निधियां।

(iii) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के क्षेत्रीय कार्यक्रम, और

(iv) संस्थागत वित्त।

जनजातीय अतिथि माननीय जनजातीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री तथा माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री को कला-कृति भेट करते हुए

अनुलग्नक: 5-क

वर्ष 2011-2012 हेतू राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निरूपित टीएसपी की स्थिति

(क) राज्य जिन्होंने पर्याप्त/अधिक प्रावधान किया है

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति की आबादी प्रतिशत में	वार्षिक योजना 2011-12 (करोड़ रु. में)		
			वार्षिक योजना 2006-07 के लिए सहमत परिव्यय	जनजातीय उपयोजना हेतु परिव्यय	वार्षिक योजना मे जनजातीय उपयोजना का प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	6.6	43000.00	2973.13	6.9
2	बिहार	0.9	24000.00	291.34	1.2
3	छत्तीसगढ़	31.8	16500.25	5561.44	33.7
4	हिमाचल प्रदेश	4.0	3300.00	297.00	9.0
5	जम्मू और कश्मीर	10.9	6600.00	743.45	11.3
6	केरल	1.1	11030.00	264.59	2.4
7	मघ्य प्रदेश	20.3	23000.00	4964.90	21.6
8	मणिपुर	34.2	3210.00	1168.37	36.4
9	ओडिशा	22.1	15000.00	3603.43	24.0
10	राजस्थान	12.6	27500.00	3568.18	13.0
11	तमिलनाडु	1.0	23000.00	239.80	1.0
12	त्रिपुरा	31.1	1950.00	905.30	46.4
13	उत्तरप्रदेश	0.1	47000.00	36.20	0.1
14	उत्तराखंड	3.0	7800.00	234.00	3.0
15	पश्चिम बंगाल	5.5	22214.00	1353.33	6.1
16	अंडमान और नि.द्वी.स.	8.3	1038.75	171.38	16.5

(ख) राज्य, जिन्होंने पर्याप्त प्रावधान नहीं किए हैं

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति की आबादी प्रतिशत में	वार्षिक योजना 2010-11 (करोड़ रु. में)		
			वार्षिक योजना 2006-07 के लिए सहमत परिव्यय	जनजातीय उपयोजना हेतु परिव्यय	वार्षिक योजना मे जनजातीय उपयोजना का प्रतिशत
1	असम	12.4	10772.72	255.27	2.4
2	गोवा	12.06	3320.00	328.80	9.9
3	गुजरात	14.8	38000.00	5436.36	14.3
4	झारखंड	26.3	1530.00	76.60	5.0
5	कर्नाटक	6.6	38070.00	1866.95	4.9
6	महाराष्ट्र	8.9	42000.00	3693.50	8.8
7	सिक्किम	20.6	1440.35	NR	-
8	दमन व दीव	8.8	540.00	3.98	0.7

अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दादरा और नगर हवेली, लक्ष्य दीप जनजातीय बहुल राज्य है, अत: यहां टीएसपी नहीं है।

अनुलग्नक: 5-ख

वर्ष 2011-2012 हेतु टीएसपी के तहत मंत्रालय/स्कीम वार योजना परिव्ययों का प्रस्तावित चिह्नन		
क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	मंत्रालय के लिए सिफारिश किए गए टीएसपी के तहत निधियों का चिह्नन (प्रतिशत में)
1	**2**	**4**
1	दूर संचार विभाग	0.25
2	वस्त्र मंत्रालय	1.20
3	जल संसाधन मंत्रालय	1.30
4	खादय एवमं सार्वजनिक संवितरण विभाग	1.40
5	संस्कृति मंत्रालय	2.00
6	आयुश विभाग	2.00
7	आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	2.40
8	पर्यटन मंत्रालय	2.50
9	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2.50
10	सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय	3.50
11	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	3.60
12	खान मंत्रालय	4.00
13	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	6.70
14	उच्चतर शिक्षा विभाग	7.50
15	कृषि एवं सहकारिता विभाग	8.00
16	एमएसएमई मंत्रालय	8.20
17	कोयला मंत्रालय	8.20
18	युवा मामले विभाग	8.20
19	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	8.20
20	पंचायती राज मंत्रालय	8.20
21	खेल विभाग	8.20
22	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	8.20
23	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	8.20
24	भू-संसाधन विभाग	10.00
25	पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	10.00
26	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	10.70
27	ग्रामीण विकास विभाग	17.50
28	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100.00

अध्याय 6

अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र

अनुसूचित जनजातियाँ

6.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों के लिए किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक लोक अधिसूचना के जरिए अथवा संसद के अधिनियम में अनुवर्ती संशोधन के जरिए इस प्रकार घोषित किया है, अनुसूचित जनजाति के माने जाएंगे।

6.2 अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशेष से संबंधित है और किसी राज्य में किसी समुदाय को यदि अनुसूचित जनजाति का घोषित किया हो तो जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी उस समुदाय के लोग अनुसूचित जाति के माने जाएं। अनुसूचित जनजाति का पता लगाने की जो जरूरी विशेषताएं होनी चाहिए और जिनका पहली बार निर्धारण लोकुर समिति द्वारा किया गया था, इस प्रकार हैं :

(क) आदिम जनजातीय गुण;

(ख) अनूठी संस्कृति;

(ग) आम लोगों से संपर्क करने से कतराना;

(घ) भौगोलिक अलगाव; और

(ङ) पिछड़ापन।

6.3 अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय को शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है और इसकी प्रक्रिया इसी अध्याय में आगे दर्शायी गई है।

जनजातियों का वितरण

6.4 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में जनजातियों की कुल जनसंख्या 8.43 करोड़ है जो कुल आबादी का 8.2 प्रतिशत है। जनजातियों की जनसंख्या में वर्ष 1991 से 2001 के बीच 24.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आधी से ज्यादा जनजातीय आबादी की बहुलता मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात राज्यों में है।

6.5 अनुसूचित जनजातीय समुदाय देश के लगभग 15% क्षेत्र में विभिन्न पारिस्थितिकीय और भौगोलिक जलवायु के हालात में मैदानों और जंगलों से लेकर पहाड़ों और अगम्य क्षेत्रों में रहते हैं। जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। जबकि कुछ जनजातीय समुदायों ने जीवन की मुख्यधारा की शैली अपना ली है वहीं दूसरी ओर 75 ऐसे समूह हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं जिन्हें पहले निम्नलिखित विशेषताएं रखने वाले समूह के रूप में जाना जाता था:-

(क) कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी;

(ख) स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या;

(ग) बहुत ही कम साक्षरता; तथा

(घ) अर्थव्यवस्था का न्यूनतम स्तर

6.6 भारत के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जनजातियों की जनसंख्या तालिका 6.1 में दर्शायी गयी है।

तालिका 6.1: विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जनजातीय आबादी का वितरण

क्र. सं.	राज्य	देश की कुल अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या में राज्य/संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत (घटते हुए क्रम में)
1	मध्य प्रदेश	14.51
2	महाराष्ट्र	10.17
3	ओडिशा	9.66
4	गुजरात	8.87
5	राजस्थान	8.42
6	झारखण्ड	8.40
7	छत्तीसगढ़	7.85
8	आन्ध्र प्रदेश	5.96
9	पश्चिम बंगाल	5.23
10	कर्नाटक	4.11
11	असम	3.92
12	मेघालय	2.36
13	नागालैंड	2.10
14	जम्मू और कश्मीर	1.31
15	त्रिपुरा	1.18
16	मिजोरम	1.00
17	बिहार	0.90
18	मणिपुर	0.88
19	अरुणाचल प्रदेश	0.84
20	तमिलनाडु	0.77
21	केरल	0.43
22	उत्तराखंड	0.30
23	हिमाचल प्रदेश	0.29
24	दादर और नगर हवेली	0.16
25	सिक्किम	0.13
26	उत्तर प्रदेश	0.13

6.7 जबकि कुछ राज्यों में जनजातीय आबादी, जब भारत की कुल जनजातीय आबादी की प्रतिशतता की गणना की जाती है तो राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों की कुल जनजातीय आबादी की प्रतिशतता की तुलना में कम है (उदाहरण के लिए लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली)। इसके बावजूद कुछ राज्यों में जनजातीय आबादी की बहुलता है जैसा पहले बताया गया है, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में निवास करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिशत के रूप में जनजातीय जनसंख्या आकृति 6(क) में दर्शाई गई है। देश की कुल जनसंख्या आबादी के प्रतिशत के रूप में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जनजातीय आबादी आकृति 6(ख) में दर्शाई गई है।

प्रमुख जनजातियां

6.8 भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित 700 से अधिक जनजातियां हैं जो देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैली हुई हैं। अनेक जनजातियां एक से अधिक राज्यों में मौजूद हैं। उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक संख्या (अर्थात् 62) है। इन 700 समानार्थी अथवा इसी प्रकार की बहुत अधिक जनजातियां हैं जो अनुसूची में सूचीबद्ध की गई हैं।

जनसंख्या संबंधी प्रवृत्तियां तथा वर्तमान स्थिति

6.9 जनसंख्या प्रोफाइल : वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 8.43 करोड़ है जो देश की कुल जनसंख्या का 8.2% है। जनजातीय जनसंख्या 1961 से लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित राज्यवार कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या, 1991-2001 के बीच की वृद्धि दर इत्यादि **अनुलग्नक-6(क)** में दी गई है।

6.10 वृद्धि : जनजातीय जनसंख्या के संबंध में वर्ष 1971 से 1981 की जनगणना के बीच के दशक के दौरान बढ़ोतरी (35.79%) कुल जनसंख्या के मुकाबले (25.0%) से अधिक रही है। जनगणना वर्ष 1981-1991 के बीच जनजातीय जनसंख्या वृद्धि (31.64%) रही है जोकि समस्त जनसंख्या

के संदर्भ में (23.51%) है। इसी प्रकार वर्ष 1991 से 2001 की जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या वृद्धि दर 22.66% की तुलना में यह 24.45% रही है। जनजातियों के संबंध में सबसे उच्च वृद्धि दर कर्नाटक राज्य 80.82% तथा इसके बाद नागालैंड में (67.23%) रही है। कुछ मामलों में आबादी की वृद्धि दर का कारण अनुसूचित जनजातियों की सूची में नए समुदायों को शामिल करना है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम वृद्धि दर अंडमान व निकोबार (10.08%) तथा हिमाचल प्रदेश (12.02%) रही है।

6.11 लिंग अनुपात : (2001 की जनगणना के अनुसार) समग्र जनसंख्या के लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुष, 933 महिलाएं) की तुलना में जनजातियों में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष, 977 महिलाएं इस प्रकार की गिरावट के बावजूद ज्यादा अनुकूल है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड को छोड़कर देश के अन्य समस्त राज्यों में 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातियों के संदर्भ में लिंग अनुपात सामान्य लिंग अनुपात से बेहतर रहा है।

6.12 बाल लिंग अनुपात : वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, पूरे देश की सामान्य आबादी में 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों की तुलना में 940 लड़कियां हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए यह अनुपात प्रति 1000 लड़कों की तुलना में 985 लड़कियों का होना अधिक अनुकूल है। वर्ष 2001 में, बाल लिंग अनुपात और घटकर प्रति 1000 लड़कों की तुलना में 919 लड़कियां हो गया। अनुसूचित जनजातियों के बीच हालांकि इसमें गिरावट आयी है, तथापि प्रति 1000 लड़कों की तुलना में 972 लड़कियों का होना बेहतर स्थिति को दर्शाता है।

दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में 0 से 6 वर्ष आयु समूह में अनुसूचित जनजातीय लिंग अनुपात सकारात्मक है। इस संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष 1991 में 1000 लड़कों की तुलना में 1018 लड़कियां थीं जिसमें वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार गिरावट आई और 1000 लड़कों की तुलना में 1009 लड़कियां रह गईं। तथापि इस राज्य क्षेत्र में सामान्य लिंग अनुपात 1005 लड़कियां (1991) और 911 लड़कियां (2001) प्रति 1000 लड़कों की तुलना में अधिक ही था। बाल लिंग अनुपात वर्ष 1991 तथा 2001 की जनगणना के राज्य-वार ब्यौरे को दर्शाने वाले आंकड़े **अनुलग्नक-6(ख)** में दिए गए हैं।

6.13 साक्षरता : समस्त जनसंख्या के संदर्भ में जनगणना के अनुसार 1991 से 2001 तक साक्षरता दर 52.21% से बढ़कर 64.84% हो गई है और जनजातियों में साक्षरता दर 29.60% से बढ़कर 47.10% हो गई। वर्ष 1991 से 2001 की अवधि के दौरान जनजातियों में पुरुष साक्षरता 40.65% से बढ़कर 59.17% हो गई। महिला साक्षरता 18.19% से बढ़कर 34.76% हो गई है। अनुसूचित जनजातीय महिला साक्षरता सामान्य जनसंख्या की समग्र महिला साक्षरता की तुलना में लगभग 21% कम है। तथापि कुल प्रतिशतता में वृद्धि और अनुसूचित जनजातियों की महिला साक्षरता में वृद्धि महत्वपूर्ण है।

अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 1961 में 8.53% से बढ़कर 2001 में 47.10% हो गई है जबकि इसी अवधि के दौरान कुल जनसंख्या की साक्षरता 1961 में 28.30% से बढ़कर 2001 में 64.84% हो गई है। इसका ब्यौरा नीचे तालिका 6.2 में दिया गया है:-

तालिका 6.2 : अनुसूचित जनजातियों तथा सभी सामाजिक समूहों में साक्षरता

वर्ष	अनुसूचित जनजातियां			सभी सामाजिक समूह		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1961	13.83	3.16	8.53	40.40	15.35	28.30
1971	17.63	4.85	11.30	45.96	21.97	34.45
1981	24.52	8.04	16.35	56.38	29.76	43.57
1991	40.65	18.19	29.60	64.13	39.29	52.21
2001	59.17	34.76	47.10	75.26	53.67	64.84

स्रोत्र : भारत का महापंजीयक

आकृति 6(क): वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, राज्य/संघराज्य क्षेत्र की कुल आबादी की तुलना में उस राज्य/संघराज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत।

लक्षद्वीप	94.5	अरूणाचल प्रदेश	64.2
मिजोरम	94.5	दादर व नगर हवेली	62.2
नागालैंड	89.1	छत्तीसगढ़	31.8
मेघालय	85.9	त्रिपुरा	31.1

आकृति 6(ख): भारत के राज्यों में अनुसूचित जनजाति की आबादी का वितरण।

- 10-15% (मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र)
- 8-9% (उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, तथा झारखंड)
- 5-7.9% (छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश तथा प. बंगाल)
- 2-4.9% (कर्नाटक, असम, मेघालय तथा नागालैंड)
- 1-1.9% (जम्मू व कश्मीर, त्रिपुरा तथा मिजोरम)
- 1% से कम (बिहार, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दादर और नगर हवेली, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश)

वर्ष 1991 से 2001 के बीच अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि समान अवधि के दौरान कुल आबादी की साक्षरता दर में 12.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अनुसूचित जनजाति के लिए वर्ष 1991 में 22.46 प्रतिशत की साक्षरता दर में पुरुष-महिला अंतराल वर्ष 2001 में बढ़कर 24.41 प्रतिशत हो गया जबकि कुल आबादी के लिए इसका प्रतिशत 1991 में 24.84 प्रतिशत से घटकर 2001 में 21.59 प्रतिशत रह गया।

6.14 अनुसूचित जनजातियों तथा समग्र जनसंख्या के बीच साक्षरता अंतराल का प्रतिशत 2001 के दौरान 0.5 से 31.9 प्रतिशत के बीच रहा। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू तथा कश्मीर जैसे राज्यों में अनुसूचित जनजाति और कुल आबादी के बीच वर्ष 2001 के दौरान साक्षरता दर का प्रतिशत अंतराल 17.7 (अर्थात् अखिल भारतीय साक्षरता अंतराल) से अधिक है। उत्तर प्रदेश, बिहार और दादर तथा नगर हवेली के अलावा 1991 से 2001 के बीच सभी राज्यों में साक्षरता अंतराल में गिरावट दर्ज की गई है। जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार ने 1991 की जनगणना की तुलना में उतना ही अंतराल बनाए रखा किन्तु यह अंतराल दादर और नगर हवेली के मामले में बढ़ गया। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गोवा, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में अनुसूचित जनजातियों और इन राज्यों की समग्र जनसंख्या के बीच साक्षरता अंतराल का प्रतिशत 25 से अधिक है। राज्यवार ब्यौरे **अनुलग्नक-6(ग)** में दिए गए हैं।

पिछड़ेपन के संकेतक

6.15 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातीय आबादी का 44.70% वर्ग कृषक तथा 36.9% कृषि मजदूर थे, 2.1% घरेलू उद्योगों में कामगार तथा 16.3% अन्य धन्धों में कामगार थे। अत: इन समुदायों के प्रमुख कामगारों का लगभग 81.6% प्राइमरी क्षेत्र के कार्यकलापों में लगा था। ये असमानताएं औपचारिक शिक्षा बीच में छोड़ने की दर में बढ़ोतरी से और बढ़ जाती हैं जिसका परिणाम यह होता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों में उनका प्रतिनिधित्व कम रह जाता है। यह हैरानी की बात नहीं है कि इसका समग्र प्रभाव यह होता है कि गरीबी रेखा के नीचे अनुसूचित जनजातियों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। योजना आयोग से जारी किए गए विवरण में यह देखा गया है कि वर्ष 1993-94 में अनुसूचित जनजातीय गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 51.94 था, जबकि उसी वर्ष शहर में रहने वाले लोगों का प्रतिशत 41.14 था। वर्ष 2004-05 के दौरान जारी किए गए गरीबी रेखा के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमश: 47.2% तथा 39.9% पाया गया है। इस तरह वर्ष 1993-94 से 2004-05 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों में क्रमश: लगभग 4.7% एवं 1.15% की गिरावट आई है। राज्यवार ब्यौरा **तालिका 6.3** में नीचे दिया गया है।

तालिका 6.3 : वर्ष 2004-05 तक राज्यवार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी (सामाजिक समूह वार) का प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण				शहरी			
		अनु. ज. जाति	अनु. जाति	अ.पि. वर्ग	अन्य	अनु. ज. जाति	अनु. जाति	अ.पि. वर्ग	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	30.5	15.4	9.5	4.1	50.0	39.9	28.9	20.6
2	असम	14.1	27.7	18.8	25.4	4.8	8.6	8.6	4.2
3	बिहार	53.3	64.0	37.8	26.6	57.2	67.2	41.4	18.3
4.	छत्तीसगढ़	54.7	32.7	33.9	29.2	41.0	52.0	52.7	21.4
5	दिल्ली	0.0	0.0	0.0	10.6	9.4	35.8	18.3	6.4
6	गुजरात	34.7	21.8	19.1	4.8	21.4	16.0	22.9	7.0

7	हरियाणा	0.0	26.8	13.9	4.2	4.6	33.4	22.5	5.9
8	हिमाचल प्रदेश	14.9	19.6	9.1	6.4	2.4	5.6	10.1	2.0
9.	जम्मू और कश्मीर	8.8	5.2	10.0	3.3	0.0	13.7	4.8	7.8
10.	झारखंड	54.2	57.9	40.2	37.1	45.1	47.2	19.1	9.2
11.	कर्नाटक	23.5	31.8	20.9	13.8	58.3	50.6	39.1	20.3
12.	केरल	44.3	21.6	13.7	6.6	19.2	32.5	24.3	7.8
13.	मध्य प्रदेश	58.6	42.8	29.6	13.4	44.7	67.3	55.5	20.8
14.	महाराष्ट्र	56.6	44.8	23.9	18.9	40.4	43.2	35.6	26.8
15.	ओडिशा	75.6	50.2	36.9	23.4	61.8	72.6	50.2	28.9
16.	पंजाब	30.7	14.6	10.6	2.2	2.1	16.1	8.4	2.9
17.	राजस्थान	32.6	28.7	13.1	8.2	24.1	52.1	35.6	20.7
18.	तमिलनाडु	32.1	31.2	19.8	19.1	32.5	40.2	20.9	6.5
19.	उत्तर प्रदेश	32.4	44.8	32.9	19.7	37.4	44.9	36.6	19.2
20.	उत्तराखंड	43.2	54.2	44.8	33.5	64.4	65.7	46.5	25.5
21.	पश्चिम बंगाल	42.4	29.5	18.3	27.5	25.7	28.5	10.4	13.0
	अखिल भारत	47.2	36.8	26.7	16.1	33.3	39.9	31.4	16.0

संक्षेपाक्षर अ.ज.- अनुसूचित जाति अ.ज.जा.- अनुसूचित जनजाति ओबीसी- अन्य पिछड़ा वर्ग

स्रोत : *योजना आयोग*

अन्यों के बनाम अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वास्थ्य संकेत

6.16 बाल मृत्यु, 5 वर्ष से नीचे बाल मृत्यु और अनुसूचित जनजातियों के लिए बाल मृत्यु दर और अन्य वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों के लिए की मृत्यु दर का प्रतिशत **तालिका 6.4** में दर्शाया गया है ।

तालिका 6.4 : कुछ स्वास्थ्य संकेतक

संकेतक	शिशु मृत्यु दर/ 1000	5 वर्ष से नीचे उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर/ 1000	कम वजन के बच्चों का प्रतिशत
भारत	57.0	74.3	18.4
अनुसूचित जाति	66.4	88.1	23.2
अनुसूचित जनजाति	62.1	95.7	35.8
अन्य पिछड़ा	56.6	72.8	17.3
वर्ग			
अन्य	48.9	59.2	10.8

स्रोतः *एन.एफ.एच.एस3, 2005-06 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय*

शिक्षा

6.17 प्रारंभिक स्तर के लिए (कक्षा I-VIII) सकल नामांकन अनुपात को 6 से 14 वर्ष से कम आयु समूह में बच्चों की अनुमानित जनसंख्या में प्रारंभिक स्तर पर नामांकन की प्रतिशतता के रूप में परिभाषित किया गया है। सकल नामांकन अनुपात सभी जनजातियों के संबंध में वर्ष 2004-05 में 102.4 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 119.4 प्रतिशत और कुल जनसंख्या के लिए वर्ष 2004-05 में 93.5

तालिका 6.5 : प्रारंभिक स्तर (I-VIII) के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

(आंकडे प्रतिशत में)

	अनुसूचित जनजाति			कुल आबादी		
वर्ष	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1995-96	105.7	75.1	90.9	86.9	69.4	78.5
1999-2000	99.3	70.9	85.2	90.1	72.0	81.3
2000-01	102.5	73.5	88.0	90.3	72.4	81.6
2001-02	99.8	77.3	88.9	90.7	73.6	82.4
2002-03	86.7	73.9	80.5	85.4	79.3	82.5
2003-04	90.6	81.1	86.1	87.9	81.4	84.8
2004-05	108.5	95.8	102.4	96.9	89.9	93.5
2005-06	111.9	100.6	106.4	98.5	91.0	94.9
2006-07	114.7	104.2	109.6	100.4	93.5	97.1
2007-08	114.7	104.2	109.6	102.4	98.3	100.5
2008-09	122.0	116.6	119.4	100.4	99.1	99.8

स्रोत : स्कूल शिक्षा की सांख्यकी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2006-07 तथा स्कूल शिक्षा की सांख्यकी से अवतरित

प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 99.8 प्रतिशत हो गया। कुल जनसंख्या और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में प्रारंभिक स्तर (I-VIII) पर वर्ष वार सकल नामांकन अनुपात नीचे **तालिका 6.5** में दिया गया है:-

इन अवस्थाओं में नामांकन में आयु से नीचे और आयु से ऊपर शामिल हैं, अत: कुछ मामलों में कुल प्रतिशत 100 से अधिक हो सकता है।

आरंभिक स्तर पर जीईआर में जेंडर असमानता धीरे धीरे घटी है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए यह असमानता कारक वर्ष 2004-05 में 12.7 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में 5.4 प्रतिशत हुआ है। कुल आबादी के लिए 2004-05 में 7.0 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में 1.3 प्रतिशत हो गया है।

यद्यपि वर्ष 1990-91 से वर्ष 2008-09 तक देश में शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर (कक्षा I-VIII) में अनुसुचित जनजातियों के लिए जीईआर की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, तो भी अनुसूचित जनजातियों की जीईआर को सकल जनसंख्या के स्तर पर लाने के लिए सतत प्रयास जारी रखे जाने चाहिए।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम

6.18 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के परिवारो के 36,000 लाभार्थियों का आय सृजन कारी कार्यकलापों के तहत लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसका ब्यौरा **अनुलग्नक-6(घ)** में दिया गया है।

संवैधानिक गारंटी :

6.19 भारत के संविधान में समाज के वंचित वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक गारंटी प्रदान की गई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं :

(i) सामाजिक :

- कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)
- राज्य को नागरिकों के शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करने हैं {अनुच्छेद 15(4)}।
- राज्य के अधीन किसी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)।
- राज्य को किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्ति, पदों के संबंध में आरक्षण के लिए प्रावधान करना जिसे राज्य की राय में राज्य के अधीन, सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है {अनुच्छेद 16(4)}।
- राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पदों की किसी श्रेणी या श्रेणियों में पदोन्नति के मामले में प्रावधान करने हैं {अनुच्छेद 16(4क)}।
- अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध कराए गए संवैधानिक सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच, मानीटरिंग और मूल्यांकन करना है {अनुच्छेद 338(क)}।
- राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति {अनुच्छेद 339(1)}।
- सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं की तथा उन कठिनाइयों जिनके अंतर्गत वे श्रम करते हैं, की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति और ऐसी कठिनाइयों को दूर करने तथा उनकी दशा में सुधार लाने के लिए सिफारिश करना (अनुच्छेद 340)।
- अनुसूचित जनजातियां समझे जाने के लिए जनजातियों या जनजातीय समुदायों को विनिर्दिष्ट करना (अनुच्छेद 342)।

(ii) आर्थिक :

- राज्य को समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखकर इन्हें बढ़ावा देना है और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करना है (अनुच्छेद 46)।
- अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष भारत की समेकित निधि से सहायता अनुदान {(अनुच्छेद 275(1)}।
- प्रशासन की दक्षता के अनुरक्षण से सामंजस्य रखने को ध्यान में रखते हुए संघ के या एक राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं तथा पदों पर नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के दावे (अनुच्छेद 335)।

(iii) राजनीतिक :

- संविधान की पांचवीं अनुसूची में निर्धारित किए गए विशेष प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य (असम, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर) में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित इस प्रकार के मामलों पर सलाह देने के लिए (विशेष रूप से पांचवीं अनुसूची के राज्यों के संबंध में) जनजातीय सलाहकार परिषदों का गठन करना अपेक्षित है {अनुच्छेद 244(1)}।
- कतिपय जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में घोषित करके और साथ ही जिला परिषदों, स्वायत्त परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों का गठन

करके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए छठी अनुसूची और विनिर्दिष्ट प्रावधान {अनुच्छेद 244(2)}।

- लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 330)।

- राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 332)।
- प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 243 घ)।

- आयोजना और नीति निर्माण की प्रक्रिया में जनजातियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के माध्यम से संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों का विस्तार।

जनजातियों का अनुसूचीकरण एवं गैर-अनुसूचीकरण:

6.20 "अनुसूचित जनजातियां" शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366(25) में इस प्रकार की गई है, "ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के अंतर्गत भागों या समूहों, जिन्हें संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियां होना समझा जाता है।" अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के मामले में अनुसरण किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

6.21 संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, तथा जहां यह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के परामर्श से जनजातियों या जनजातीय समुदायों या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। इससे जनजाति या इसके भाग को संविधान में किए गए रक्षोपायों के प्रावधान का आह्वान करते हुए उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

6.22 अनुच्छेद का खण्ड (2) संसद को किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या शामिल नहीं करने के लिए कानून पारित करने की शक्तियां प्रदान करता है।

6.23 इस प्रकार, किसी विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों का पहला विनिर्देश संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुसूचित जनजाति को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों की सूची **अनुलग्नक-6(ङ)** में दी गई है। इसके बाद आदेशों को संसद के अधिनियम द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। उपर्युक्त अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति का सूचीकरण राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार करने का प्रावधान है न कि अखिल भारतीय आधार पर करने का।

6.24 किसी समुदाय को एक अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए अपनाये जाने वाले मानदंड निम्नलिखित हैं-

- आदिम विशेषताओं के संकेत
- विशिष्ट संस्कृति
- भौगोलिक एकाकीपन
- बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ सम्पर्क में संकोच, तथा
- पिछड़ापन ।

6.25 इस मानदंड का उल्लेख संविधान में नहीं है, परन्तु यह सुस्थापित और स्वीकृत हो चुका है। यह 1931 की जनगणना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर) 1955, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची के संशोधन संबधी सलाहकार समिति (लोकुर समिति) 1965 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के आदेश (संशोधन) विधेयक 1967, (चंदा समिति) 1969 में उल्लिखित परिभाषाओं को ध्यान में रखा जाता है।

6.26 अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची **अनुलग्नक** 6(च) में दर्शाई गई है। अनुसूचित जनजातियों की इस सूची में हाल ही में जोड़े/घटाए गए नाम मोटे अक्षरों में दिए गए हैं ।

6.27 हरियाणा और पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

व्यक्तियों की अनुसूचित जनजाति की स्थिति का पता लगाना

6.28 (क) सामान्य : जहां कोई व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है वहां यह प्रमाणित किया जाना चाहिए :-

(i) कि वह व्यक्ति या उसके माता-पिता दावा किए गए समुदाय से वास्तव में संबंधित हैं;

(ii) कि वह समुदाय अपने संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल है;

(iii) कि वह व्यक्ति उस राज्य तथा उस राज्य के अंतर्गत उस क्षेत्र से संबंधित है जिसका समुदाय अनुसूचित किया गया है;

(iv) वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है;

(v) कि वह या उसके माता-पिता/दादा-दादी आदि उसके मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश को अधिसूचित करने की तारीख को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्थायी निवासी होने चाहिए।

(vi) वह व्यक्ति जो अपने मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना जारी होने के समय अपने स्थायी निवास स्थान से अस्थाई रूप से अर्थात् उदाहरण के लिए जीविकोपार्जन या शिक्षा प्राप्त करने आदि के कारण दूर होता है तो उसे भी अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है, यदि उसकी जनजाति उस आदेश में उसके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई है। परंतु इस तथ्य के बावजूद कि उस राज्य जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, के संबंध में उसकी जनजाति के नाम को राष्ट्रपति के किसी आदेश में अधिसूचित किया गया है, उसके अस्थायी निवास के संबंध में उसे राष्ट्रपति के उक्त आदेश में शामिल नहीं माना जा सकता।

(vii) राष्ट्रपति के संबंधित आदेश के अधिसूचित होने की तारीख के पश्चात् पैदा हुए लोगों के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति की हैसियत प्राप्त करने के लिए वह निवास स्थान मान्य होगा जो उक्त आदेश जिसके तहत उन्होंने इस प्रकार की जनजाति होने का दावा किया है, के अधिसूचित होने की तारीख को उनके माता-पिता का स्थायी निवास स्थान था। यह लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है, जिनके लिए अनुसूचित जनजाति की स्थिति की पात्रता के लिए इस संघ शासित क्षेत्र में जन्म होना अपेक्षित होता है।

(ख) एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद अनुसूचित जनजाति का दावा

(i) यदि एक व्यक्ति राज्य के उस भाग जिसके संबंध में उसका समुदाय अनुसूचित है, से उसी राज्य के दूसरे भाग जिसके संबंध में वह समुदाय अनुसूचित नहीं है, में चला जाता है तो वह व्यक्ति उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य समझा जाना जारी रहेगा।

(ii) यदि एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है तो वह केवल अपने मूल राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकता है और उस राज्य के संबंध में नहीं कर सकता जिसमें वह बस गया है।

(ग) विवाह के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के दावे

इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है, उसे केवल इसलिए अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना नहीं समझा जाएगा कि उसने एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति से विवाह कर लिया है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अपनी शादी उस व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, के साथ हो जाने के बाद भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा।

(घ) अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करना

अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को निम्नलिखित निर्धारित प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी किए जा सकते हैं:-

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट/तालुक मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

   (जो प्रथम श्रेणी के वेतनभोगी मजिस्ट्रेट से निचले स्तर के न हों)

2. मुख्य प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट।

3. राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार से नीचे के स्तर के न हों।

4. उस क्षेत्र जहां वह उम्मीदवार तथा/या उसका परिवार सामान्यतौर पर निवास करता है, के उप-मण्डलीय अधिकारी।

5. प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप द्वीपसमूह)।

(ङ) बिना उचित सत्यापन के अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारियों को दंड ।

यदि किसी अधिकारी के संबंध में यह पता चलता है कि उसने अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र असावधानीपूर्वक तथा बिना उचित सत्यापन के जारी कर दिया है, तो भारतीय दंड संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह उन पर लागू उपयुक्त अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के अलावा होगी।

(च) अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आए प्रवासियों को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना

किसी अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार, शिक्षा आदि के लिए आए हैं वे उस राज्य से प्रमाणपत्र प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं जहां से वे आए हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का निर्धारित प्राधिकारी उसके पिता/माता के मूल राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसके पिता/माता को जारी किए गए वास्तविक प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने उस परिस्थिति को छोड़कर जिसमें वह निर्धारित प्राधिकारी यह महसूस करता है कि प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच आवश्यक है, उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जो एक अन्य राज्य से आया है। यह प्रमाणपत्र इसका ध्यान किए बिना जारी कर दिया जाएगा कि वह संबंधित जनजाति उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिसमें वह व्यक्ति आया है, में अनुसूचित है अथवा नहीं। तथापि, वे आवास किए गए राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लाभों के पात्र नहीं होंगे।

(छ) अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या शामिल नहीं करने संबंधी प्रक्रिया:

जून, 1999 में सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में शामिल करने और शामिल नहीं करने संबंधी दावों के निर्णय के लिए प्रक्रियाओं को अनुमोदित किया जिन्हें 25.6.2002 को और संशोधित किया गया। इन अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल उन मामलों को विचारार्थ लिया जाएगा जिन पर राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक तथा राष्ट्रीय

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की सहमति होगी। जब कभी किसी राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन अपेक्षित है, मंत्रालय संबधित राज्य सरकार को उस अभ्यावेदन को सिफारिश के लिए भेज देता है। यदि संबंधित राज्य सरकार उस प्रस्ताव की सिफारिश करती है तो उसे भारत के महापंजीयक को भेज दिया जाता है। यदि भारत के महापंजीयक राज्य सरकार की सिफारिश से संतुष्ट होते हैं तो वह उस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिश के साथ भेजते हैं। तत्पश्चात्, सरकार उस प्रस्ताव को अनुसूचित जनजाति आयोग को सिफारिश के लिए भेजती है। यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी सिफारिश कर देता है तो उस मामले पर मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए कार्यवाही की जाती है।

उसके बाद मामले को राष्ट्रपति के आदेश को संशोधित करने के लिए एक विधेयक के रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। सूची में सम्मिलित करने या इससे निकालने से संबंधित ऐसे मामले जिनके संबंध में राज्य सरकार अथवा भारत के महापंजीयक अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से समर्थन प्राप्त नहीं होता है, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है।

अनुसूचित क्षेत्र

6.29 अनुसूचित जनजातियां अन्य समुदायों के विपरीत सटे हुए क्षेत्रों में रहती हैं। इसलिए उनके हितों की रक्षा करने के लिए विकास संबधी कार्यकलापों तथा विनियम संबंधी प्रावधानों के लिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण रखना अधिक आसान होता है।

6.30 अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए भूमि तथा अन्य सामाजिक मुद्दों के संबंध में प्रावधान संविधान की पांचवी अनुसूची तथा छठी अनुसूची में दिए गए हैं।

6.31 संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत पांचवीं अनुसूची इन अनुसूचित क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करती है जिन्हें राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में राज्यपाल के परामर्श के पश्चात् आदेश द्वारा इस प्रकार के क्षेत्रों के रूप में घोषित करें।

6.32 संविधान के अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्रों को "जनजातीय क्षेत्र के रूप में" घोषित किया गया है और ऐसे क्षेत्रों के लिए जिला अथवा क्षेत्रीय स्वायत्त परिषदों की व्यवस्था की गई है । इन परिषदों को विभिन्न प्रकार की विधायी, न्यायिक तथा कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हैं।

पांचवीं अनुसूची क्षेत्र

6.33 पांचवीं अनुसूची के अधीन किसी क्षेत्र को "अनुसूचित क्षेत्र" के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड निम्नलिखित हैं–

- जनजातीय जनसंख्या का बाहुल्य,
- सघनता तथा क्षेत्र का उचित प्रकार,
- व्यवहार्य प्रशासनिक अस्तित्व जैसे वह जिला, ब्लॉक या तालुका हो, तथा
- निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

क्र. सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तारीख	राज्य (राज्यों) का नाम जिसके लिए लागू है
1	अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ.9)	26.1.1950	आंध्र प्रदेश
2	अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ.26)	7.12.1950	आंध्र प्रदेश
3	अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश 1975 (सी.ओ.102)	21.11.1975	हिमाचल प्रदेश
4	अनुसूचित क्षेत्र (गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109)	31.12.1977क	गुजरात और ओडिशा
5	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश 1981 (सी.ओ.114)	12.2.1981क	राजस्थान

क्र. सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तारीख	राज्य (राज्यों) का नाम जिसके लिए लागू है
6	अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश 1985 (सी.ओ. 123)	2.12.1985	महाराष्ट्र
7	अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192)	20.2.2003	छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
8	अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 (सी.ओ. 229)	11.04.2007	झारखंड

6.34 एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में "अनुसूचित क्षेत्रों" का विनिर्दिष्टीकरण, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। परिवर्तन में वृद्धि, कमी, नए क्षेत्रों को शामिल करने या "अनुसूचित क्षेत्रों" से संबंधित किसी आदेश को रद्द करने के किसी मामले में भी यह लागू होता है।

6.35 इस समय निम्नलिखित आदेश अपने मूल रूप या संशोधित रूप में लागू हैं :-

6.36 मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों का पुनर्गठन क्रमश: मधय प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 तथा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, पूरे मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का एक भाग नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य को अंतरित हो गया और इसी प्रकार के संपूर्ण क्षेत्र मूल राज्य बिहार से झारखंड को अंतरित हो गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नवगठित राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध लाभ प्राप्त होते रहेंगे, 31 दिसम्बर, 1977 को जारी अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109), जहां तक कि यह बिहार और मध्य प्रदेश के पूरे राज्यों से संबंधित हैं, को संशोधित करना आवश्यक हो गया था। राष्ट्रपति ने 20 फरवरी, 2003 को छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश राज्यों के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नया संवैधानिक आदेश प्रख्यापित किया है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को झारखण्ड राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अनुसूचित क्षेत्र (झारखण्ड राज्य) आदेश, 2007 (संवैधानिक आदेश 229) दिनांक 11.04.2007 के अनुसार पुन: परिभाषित किया गया है।

6.37 अनुसूचित क्षेत्रों की राज्यवार स्थिति **अनुलग्नक-6 (छ)** में दी गई है।

अनुसूचित क्षेत्रों के उद्देश्य तथा लाभ

6.38 जनजातियों को सुरक्षा देने और लाभ प्रदान करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं:

(क) अनुसूचित क्षेत्रों वाले किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित के संबंध में विनियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं :

(i) जनजातियों से भूमि के हस्तांतरण को रोकना अथवा इसे नियंत्रित करना;

(ii) अनुसूचित जनजाति के लोगों को धन उधार देने के कारोबार को विनियमित करना। ऐसे किसी विनियम को बनाने में, राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के किसी ऐसे अधिनियम को रद्द या संशोधित कर सकते हैं, जो इस प्रकार के क्षेत्र के लिए लागू हैं।

(ख) राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा यह दिशा-निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर या राज्य में उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा अथवा ऐसे अपवादों तथा संशोधनों की शर्त के अधीन लागू होगा जो वे विनिर्दिष्ट करेंगे।

(ग) उस राज्य का राज्यपाल जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं; उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट वार्षिक रूप से या जब कभी राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए, प्रस्तुत करेगा तथा केन्द्र की कार्यकारी शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्र के प्रशासन के बारे में राज्य को निर्देश देने के लिए होगा।

(घ) अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद (टी ए सी) की स्थापना की जाएगी। अनुसूचित जनजातियों वाले राज्यों जहां कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं हों, में भी भारत के राष्ट्रपति के निर्देश पर जनजातीय सलाहकार परिषद स्थापित की जा सकती है। जनजातीय सलाहकार परिषद में अधिकतम 20 सदस्य होंगे, जिनमें यथासंभव 3/4 राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातीय प्रतिनिधियों में से हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद की भूमिका राज्य सरकार के राज्य में जनजातियों के कल्याण एवं प्रगति से संबंधित मामलों जो इसे राज्य के राज्यपाल द्वारा भेजे जाएं पर सलाह देने की है।

(ङ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996, जिसके तहत संविधान के भाग-9 में दिए गए प्रावधानों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक किया गया था, में भी अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए विशेष प्रावधान हैं।

छठी अनुसूची

6.39 भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के अधीन छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में स्वायत्त जिलों/क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान किए गए हैं।

6.40 सामान्यत: "जनजातीय क्षेत्र" शब्द का आशय उन क्षेत्रों से है जहां जनजातीय जनसंख्या की बहुलता है। तथापि, भारत के संविधान में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों को मान्यता दी गई है क्योंकि वे क्षेत्र छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20 से संलग्न सारणी के भाग I, II, IIक तथा III में विनिर्दिष्ट हैं। दूसरे शब्दों में, वे क्षेत्र जहां छठी अनुसूची के प्रावधान लागू हैं जनजातीय क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। इन क्षेत्रों के संबंध में स्वायत्त जिला परिषदें स्थापित की गई हैं और प्रत्येक परिषद में अधिक से अधिक तीस सदस्य होते हैं।

6.41 ये परिषदें चुने हुए निकाय हैं और इनके पास कार्यकारी, विकासात्मक तथा वित्तीय दायित्वों के अलावा विधान, न्याय प्रशासन की शक्तियां हैं। जनजातीय क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

भाग - I

1. उत्तरी कछार पहाड़ी जिला
2. कार्बी अंगलोंग जिला
3. बोडोलैंड भौगोलिक क्षेत्र जिला

भाग - II

1. खासी पहाड़ी जिला
2. जयंतिया पहाड़ी जिला
3. गारो पहाड़ी जिला

भाग - II क

त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला

भाग - III

1. चकमा जिला
2. मारा जिला
3. लई जिला

6.42 जिला तथा क्षेत्रीय परिषदों को जिले में प्राइमरी स्कूलों, औषधालयों, बाजारों, पशुओं के तालाबों, नौघाटों, मछली पालन, सडकों, सड़क परिवहन तथा नहरों की स्थापना, निर्माण और प्रबंधन जैसे मामलों के संबंध में राज्यपाल के अनुमोदन से नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। उत्तरी कछार पहाड़ियों तथा कार्बी अंगलोंग जिले की स्वायत्त परिषदों को माधयमिक शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, लघु सिंचाई आदि जैसे अन्य मामलों के संबंध में कानून बनाने की अतिरिक्त शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। इन परिषदों को कुछ मुकदमों और अपराधों की सुनवाई के लिए सिविल

प्रक्रिया संहिता तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भी शक्तियां दी गई हैं और राजस्व तथा करों को एकत्र करने के लिए अपने क्षेत्र के लिए राजस्व प्राधिकारी की शक्तियां तथा प्राकृतिक संसाधनों के विनियम तथा प्रबंधन के लिए अन्य शक्तियां भी प्रदान की गई हैं।

❑

अनुलग्नक 6-क

जनसांख्यिकीय आंकड़े : जनगणना 2001									
क्र. सं.	भारत/राज्य	कुल जनसंख्या		दशकीय वृद्धि प्रतिशत में	अनु. जन. जनसंख्या		दशकीय वृद्धि प्रतिशत में	2001 में राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में अ.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत	2001 में भारत की कुल जनसंख्या की तुलना में अ.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत
		1991	2001		1991	2001			
0	**भारत**	**838,583,988**	**1,028,610,328**	**22.66**	**67,758,380**	**84,326,240**	**24.45**	**8.2**	–
1	आंध्र प्रदेश	66,508,008	76,210,007	14.59	4,199,481	5,024,104	19.64	6.6	5.96
2	अरुणाचल प्रदेश	864,558	1,097,968	27	550,351	705,158	28.13	64.2	0.84
3	असम	22,414,322	26,655,528	18.92	2,874,441	3,308,570	15.1	12.4	3.92
4	बिहार	86,374,465	82,998,509		6,616,914	758,351		0.9	0.9
5	छत्तीसगढ़ *		20,833,803			6,616,596		31.8	7.85
6	गोवा	1,169,793	1,347,668	15.21	376	566	50.53		0.001
7	गुजरात	41,309,582	50,671,017	22.66	6,161,775	7,481,160	21.41	14.8	8.87
8	हरियाणा	16,463,648	21,144,564	28.43					
9	हिमाचल प्रदेश	5,170,877	6,077,900	17.54	218,349	244,587	12.02	4	0.29
10	जम्मू और कश्मीर	–	10,143,700			1,105,979		10.9	1.31
11	झारखंड		26,945,829			7,087,068		26.3	8.4
12	कर्नाटक	44,977,201	52,850,562	17.51	1,915,691	3,463,986	80.82	6.6	4.11
13	केरल	29,098,518	31,841,374	9.43	320,967	364,189	13.47	1.1	0.43
14	मध्य प्रदेश	66,181,170	60,348,023		15,399,034	12,233,474		20.3	14.51
15	महाराष्ट्र	78,937,187	96,878,627	22.73	7,318,281	8,577,276	17.2	8.9	10.17
16	मणिपुर	1,837,149	2,166,788	17.94	632,173	741,141	17.24	34.2	0.88
17	मेघालय	1,774,778	2,318,822	30.65	1,517,927	1,992,862	31.29	85.9	2.36
18	मिजोरम	689,756	888,573	28.82	653,565	839,310	28.42	94.5	1
19	नागालैण्ड	1,209,546	1,990,036	64.53	1,060,822	1,774,026	67.23	89.1	2.1
20	ओडिशा	31,659,736	36,804,660	16.25	7,032,214	8,145,081	15.83	22.1	9.66
21	पंजाब	20,281,969	24,358,999	20.1	0				
22	राजस्थान	44,005,990	56,507,188	28.41	5,474,881	7,097,706	29.64	12.6	8.42
23	सिक्किम	406,457	540,851	33.06	90,901	111,405	22.56	20ण्6	0.13
24	तमिलनाडु	55,858,946	62,405,679	11.72	574,194	651,321	13.43	1	0.77
25	त्रिपुरा	2,757,205	3,199,203	16.03	853,345	993,426	16.42	31.1	1.18
26	उत्तराखंड *		8,489,349			256,129		3	0.3
27	उत्तर प्रदेश	139,112,287	166,197,921		287,901	107,963		0.1	0.13
28	पश्चिम बंगाल	68,077,965	80,176,197	17.77	3,808,760	4,406,794	15.7	5.5	5.23

क्र. सं.	भारत/राज्य	कुल जनसंख्या		दशकीय वृद्धि प्रतिशत में	अनु. जन. जनसंख्या		दशकीय वृद्धि प्रतिशत में	2001 में राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में अ.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत	2001 में भारत की कुल जनसंख्या की तुलना में अ.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत
		1991	2001		1991	2001			
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	280,661	356,152	26.9	26,770	29,469	10.08	8.3	0.03
30	चण्डीगढ़	642,015	900,635	40.28	0				
31	दादर व नगर हवेली	138,477	220,490	59.22	109,380	137,225	25.46	62.2	0.16
32	दमन व दीव	101,586	158,204	55.73	11,724	13,997	19.39	8.8	0.017
33	दिल्ली	9,420,644	13,850,507	47.02	0	एनएसटी			
34	लक्षद्वीप	51,707	60,650	17.3	48,163	57,321	19.01	94.5	0.07
35	पुदुचेरी	807,785	974,345	20.62	0				

* मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के पुनर्गठन के बाद वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उत्तराखंड राज्यों का गठन किया गया था।

अनुलग्नक : 6-ख

शिशु लिंग अनुपात (0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या)							
क्र. सं.	राज्य	1991 की जनगणना			2001 की जनगणना		
		कुल	सामान्य	अ.ज.जा.	कुल	सामान्य	अ.ज.जा.
	भारत [1,2]	**945**	**940**	**985**	**927**	**919**	**972**
1.	आंध्र प्रदेश	975	972	978	961	957	972
2.	अरुणाचल प्रदेश	982	993	976	904	940	976
3.	असम	975	973	990	965	966	962
4.	बिहार	953	950	983	942	938	975
5.	छत्तीसगढ़	984	978	996	975	962	998
6.	गोवा	964	964	1122	938	937	915
7.	गुजरात	928	916	988	883	865	966
8.	हरियाणा	879	875	एनएसटी	819	807	एनएसटी
9.	हिमाचल प्रदेश	951	945	966	896	876	955
10.	जम्मू और कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	941	939	979
11.	झारखंड	979	973	993	965	955	979
12.	कर्नाटक	960	957	970	946	941	961
13.	केरल	958	957	961	960	961	974
14.	मध्य प्रदेश	941	929	987	932	915	979
15.	महाराष्ट्र	946	940	982	913	903	965
16.	मणिपुर	974	979	968	957	955	959
17.	मेघालय	986	949	991	973	963	974
18.	मिजोरम	969	988	969	964	909	966
19.	नागालैण्ड	993	916	1003	964	919	969
20.	ओडिशा	967	951	998	953	938	979
21.	पंजाब	875	865	एनएसटी	798	767	एनएसटी
22.	राजस्थान	916	910	958	909	897	950
23.	सिक्किम	965	960	973	963	963	964
24.	तमिलनाडु	948	943	955	942	937	945
25.	त्रिपुरा	967	954	984	966	956	981
26.	उत्तराखंड	949	945	973	908	899	955
27.	उत्तर प्रदेश	927	926	967	916	911	973
28.	पश्चिम बंगाल	967	967	983	960	958	981

29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	973	981	897	957	957	956
30.	चंडीगढ़	899	889	एनएसटी	845	834	एनएसटी
31.	दादर व नगर हवेली	1013	1005	1018	979	911	1009
32.	दमन व दीव	958	966	911	926	923	983
33.	दिल्ली	915	912	एनएसटी	868	861	एनएसटी
34.	लक्षद्वीप	941	1138	936	959	1057	957
35.	पांडिचेरी	963	962	एनएसटी	967	962	एनएसटी

1. 2001 से जम्मू एवं कश्मीर शामिल नहीं है क्योंकि 1991 की जनगणना जम्मू एवं कश्मीर में नहीं कराई गई थी।
2. 2001 में मणिपुर के सेनापति जिले के पाओमाता, माओमारन एवं पुरुल उप-मंडल शामिल नहीं हैं।

कुल में सामान्य, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की जनसंख्या शामिल है।

उ.न. – उपलब्ध नहीं – एनएसटी – राज्यों में अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं।

सामान्य – अजा/अजजा. जनसंख्या के अलावा ।

अनुलग्नक : 6-ग

कुल जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दर तथा दोनों की साक्षरता की दरों में अंतर–भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र : 1991-2001

(आंकडे प्रतिशत में)

अ.ज. जाति कोड	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र#	साक्षरता दर-1991		साक्षरता दर में अंतर	साक्षरता दर-2001		साक्षरता दर में अंतर
		कुल	अ.जन.		कुल	अ.जन.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत	52.2	29.6	22.6	64.8	47.1	17.7
01.	आंध्र प्रदेश	44.1	17.2	26.9	60.5	37.0	23.4
02.	अरुणाचल प्रदेश	41.6	34.4	7.2	54.3	49.6	4.7
03.	असम	52.9	49.2	3.7	63.3	62.5	0.8
04.	बिहार	37.5	18.9	18.6	47.0	28.2	18.8
05.	छत्तीसगढ़	42.9	26.7	16.2	64.7	52.1	12.6
06.	गोवा	75.5	42.9	32.6	82.0	55.9	26.1
07.	गुजरात	61.3	36.4	24.9	69.1	47.7	21.4
08.	हरियाणा	55.8	एनएसटी	–	67.9	एनएसटी	–
09.	हिमाचल प्रदेश	63.9	47.1	16.8	76.5	65.5	11.0
10.	जम्मू और कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	55.5	37.5	18.0
11.	झारखंड	41.4	27.5	13.9	53.6	40.7	12.9
12.	कर्नाटक	56.0	36.0	20.0	66.6	48.3	18.3
13.	केरल	89.8	57.2	32.6	90.9	64.4	26.5
14.	मध्य प्रदेश	44.7	18.4	26.3	63.7	41.2	22.5
15.	महाराष्ट्र	64.9	36.8	28.1	76.9	55.2	21.7
16.	मणिपुर	59.9	53.6	6.3	70.5	65.9	4.6
17.	मेघालय	49.1	46.7	2.4	62.6	61.3	1.3
18.	मिजोरम	82.3	82.7	0.4	88.8	89.3	0.5
19.	नागालैण्ड	61.6	60.6	1.0	66.6	65.9	0.7
20.	ओडिशा	49.1	22.3	26.8	63.1	37.4	25.7
21.	पंजाब	58.8	एनएसटी	–	69.7	एनएसटी	–
22.	राजस्थान	38.6	19.4	19.2	60.4	44.7	15.7
23.	सिक्किम	56.9	59.0	2.1	68.8	67.1	1.7
24.	तमिलनाडु	62.7	27.9	34.8	73.5	41.5	32.0

25.	त्रिपुरा	60.4	40.4	20.0	73.2	56.5	16.7
26.	उत्तराखंड	57.8	41.2	16.6	71.6	63.2	8.4
27.	उत्तर प्रदेश	40.7	20.0	20.7	56.3	35.1	21.2
28.	पश्चिम बंगाल	57.7	27.8	29.9	68.6	43.4	25.2
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह#	73.0	56.6	16.4	81.3	66.8	14.5
30.	चण्डीगढ़#	77.8	एनएसटी	–	81.9	एनएसटी	–
31.	दादर व नगर हवेली	40.7	28.2	12.5	57.6	41.2	16.4
32.	दमन व दीव	71.2	52.9	18.3	78.2	63.4	14.8
33.	दिल्ली#	75.3	एनएसटी	–	81.7	एनएसटी	–
34.	लक्षयद्वीप	81.8	80.6	1.2	86.7	86.1	0.6
35.	पुदुचेरी#	74.7	एनएसटी	–	81.2	एनएसटी	–

स्त्रोत : जनगणना 2001

1. जम्मू व कश्मीर को छोड़कर, जहां 1991 में जनगणना नहीं हुई।
2. 2001 में मणिपुर के सेनापति जिले के पाओमाता, माओमारन एवं पुरुल उप-मंडल के आंकड़ों को छोड़कर।

एनएसटी – राज्यों में अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं।

अनुलग्नक 6-घ

पुनर्संरचित बीस सूत्री कार्यक्रम, 2006 तथा 2010-11 के दौरान लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य का नाम	2011-12 लाभार्थियों की संख्या	
		आय सृजन योजना	कौशल एवं उद्यमियों का विकास
		लक्ष्य	लक्ष्य
1	ए.पी. एसटी को-आपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन लि., **आंध्र प्रदेश**	2104	117
2	**अंडमान व निकोबार द्वीप समूह**	112	5
3	अरूणाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, **अरूणाचल प्रदेश**	295	17
4	असम प्लेन ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., **असम**	1385	78
5	बिहार स्टेट एससी को-आपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., **बिहार**	317	18
6	छत्तीसगढ़ राज्य अंतव्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, **छत्तीसगढ़**	2772	155
7	दादर व नगर हवेली, दमन व दीव एससी/एसटी/अदर/ बीसी एंड माइनोरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., **दादर व नगर हवेली**	112	5
8	गोवा स्टेट एसटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., **गोवा**	112	5
9	गुजरात ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, **गुजरात**	3135	176
10	हिमाचल प्रदेश एससी एंड एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, **हिमाचल प्रदेश**	112	5
11	जे एंड के एससी, एंड एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, **जम्मू व कश्मीर**	465	27
12	झारखंड स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., **झारखंड**	2970	166
13	कर्नाटक शडयूल ट्राइबस डेवलपमेंट, कॉरपोरेशन लि. **कर्नाटक**	1450	81
14	केरल स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर, एससी, एसटी लि., **केरल**	112.50	5
15	केरल स्टेट वूमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., **केरल**	112.50	5
16	लक्षद्वीप डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., **लक्षद्वीप**	112	5
17	मणिपुर ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., **मणिपुर**	410	23

18	शबरी आदिवासी वित्त व विकास निगम, नासिक, **महाराष्ट्र**	3595	200
19	मेघालय को-आपरेटिव अपेक्स बैंक लि., **मेघालय**	835	46
20	एम.पी. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, **मध्य प्रदेश**	5125	285
21	मिजोरम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, **मिजोरम**	175	10
22	मिजोरम अर्बन को-आपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लि., **मजोरम**	175	10
23	नागालैंड इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लि., **नागालैंड**	372.5	21
24	नागालैंड स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि., **नागालैंड**	372.5	21
25	ओडिशा एससी, एसटी डेवेलपमेंट एंड फाइनेंस को-आपरेटिव कॉरपोरेशन लि., **ओडिशा**	3413	190
26	राजस्थान एससी एंड एसटी फाइनेंस एंड डेवेलपमेंट को-आपरेटिव कॉरपोरेशन, **राजस्थान**	2975	165
27	सिक्किम एससी, एसटी एंड बैकवर्ड क्लासिस डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन, **सिक्किम**	112	5
28	तमिलनाडु आदि द्रविडर हाउसिंग डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन लि., **तमिलनाडु**	272	15
29	त्रिपुरा एसटी को-आपरेटिव डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन लि., **त्रिपुरा**	416	25
30	उत्तरांचल बहुउद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम, **उत्तराखंड**	112	5
31	यू.पी. एससी फाइनेंस एंड डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन, **उत्तर प्रदेश**	112	5
32	वेस्ट बंगाल एससी एंड एसटी डेवेलपमेंट कॉरपोरेशनए **पश्चिम बंगाल**	925	52
33	वेस्ट बंगाल ट्राइबल डेवेलपमेंट को-ऑपरेटिव कॉरपोरेशन, **पश्चिम बंगाल**	925	52
	कुल	**36000**	**2000**

अनुलग्नक : 6-ङ

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश

क्र. सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जिन पर लागू हैं
1	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950(सी.ओ. 22)	6-9-1950	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल
2	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951 (सी.ओ. 33)	20-9-1951	दमन व दीव, लक्षद्वीप
3	संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 (सी.ओ. 58)	31-3-1959	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
4	संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजातीय आदेश, 1962 (सी.ओ. 65)	30-6-1962	दादर व नगर हवेली
5	संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967 (सी.ओ. 78)	24-6-1967	उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड
6	संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 (सी.ओ. 88)	23-7-1970	नागालैंड
7	संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 (सी.ओ.111)	22-6-1978	सिक्किम
8	संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 (सी.ओ. 142)	7-10-1989	जम्मू व कश्मीर

हरियाणा और पंजाब तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, दिल्ली और पुद्दूचेरी में किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

अनुलग्नक : 6-च

भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची

I. आंध्र प्रदेश

1. आन्ध, साधु आन्ध
2. बगता
3. भील
4. चेंचू,
5. गदाबास, बोडो
   गडाबा, गुतोब
   गडाबा, कालायी
   गडाबा, परांगी
   गडाबा, कोठेरा
   गडाबा, कापु
   गडाबा
6. गोंड, नाइकपोड़, राजगोंड, कोईतुर
7. गौडु (एजेन्सी क्षेत्रों में)
8. पहाड़ी रेड्डी
9. जातपुस
10. कम्मारा
11. कट्टूनायकन
12. कोलाम, ***कोलवार***
13. कोन्डा धोरस, ***कुबी***
14. कोन्डा कापुस, ।
15. कोन्डारेड्डी
16. कोन्ध कोडी, कोध, देस्या कोन्ध, डोंगरिया कोन्ध, कुटीया कोन्ध, टिकिरिया कोंद्य, मेनिती, कोंध, ***कुविंगा***
17. कोटिया, बेन्थो उड़िया, बारतिका, दुलिया, होल्वा, पाइको पुतिया, सनरोना, सिधोपाइको
18. कोया, ***डोली कोया,***
    गुटटा कोया,
    कमारा कोया, मुसारा कोया,
    ओडी कोया, पट्टडी *कोया,*
    राजा, रश कोया, लिन्गाधारी, कोया (सामान्य), कोट्टू भीने कोया, राजकोया
19. कुलिया,
20. मालिस (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, मेडाक, नालगोड़ा निजामाबाद और वारंगल जिलों को छोड़ कर)
21. मन्ना ढ़ोरा
22. मुक्खा ढोरा, नुका ढ़ोरा,
23. नायक (एजेन्सी क्षेत्रों में)
24. परधान
25. पोरजा, पारंगीपेरजा
26. रेड्डी ढोरा,
27. रोना, रेना,
28. सवारस कपू सवारस, मालिया सवारस, खुट्टो सवारस,
29. सुगालिस, लम्बादिस, ***बंजारा***
30. थोती (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, महबूबनगर, मेडक, नालगोडा, निजामबाद और वारंगल जिलों में)
31. वाल्मीकि ***(विशाखापटनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों में)***
32. येनादिस, ***चेल्ला येनादी, कपाला येनादी मांची येनादी, रेड्डी येनादी***
33. येरूकुल, ***कोरचा, डब्बा येरूकुला, कुंचापुरी येरूकुला, उप्पु येरूकुला***
34. नक्काला, ***कुरविकरन***
35. धुलिया, पैको, पुतिया (विशाखापटनम और विजयनगरम जिलों में)

II अरुणाचल प्रदेश

निम्नलिखित सहित राज्य की सभी जनजातियां :-

1. अबोर
2. आका
3. अपतानी
4. न्यीशी
5. गालो
6. खम्पती
7. खोवा
8. मिशमी, ***इदु, तारोंन***
9. मोम्बा
10. कोई भी नागा जनजातियां
11. शेरदुकपेन
12. सिंगफो
13. **हरुसो**
14. **तागिन**
15. **खम्बा**
16. **आदि**

III. असम

''कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों में :

1. चकमा
2. दिमसा, कचारी
3. गारो
4. हजोंग
5. हमार
6. खासी जयन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोई, लेंगंगम्
7. निम्नलिखित सहित कोई भी कूकी जनजाति :-
   - (i) बिआत, बिएत
   - (ii) चांगसान
   - '(iii) छोगलाइ
   - (iv) डुंगेल,
   - (v) गमाल्हू
   - (vi) गंगते
   - (vii) गुइते,
   - (viii) हन्नेगं
   - (ix) हाओकिप, हाउपिट,
   - (x) हओलाई
   - (xi) हेंगना
   - (xii) होंगसुंग
   - (xiii) हरंखवाल, रंगखोल,
   - (xiv) जोगबी
   - (xv) खाओचुंग
   - (xvi) खावाथलांग, खोतालोंग
   - (xvii) खेलमा
   - (xviii) खोल्हू
   - (xix) किपजेन
   - (xx) कूकी
   - (xxi) लेगथांग
   - (xxii) ल्हांगम
   - (xxiii) ल्होउजेम
   - (xxiv) ल्होउवुन
   - (xxv) लुपहेंग
   - (xxvi) मांग जेल
   - (xxvii) मिसाओ
   - (xxviii) रियांग
   - (xxix) साइरहेम
   - (xxx) सेलनाम
   - (xxxi) सिंगसन
   - (xxxii) सितल्होउ
   - (xxxiii) सुकेत
   - (xxxiv) थादो
   - (xxxv) थांगनगेऊ
   - (xxxvi) उइबुह
   - (xxxvii) बाइफेइ
8. लाखेर
9. मान (थाई बोलने वाले)
10. कोई भी मिजो (लुसाई)जनजाति
11. करबी
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. सिंथेग
15. लालुंग

****II. असम राज्य में कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों को छोड़कर तथा बोडो भूमि टेरिटोरियल क्षेत्र जिले सहित:**

1. कचार में बरमन
2. बोरो, बोरोकचारी
3. देओरी
4. होजाइ
5. कचारी, सोनावाल
6. लालुंग
7. मेच,
8. मिरि
9. राभा
10. *दीमासा*
11. *हजोंग*
12. *सिंगफो*
13. *खम्पती*
14. *गारो*

IV. बिहार

1. असुर, *अगारिया*
2. बइगा
3. बनजारा
4. बाथूडी
5. बेदिया
6. *हटा दिया है*
7. बिनझिया
8. बिरहोर
9. बिरजिया
10. चेरो
11. चिक बारिक
12. गोंड
13. गोरइत
14. हो
15. करमाली
16. खारिया, *घेलकी खारिया, दुध खारिया, हिल खारिया*
17. खारवार
18. खोंड
19. किसान, *नगेशिया*
20. कोरा, *मुडी-कोरा*
21. कोरवा
22. लोहारा, लोहरा
23. महली
24. माल पहाडिया, *कुमारबाग पहाडिया*
25. मुंडा, *पतार*
26. ओरान, *धानगर (ओरांव)*
27. परहइया
28. सन्ताल
29. सउरिया पहारिया
30. सवार
31. *कवार*
32. *कोल*
33. *थारू*

V. छत्तीसगढ़

1. अगारिया
2. अन्ध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया भूमिया, भूइन्हार भूमिया, भूमिया, भारिया, पलिहा, पान्डो

6. भत्रा
7. भील, भीलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भून्जिया
10. बीअर, बीयार
11. बीन्जवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डामोर, डामारिया
14. धानवार
15. गडाबा, गाडबा
16. गोंड़, अराक, अराख, अगेरिया आसुर, बादी मारिया, बादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियाबूटा, कोलियाबूटी, भर, बीसोनहोरन मरिया, छोटा मरिया, डान्डामी मरिया, धुरू, धुर्वा, धोबा, धुलिया, डोरर्ला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड गौरी, हिल मरिया, कन्दरा, कलंगा, खटोला, कवेटार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मरिया, कूचिका मरिया, मडिया, मरिया, माना, मानेवर, मोघिया, मोगिया, मोंघिया, मूडिया, मूरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, गोंड, सोनझारी झरेका, थाटिया, थोटिया, वादे मरिया, वाद मरिया, दरोई
17. हल्बा, हल्बी
18. कमार
19. करकु
20. कवर कंवर, कौर, छेरवा, राथिया तंवर, छत्री
21. खैरवार, कोन्दार
22. खैरिया
23. कोन्ध, खोन्द, कन्ध
24. कोल
25. कोलम
26. कोरबू बोपची, मुआसी, नीहाल, नाहुल बोन्धी, बोन्देया
27. कोरवा, कोड़ाकू
28. मांझी
29. मझवार
30. मवासी
31. मुण्डा
32. नागेसिया, नागासिया
33. ओरान धानका, धानगाड
34. पाओ
35. प्रधान, पाथरी, सरोटी
36. परधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता परधी, लंगोली परधी, फन्स परधी, शिकारी, टकान्कर, टकिया
ख(प) बसतर, दांतेवाडा, कांकेर, रायगढ, जसपुरनगर, सरगुजा और कोरिया जिले और (पप) कोटगोडा, पाली, करतला और कोरबा जिले की कोरबा तहसील (पपप) बिलासपुर, पंडेरा, कोटा, विलासपुर जिले की तख्तपुर तहसीलें (पअ) दुर्ग जिले के दुर्ग पाटनगुंडनडेही, धांधा, बलोद, गुरुर और डोंडिल होड़ा तहसील (अ) चौकी, मानपुर और राजनंदगांव जिले का मोहाला रेवेन्यू सर्किल इंस्पेक्टर (अप) महासमुंद जिले की महासमुंद, सरायपाली की बसना तहसील (अपप) बिंदरानावगढ रजीम और रायपुर जिले की देवोभोग तहसील (अपपप) धामतरी, कुर्द और धामतरी जिले की सिहावा तहसील
37. परजा
38. सहारिआ, सहारिया सेहरिया, सोसिआ, सोर
39. साओन्ता, साउन्ता
40. साउर
41. सावार, सावारा
42. सोनर

VI. गोवा

1. धोदिया
2. दुबला (हलपती)
3. नैकदा (तालविया)
4. सिद्धी (नायका)
5. वरली
6. *कुन्बी*
7. *गवडा*
8. *वेलिप*

VII. गुजरात

1. बारदा
2. बवाछा, बमाछा
3. भारवाड (अलेचा, बारदा और गिर के जंगलों में)
4. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भीलाला पावरा, वासावा, वसाए
5. छारन (एल्चा वारदा और गिर के जंगलों में)
6. चौधारी (सूरत और वलसाद जिलों में)
7. चौधारा
8. धानका, ताडवी, तेतारिया, वाल्वी
9. धोदिया, धोदी
10. दुबला, तलावइया, हलपाती

11. गामित गामता, गावित मावछी, पादवी
12. गोंड राजगोंड
13. कथोडी, कतकारी, ढोर कतकारी, सोन कथोडी सोन कतकारी
14. कोकना, कोकनी कुकना
15. हटा दिया गया
16. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
17. कुनबी (डांग जिले में)
18. नायकडा, नायका, चोलीवाला नायका, कपाडिया नायका, मोटा नायका, नाना नायका
19. पधार
20. हटा दिया गया
21. परघी अदवीचिंचर, फान्से पारघी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट, और सुरेन्द्रनगर जिलों के अतिरिक्त)
22. पटेलिया,
23. पोमला
24. रबारी (अलेच्छ, बरादा और गिर के जंगलों में)
25. राथवा
26. सिद्दी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ राजकोट और सुन्दरनगर जिलों में)
27. हटा दिया गया
28. वरली
29. विटोला, कोतवालिया, बरोदिया
30. भील, भीलाला बरेला पटेलिया
31. तडवी भील, बावरा, वसावे,
32. पदवी

VIII. हिमाचल प्रदेश

1. भोत, बोधा
2. गद्दी
3. गुज्जर
4. जाड, लाम्वा, खाम्पा
5. कनउरा, किन्नर
6. लाहउल
7. पांगवाला
8. स्वांगला
9. ***बेटा, बेडा***
10. ***डोम्बा, गारा, जोबा***

IX. जम्मू और कश्मीर

1. बालटी,
2. बेदा
3. बोत, बोतो
4. ब्रोकपा, ड्रोकपा, दार्द, शिन
5. छांगपा
6. गारा
7. मोन
8. पुरिगपा
9. गुज्जर
10. बकरवाल
11. गद्दी
12. सिप्पी

X. झारखंड

1. असुर, अगारिया
2. बैगा
3. बनजारा
4. बठूडी
5. बेदिया
6. बिंझिया
7. बिरहोर
8. बिरजिया
9. चेरो
10. चिक बराइक
11. गोंड
12. गोरइत
13. हो
14. करमाली
15. खारिया, धोलकी, खारिया, दुध खारिया, हिल खारिया
16. खारवार
17. खोंड
18. किसान, नगेशिया
19. कोरा, मुडी कोरा
20. कोरवा
21. लोहरा
22. महली
23. माल पहारिया, कुमारबाग पहाडिया
24. मुंडा, पतार
25. उरांव, धानगर (ओरांव)
26. परहया
27. सन्थाल
28. सोरिया पहारिया
29. सवार
30. भूमिज
31. कवार
32. कोल

XI. कर्नाटक

1. आदियान
2. बरदा
3. बवाचा, बामचा
4. भील, भील गरसिया, ढोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरसिया, मेवासी भील, रावल

भील, तडवी भील, भागालिया भीलाला, पावरा, वसावा, वसाए
5. चेंचू, चेंचवार
6. चौधारा
7. दुबला, तालविया, हालपति
8. गामित, गामता, गावित, मावछी पदवी वालवी
9. गौड, नाइकपोड, राजगोंड,
10. गौडालू
11. हक्किपिक्कि
12. हसलारू
13. इरूलार,
14. इरूलिगा,
15. जेनू कुरूबा
16. काडू कुरूबा
17. कम्मारा (दक्षिण कनारा जिला तथा मैसूर जिले के कोलेगल तुलुक में)
18. कनियन, कन्यन (मैसूर जिले के कोलेगल तालुक में)
19. कथोडि, कटकारि, ढोर कथोडि, ढोर कतकारी, सोन कथोडि, सोन कतकारि
20. कट्टूनायकन
21. कोकना, कोकनी, कूकना
22. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलहा
23. कोन्डा कापस
24. कोरगा
25. कोटा
26. कोया, भीने कोया, राजकोया
27. कुड़िया, मेलाकुडि
28 कुरूबा (कूर्ग जिले में)
29. कुरूमान
30. महा मलासर
31. मलाइकुडि
32. मालासर
33. मलायेकान्डि
34. मालेरू
35. मराठा (कुर्ग जिले में)
36. मराठी (दक्षिणी कनारा जिले में)
37. मेडा, मेदारी, गोरिगा, **बुरूद**
38. नायकडा, नायक, छोल्लिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक, नाइक, नायक, बेड़ा, बेदार, और वाल्मिकि
39. पल्लियन
40. पानियां,
41. पारघी, अड्विचिन्चेर, फेन्स पारघी, ***हरंशिकारी***
42. पटेलिया
43. रथावा
44. शोलगा
45. सोलिगारू
46. टोड़ा
47. वारलि
48. वितोलिया, कोतवालिया बरोडिया
49. येरावा
50. ***सिद्धी (उत्तर कन्नड जिले में)***

XII. केरल

1. अदियन,
2. अरान्दन, ***अरांधान***
3. इरावल्लन
4. हिल पुलाया, ***माला पुलायन कुरन्म्बा पुलायान, करवाझी पुलायन, पाम्बा पुलायन***
5. इरूलार इरूलान
6. कदार, ***वायनाड कदार***
7. ***हटा दिया गया***
8. कनिकारन, कनिक्कार
9. कट्टूनायकन
10. ***कोच्चुवेलन***
11. **हटा दिया गया**
12. **हटा दिया गया**
13. कोरगा
14. **हटा दिया गया**
15. कुदिया मेलाकुड़ि
16. कुरिच्छान, **कुरिचियन**
17. कुरूमान, **मुल्लु कुरूमान**, ***माला कुरूमान***
18. कुरूम्बास, ***कुरुम्बार, कुरुम्बान***
19. महा मालासर
20. मलाई आर्यान, ***माला आर्यन***
21. मलाई पंडाराम
22. मलाई वेदान, मालावेदान
23. मालाकुरवन
24. मालासार
25. मालायन, ***नत्तु मालायन, कोंगा मलायन, (कसारगोडे, कन्नानोर, वायनाड और कोजीकोड जिलों को छोडकर)***
26. मालायरयार
27. मन्नान
28. ***हटा दिया गया***
29. मुथुवन, मुदुगर, मुदुवन
30. पालेयान, पालीयान, पालीयार, पालीयान
31. ***हटा दिया गया***
32. ***हटा दिया गया***
33. पानियान
34. उलादन, **उलातन**
35. उरली
36. ***माला वेत्तुवन (कसारगोड और कन्नुर जिलों में)***
37. ***तेन कुरुम्बान, जेनु कुरुम्बान***
38. **थाचानदान, थाचानदान, मूपान**
39. **चोलानैकान**
40. **माविलन**
41. **करीमपलान**
42. **वेटा कुरुमान**
43. **माला पनिक्कर**

XIII. मध्य प्रदेश

1. अगारिया
2. अन्ध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया भूमिया, भूइन्हार भूमिया, भूमिया, भारिया, पलिहा, पान्डो
6. भत्र
7. भील, भेलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भून्जिया
10. बीअर, बीआर
11. बीन्जवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डामोर, डामारिया
14. डनवार
15. गडाबा, गडबा
16. गोंडय अराक, अराख, अगेरिया, अगारिया, आसुर, बादी मारिया, बादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियाबूटा, कोलियाबूटी, भर, बीसोनहोरन मरिया, छोटा मरिया, डान्डीमी मरिया, धुरू, धुर्बा, धोबा, धुलिया, डोरलो, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड गौरी, हिल मरिया, कन्दरा, कलंगा, खटोला, कवेटार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मरिया, कूचिका मरिया, मडिया, मरिया, माना, मानेवर, मोघिया, मोगिया, मोंघिया, मूडिया, मूरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राझ, सोनझारी झरका, थाटिया, थोटिया, वादी मरिया, वादी मरिया, दरोई
17. हल्बा, हल्बी
18. कामर
19. करकु
20. कवर, कैवंर, कौर, छेरवा, राथिया तंवर, छत्री
21. *(हटा दिया गया)*
22. खैरवार, कोन्दार
23. खैरिया
24. कोन्द्य, खोन्द, कन्ध
25. कोल
26. कोलम
27. कोकरू बोपची, मेउआसी, नीहाल, नाहुल बोन्धी, बोन्देया
28. कोरवा, कोड़ाकू
29. माझी
30. मझवार
31. मवासी
32. **हटा दिया गया**
33. मुण्डा
34. नागेसिया, नागासिया
35. ओरान, घांका, धांगाद
36. पानिका (छतरपुर पन्ना, रेवा, सतना, शादोल, उमरिया सीधी तथा टीकमगढ़ जिलों)
37. पाओ
38. प्रधान, पठारी, सरोटी
39. *हटा दिया गया*
40. परधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता परधी, लंगोली परधी, फन्स परधी, शिकारी टकान्कर, टकिया ख(प) बस्तर, छिन्दवाड़ा, मांडला, डिडोरी सेओनी जिलों में (पप) बाला घाट जिले में बैहर तहसील (पपप) बेतुल जिले के बेतुल, शाहपुर और भैंस डेही तहसीलों में (पअ) जवलपुर जिले के पटन तहसील और सिहोरा एवं मंझाली ब्लॉक
(अ) कटनी जिले के कटनी (भुरवाड़ा) विजय राघोगढ़ तहसील तथा बहोरीबंधा तथा घेमरखेड़ा ब्लाक
(अप) होशंगाबाद जिले के होशंगबाद, बबाई, सोहागपुर, पिपरिया, बांकखेड़ी तहसील और किस्ला ब्लाक
(अपप) नरसिंहपुर जिला
(अपपप) खांडवा जिले के हरसुद तहसील में ,
41. परजा
42. सहारिआ, सहारिया सेहरिया, सेहरिया, सोसिया, सोर
43. साओन्ता, साउन्ता
44. साउर
45. सावार, सावारा
46. सोनर

XIV. महाराष्ट्र

1. अंध
2. बेगा
3. बारदा
4. बावाचा, बामचा
5. भाइना
6. भारिया, भूमिया, भूइंहार, भूमिया, पान्डो
7. भातरा
8. भील, भीलगरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तादवी भील भागालिया, भिलाला, पावरा, बसावा, वासावे
9. भूंजिया
10. बिंझवार
11. बिरहुल, बिरहोर
12. *हटा दिया गया*

13. धानका, तादवी, तेतरिया, वाल्वि
14. धानवार
15. धोदिया
16. दुबला, तालाविया, हलपति
17. गामित, गमता, गवित, मावछी पाडवी
18. **गोंड, राजगोंड,** अरख, अर्राख, अगारिया, असुर बादी मारिआ, बड़ा मारिआ, भटोला, भीम्मा, भूटा, कोइलाभूटा कोइलाभूटी, भार, बिशोनहर मारिआ, छोटा मारिआ, दान्दमी मारिआ धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गाइकी, गात्ता, गात्ति, गैता, गौंड़, गोवारी, हिल मारिया कांद्रा कालगा, खटोला कोइतार कोया, खिरवार खिरवारा, कुछा मारिया, कुछकी मारिया, माडिया मारिया, माना, मान्नेवार, मान्नेवार, मोघया, मोगिया, मोंधया, मुदिया, मुरिया नागारची, नाइकपोड, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झारेका थातिया, थोट्या, वाडे मारिया, वाडे मारिया
19. हलबा, हल्बी
20. कामर
21. कथोड़ी, कटकारी, ढोर कथोडी, ढोर कथकारी, सोन कथोडी, सोन कतकारी
22. कवर, कँवर, कौर, छेरवा, राथिया, तँवर, छत्री
23. खैरवार
24. खारिया
25. कोकना, कोकनी, कुकना
26. कोल
27. कोलम, मन्नेरवारलू
28. कोलीढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलगा
29. कोली महादेव, डोंगर कोली
30. कोली मल्डार
31. कोंध खोंध कन्ध
32. कोरकू, बोपची, मोउआसी, निहाल, नाहुल बोन्धी बोन्देया
33. कोया, भीने कोया, राजकोया
34. नागेसिया नागासिया
35. नाइकदा, नायक, छोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
36. ओरान, धानगर
37. परधान, पठारी सरोती
38. पारद्यी, अडवीचिंन्चेर, फान्स परधी फान्से परद्यी लांगोली परधी, बहेलिया, छिट्टा परधी, शिकारी, ताकन्कार ताकिया
39. पारजा
40. पटेलिया
41. पोमला
42. रथावा
43. सवार, सवारा
44. ठाकुर, ठाकर, का ठाकुर, का ठाकर मा ठाकुर, मा ठाकर
45. **हटा दिया गया**
46. वारली
47. विटोलिया, कोतवालिया, बडोदिया

XV. मणिपुर

1. अइमोल
2. अनाल
3. अनगामी
4. छिरू
5. छोथे
6. गांगते
7. हमार
8. काम्बुई
9. कच्चा नागा
10. कोइराओ
11. कोइरेंग
12. कोम
13. लामगांग
14. माओ
15. मारम
16. मारिंग
17 कोई भी मीजो (लुशई) जनजाति
18. मोनसांग
19. मोयोन
20. पाइटे
21. पुरूम
22. राल्टे
23. सीमा
24. सीमते
25. सुथे,
26. तांगखुल
27. थाडोउ
28. वाइफुई
29. जोउ
30. पौमाई नागा
31. ताराव
32. खराम
33. कोई कुकी जनजाति
34. माते

XVI. मेद्यालय

1. चकमा
2. दिमसा, कछारी
3. गारो
4. हाजोंग
5. हम्मार
6. खासी जयंतिया स्येनतेग प्नार, वार, भोइ ल्येनगनगाम सहित
7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहित:
   (i) बइते बिएते
   (ii) छंगसान
   (iii) चोंगलोइ

(iv) डोउन्गोल
(v) गमाल्हू
(vi) गंगत
(vii) गुइते
(viii) हान्नेंग
(ix) हाओकिप या हाउपिट
(x) हाओलाई
(xi) हेंगना
(xii) होनसुंघ
(xiii) हरांगकोवाल या रंगखोल
(xiv) जोंगबे
(xv) खावचांग
(xvi) खवथलांग, खोथालांग
(xvii) खेल्मा
(xviii) खोल्हू
(xix) किपजेन
(xx) कुकी
(xxi) लेनथांग
(xxii) ल्हांगम
(xxiii) ल्होउजेम
(xxiv) ल्होउवेन
(xxv) लुपहेंग
(xxvi) मांगजेल
(xxvii) मिसाओ
(xxviii) रिआंग
(xxix) सइरहेम
(xxx) सेलनाम
(xxxi) सिंगसन
(xxxii) सितल्होउ
(xxxiii) सुक्ते
(xxxiv) थादो
(xxxv) थागंनगेऊ
(xxxvi) उईबुह
(xxxvii) वाइफेई, सहित
8. लाखेर
9. मन (थाई बोलने वाले)
10. कोई भी मीजो (लुसाई) जनजाति
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. स्येनतेंग
15. बोरो कचारिस
16. कोछ
17. राबा, रावा

XVII. मिजोरम

1. चकमा
2. दिमसा (कछारी)
3. गारो
4. हांजोग
5. हम्मार
6. खासी और जयंतिया (खासी, स्येनतेग या प्नार, वार, भोइ या ल्येनगनगाम सहित)
7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहित:
   (i) बइतेथा बिएते
   (ii) छंगसान
   (iii) चोंगलोइ
   (vi) डोउन्गोल
   (v) गमाल्हू
   (vi) गंगत
   (vii) गुइते
   (viii) हान्नेंग
   (ix) हाओकिप या हाउपिट
   (x) हाओलाई
   (xi) हेंगना
   (xii) होंनसुघ
   (xiii) हरांगकोवाल या रंगखोल
   (xiv) जोंगबे
   (xv) खावचांग
   (xvi) खवथलांग या खोथालांग
   (xvii) खेल्मा
   (xviii) खोल्हू
   (xix) किपजेन
   (xx) कुकी
   (xxi) लेनथांग
   (xxii) ल्हांगम
   (xxiii) ल्होउजेम
   (xxiv) ल्होउवेन
   (xxv) लुपहेंग
   (xxvi) मांगजेल
   (xxvii) मिसाओ
   (xxviii) रिआंग
   (xxix) सइरहेम
   (xxx) सेलनाम
   (xxxi) सिंगसन
   (xxxii) सितल्होउ
   (xxxiii) सुक्ते
   (xxxiv) थादो
   (xxxv) थांगनेऊ
   (xxxvi) उईबुह
   (xxxvii) वाइफेई,
   8. लाखेर
   9. मन (थाई बोलने वाले)
   10. कोई भी मीजो (लुसाई)जनजाति
   11. मिकिर
   12. कोई भी नागा जनजाति
   13. पावी
   14. स्येनतेंग
   15. पैते

XVIII. नागालैंड

1. नागा
2. कुकी
3. कचारी
4. मिकिर
5. गारो

XIX. ओडिशा

1. बगता, भक्ता
2. बइगा
3. बनजारा, बनजारी
4. बाथूडी, बाथूरी
5. भोत्ताड़ा, धोताडा, भोतरा, भतरा, भत्तरा, भौतोरा, भतारा
6. भूइया, भूयान,
7. भूमिया

8. भूमिज, तेली भूमिज, हल्दीपोखरिया भूमिज, हल्दी पोखरिया भूमिजा, देसी भूमिज, देसिया भूमिज, तमारिया भूमिज
9. भूंजिया
10. बिन्झाल, बिंझवार
11. बिनझिआ, बिनझोआ
12. बिरहोर
13. बांडो पोराजा, बोंडा परोजा, बोंडा परोजा
14. चेनछू
15. दाल
16. देसुआ भूमिज
17. धारूआ, धुरूबा धुरूआ
18. दिदायी, दिदायी परोजा, दिदाई
19. गडाबा, बोडो गडाबा, गुतोब गडाबा, कापु गडाबा, ओलारा गडाबा, पेरंगे गदाबा, सोनो गदाबा
20. गांडिया
21. धारा
22. गोंड, गोंडो राजगोंड, मारिया गोंड, धुर गोंड
23. हो
24. होल्वा
25. जतापु
26. जुआंग
27. कंधा गैदा
28. कवार, कंवर
29. खारिया, खरियन, बेरगा खारिया, डेलकी खारिया, दुध खारिया, एरेंगा खारिया, मुंडा खारिया, ओरांव खारिया, खाडिया, पहाड़ी खारिया
30. खरवार
31. खोंड, कोंड, कधा, नंगुली, कंधा, सीता केंधा, कोंधा, कुई, बुदा कोंध, बुरा, कंधा, देसिया कंधा, दुंगारिया कोंध, कुटिया कंधा, कंधा गौड़, मुली कोंधा, मालुआ कोंधा, पेंगो कंधा, राजा कोंधा, राज खोंड
32. किसान, नगेसर, नगेसिया
33. कोल
34. कोलाह लहारस, कोल लोहारस
35. खोल्हा
36. कोली मल्हार
37. कोंडाडोरा
38. कोरा, खारा, खयारा
39. कोंरूआ
40. कोटिया
41. कोया, गुम्बा कोया, कोइतुर कोया, कमार कोया, मुसार कोया
42. कुलिस
43. लोधा, नोधा, नोधा, लोधा
44. मादिया
45. महाली
46. मनकिदी
47. मनकिरदिया, मनकरिया, मनकिदी
48. मत्या, मातिया
49. मिरधास, कुदा, कोदा
50. मुंडा, मुंडा लोहारा, मुंडा महालिस, नागाबंशी मुंडा, उड़िया मुंडा
51. मुंडारी
52. ओमनत्य, ओमनत्यो, आमनत्य
53. ओरांव, धानगर, उरान
54. परेंगा
55. परोजा, पराजा, बोडो परोजा, बरोंग झोदिया परोजा, चेलिया परोजा, झोदया परोजा, कोंडा परोजा, पराजा, पोंगा परोजा, सोदिया परोजा, सोनो परोजा, सोलिया परोजा
56. पेंटिया
57. राजौर
58. संताल
59. साओरा, सावर, सौरा, सहारा आरसी साओरा, बसेड साओरा, भीमा साओरा, भीम्मा साओरा, चुमुरा साओरा, जरा सावर, जादु साओरा, जती साओरा, जुआरी साओरा, साओरा, कन्पू, कापोसओरा, कम्पा साओरा, किंदल साओरा, कुंबी कंचेर साओरा, कलपितिया साओरा, किराट साओरा, लांजिया साओरा, लाम्बा लांजिया साओरा, लुआरा साओरा, लुआर साओरा, लारिया सावर, मलिया साओरा, मल्ला साओरा, उड़िया साओरा, राइका साओरा, सुद्दा साओरा, सारदा साओरा, तंकला साओरा, पटरो साओरा, वेसु साओरा
60. शबार, लोधा
61. सौंटी
62. थारूआ, थारूआ बिंदानी

XX. राजस्थान

1. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डुंगरीभील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तादवी भील, भगालिया, भीलाला, पावरा, वासवा, वासावे
2. भील मीना
3. दामोर, दामारिया
4. धानका, तादवी, तेतरिया, वाल्वी
5. गरासिया (राजपूत गरासिया के अतिरिक्त)
6. कथोडि, काटकारी, ठोर कथोड़ि, ठोर काटकारी, सोन कठोडी, सोन काटकारी
7. कोकना, कोकनी, कुकना
8. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलगा
9. मीना
10. नाइकदा, नायक, छोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
11. पटेलिया
12. सेहारिया, सेहरिया सहारिया

XXI. सिक्किम

1. भुतिया (चुंबिपा, दोपथापा, दुकुपा, कागेती, शेरपा, तिबतेन, तरोमोपा, योल्मा सहित)
2. लेपचा
3. लिम्बू
4. **तमांग**

XXII. तमिलनाडु

1. आदियान
2. आरानादान
3. इरावल्लान
4. इरूलार
5. कादर
6. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक के अलावा)
7. कनीकारन कनीक्कार (कन्याकुमारी व तिरूनेलवेल्लि जिले के शेनकोट्टा और **अम्बासमुद्रम तालुक** में)
8. कनियान, कन्यान
9. कट्टनायकन
10. कोच्युवेलन
11. कोंडा कापस
12. कोंडारेड्डी
13. कोरगा
14. कोटा (कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़कर)
15. कुडिया, मेलाकुडी
16. कुरिच्छान
17. कुरूम्बा (नीलगिरि जिले में)
18. कुरमांस
19. महा मलासर
20. मलाई आर्य
21. मलाइ पण्डाराम
22. मलाई वेदन
23. मलाक्कुरावन
24. मालासर
25. मलयाली (धर्मपुरी, उत्तरी अरकोट, पुदुकोट्टाई, सालेम, दक्षिणी अरकोट और तिरूचना पल्ली जिले में)
26. मलायेकान्डी
27. मन्नान
28. मुदुगार, मुदुवान
29. मुत्थुवान
30. पल्लेयान
31. पल्लियान
32. पल्लियार
33. पनियान
34. शोलागा
35. टोडा (कन्याकुमारी जिले वे तिरूनेलवलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़ कर)
36. यूराली

XXIII. त्रिपुरा

1. भील
2. भूटिया
3. छइमल
4. चकमा
5. गारो
6. हालाम, बेंगशेल, डुब केइपेंग, कलाई, कारबोंग, लेंगुई, मुस्सुम, रपिनी, सुकुचेप, थांगचेप
7. जमातिया
8. खासिया
9. कूकी, निम्न उप जन जातियों सहित:-
   (i) बालते
   (ii) बेलालहुट
   (iii) छाल्या
   (iv) फुन
   (v) हजांगो
   (vi) जांगतेइ
   (vii) खोरेंग
   (viii) खमफेोंग
   (ix) कुन्तेइ
   (x) लाइफांग
   (xi) लेन्तई
   (xii) मिजेल
   (xiii) नामते
   (xiv) पाइतु, पाइते
   (xv) रांगचांग
   (xvi) रांगखोले
   (xvii) थांगलुया
10. लेपचा
11. लुशाइ
12. माग
13. मुण्डा, कौर
14. नोआटिया, मुराशिंग
15. ओरांग
16. रियांग
17. सन्ताल
18. त्रिपुरा, त्रिपुरी तिप्पेरा
19. उछाई

XXIV. उत्तराखंड

1. भोटिया
2. बुक्सा
3. जन्नसारी
4. राजी
5. थारू

XXV. उत्तर प्रदेश

1. भोतिया
2. बुक्सा
3. जन्नसारी
4. राजी
5. थरू
6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पाथरी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ आजमगढ़, जोनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में)
7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में)
8. सहारिया (ललितपुर जिले में)
9. परहइया (सोनभद्र जिले में)
10. बइगा (सोनभद्रा जिले में)
11. पंखा, पानी का (सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में)
12. अगारिया (सोनभद्र जिले में)
13. पतारी (सोनभद्र जिले में)
14. चेरो (सोनभद्र और वाराणसी जिलों में)
15. भुइया, भुइन्या (सोनभद्र जिले में)

XXVI. पश्चिम बंगाल

1. असुर
2. बइगा
3. बदिया, बेदिया
4. भूमिज
5. भूटिया, शेरपा, टोटो, दुकबा, गगाते, तिब्बती योल्मो
6. विरहोर
7. बिरजिया
8. चकमा
9. छेरी
10. चिक बारिक
11. गारो
12. गोंड
13. गोरइत
14. हाजांग
15. हो
16. करमाली
17. खारवार
18. खोंड
19. किसान
20. कोरा
21. कोरवा
22. लेप्चा
23. लोधाा खेरिया, खारिया
24. लोहार, लोहरा
25. माघ
26. महाली
27. माहली
28. माल पहारिया
29. मेच्छ
30. मरू
31. मुण्डा
32. नागेसिया
33. ओरान
34. परहाइया
35. रभा
36. सन्ताल
37. सउरिया पहरिया
38. सवार
39. लिम्बू (सुब्बा)
40. तमांग

XXVII. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह

1. अंडमानी, चारियार, चारी, कोरा, ताबो, बो येरे, केडे, बी, बलवा, बोजीगियाब, जुवाई, कोल
2. जारवास
3. निकोबारी
4. ओंगेस
5. सोटिनलीस
6. शोम पेन्स

XXVIII. दादर व नगर हवेली

1. घोदिया
2. दुबला हालपति सहित
3. कठोडी
4. कोकना
5. कोली धोर कोलघा सहित
6. नइकदा या नायक
7. वारली

XXIX. दमन व दीव संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र में :

1. घोदिया
2. दुबला (हालपति)
3. नइकडा (तालावी)
4. सिद्वी (नायक)
5. वारली

XXX. लक्षद्वीप सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र में :-

लक्कादीव, मिनिकोय और अमिनिदिवी द्वीपों के निवासी जो स्वयं और जिनके माता-पिता दोनों इन द्वीपों में पैदा हुए थे। 'बशर्ते ऐसे बच्चे जो भारत की मुख्य भूमि पर किसी अन्य स्थान पर लक्षद्वीप के निवासियों के संतान के रूप में पैदा हुए हैं, को यदि वे स्थायी रूप से इन द्वीप समूहों में बस गए हैं, तो, इन द्वीप समूहों के पैदाइशी निवासी माना जाएगा।'

स्पष्टीकरण :- 'स्थायी रूप से बसने' शब्द का अर्थ वही होगा जैसा कि लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 के खण्ड 3(I)(घ) में परिभाषित किया गया है।

''**कृपया ध्यान दें :** संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 19.9.2003

नोट :- यदि उपर्युक्त सूची के समुदाय की वर्तनी में किसी प्रकार का अंतर पाया जाता है तो संबंधित मूल अधिसूचना अंतिम तथा अधिप्रमाणित होगी।

अनुलग्नक 6-छ

अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची

I. आंध्र प्रदेश

(1) **महबूबनगर जिले के आचमपेट तालुक के** बालमोर, कोदनांगोल, बनाल, बिलाकास, धारावारभ, अप्पाइपाली, रासुल छेरनुव, पुलेछेलमा मारलापया, बुर्ज गुंडाल, अगारला पेन्टा, पुल्लाइपाली, दुक्कान पेंटा, बिकिट पेंटा कारकार पेंटा, बोरामाछेरन्वू, येमेलापाया, इरलापेंटा, मुरारदीपेंटा, तेरकालदारी, वकारामामिदी पेंटा, मेडी मानकल, पंडीबोरे, संगरी गुण्डल, लिंगबोर, रामपुर, अप्पापुर मालापुर, जलालपैंटा, पीमानपेण्टा, रायलेट, वेटीलापाली, पातुर बयाल, भावीपैंटा नारदी पेंटा, सीपेंटा, तपासीपेंटा, चन्द्रगुप्ता, युल्लुकातरेवु, तिम्मारेड्डीपाल्लि, सारलापाल्लि, ततिगुण्डाल, इल्पामायेहेना, कोमान पेंटा, कोल्लामपेंटा मानानूर, माछाराम, मलहामाम्डी, वेकेटेश्वरला बावी, अमराबाद, तिरमालपुर, उपनुटोला, मघवनपल्लि, जगमरेड्डी पाल्लि, पेदरा, वेंकेश्वरम, चितलाम कुंटा, लाछमापुर, उदमेला, मारेड़, इप्पालापाली मड्डीमाडाग, अक्काराम, अइनोल, सिद्दापुर, बमानपाली, गनपुरा और मानेवारपल्लि गांव।

(2) **आदिलाबाद जिले के आदिलाबाद तालुक के** मलाइ बोरगोवा, अनकानपुर, जामुलाद्यारी, लोकारी, तान्तोली, सीतागोंटी, बुरनूर, नवगांव, पीपलदारी, पारदी बुजुर्ग, यापाल गुदा, छिनछूघाट, वानकोली, कानपा, अवसोदा बुरकी, मलकापुर, जारी, पालसी बुजर्ग, आरिल खुर्द, नन्दगांव, वाघापुर, पालसीखुर्द, लिंगी, कर देनी, रतनापुर, कोसाइ, उमारी, मदनपुर, अम्बूगांव, रूयेअडी, सकानपुर, दादगांव, कसलापुर, डोरली, साहाजी, सांगवी, खोगदूर, कोबाई, पोनाला, छापराला, मंगरोल, कोपा, अरगूने, सोअनखास, खिडकी, खासल खुर्द, खासल बुजर्ग, जामनी, बोरगांव, सयेद पूर, खारा, लोहारा, मारीगांव, छिछदारी, खानापुर, खण्डाल, तीपा, हाती, घोता, करोदखुर्द, करोनी बुजर्ग, सिंगापुर, वुरानपुर, नागराला, बोदाद, छांदपेल्ली, पीतगेन, येकोरी, सादारपुर, वारूर, रोहार, तकाई तकली और रामखाम गांव।

(3) **आदिलाबाद जिले के किनवात तालुक के** अम्बारी, बोदरी, छिकली, कामताला, घोती, मांडवा, मेरेगांव, मालबोर गांव, पटोडा, दहीगांव, दोमेान घारी, दरसांगी, डिघरी, सिंदगी, कनकवाड़ी, कोपरा, मलाकवाडी निसपुर एन्डा, पीपलगांव, बलजा, वारोली, अन्जी, भीमपुर, सिरमेती, केरल, कोठारी, गोकुड़ा, गोगरवुडी, मलकापुर, द्योनोरा, रामपुर, पातरी, परोद्यी, बाओथ दरसांगी, नोरगांव, उनरसी, गोदी, साउरखेर नायकवाड़ी, सरकानी, वाझेरा, मारदाप, अंजेरखेर, गोण्डवारसा, पलाइगुडा करालगांव, पाल्सी, पटोड़ा जवारला, पीपलगांव, कानकी, सिंगोरा, डोगरगांव, पीपल सेंद्या, जुरूर, मिनकी तुलसी, माचौरड़ेर, पारधी मुरली, टाकरी, पारसा, वारसा, उमरा, अश्ता, हिंगनी, तिमारपुर, बाजरा, बानोला पाटसोन्डा, धनोरा, साकुर और डिगरी गांव।

(4) **आदिलाबाद जिले के बोथ तालुक के** हतनूर, बाकरी, पारद्यी, करतान्डा, सेरलापाल्लि, नेरादी-कोन्डा, डालीगाओ, कुनताला वेंकटपुर, हसनपुर, सुरदापुर, पोलमामदा, बाल्हनपुर, धार्मपुरी, गोकोड़ां भोताई, कोरसेकाल, पतनापुर, तेजापुर, गुरूज, खाहदीगुडी, राजुरवाड़ी, इसपुर घानपुर, जतेरला, खान्तेगांव, साउरी, इछोरा, मुतनुर, गुडी हाटनूर, तालमेडी, गेरजाम छिनछोली, सिरछेलमा, मनकापुर, नारसापुर, धार्मपुर, हरकापुर, धामपुर, निगनी, अजारवजार, चिन्तलबोरी, रामपुर, गंगापुर और गयात्पाली गांव।

(5) आदिलाबाद जिले के उत्नूर तालुक के सभी गांव।

(6) **आदिलाबाद जिले के असैफाबाद तालुक के** राजमपेट, गुंजाला, इंघानी, समेला, तेजपुर, कन्नारगांव, कन्टागुडा, शकेनपाल्ली, जामुलद्यारी, गुडी, छोरपाली, सालेगुदा, बादीगुदा, सवाती, ढाबा, छोपनगुडा, नीमगांव, खिरदी, मेटापिपरी, साकरा सांगी, देवमुरपाली, खोटरा-रिंगनघाट, निशानी, कोटा परानडोली, मेसापुर, गोइगावं, द्यनोरा, पारद्या, सुरदापुर, केरीनेरी मुरकीनोनकी, देवापुर, छिन्ताकारा, इहेरी, आरा दासनपुर, कापरी, बेलगांव, सिरसगांव, मोआर, बादाम, द्यामिरीगुडा, दाल्लनपुर, छालवारडी, इहोरघाट, वाली झारी, साकमगुंडी, आरा, उप्पाल, नवगांव, अंकसोरपुर चिराकुन्ता, इल्लिपिट्टा, डोरली, मन्डरन्मेरा, दन्तान्पल्ली, देवदुर्ग, तुनपाली धांगलेश्वर, पादिबान्दा, तामरिन, मलगुण्डी, कन्दन

मोओआर, जिओनेना, कुटेदा तिलानी, कानेपेल्लि, बोरवांउम, गरदेपाली, तेलुन्ड़ी, मौगीलोड़ीगुड़ा, मोइड़ा गुड़ी पेट, चीन्नेदारी, कोइटेलुण्ड़ी, मदुरा, देवैगुड़ा, आरे गुडा, तकेपाली, चोउतेपाली, राने कन्नेपाली, सुंगापुरा, राला सामकेपाल्लि, छोपरी, दोदा, अर्जुनी, सेरवाई, रापाल्लि, टेकमाडवा और मीता अर्जुनी गांव।

(7) **आदिलाबाद जिले के लक्षेतिपेत तालुक के** गुदाम, कासीपेत, दांडे पाल्लि, छेलमपेटा राजमपेट, मुत्तीमपेट, वेंकटपुर, राली, कौवाल, तारापेत, देवपुर, गधापाल्लि, रोतपाल्लि, माझडामारी, द्यर्मारोपेत, वेंकटपुर, चिंतागुडा और मुत्तेमपाली गांव।

(8) **आदिलाबाद जिले के राजोरा, तालुक के** बेंडवी, छिनछोली, गोइगांव, हीरापुर, साकरी, बालापुर, मनोली, अन्तारगांव, विरूर, डोगरगांव, टिमबेरवाई, सेरसी, बडोरा, व्मरजीरी, लाकारकोट, डरगांव, किरदी, सोंदो, देवरा, खोरुना, कानारगांव, छेनाई, कैरगांव, सामलहीरा, घनोली, मारनगांडी, येल्लापुर, काटलबोरी इसपुर, देवती, पाण्डेरवानी, वानसारी, पेरदा, वारगांव, नोकारी, मीरापुर, पारद्यी, कुतोडा, परसेवारा, मंगलरा, कारकी, नोकारी, मनोली, सोनपुर, इनापुर, मानगी, उपारवाई, तुत्ता, लकमापुर, किरदी, इनजापुर, जामीनी, हरगांव, छिकली, पाटन, कोसुंडी, कोतारा और सोनोरली गांव।

(9) **आदिलबाद जिले के सिरपुर तालुक के** रालपेट, किस्तामपेट, तकलपात्ले छाकलपल्लि, अनाराम, येपाल्लि, कोरसनी, इसगांव, छिन्तागुडा, अंकोरा, उसू रामपल्लि अरपाल्लि बोपालपट्टम, बालासागा, पारघी, तुमरीहाती, छिन्तालमानोपाल्लि, छिन्ताम, गुल्लातालोदी, दामदास, ढ़ोरपल्लि, कानकी, गारलापेट, गुदलाबोरी, गुरूमपेट, लोमवेली, मोगुरदागर, विरदान्डी, और छिलपुरदुबोर गांव।

(10) **वारंगल जिले के मुलुग तालुक के** कन्नइगुडा, अंकनगुड्डा, राघवापट्टनम, मेडारमोला, कोएटला, पारसा, नागाराम, मुथापुर, मोटलागुड्डा, वेंगलपुर, येलपाक काने बोएनपल्लि, मेदाराम, कोंडरेड, छिन्तागुडा, कोंडापारथी, येलसेथिपाल्लि, अल्लामरि घुन पुर, रामपुर, माल्कपल्लि, छेत्ताल भूपतिपुर, गंगाराम, कन्नइगुडा राजन्नापेट, भूताराम, अक्केला, सिरवारपुर, गंगाराम भूपतिपुर, पुम्बापुर, रामपुर, अकामपाली, कामााराम, कामसेलिगुण्डम, आशनागुडा, येल्लापुर, अल्लागुड़ा, नरसापुर, पुस्छापुर, भातुपाल्लि, लावनाल, वाड्डगुडा, कोथूर, पेगदापाल्लि, सारवापुर, भुस्सापुर, चेलवाई, रगपुर, गोविन्दराओपेट, बालपाली, धुमपालागुड़ा, केलापाली, लखनवरम, परसा, गोनेपाली, पड़गापुर, नरलापुर, कलवापाली, डरताम, कोंडिया, मलयत, अक्लापुर, ड़ोल्ड़ा, कमाराम, तादवी, बुदीगुड़ा, बन्नजी, बन्दाम, सेलपाक कन्तलपाली, सरवाई गंगागुदा, तुपालकालगुदा, अकुलवारी, धानपुर, शाहपलि, गागपेल्लि, छिन्ना–विओपल्लि, वेकरपुर, नरसापुर, अनवाराम, लिंगाल, बालेपाल्लि बंडल और धुनमापुर गांव।

(11) **वारंगल जिले के नरसामपेत तालुक के** वेवेल्लि, पोलारा, बाकाछिन्ताद, गांजाद, गोपालपुर, खिस्तापुर, तातीनारी, वेनपाल्लि, पत्तल, भूपति, चन्देलपुर, बत्तालपल्लि अदवारमपेट, सात्यानगर, दुत्ल, मोथवाडा, मंगाला वारपेत, कारलाई, अरकालकुंता, कोदसापेत, गुडेरपाल्लि मसामी, बत्तवारतीगुदेम, ममीदीगुदम, पंगोन्डा, रोतुराई, सतरेद्दीपाल्लि, कोनापूर, कोंदापुरम, पोगुलापाल्लि, गोविन्दपुरम, माकदापल्लि, पागुलापल्लि, मुराइगुडेम, येलछागुडेम, तुम्मापरुम, जगांमवारतीगुडेम, रंगामुड़ेम, पेड़ा पल्ली, पेरावरम, कुन्दापाल्लि, नीलापाल्ली, दारावारिनापाल्लि, कारनेगुंड, महादेवागुडेम, मारिगुडेम, जंगनपाल्लि, बवारगुडा ओआरवाक, गंगारामम, मुछेरला अमरोन्छा कामाराम छिन्टागुंडम, निलावाच्छा, कांगारगिड्डा, मडागुड्डेम दालुरपेट, कोठागुडेम, कोटापाल्लि, दुर्गाराम, दूबागुडेम, रून्दावाराम नरसूगुडाम, कोमातलागुडेम, कोटेरवम, सेमर राजपेट, मारेपल्लि, गोआरन्ट, राधियापुर गजल गुड़ेम, राजवे पल्लि, और वोल्लिपाल्लि गांव।

(12) वारंगल जिले के येल्लांडु तालुक के सभी गांव (येलान्डू, सिगारेनी, और सिरपुर गांव और कोठागुडा कस्बे के अतिरिक्त)

(13) (प)वारंगल जिले के पालोचा तालुक के सभी गांव, पलोंधा, वोरगामपद, अश्वाराओपेट, दाम्मापेट, कुकनूर और नेलीपाक गांव को छोड़ कर और (पप) पलोन्छा का समस्थान

(14) विशाखापट्टनम एजेन्सी क्षेत्र 1 [एजेन्सी लक्षमीपरुम, छिद्दीकाडा, कोनसासिगि, कुमारापरुम, कृष्णादेवीपेता, पिछी

गान्थिकोथागुडेम गोलूगोण्डापेटा, मुनुपुडी, गुम्मुडूकोन्डा, सराभूपालपटनाम, वादुरपालि पेदाजेग्गामपेटा गांवों के क्षेत्र के अलावा] 2 [विशाखापट्टनम जिले के, सारामूपति, अगराहरम, रामचन्द्रनराजा पेटा, अगराहरम और कोंडावातिपुड़ी अगाहराम]

(15) पूर्वी गोदावरी क्षेत्र 2 [रामचन्द्र पुरम, गांव और इसके पुरवा पुरूषोथापट्टनम के क्षेत्र को छोड़ कर पूर्वी गोदावरी जिले में इसके पुरूषोथपट्टनम कस्बे सहित

(16) पश्चिम गोदावरी जिले में पश्चिम गोदावरी एजेन्सी क्षेत्र।

---

* आंध्र प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. संख्या 9) दिनांक 23.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. संख्या 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश 1951 (सी.ओ. संख्या 50) और आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश 1955 (सी.ओ. 30) के तहत संशोधित किया गया।

1. मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1951 द्वारा शामिल।
2. आंध्र अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 द्वारा शामिल।

II. गुजरात

1. सूरत जिले के और बारदोली उयेच्छाल, व्यारा, महुवा, माण्डवी, निजार, सोनगाधा वालोद, मांगरोल तालुक
2. भडौच जिले के देदिया पाड़ा, सागवारा, वालिया, नन्दोद, और झगाडिया तालुक।
3. डांग जिला व तालुका
4. वलसाड जिले के बांदसा, धर्मपुर चिखाली, पारदी और उम्वेरगांव तालुक।
5. पंचमहल जिले के झालोड, दोहाद, संतरामपुर, लिमखेडा और देवगढ़ बारिया तालुक
6. बडोदरा जिले के छोटा उदयपुर, और निसवाडी तालुक और तिलकवाडा महल
7. साबरकांठा जिले के खेडब्रहमा, भिलोडा और मेघराज तालुक और विजयनगर महल।

** गुजरात राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. 9) दिनांक 23.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और गुजरात राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश का रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 13.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया ।

III. हिमाचल प्रदेश'''

1. लाहोल और स्पीति जिले
2. किन्नौर जिला
3. चम्बा जिले के पांगी तहसील और भारमोर सब-तहसील

*** अनुसूचित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश आदेश, 1975 (सी.ओ. 102) दिनांक 21.11.1975 के तहत विनिर्दिष्ट।

IV. महाराष्ट्र

1. थाणे जिले में निम्नलिखित
   (क) धाहानु, **तलसारी, मोखांदो, जवाहर, वडा और शहपुर तहसील**
   (ख) (प) पालघर तहसील के एक सौ चवालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

पालघर तहसील :

(1) तारापुर
(2) कुन्दन
(3) दहीसर टर्फ तारापुर
(4) घिवाली
(5) वावे
(6) अक्कारपत्ती
(7) कुरगांव
(8) पारनाली
(9) वेनगानी
(10) पठारवाली
(11) नेवले
(12) शिगांव
(13) गारगांव
(14) चिंचारे
(15) अकेगावान
(16) नानीवाली
(17) अंवढ
(18) बरहानपुर
(19) सलगांव
(20) खुताद
(21) खानीवाड़े
(22) रावते
(23) अकोली
(24) असेरी
(25) सोमते
(26) पस्थाल
(27) बोइसार
(28) बोरसेती
(29) महागांव
(30) किराते
(31) वाडे
(32) खाडवाने
(33) माडवान
(34) विस्थले
(35) कोडगांव
(36) कारसूद
(37) बेतेगांव
(38) वारंगदे
(39) लालोडे
(40) घांड
(41) काम्पालगांव
(42) मान
(43) घानोघर
(44) बाढ़े
(45) छारी बुदर्ग
(46) बिरवाडी
(47) काल्लाले
(48) पादघे
(49) पोले
(50) नानडोरे
(51) गिरनोली
(52) बोरान्डे
(53) देवखोपे
(54) सागवे
(55) कोसबाद
(56) कोकानेर
(57) नागणारी
(58) छारी खुर्द
(59) बेलगांव
(60) खुताल
(61) छिलहर
(62) भोपोली
(63) नीहे
(64) दामखाण्ड
(65) कोंधान
(66) आवनधान
(67) बेगारचीले
(68) शील
(69) लोवारे
(70) बंधान
(71) नन्द गांव टर्फ मानोर
(72) शील शेट
(73) कताले
(74) अम्भान
(75) वासरोली
(76) खारशेट
(77) मानोर
(78) ताकवाल
(79) सवारखण्ड
(80) नालशेट
(81) केव
(82) वाकाडी
(83) मासवान
(84) वान्डीवाली
(85) नेताली
(86) साये
(87) तेन
(88) कारालगांव
(89) गोवादे
(90) तामसाइ
(91) दुरवेस
(92) धुकतान
(93) पोछादे
(94) होलाले
(95) खामलोली
(96) वाहदोली
(97) बोत
(98) इम्बूर इराम्बी
(99) दानिसारी टर्फ मानोनर
(100) कुडे
(101) गुण्डावे
(102) सीतावली
(103) वेहालोली
(104) सवारे
(105) वराई
(106) जानसाई
(107) खाइरे
(108) ढेकाले
(109) गांजे
(110) जायेशेते
(111) शेलवाडे
(112) वेमूर
(113) अम्बादी
(114) नवाली
(115) मोरावाली
(116) वारखुन्ती
(117) कामार
(118) टोकराले
(119) बन्डाते
(120) जांजरोली
(121) छाडे
(122) वसारे
(123) खादकोली
(124) सखारे
(125) रोथे
(126) लालथाने
(127) नवाजे
(128) तान्डुलवाडी
(129) गिराले

(130) पारगाव	(135) सोनावे	(140) कान्डारवान
(131) नागवे टर्फ-मानोर	(136) माकने कापसे	(141) दाहीवाले
(132) उम्बारपदा नानड़ाडे	(137) कारवाले	(142) दारशेट
(133) उचावाली	(138) वाधिव सरावली	(143) नवगढ़ (घाटीम)
(134) सफाले	(139) पेनान्ड	(144) उम्बारपादा-टर्फ-मानोर।

(ii) **वसाई (बसीन) तहसील के पैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

वसाई (बसीन) तहसील :

(1) दाहीसार	(16) उसगांव	(31) अहोले
(2) कोशिम्बे	(17) मेघे	(32) वालिव
(3) तुलिंज	(18) बादघर	(33) सतिवाली
(4) सकवार	(19) भीनार	(34) राजवली
(5) छिमान	(20) एम्बोडे	(35) कोल्ही
(6) हेडवडे	(21) कालभोन	(36) छिनछोती
(7) काशिदकोपर	(22) अनदने	(37) जुचन्द्रा
(8) खानीवाडे	(23) सायावान	(38) वापना
(9) भालीवाली	(24) पारोल	(39) देवदाल
(10) कावहेर	(25) शिरवाल	(40) काममं
(11) शिरसाद	(26) माझीवाली	(41) सरजामोरी
(12) मान्धावी	(27) कारांजीन	(42) पोमान
(13) छानदीप	(28) तिलहर	(43) सिल्लोत्तर
(14) भातने	(29) धाविव	(44) सासुनावहार
(15) शिवनसाई	(30) पेल्हार	(45) नागले

(iii) भिवांडी तहसील के बहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

भिवांडी तहसील :

(1) भिवाली	(18) नन्दीथान	(35) माइडें
(2) गनेशपुरी	(19) देपोली	(36) करमाले
(3) वाडावाली वाजरेश्वरी	(20) सखरोली	(37) कांडली बुदर्क
(4) अकोली	(21) सूपेगांव	(38) कोल्हे
(5) सवारोली	(22) पिलांजे खुर्द	(39) कांडली खुर्द
(6) खतराली	(23) पिलांज बुदुर्क	(40) दीघाशी
(7) उसगांव	(24) अलखीवाली	(41) नेवादे
(8) घोटगांव	(25) वाघीवाले	(42) अम्बादी
(9) बाढ़े	(26) देवहोल	(43) दालोंड
(10) वारेथ	(27) सागोआं	(44) जाम्भीवाली टर्फ-खाम्बाले
(11) चाने	(28) इकसाल	(45) उम्बारखण्ड
(12) असनोली-टर्फ-दुगद	(29) चिन्चावाली-टर्फ-कुंडे	(46) अशिवाली
(13) दुगद	(30) डूधानी	(47) जिदके
(14) मनीवाली	(31) वापे	(48) खारीवाली
(15) वादवाली टर्फ दुगद	(32) घदाने	(49) बासे
(16) मालबीडी	(33) कुंडे	(50) गोंडाडे
(17) मोहिली	(34) घोतावाडे	

(51) पहारे
(52) सेदगांव
(53) पच्छापुर
(54) गोंड्वली
(55) जाम्भीवाली-टर्फ-कुंडे
(56) असनोली-टर्फ-कुडे
(57) शिरोले
(58) दाभाद
(59) महानडुल
(60) शिरगांव
(61) पिंपल सेठ भुसेठ
(62) खादकी खुर्द
(63) खादकी बुदरूक
(64) चिम्बीपाडे
(65) कूहे
(66) घामने
(67) लाखीवाली
(68) पालीवाली
(69) पाये
(70) गाने
(71) दाहयाले
(72) फिरंगपाडा

(iv) मुरबाद तहसील के सतत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

मुरबाद तहसील :

(1) कासगांव
(2) किसाल
(3) बडवाली
(4) सखारे
(5) खटालबोर गांव
(6) अम्बेल खुर्द
(7) सयाले
(8) इंदे
(9) खेडाले
(10) तलवाली-टर्फ-घोराट
(11) इकलाहारे
(12) छफे-टर्फ-खेडुल
(13) पिम्पालघर
(4) देहगांव
(5) पारहे
(6) कांडली
(7)) धासाई
(8) अल्यानी
(19) पालू
(20) देवगढ़
(21) मांढ़
(22) सोनावाले
(23) वेलुक
(24) अलावे
(25) बरसुंगे
(26) मांडुस
(27) खेड
(28) वनोटे
(29) साई
(30) शेलगांव
(31) शिरोशी
(32) तालेगांव
(33) फंगालकोशी
(34) मेरडी
(35) वाल्हीवार
(36) माल
(37) जडाई
(38) अम्बीवाली
(39) डिंघेपाल
(40) दीवान पाद
(41) कोचरे खुर्द
(32) कोचने बुदर्ग
(43) छोसाले
(44) खूरल बंगला
(45) नयाहांडी
(46) मोराशी
(47) फंगुल गांवाहन
(48) सवरने
(49) थिताबी-टर्फ-वैशाकहरे
(50) कुदशेट
(51) फंगाने
(52) खपारी
(53) हेडावाली
(54) कारचोंड
(55) जडघर
(56) उडालदोहा
(57) महोरांडे
(58) टोकवडे
(59) वालेगांव
(60) तलवानी (बडागांव)
(61) वैशाखरे
(62) मनवाली-टर्फ-खेडुल
(63) पेनढारी
(64) उमरोली बुदर्क
(65) ओजीवाल
(66) मंदावत
(67) महाज
(68) पडाले
(69) कोलोशी
(70) जयगांव
(71) कलामबाद (भोंडीवाले)
(72) खेवारे
(73) दुधानोली
(74) उमारोली खुर्द
(75) खोपीवाली
(76) मील्हे
(77) गोरखगाद

2. नासिक जिले में निम्न :

(क) पेंट, सुरगाना और कलवान तहसील

(ख) (i) डिंडोरी तहसील के एक सौ छः गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

डिन्डोरी तहसील :

(1) मोखनाल
(2) मांडवाल
(3) डेहारे
(4) कारंजली
(5) गंडोले
(6) पलासविहिर

(7) वारे
(8) वनजोले
(9) अम्बाद
(10) वनारे
(11) तितवे
(12) देवधान
(13) नानाशी
(14) छारोसे
(15) देवगढ़
(16) कउदासर
(17) वनी खुर्द
(18) पिंपलगांव धाम
(19) जोरान
(20) महाजे
(21) सदराले
(22) नालवाडी
(23) ओजे,
(24) गोलसी
(25) जलखंड
(26) निगडोल
(27) कोकोगांव बुर्दक
(28) उम्बारले खुर्द
(29) अम्बेगांव
(30) छाछदगांव
(31) वाघाद
(32) पोपल वाडे
(33) धाउर
(34) उम्बाले बुदुर्क
(35) जम्बूतके
(36) पिम्पराज
(37) नालेगांव
(38) विलवांडी
(39) रासेगांव
(40) कोछारगांव
(41) तिलहोली
(42) रावलगांव
(43) डेहरे वाडी
(44) ढ़ागुर
(45) देवसाने
(46) सरसाले
(47) करांजखेड
(48) पंगलवाडी
(49) इकलाहारे
(50) चउसाले
(51) पिम्परी अंचला
(52) अहिवंतवाडी
(53) गोलडारी
(54) हास्ते
(55) कोलहेर
(56) जिरवाडे
(57) छामदारी
(58) मालदुमाला
(59) मंडाने
(60) कोशिम्बे
(61) पुनेगांव
(62) पंडाने,
(63) अंबानेर
(64) चंदीकपुर
(65) भाटोडे
(66) दाहिवी
(67) मुलाने
(68) कोकनागांव खुर्द,
(69) मालेगांव
(70) पिम्पराखेड
(71) फोपासी
(72) वानी कास्बे
(73) संगमनेर
(74) खेडले
(75) मवाडी
(76) करंजवान,
(77) डाहेगांव
(78) वागलूड
(79) कृष्णगांव
(80) वारखेड
(81) कदवामहालुंगी,
(82) गांओंडेगांव
(83) हतनोर
(84) नीलवांडी
(85) पिंपलगांव केतकी
(86) राजपुर
(87) डिंडोरी
(88) जोपुल
(89) माडकी जाम्ब
(90) पालखेड
(91) इन्दोर
(92) कोरहते,
(93) छिंचखेड
(94) टालेगांव डिंडोरी
(95) अकराले,
(96) मोहाड़ी,
(97) पिम्पसालानारे
(98) खाटवाड
(99) रामसेज
(100) अम्बे डिंडोरे
(101) ढाकम्बे
(102) जानोरी
(103) मानोरी
(104) शिवनाई
(105) वारवांडी
(106) जउलके डिंडोरी,

(ii) इगत पुरी शहर तथा इगतपुरी तहसील के तिरानवे गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

इगातपुरी तहसील :

(1) ढाडोशी,
(2) भीलमाल,
(3) पाहिने,
(4) जारवाड खुर्द,
(5) टाक-हर्या,
(6) हसावली हर्या,
(7) समुन्दी
(8) खारोली
(9) कोजोली
(10) अवहाते
(11) खुशगांव
(12) मेतचन्द्रायची
(13) अलवांड
(14) दापुरे
(15) मेत हुम्बाची
(16) जारवाड बुदुर्क
(17) महासुरली
(18) शेवगेड़ाग
(19) वानजोले
(20) देवगांव
(21) अहुराली
(22) नन्द गांव
(23) वावी हर्या
(24) नागोसली

(25) ढ़ारगांव
(26) ओडली
(27) सातुरली
(28) अवाली डुमला
(29) कारहाले,
(30) रायाम्बे
(31) टाकेड गांव
(32) मेटेलयाच्ची
(33) बितुरली,
(34) वालविहार,
(35) मालवी बुदर्क
(36) पिंपलगांव भाराटा
(37) कोपरागांव
(38) कुरनोली
(39) ढ़ामोली
(40) वाकी
(41) छिनंछाले (खाइरे)
(42) ट्रिंगलवाडी,
(43) अदवान,
(44) अवालखेडे ,
(45) पारदेरी,
(46) बलायदूरी,
(47) खम्बाला,
(48) टेक घोटी,
(49) घोटी बुदुर्क
(50) तालगांव,
(51) गिरनार,
(52) तितोली,
(53) बोरटम्भे ,
(54) तालोशी,
(55) नन्दगांव साडे,
(56) पिंपरी सेर्दोदीन,
(7) तेलघा,
(58) कंचनगांव,
(59) शेनवार्ड बुदुर्क,
(60) फंगुलगांवन,
(61) बोरली,
(62) मानवेदे,
(63) भवाली खुर्द
(64) कालूस्ते,
(65) जामुन्डे,
(66) गाहुन्डे,
(67) भारवाज,
(68) कारूंगवादी,
(69) निरपन,
(70) मनिआरगांव,
(71) अम्बेवाडी,
(72) खाडखेड,
(73) इन्दोर,
(74) उम्बारकोन,
(75) सोमाज घादगा ,
(76) उभाडे (वंजुलवाडी)
(77) मेगारे,
(78) बेलगांव तारहाले ,
(79) धामनगांव,
(80) देओले,
(81) खैरगांव,
(82) पिम्पलगांव मोर,
(83) धामिनी,
(84) अदसारे खुर्द,
(85) अदसारे बुदर्क,
(86) आछरवाड,
(87) ताकेट खुर्द,
(88) ताकेट बुदर्ग,
(89) खेड,
(90) वारसिंगवे,
(91) सोनोशी,
(92) मइदारा धानोशी
(93) वासाली,

(iii) त्रिम्बक शहर तथा नासिक तहसील के सत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

नासिक तहसील :

(1) साप्टे,
(2) कोने,
(3) खारवाल
(4) वरासविहिर
(5) वघेरा
(6) रोहिले,
(7) नन्दगांव
(8) गोरथान,
(9) हिरदी
(10) मालेगांव
(11) र्वलुन्जे
(12) गणेशगांव वघेरा,
(13) पिम्परी त्रिम्बाक
(14) मेट कवारा,
(15) ब्रहम्णवाडे त्रिम्बाक,
(16) तोआनगांन,
(17) धुंबदी
(18) बेसे
(19) चकोर
(20) अम्बोली
(21) अम्बाई
(22) श्रीरासगांव
(23) तालवाडे त्रिम्बाक,
(24) पिम्पलाड त्रिम्बाक,
(25) खामबाले
(26) सापगांव,
(27) काचुरली,
(28) अरियानेरी,
(29) तालेगांव त्रिम्बाक,
(30) पोगलवाडी त्रिम्बाक,
(31) वाछोली,
(32) उब्बारांडे,
(33) कालमुस्ते
(34) तिम्बार्क (देहात),
(35) हर्ष्यावाडी
(36) मेटंघेराकिला त्रिम्बाक
(37) मुलेगांव
(38) लादाची
(39) नायकवाडी,
(40) वेले,
(41) सादगांव,
(42) वादगांव,
(43) मनोली,
(44) ढोडेगांव
(45) दारी
(46) गिमाते
(47) दुगांव
(48) देवरगांव
(49) नांगलवाडी
(50) ओजारखेडा
(51) चांदसी
(52) गंगामहलुंगी
(53) जलालपुर
(54) सवारगांव
(55) गोवरधान
(56) शिवगांव
(57) पिंपलगांव गरूडेश्वर
(58) राजवाडी

(59) गंगावारहे,	(63) दूदगांव,	(67) सारूल
(60) गणेशगांव त्रिम्बाक	(64) महिरावनी	(68) पिंपलाड नासिक
(61) गणेशगांव नाशिक	(65) तालेगांव अंजानेरी,	(69) राजोर बहुला,
(62) वसाली	(66) जाटगांव,	(70) दहीगांव,

(iv) बगलान तहसील के सत्तावन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

बागलान तहसील :

(1) बोरहाते	(20) मुलहर	(39) करसाने
(2) मोहलांगी	(21) बावुलने,	(40) विथोड
(3) जैतपुर	(22) मोरने-दिगर	(41) पाठवेडीगर
(4) गोलवाड	(23) बोरदइवत	(42) तालवेडीगर
(5) हतनोर	(24) भीमखेत,	(43) मोरकुरे
(6) मालीवाड	(25) वाघम्बे	(44) किकवारी खुर्द
(7) अम्बापुर	(26) मनोर	(45) केलजार
(8) जाड,	(27) सालहेर	(46) ततानी
(9) वीसापुर,	(28) कटारवेल	(47) भीलडार
(10) सहेवार	(29) भीलवाड	(48) किकवारी बुदर्क,
(11) खाराड़	(30) तुनगांव	(49) जोरान
(12) वाड डिगार	(31) दसवेल,	(50) साकोड़े
(13) देवथान	(32) जाखोड	(51) करांजखेड
(14) कोंधाराबाद	(33) मुनगासे	(52) डांग सुनडाने
(15) अंतापुर	(34) भावाडे	(53) निकबेल
(16) रावर	(35) दसाने,	(54) बन्धाते
(17) जामोती	(36) मालगांव खुर्द	(55) दाहिन्डुले
(18) अलिआबाद,	(37) सालवान	(56) सरवार
(19) अजांडे	(38) पिसोर	(57) वाडी चौलहेर

3. **धूले जिले में निम्न :-**
   (क) नवापुर, तालोडा, अक्काल कुआ और अकरानी तहसील
   (ख) (प) सकरी तहसील के अस्सी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

सकरी तहसील :

(1) छोपाले	(14) रायतेल	(27) मेनडान
(2) रोथोड	(15) ब्रहमणवेल	(28) दापुर
(3) जामखेल	(16) आमखेल	(29) रोहन
(4) खरसूवाडे	(17) जाम्बोरे	(30) जेबापुर
(5) सुतारे	(18) वारसस	(31) अमोड
(6) धानेर	(19) जामकी	(32) किरवाड़े
(7) अमाले	(20) रूनमाली	(33) घोडाडे
(8) माछमाल	(21) वसखेडी	(34) सुरपान
(9) खांडवारे	(22) डामकानी	(35) कोरडे
(10) रायकोट	(23) सालटेक	(36) वालव्हे
(11) बुरन्दखे	(24) दाहीवेल	(37) विटावे
(12) पानगांव	(25) भोनगांव	(38) कासबे चहेडवैल
(13) लागडवाल	(26) बादगांव	(39) बसार

(40) इसराडे
(41) पेटाले
(42) पिंपलगांव
(43) मोहनी
(44) तेम्भे, परगान वारसे
(45) शिरसोले
(46) उमारपेटा
(47) मालगांव, परगान वारसे
(48) खारगांव
(49) कालाम्बे
(50) छोरवाड
(51) लखाल
(52) वारसे
(53) सेनवाड
(54) कुदासी
(55) मनजारी
(56) मापालगांव
(57) डांगासेर वाडे
(58) बोपखेल
(59) शिव
(60) खात्याल
(61) वारदोली
(62) काकसाद
(63) पानखडे
(64) सामोडे
(65) महासदी, परगने पिम्पलनेर
(66) पिंपलनेर
(67) चिकासे
(68) जोरापुर
(69) कोकनागांव
(70) शेवागे
(71) धामानधार
(72) विरखेल
(73) पारगांव
(74) मंडाने
(75) बालहाने
(76) देशिरवाडे
(77) काडयाल
(78) ढ़ोगाड्डिगार
(79) शेलबारी
(80) डेगांव

(ii) नंदुरबार शहर और नंदुरबार तहसील के बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

नंदुरबार तहसील :

1. भंगडे
2. मंगलूर
3. वसलाई
4. अर्दितारा
5. धानोरा
6. पावले
7. कोठडे
8. उमज
9. कोथाली खुर्द
10. वदाजकान
11. निंबोन बुदरुक
12. जालखे
13. शिरवादे
14. रनाले खुर्द
15. नटवाड
16. करांजवे
17. शेजवे
18. पिंपलोड-टर्फ-धानोर
19. लोया
20. वेलावेद
21. वयाहुर
22. धुलवाड
23. गुजर भवाली
24. गुजर जम्बोली
25. कर्णखेडे
26. फुलसारे
27. उमरदे बुदरुक
28. नारायणपुर
29. धिरासागांव
30. धोकवाड
31. बिलाडी
32. खौराले
33. खामगांव
34. नागासार
35. विरचक
36. टोकारटेल
37. वाघले
38. ओजारदे
39. आस्थे
40. थानेपाडा
41. अमरावे
42. पथराई
43. धामदाई
44. वारुल
45. अदाच्छी
46. लोंखेडे
47. कराजकुपे
48. नालवे खुर्द
49. सुंदारदे
50. नालवे बुदरुक
51. दुधाले
52. नंदारखे
53. घने
54. वसादरे
55. ववाद
56. चाकले
57. दहींडुले बुदरुक
58. दहींडुले खुर्द
59. अथोरे दिगर
60. उमारदे खुर्द
61. चंपाले
62. अकराले
63. वादबारे
64. अखातवाड़े
65. हटी एलियास इंडि
66. पलाशी
67. घुली
68. राकसवाडे
69. वाघोडे
70. पाटोंडे
71. हाल-टर्फ-हवेली
72. खोडासगांव
73. शाहदे
74. शिंडे
75. कोल्डे
76. भगसारी
77. धामदोड
78. सवाल्दे
79. कोरित
80. सुजातपुर
81. तिशि
82. धंधाने

(iii) शाहदा तहसील के एक सौ इकतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

शाहदा तहसील :

(1) आकासपुर
(2) नवगांव (वन ग्राम)
(3) वीरपुर
(4) दारा
(5) भूटा
(6) कनसाइ (वनग्राम)
(7) नन्दया कुसुमवाडे (वनग्राम)
(8) रामपुर
(9) छिराडे
(10) नागजिरि (वनग्राम)
(11) कुसुमवाडे
(12) नन्दया (वनग्राम)
(13) पिम्परानी
(14) रानीपुर (वनग्राम)
(15) फात्तेपुर
(16) लक्काडोत (वनग्राम)
(17) कोटबन्धानी (वनग्राम)
(18) पिंम्पलोड
(19) कुड्डावाड
(20) लाच्छोर
(21) कन्नाडी-टर्फ-हवेली
(22) शीरूद-टर्फ-हवेली
(23) अमोडे
(24) अलखेड
(25) पाडाले बुदर्क
(26) बुदिगांवन
(27) उमारती
(28) पिम्पारी
(29) महासवाद
(30) अनकवाडे
(31) सुलवाडे
(32) तवलाई
(33) मुबारकपुर
(34) वेलवाड
(35) कलमाडी-टर्फ-बेआरदी
(36) वाडी
(37) सोनावद-टर्फ-बोआरदी
(38) थेंगचे
(39) जावाडे-टर्फ-बोआरदी
(40) तारहाडी-टर्फ-बोआरदी
(41) बारधो
(42) पारी
(43) कोठाली-टर्फ-हवेली
(44) औरंगपुर
(45) चिखाली बुदुर्क
(46) करनखेड
(47) नन्दारडे
(48) बइजाली
(49) बाघोडे
(50) परकाशे
(51) धामलाड
(52) काथारेडे बुदर्क
(53) काथारडे खुर्द
(54) कलसाडी
(55) धुरखेडे
(56) भाडे
(57) पिगाने
(58) गानोर
(59) आदगांव
(60) खारागांव
(61) कोछारे
(62) बिलाडी-टर्फ-हवेली
(63) बहिरापुर
(64) ब्रहमणपुर
(65) सुल्लातनपुर
(66) रायखंड
(67) खेड दिगर
(68) नावलपुर
(69) चांदसाइली
(70) गोदीपुर
(71) पडालडे खुर्द
(72) भागपुर
(73) जावखेड
(74) सोनवाई-टर्फ-हवेली
(75) कवालीथ
(76) तुकी
(77) सावरवेडे
(78) कारजोत
(79) लाहोर
(80) गोगापुर
(81) कुरांगी
(2) तिधारे
(83) दामालेड
(84) कालामांड-टर्फ-हवेली
(85) चिखाली खुर्द
(86) भारेटेक
(87) श्रीखेडे
(88) ओजारटे
(89) उखालसेम
(90) वघारदे
(91) जाम
(92) जवादे-टर्फ-हवेली
(93) तितारी
(94) होल मुबारकपुर (वनग्राम)
(95) वेदगांव
(96) पिम्पारदे
(97) आशालोड
(98) मंडाने
(99) अवागे
(100) तिखोरे
(101) उन्तावाद
(102) होल
(103) मोहिडे-टर्फ-हवेली
(104) जुनवाने
(105) लोनखेडे
(106) तेम्भाली
(107) होलगुजारी
(108) आसुस
(109) बुपकारी
(109) मलोनी
(110) डोगरागांव
(111) कोथाल-टर्फ-शहादा

(112) मटकुट
(113) बोराले
(114) कामरावेद
(115) कहतुल
(116) वेदेहिल
(117) लोंनढोर
(118) उधालोड
(119) निम्बोरे
(120) धांड़रे बुदर्क
(121) चिरकान (वनग्राम)
(122) असलोड (नया) (वनग्राम)
(123) जैनघर
(124) दांडेरे खुर्द (वनग्राम)
(125) ममोडया वनग्राम
(126) दुतरवेडे (वनग्राम)
(127) भोगारा (वनग्राम)
(128) वदाली
(129) कोठावाल
(130) भुलाने (वनग्राम)
(131) चांद साइली (वन ग्रम)
(132) उभादगाद (वनग्राम)
(133) काकराड खुर्द
(134) खापरखेडे (वनग्राम)
(135) मालगांव (वनग्राम)
(136) लंगादी भवनी (वनग्राम)
(137) शहना (वनग्राम)
(138) काकरदे बुदर्क
(139) अम्भानपुरा बुदुर्क
(140) काटघर
(141) निम्बारडी (वनग्राम)

(iv) शिरपुर तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

शिरपुर तहसील :

(1) बोरपानी (वनग्राम)
(2) मलकाटार (वनग्राम)
(3) फत्तेपुर (वनग्राम)
(4) गादहाडदेव (वन ग्राम)
(5) कोडिड (वनग्राम)
(6) गुरहाडपानी (वनग्राम)
(7) भुदाकी बनग्राम (वनग्राम)
(8) वाघपदे (वनग्राम)
(9) सइगारपद (वनग्राम)
(10) मंजरी बुरदी (वनग्राम)
(11) छोन्दी (वनग्राम)
(12) भुदकी (वनग्राम)
(13) छंदसुरया (वनग्राम)
(14) बरोदी (नया) (वनग्राम)
(15) काकडामल (वनग्राम)
(16) वाकवाड (वनग्राम)
(17) उमरदा (वनग्राम)
(18) डुराबड्या (वनग्राम)
(19) मोहिड़ (वनग्राम)
(20) डोडवाडा (वनग्राम)
(21) तेम्भा (वनग्राम)
(22) खैरखान (वनग्राम)
(23) बोआरदी
(24) वसारदी
(25) नन्दारदे
(26) चान्दसे
(27) वाडी बुदर्क
(28) वाडी खुर्द
(29) जालोड
(30) अभनापुर खुर्द
(31) तारहाड
(32) उखालवाडी
(33) मुखेड
(34) नीमजारी
(35) वरजाडी
(36) वाघबारदा
(37) समरमापद
(38) लउकी
(39) सूले
(40) फत्तेपुर
(41) हेदाखेड़
(42) अरूनपुरी बांधा
(43) संगवी
(44) हाटेड
(45) जेन्दया अन्जान
(46) पलासनेर
(47) खाम्बले
(48) पानाखेड (वनग्राम)
(49) खरकुटी (वनग्राम)
(50) जोयादा (वनग्राम)
(51) छिलारे (वनग्राम)
(52) लकड्या हनुमान (वनग्राम)
(53) महादेव डोन वाडे (वनग्राम)
(54) मालापुर (वनग्राम)
(55) रोहिनी
(56) भोइती
(57) अम्बे
(58) खामखेडे परगने अम्बे
(59) हिवारखेडे (वनग्राम)
(60) हिगांव
(61) वाडेल खुर्द
(62) कालापानी (वनग्राम)

4. **जलगांव जिले में निम्नलिखित :-**

(क) (i) छोपड़ा तहसील के पच्चीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

छोपडा तहसील :

(1) मराठा (वनग्राम)	(10) वइजापुर (वनग्राम) (54)	(19) कुंडयापानी (वनग्राम)
(2) मूरढिडा (वनग्राम)	(11) बोराजन्ती (वनग्राम)	(20) इच्चापुर परगने अड़वाड़
(3) उमारती (वनग्राम)	(12) मालापुर (वनग्राम)	(21) बधावनी
(4) सत्रसेन (वनग्राम)	(13) बोरामाली (वनग्राम)	(22) बधााई
(5) कृष्णपुर (वनग्राम)	(14) करजाने (वनग्राम)	(23) अनदाने
(6) अंगुरने	(15) मेलान (वनग्राम)	(24) मोहराद
(7) खारया पडव (वनग्राम)	(16) विशनपुर (वनग्राम)	(25) असालवाडी (वनग्राम)
(8) वइजापुर (रेवन्यू)	(17) देवहारी (वनग्राम)	
(9) मुलुयाउत्तर (वनग्राम)	(18) देवजिरि (वनग्राम)	

(ii) **यावल तहसील के तेरह गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

यावल तहसील :

1. मनापुरी	6. हरिपुरा (वन ग्राम)	10. लांगदा अम्बा
2. टोलाने	7. वाघाजीरा (वन ग्राम)	11. जामन्या (वन ग्राम)
3. खालकोट	8. द्यसादे बुदरूक	12. गदरया (वन ग्राम)
4. इचकहेडे	9. बोरखेड़े खुर्द	13. उसमाली (वन ग्राम)
5. मलोद		

(iii) रावेर तहसील के इक्कीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

रावेर तहसील

(1) महुमांडली (वनग्राम)	(7) जानोरी	(15) लाहोर
(2) पिम्परकुंड (वनग्राम)	(8) छिनछाती	(16) कुसम्भे बुदर्क
(3) अन्धारमालि (वनग्राम)	(9) पाल	(17) कुसम्बे खुर्द
(4) तिड्या (वनग्राम)	(10) मारवाल	(18) पिम्परी
(5) निम्नद्या (वनग्राम)	(11) जिनसी	(19) मोहगांन बुदर्क
(6) गारबारदी (वनग्राम)	(12) सहसरालिंग (वनग्राम)	(20) पडाले बुदुर्क
	(13) लालमाटी (वनग्राम)	(21) महुमांडली (पुराना) (विरान)
	(14) अवहोडे बुदर्क	

5. **अहमदनगर जिले में निम्नलिखित :-**

(क) अकोली तहसील के चौरानवे गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अकोली तहसील :

(1) तिरधो	(3) महाजुंगी	(5) संगावी
(2) पडोसी	(4) एकडारे	(6) केली रूमहानवाडी

(7) बिताका
(8) खिरवीरे
(9) कोम्भालने
(10) तहकारी
(11) सम्सेरपुर
(12) सावरगांव पाट
(13) मुथालने
(14) बारी
(15) वारंधुसी
(16) लाडागांव
(17) शेनित
(18) पाभुलवांडी
(19) बाभुलवांडी
(20) अंवेवांगन
(21) देवगांव
(22) पेंडशेट
(23) मानहेर
(24) शेलविहीरे
(25) पंजारे
(26) छिनचोंद
(27) वाकी
(28) तितावी
(29) पिंपरकाने
(30) उदादावाने
(31) कोदानी
(32) घाटघर
(33) सिगनवाडी राजौर
(34) मुरशेट
(35) शेंडी
(36) समराड
(37) भंडारडारा
(38) रानाड बुदर्क
(39) रानाड खुर्द
(40) मालेगांव
(41) कोहीन्डी
(42) दिगम्बर
(43) गुहिरे
(44) कतालपुर
(45) रतनवाडी
(46) मुतखेल
(47) तेरूनगांव
(48) राजोर
(49) विथे
(50) कोटलेम्भे
(51) कालूगांव
(52) जामगांव
(53) शिरपुंजे वुदर्क
(54) सवारकुटे
(55) कुमशेट
(56) शिरपुंजे खुर्द
(57) घामनवन
(58) अम्बित
(59) बालधान
(60) मानिक ओजार
(61) पुरूचवाडी
(62) मवेशी
(63) शिसवाद
(64) वाप जुल सेत
(65) गोंडोशी
(66) खादकी
(67) साकिर वाडी
(68) पचनानी
(69) छिछावने
(70) पदालने (80)
(71) शेलाद
(72) पिंपरे
(73) घोटी
(74) पैथान
(75) लवाली कोतुल
(76) वाघदारी
(77) शिलवांडी
(78) कोहोने
(79) लिवाली ओतुर
(80) तेले
981) कोथाले
(82) सोमलवाडी
(83) विहिर
(84) शिंडा
(85) अम्बित खिंड
(86) पालसुंडे
(87) पिसेवाडी
(88) फोपसांडी
(89) सातवाडी
(90) केली ओतुर
(91) केली कोतुल
(92) खेतवाडी
(93) इसारथाव
(94) करांडी

6. **पुणे जिले में निम्नलिखित :-**

(क) (i) अम्बेगांव तहसील के छप्पन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अम्बेगांव तहसील :

(1) डोन
(2) पिम्परागान
(3) अघाने
(4) अहूपे
(5) तिरपाड
(6) नहावेद
(7) असाने
(8) मलीन
(9) नानावाडे
(10) अमाडे
(11) वरसावने
(12) कोंढारे
(13) आदेवारे
(14) बोरघर
(15) पाटन
(16) कुसीरे खुर्द
(17) पंचालबुदर्क
(18) कुसीरे बुदर्क
(19) दिगाद
(20) पंचाल खुर्द
(21) महिलुंगे-टर्फ-अम्बेगांव
(22) सवारली
(23) मेघोली
(24) वाछापे
(25) साकेरी
(26) पिमपारी
(27) अम्बेगांव
(28) जाम्बोरी
(29) कालाम्बाई
(30) कोन्ढावाल
(31) फूलवाडे
(32) फलोडे

(33) कोलटावाडे	(41) तालघर	(49) गंगापुर खुर्द
(34) तेरूनगांव	(42) मापोली	(50) अमोंडी
(35) दिम्भे बुदुर्क	(43) डिम्भे खुर्द	(51) कनासे
(36) महालुंगे-टर्फ-घोडा	(44) पोखारी	(52) गंगापुर बुदुर्क
(37) राजपुर	(45) गोहे बूदर्क	(53) सिनोली
(38) छिक्काली	(46) निगाडाल	(54) पिम्पालगांव-टर्फ-घोडा
(39) राजेवाडी	(47) गोह खुर्द	(55) साल
(40) सूपेघर	(48) अपाती	(56) ढाकले

(ii) **जुन्नार तहसील के पैंसठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

जुन्नार तहसील :

(1) छिल्लेवाडी	(23) हदसर	(45) वानेवाडी
(2) अम्बेहवाइन	(24) देवाले	(46) अपटाले
(3) जामभूलसी	(25) खाइरे	(47) कोली
(4) खिरेश्वर	(26) घाटघर	(48) शिवाली
(5) माथालाने	(27) जलवांडी	(49) उतचिल
(6) कोल्हेवाडी	(28) हिरदी	(50) बोतारडे
(7) कोपारे	(29) उनदेखादेक	(51) धालेवाडी-टर्फ-मिनहर
(8) मंडावे	(30) राजपुर	(52) भिवांडे बुदर्क
(9) सिंगनोर	(31) खाटकाले	(53) इंगालून
(10) आलू	(32) मणिकोधा	(54) भिवाडे खुर्द
(11) खूबी	(33) खाड कुम्बे	(55) घंगालडारे
(12) पिम्पालगांव	(34) उरसान	(56) सोनावाले
(13) कारंजाले	(35) वेवादी	(57) ताम्बे
(14) माछ	(36) तेजपुर	(58) हिवारे-टर्फ-मिनहर
(15) पांगरी-टर्फ-माधा	(37) फंगलघावन	(59) हतविज
(16) कोलवाडी	(38) छावान्ड	(60) अम्बे
(17) परगाव-टर्फ-मोद	(39) पुर	(61) पिंपलवाडी
(18) तालेरान	(40) खानगांव	(62) सुकालेवाडे
(19) सीतेवाडी	(41) मानकेश्वार	(63) गोदरे
(20) वाथाले	(42) सुरले	(64) खामगांव
(21) निमगिर	(43) अम्बोली	(65) सोमतवाडी
(22) अनजानवाले	(44) शिरोली-उर्फ-कुकादनेर	

7. **नानडेड जिले में निम्नलिखित :-**

(क) किनवत तहसील के निम्नलिखित एक सौ बावन गांव व किनवत कस्बा, जो नीचे उल्लिखित हैं :

किनवत तहसील :

(1) तकली	(8) गोण्डेगांव	(15) डिगडी (कुटेमार)
(2) पदसा	(9) मदनपुर (महोर)	(16) वाई
(3) सायपाल	(10) बोंण्डगांव	(17) हरदाप
(4) मुरली	(11) उमरा	(18) नाइकवाडी
(5) वादसा	(12) मछन्द्रा पारद	(19) हिनगानी
(6) कोली	(13) करालगांव	(20) वाजरा
(7) अता	(14) स्वरखेड	(21) तुलसी

(22) गोंडवासा
(23) अंजानखेड
(24) भोराड़
(25) छोराड़
(26) धनोरा (सिंदखेड)
(27) रामपुर
(28) पाथरी
(29) खाम्बला
(30) पारदी
(31) सिन्दखेड
(32) चिंचखेड
(33) होटाला
(34) वाइफानी
(35) धुंद्रा
(36) गउरी
(37) बोथ
(38) सइलू
(39) करनजी (सिन्दखेड़)
(40) भगवती
(41) वाराजबुदर्क
(42) उमरी
(43) उनकदेव
(44) चाइस
(45) पिंपलसेंडा
(46) सरखानी
(47) देलही
(48) निराला
(49) नूरगांव
(50) टिट्वी
(51) लिंगी
(52) नागपुर
(53) जुनुनी
(54) दिगदवजारा
(55) डारसांगवी (सिंदखेड)
(56) सिंगोडा
(57) सिरपुर
(58) ताम्भी
(59) पटोड़ा बुदर्क मिनको
(60) मांडवी
(61) जवारला
(62) पालसी
(63) वेलागांव
(64) कनकी
(65) कोठारी (सिन्दखेड़)
(66) पिपलगांव (सिंदखेड)
(67) डोगरगांव (सिंदखेड़)
(68) जरूर
(69) मिनकी
(70) पचुण्डा
(71) वनोला
(72) साकुर
(73) मैंडकी
(74) डिगडी
(75) धानोरा (ड़िगड़ी)
(76) मोहनपुर
(77) मुनगस
(78) सिंगदी (किनबत)
(79) मालबोरगांव
(80) नेजपुर
(81) राजगाड
(82) वडोली
(83) अनजी
(84) कनकवाडी
(85) लोनी
(86) धामनधारी
(87) पंधारा
(88) बेल्लोरी
(89) मारेगांव
(90) कमथाला
(91) अम्बादी
(92) खेरदा
(93) मलकापुर
(94) घोती
(95) सिरमेत्ती
(96) भीमपुर
(97) पिपलगांव (किनवार)
(98) छोगारवाडी
(99) गोकुंडा
(100) माण्डवा
(101) डिग्डी (मगावोड़ी)
(102) नागजरी
(103) कोठारी (चिखली)
(104) परधान संगवी
(105) बेन्डी
(106) अमाडी
(107) मदनापुर (चिखली)
(108) शानीवार पेठ
(109) दभादी
(110) चिखाली
(111) हुदी (चिखली)
(112) एन्धा
(113) भूलजा
(114) डारसंगवी
(115) मालकवाडी
(116) पेन्डा
(117) परधी खुर्द
(118) केरल
(119) डेगांव
(120) लिंगधारी
(121) परदी बुदर्क
(122) बोधादी खुर्द
(123) बोधादी बुदर्क
(124) सिंदगी (चिखली)
(125) अंधाबोरी (चिखली)
(126) कोपारा
(127) पीपरुफोडी
(128) पटोडा (छिकली)
(129) पिपरी
(130) धानोरा, चिखली
(131) सवारी
(132) धारा
(133) पोथ रेड्डी
(134) सिगारवाडी
(135) अन्जेगांव
(136) भंडारवाडी
(137) जलधारा (चद्रपुर)
(138) बेलोरी (छिखली)
(139) मालकोलारी
(140) डिगरास
(141) डोंगरगांव (चिखली)
(142) शिवोनी (चिखली)
(143) परोटी
(144) स्वरगांव
(145) जलधारा (इस्लापुर)
(146) कोठारी
(147) हुड्डी (इस्लापुर)
(148) करांजी (इस्लापुर)
(149) कुपटीखुर्द
(150) कुपटी बुदर्क
(151) वाग धारी
(152) तलारी

8. अमरावती जिले में निम्नलिखित :-

(क) चिखलाधारा और धानी तहसील

9. यवतमाल जिले में निम्नलिखित :-

(क) (i) मारेगांव तहसील के एक सौ तीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

मारेगांव तहसील :

1. घोगुलदारा	37. मेंधानी	73. आसन
2. शिओनाला	38. घानपुर	74. जगलोन
3. बुरांडा	39. खंडानी	75. जामकोला
4. फापल	40. खापरी	76. इसापुर
5. कन्हलगांव	41. उचातदेवी (वन ग्राम)	77. किलोना
6. खेपाडवाई	42. मारेगांव (वन ग्राम)	78. उमरघाट
7. घोदाधारा	43. खंडानी	79. वल्लासा
8. नरसाला	44. महासदोदका	80. जुनोनी (वन ग्राम)
9. धामानी	45. पालगांव	81. लेंचोरी
10. मदनापुर	46. बोटोनी	82. चिंचघर
11. बोरी खुर्द	47. गिर्जापुर (वन ग्राम)	83. अम्बिजारी, खुर्द
12. पिसगांव	48. पछपोहर	84. अम्बेजारी बदरूक
13. वडगांव	49. अम्बेजारी	85. करगांव खुर्द
14. फिसकी (वन ग्राम)	50. रोहपात	86. निम्बादेवी
15. भालेवाड़ी	51. रैनपुर	87. टेम्फी
16. पथारी	52. सगनपुर	88. कुंडी
17. चिंचाला	53. हिवारा बरसा	89. मांडिव
18. पान हरकावाला	54. रामपुर	90. जुनोनी
19. खर्दा (वन ग्राम)	55. कतली बोरगांव	91. द्यम्भा
20. पिम्परद (वन ग्राम)	56. पारदी	92. पोखरनी (वन ग्राम)
21. फपरवाड़ा	57. शिबला	93. पिवारदोल
22. सलाभटी (वन ग्राम)	58. चियाली (वन ग्राम)	94. भोराद (वन ग्राम)
23. दोलदोंगरगांव	59. बोरगांव (वन ग्राम)	95. चिखालदोह
24. माचिन्द्रा	60. पेंधारी	96. मुलगवान
25. पंडविहार	61. अर्जुनी	97. भीमनाला
26. जाल्का	62. कागांव	98. चटवान
27. पंधारदेवी (वन ग्राम)	63. रजनी	99. अराइकवाड़
28. अम्बोरा (वन ग्राम)	64. माजरा	100. गवारा
29. चिंचोनी बोटोनी	65. गंगापुर (वन ग्राम)	101. माथार्जुन
30. अवलगांव (वन ग्राम)	66. भोइकुंड (वन ग्राम)	102. महदापुर
31. कन्हलगांव	67. वाधोना	103. पंधारवानी
32. खारीगांव	68. सुसारी	104. देमाद देवी
33. सराती	69. सुरला	105. मंडवा
34. बुरांडा	70. गोदानी	106. डोंगारगांव
35. दुर्गादा	71. निमानी	107. दभाड़ी
36. वागधारा	72. दरारा	108. उमरी

109. मुधाती
110. द्यसोदी
111. कोडपखिंडी
112. मंगरूल खुर्द
113. मंगरूल बदरूक
114. गोपालपुर
115. रामपेठ
116. चालबरडी
117. जामनी
118. शिरोला
119. अदकोली
120. खालकलोह
121. बिरसापेठ
122. मुछी
123. मारकी बुदरूक
124. मरकी खुर्द
125. गणेशपुर
126. पवांर (वन ग्राम)
127. कृष्णपुर (वन ग्राम)
128. खेकाड़ी (वन ग्राम)
129. शेकापुर
130. यिओती

(ii) रालेगांव तहसील के तैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

रालेगांव तहसील :

1. लोहारा
2. एकलारा
3. सोनेर्डी
4. वाटक हेर
5. जलका
6. वामा
7. पिंपारी दुर्ग
8. मांडवा
9. कोलवान
10. शोइत
11. वरूद
12. बुकाई
13. जरगद
14. खादकी सुकली
15. डोंगर गांव
16. तेजानी
17. अंजी
18. लोनी
19. बोराती (वन गांव)
20. सराती
21. खैरगांव कसार
22. वारधा
23. भुलगद
24. पिंपलशेंडा, (75)
25. अतमुर्डी
26. सावरखेड
27. चोंधी
28. वधोडा
29. खेमकुन्ड
30. पार्डी (वन गांव)
31. उमरविहिर
32. अदनी
33. खटारा
34. मुन्जाला
35. पलासकुन्ड
36. वीर गांव
37. खैर गांव
38. देवधारी
39. सिंगल दीप
40. सोनुर्ली
41. सिन्दुला
42. जोतिंगदारा
43. साखी खुर्द

(iii) केलापुर तहसील में निम्नलिखित 103 गांव और पन्धार्कवारा शहर शामिल किया गया :-

केलापुर तहसील :

1. मोदारी
2. जोगीन कोहला
3. मीरा
4. जीरा
5. घोद्दारा (वन गांव)
6. साखी बुदरूक
7. वधोना खुर्द
8. जोलापुर (वन गांव)
9. करानी
10. वधोना बुदरूक
11. तिवसाला (वन गांव)
12. कोथाड़ा
13. सुरदेवी
14. चनई
15. असोली
16. मुहादा
17. कारेगांव
18. चिखालदारा
19. कृष्णापुर
20. दाभा
21. मारवा
22. खैरगांव
23. वघोली
24. कुसलगांव
25. चोपन
26. मल्कापुर (वन गांव)
27. केगांव
28. वादनेर
29. जुली
30. भाद उमारी
31. पटोडा
32. पहापल
33. नगजारी खुर्द
34. बहत्तार
35. सुसारी
36. नईकसुकली (वन गांव)
37. पेधारी
38. पिल्पाली

39. डोंगारागांव
40. बेथ
41. माले गांव खुर्द (वन गांव)
42. हिवारदारी (वन गांव)
43. मालागांव बुदरूक (वन गांव)
44. दरियापुर
45. पिल्वाहरी
46. अर्ली
47. हिवारी
48. पिंपालशेंडा
49. कारागांव,
50. वाडवत
51. खैरी
52. घुवाडी
53. कोंघारा
54. सखारा वदरूक
55. धारना
56. मांगी
57. ढाकी
58. वायी
59. पिंपालपुर
60. गणेशपुर
61. खैरगांव,
62. पाह
63. निलजई
64. मारगांव
65. अभोरा
66. डोंगरगांव,
67. पिंपारी
68. खैरगांव
69. मुची
70. मंगुर्दा
71. पन्धारवानी बुदरूक (वन गांव)
72. कोंधी
73. वेदाद
74. बागी
75. घनमोडे
76. नन्दगांव
77. गणेशपुर
78. टाटापुर
79. जुन्जापुर
80. गेंडवाकाडी
81. चलबर्दी
82. बेलुरी
83. टादुमारी
84. बरगांव
85. अकोली बुदरूक
86. महानदोली
87. सखारा
88. मराठवाकाडी
89. ढोकी
90. वल्लारपुर
91. टोकवनजारी
92. वानजारी
93. खारीगांव बुदरूक
94. टिमभी
95. राधापुर (वन गांव)
96. पिखाना (वन गांव)
97. वासएरी
98. अन्धारवाडी,
99. यलापुर (वन गांव)
100. चनाखा
101. निमधोली
102. रूधा
103. सुकली

(iv) घतांजी तहसील के पचपन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

घतांजी तहसील :

1. मरवेली
2. रजुरवाडी
3. लिंगी
4. कोली खुर्द
5. कोली वुदर्क
6. रामपुर उन्धार्नी
7. कपाशी
8. डेटोडी
9. गुधा
10. वारूड, (240),
11. जपारवाडी
12. उमरी (242)
13. पलोडी
14. कापरी (244)
15. घोटी
16. बुडाडी
17. मुधाटी (वन गांव)
18. जलान्द्री
19. मनुसधारी
20. अयाते
21. काप
22. कवाथा बुदरूक
23. बिलायत
24. खादकी
25. चिमटा
26. कोपरी खुर्द
27. चिंचोली (268)
28. किंधी (वन गांव)
29. गवारा (वन गांव)
30. टिटवी
31. मुरादगवन (वन गांव)
32. पिंपाल खुटी (वन गांव)
33. खरोनी (वन गांव)
34. वधोना
35. डोर्ली
36. राहती
37. रासा (वन गांव)
38. जताला
39. चिखालवार्धा
40. तड-सवाली
41. सफैाल
42. नागेजरी बुदरूक
43. कवाथा (वन गांव)
44. पारवा
45. मझाडा
46. पार्दी
47. जम्ब
48. कालेश्वर
49. शेराद
50. धूंकी (वन गांव)
51. मथानी (वन गांव)
52. राजागांव (वन गांव)
53. खापरी (वन गांव)
54. होनेगांव
55. गनेडी

10. **गदचिरोली जिले में निम्नलिखित :-**

(क) इत्तापल्ली, सिरोंचा, अहेरी, धानोरा, गुरखेड़ा तहसील ।

(ख) (ii) गदचिरोली तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

गदचिरोली तहसील :

1. नबगांव
2. चाक चुरचुरा
3. कुराधी
4. चाक मउसी
5. मरमेडी
6. बोथेडी
7. पेलनदुर,
8. गिलगांव
9. चाक खारपुर्डी,
10. जपरा,
11. चाक धिबाना
12. मेरउमबोडी
13. कुरकेडी
14. खुरसा
15. वीजापुर
16. सोनापुर
17. मोंधा
18. सावरगांव
19. कनरी
20. पुलखाल
21. मुदजा बुदरूक
22. मुदजा तुकुम
23. कुरूपाला
24. मसली
25. रणभूमि
26. चन्दाला
27. रणमोल
28. कुम्भी पत्व
29. कुम्भी मोकासा
30. मादे मुल
31. मारोदा
32. कोसाम घाट
33. रायपुर
34. रवानजोरा
35. पेकिनकासा
36. सवेला
37. सुईमारा
38. सखेरा
39. कर्कजारा
40. कन्हलगांव
41. केलीगाटा
42. तोहागांव
43. गजनगुद्दा
44. बनोली
45. सूर्यडोंगरी
46. सलाईटोला
47. विटानटोटा
48. पोटेगांव
49. रजोली
50. मद्रास
51. जालेर
52. दैवापुर
53. रामगाड,
54. गावलहेटी
55. डेउडा
56. खरादगुडा
57. तालकुडा
58. जामगांव
59. खाडसी
60. कोरकुटी
61. नागवेली
62. जालेगांव

(ii) अरमोली तहसील के चौहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अरमोली तहसील :

1. कोरागांव
2. कालमगांव
3. कुरल
4. सलेडा तुकाम
5. सलेडा लाम्बा
6. कसारी तुकाम
7. कसारीगांव
8. शिवराजपुर
9. पोटेगांव
10. विहिरगांव
11. पिंपालगांव
12. अरात-तोन्डी
13. डोंगारगांव (हलाबी
14. प्लासगांव
15. नवारगांव
16. पनथारगोटा
17. मगेवेड़ा
18. अर मोरी
19. सलमारा
20. थानेगांव
21. पटानवेडा
22. पुरानवैरागड
23. देउलगांव
24. सुकला
25. मोहाजारी ऊर्फ सखारबोडी
26. चाक केरनाडा
27. लोहारा
28. चाक सोनपुर
29. हीरापुर
30. डोंगर तमसी
31. सियानी खुर्द
32. चावहेला
33. मोहाताला चाक कुकोडी
34. मेंधा
35. डोंगारतमसी
36. नगरवाडी
37. चाक नरोती
38. चाक कुरोंडी
39. वाडेगांव
40. थोटीबोडी
41. देलवांडी
42. मेनापुर
43. कोसारी
44. मनगोडा
45. तुलतुली
46. चकनागारवाही
47. विहिरगांव
48. कुरांडी
49. उमारी
50. यंगाडा
51. पिसेवाडढ़ा

52. परासवाडी
53. डवाडी
54. खादकी
55. भाकरांडी
56. नरोती मालगुजार
57. कोरेगांव
58. वारखेडा
59. खराडी
60. भंशी
61. डोर्ली
62. वनारचुवा
63. जमभाली
64. मिंधा
65. नारचोली
66. खेहारी
67. मारगांव पेच
68. मारगांव
69. चाक मारगांव
70. चाक चिचोली
71. मुसी खुम्ब
72. वेलागांव
73. चिचोली
74. वानखेडा

(iii) चामोरसी तहसील के एक सौ बत्तीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

चामोरसी तहसील :

(1) सगानपुर
(2) वनढोना
(3) गिलगांव
(4) भिंडी कनाल
(5) देटारी
(6) चाइट कनवर
(7) कलामगांव
(8) कुरूड
(9) मेलर
(10) कुलीगांव
(11) नाचागांव
(12) बहेडविहिड
(13) वालसारा
(14) चाक विजापुर
(15) जोगाना
(16) मुरमुरी
(17) रावनपाली
(18) सोनापुर
(19) डरर्ली
(20) रेखागांव
(21) यदनूर
(22) पेलसानपेथ
(23) पन्धारी भटाल
(24) राजनगेट्टा
(25) चाक अमरगांव न. 1
(26) मुतनूर
(27) अबापुर
(28) मुरानदेपी
(29) लिनगुडा
(30) अदयल
(31) कर्कापल्ली
(32) चाक कर्कापल्ली
(33) जंगामकुरल
(34) फियूजर
(35) दिकानी
(36) चाक मुदोली न. 2
(37) लक्षमणपुर
(38) सगानपुर
(39) अम्बोली
(40) गहुबोदी
(41) छाक नारायनपुर संख्या 1
(42) छाक नारायनपुर संख्या 2
(43) राजुर वुदर्क
(44) भादविड
(45) मांगनेर
(46) छिचपाल्ली
(47) वानारछुवा
(48) जयरामपुर
(49) वाइगांव
(50) नारायणपुर
(51) राजौर खुर्द
(52) हलदवाही
(53) मुधोली
(54) कोठारी
(55) बम्हनी देव
(56) सोमनापल्लि
(57) कान्हलगांव
(58) सिंगेला
(59) बेलगाट्टा
(60) पेठाताला
(61) छाक पेठाताला सं. 1
(62) पारादीदेव
(63) यादापाल्ली
(64) राजपुर
(65) जाम्भाली रिथ
(66) मेटे गुडा
(67) छाक बेलगत्ता
(68) मांजी गांव
(69) मच्छाली गोट
(70) छाक माक्केपल्लि सं. 4
(71) दर्पन गुडा
(72) छाक माके पल्लि सं. 2
(73) छाक माकेपल्लि सं. 3
(74) गारांजी
(75) छाक मेड आमगांव
(76) छाक मेड आमगांव संख्या 1
(77) छाक मेड आमगांव संख्या 2
(78) तुमडी
(79) रिगाडी
(80) माकेपाल्लि मालगुजारी
(81) बोरघाट
(82) अस्टी नोकेवाडा
(83) ब्राहमणपेठ
(84) वेंगानूर
(85) नोकेवाडा
(86) अल्ला पाल्लि
(87) रेगेवाही
(88) कोलपाल्लि
(89) अम्बेला (वनग्राम)
(90) गोट्टा (वनग्राम)
(91) अडगेपाल्लि
(92) सुरगांव (वनग्राम)
(93) येल्लूर
(94) थाकरी
(95) राजगट्टा
(96) लोहरा
(97) मुकारीटोला
(98) भोलखांडी (वनग्राम)
(99) हेतलकासा

(100) बोलपाल्लि
(101) पुलीगुड्म
(102) कुनगादा
(103) कुनगाड़ा
(104) कालपुर
(105) गंगापुर
(106) चंदन खेडी
(107) मालेरा
(108) बसारवाडा
(109) छपराला
(110) छइदामपेट्टी
(111) मुकाडी (वनग्राम)
(112) सिगनपाल्लि
(113) धामनपुर
(114) कोठारी (930)
(115) अम्बाटपाल्लि
(116) गोमानी
(117) लागमहेट्टी
(118) दामनपुर
(119) बन्दुकपाल्लि
(120) कोडीगांव
(121) छिछेला
(122) नागुलवाही
(123) छितुगुंहा
(124) तुमुगुडा
(125) माछिनगट्टा
(126) येल्ला
(127) टिकपाल्लि
(128) मरपाल्लि
(129) जामगांव
(130) कुलथा
(131) रामपुर
(132) लागम छाक

11. **चंद्रपुर जिले में निम्नलिखित :-**
राजुरा तहसील के एक सौ बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

राजुरा तहसील :

(1) परसौदा
(2) रायपुर
(3) खतौडा खुर्द
(4) गोविंदपुर
(5) खतौडा वुदरूक
(6) मेंहदी
(7) परदी
(8) जैवरा
(9) चनाई खुर्द
(10) अकोला
(11) कोरपाना
(12) दुर्गादी
(13) रूपापेठ
(14) चनाई बुदरूक
(15) मांडवा
(16) कनेरगांव वुदरूक
(17) कथलावौडी
(18) शिवपुर
(19) चौपान
(20) करमवौडी
(21) कुकुलवौडी
(22) टीपा
(23) मंगुलहीरा
(24) खोदकी
(25) जमुलधारा
(26) वोरगांव बुदरूक
(27) वोरगांव खुर्द
(28) आशापुर
(29) तानगोला
(30) खेरगांव
(31) हतलौनी
(32) एरगांव
(33) उमारजारा
(34) एलापौर
(35) शिंगार पैथौर
(36) लंवौरी
(37) सेदवाई
(38) नरपाथर
(39) कोदापुर
(40) घरपाना
(41) नोकवाडा
(42) गुडसेला
(43) वानी
(44) कोकाजारी
(45) मोहदा
(46) पुदियाल मोहदा
(47) कमलापुर
(48) चिचखोंड
(49) वनसाडी
(50) पराम्बा
(51) देवघाट
(52) कुसाल
(53) दाहेगांव
(54) सोनुरली
(55) करगांव खुर्द
(56) धानोली
(57) पिपराडा
(58) छिनछोली
(59) करगांव बुदुर्क
(60) मारकागोंडी
(61) बेलगांव
(62) जुलबारदी
(63) सवालहीरा
(64) खीरागांव
(65) पांढरवानी
(66) जांम्बुलढ़ारा
(67) धानकदेवी
(68) येरमी इसपुर
(69) सारंगपुर
(70) जिवाती
(71) नागपुर
(72) मारकोलमोट्टा
(73) धोंदा अरगुनी
(74) धोंधा मांडवा मांब्बा
(75) टेका अर्जुनी बुदरुक
(76) टेका
(77) राहपल्लि
(78) छिखिली
(79) पाटन
(80) हीरापुर
(81) इसपुर
(82) आसन खुर्द
(83) आसन बुदुर्क
(84) पीपलगांव
(85) पालजारी
(86) बोरिनवे गांव
(87) नन्दा
(88) बीबी
(89) धुनकी
(90) धामनगांव

(91) काखमपुर
(92) बाडगांव
(93) इंजापुर
(94) चंदूर
(95) कुकादसात
(96) खिरदी
(97) थुतरा
(98) बहलामपुर
(99) मनोली खुर्द
(100) जमानी
(101) नोकरी बुदर्क
(102) सोनापुर
(103) उप्पार वाई
(104) भुरखुंडा खुर्द
(105) कदकी
(106) छवांतप ज्ञीनतकए
(107) छंहतंसंए
(108) पालेजारी
(109) काकबान
(110) डोगरागांव
(111) छिखाली
(112) भुरखुंडा बुदुर्क
(113) पाछगांव
(114) सेनगांव
(115) ताताखोंडी
(116) भेंडवी
(117) सुरकादपालि
(118) मारकागोंडी
(119) तित्वी
(120) नादपा
(121) येरगांवन
(122) कावादगोंडी
(123) सोरकसारा
(124) कुसम्बी
(125) जनकपुर
(126) पुनागुडा (नावेगांव)
(127) देवाडा
(106) नोकरी खुर्द
(107) नगराला
(128) कदकी रायपुर
(129) गोवेन्दपुर
(130) मारियापाटन
(131) उमराजारा
(132) राहपल्लि खुर्द
(133) धार्मराम
(134) भोकसापुर
(135) बाम्बेजारी
(136) भारी
(137) पांडरवानी
(138) सिंडोलाटा
(139) सोंडो
(140) बेलगांव
(141) काकडघाट
(142) गनेरी
(143) खिरदी
(144) सेदवाई
(145) बाबापुर
(146) हीरापुर
(147) सखारी
(148) मनोली बुदर्क
(149) गोयेगांव
(150) हरडोनाखुर्द
(151) हरडोना बुदुर्क
(152) विनिरगांव
(153) मांगी
(154) वांगी
(155) पांढरपुनी
(156) अहेरी
(157) कोच्छी
(158) गोराज
(159) बारर
(160) रानीवेली
(161) भेडोडा
(162) ताम्भुरवाही
(163) चिरूड
(164) छिंछवोडी
(165) कवथाला
(166) सोनुरली
(167) सिरसी
(168) बेरडी
(169) भेंडाला
(170) केलजारी
(171) नवेगांव
(172) छिंछाला
(173) वीरूर
(174) सिद्घेश्वर
(175) घोट्टा
(176) डोगरागांव
(177) सुवाई
(178) कोस्ताला
(179) लाक्कदकोट
(180) अम्बेजारी
(181) अन्तारगांव
(182) अन्नूर

महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को, मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सं.आ. 9) दिनांक 23.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सां.आ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और अपर संदर्भित आदेशों को, जहां तक उनका संबंध महाराष्ट्र 7 राज्य से है, रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सां.आ. 123) दिनांक 2.12.1985 के तहत पुन: विनिर्दिष्ट किया गया है।

V. ओडिशा

1. मयूरभंज जिला
2. सुंदरगढ़ जिला
3. कोरापुट जिला
4. सम्बलपुर जिले में कुचिंडा तहसील
5. क्योंझर जिले में, क्योंझर सबडिविजन की क्योंझर और तेलकोइहसीले और बाल्लिगुडा सब डिवीजन की चम्पुआ और बारबल तहसीलें।

6. बोधा-खोंडमल जिले की खोण्डमाल सब डिवीजन की खोण्डमाल तहसील और वालीगुडा सब डिवीजन की वालीगुडा और जी उदयगिरी तहसीलें।
7. गंजाम जिले में आर. उदयगिरी तहसील और पारलखेमुण्डी तहसील के गूमा और रायगढा खंड और सुरदा तहसील, धुमसुर सब डिवीजन के गजलबाडी और गोचा ग्राम पंचायत के अतिरिक्त ग्राम।
8. कालाहांडी जिले में, कालाहांडी तहसील के रामपुर खंड और लांजिगढ खंड।
9. बालासोर जिले में नीलगिरी सब-डिवीजन के नीलगिरी तहसील का नीलगिरी सामुदायिक विकास खंड।

ओडिशा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क) राज्य) आदेश 1950 (सां.आ. संख्या 9) दिनांक 23.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग (ख) राज्य) आदेश 1950 (सा.आ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और ऊपर संदर्भित आदेशों को जहां तक उनका संबंध उड़ीसा राज्य से है आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सां.आ. 109) दिनांक 31.12.77 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया।

VI. राजस्थान $

1. बांसवाड़ा जिला
2. डुंगरपुर जिला
3. उदयपुर जिले में निम्न गलसिया
   (क) फालसिया, खेरवारा, कोटरा, सारदा, सालुमबार और सासादिया तहसीलें
   (ख) गिरवा तहसील के निम्न 81 गांव,
   (1) सिसरमा पंचायत के सीसरमा, देवली, बलेचा, सेठजी की कुण्डल, रायता, कोडियात और पीपलिया गांव
   (2) बुजरा पंचायत के बुजरा, नया, गुरहा, पोपालती और नया खेड़ा गांव
   (3) नाई पंचायत का नाईं गांव
   (4) दोदावाली पंचायत का, दोदावाली, कालीदास, कार नाली सुरना, बोरावारा का खेरा मादरी, बच्छर और केली गांव
   (5) बड़ी उन्दरी, छोटी उन्दरी पीपलवास कुमारिया खेरवा गांव
   (6) आलसीगढ़ पंचायत के आलसीगढ़, पाई और गांव
   (7) पदूना पंचायत के पदूना, अमर पूरवा और ज्वाला गांव
   (8) चंदवाडा पंचायत का चंदवाडा गांव
   (9) सारू पंचायत के सारू और बान गांव
   (10) तीरी पंचायत के तीरी बोरीखुआ और गोजिया गांव
   (11) जवार पंचायत के तीरो बोरीखुआ और गोजिया गांव
   (12) जवार पंचायत के काया और चांदनी गांव
   (13) जवार पंचायत के काया और चांदनी गांव
   (14) तरीदी पंचायत के तीरादी, फांडा, बिलिया, दाकन कोढा, धुलिया की पटी और सावीना खेरा गांव
   (15) कानपुर पंचायत का कानपुर गांव
   (16) वाली पंचायत के वाली बूदेल, लालपुरा पारवल, खेरी और जसपुर गांव
   (17) चंदसा पंचायत के चंदसा दामोरोब का गुडा, मामादेव, झामर कोटरा, सथपुरा गुंजारन, सतपुरामीना, जया घूरा, खारवा, मानपुरा और जोधपुरिया गांव
   (18) जगत पंचायत का जगत गांव
   (19) दातीसार पंचायत के दातीसार, सीजा, बासू और परोला गांव

(20) लोकारवास पंचायत के लोकार वास और परोला गांव

(21) भला का गुरहा पंचायत के, भला का गुरहा, कारगेत, भेसधा और बिछड़ी गांव

4. चितौड़गढ जिले में प्रतापगढ़ तहसील

5. सिरोही जिले की आबुरोड तहसील में आबूरोड खंड

+ राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सीओ 26) दिनांक 7.12.1950 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया था और ऊपर संदर्भित आदेशों को, जहां तक उनका संबंध राजस्थान राज्य से है, रद्द करने के बाद, अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश 1981 (सी ओ 114) दिनांक 12.2.1981 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट कर दिया गया है ।

VII. झारखंड $$

1. रांची जिला
2. लोहरदगा जिला
3. गुमला जिला
4. सिमडेगा जिला
5. लातेहर जिला
6. पूर्वी-सिंहभूम जिला
7. पश्चिमी-सिंहभूम जिला
8. सरायकेला-खरसावां जिला
9. साहेबगंज जिला
10. दुमका जिला
11. पाकुर जिला
12. जामतारा जिला
13. पलामू जिला-सतबरवा ब्लॉक की राबदा और बकोरिया पंचायतें
14. गढ़वा जिला-भंडारिया ब्लॉक
15. गोडा जिला-सुंदर पहाड़ी और बौरीजोर ब्लॉक

++ संयुक्त राज्य बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सां.आ. 9) दिनांक 23.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और बिहार राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद् करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सां.आ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य झारखंड के निर्माण के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य बिहार के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित झारखंड राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक बिहार राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सां. आ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सां. आदेश 192) में विनिर्दिष्ट झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र को दिनांक 11.04.2007 के अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य), आदेश, 2007 (सां.आ. 229) द्वारा रद्द कर दिया गया है।

VIII. मध्य प्रदेश $$$

1 झाबुआ जिला
2 मंडला जिला
3 सरगुजा जिला
4 बस्तर जिला
5 धार जिले के सारदापुर, धार, कुक्शी और मानवार तहसील
6. खारगोने (पश्चिम निमार) जिले के बारवानी, राजपुर, सेन्दवा, भीकनगांव, खारगोने और महेश्वर तहसील

7. खण्डवा (पूर्व निमार) जिले के बुरहानपुर तहसील के खाकनार जनजाति विकास खण्ड और हरदा तहसील के खालवा जनजाति विकास खण्ड।
8. रतलाम जिले का सैलाना तहसील
9. बेतुल जिले के बेतूल तहसील (बेतूल सामूदायिक विकास खण्ड के अलावा) और मिनसेदी तहसील।
10. सोनी जिले के लाखनडोन तहसील और कुराई जनजाति विकास खण्ड।
11. बालाघाट जिले का मैहर तहसील
12. होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील का केसला जनजाति विकास खंड
13. शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैथारी, कोतमा, जैतपुर, सोहागपुर और जयसिंहनगर तहसील
14. उमरिया जिले की पाली तहसील में पाली जनजाति विकास खंड
15. सीधी जिले की कुसमी तहसील में कुसमी जनजाति विकास खंड
16. शियोपुर जिले की कराहल तहसील में कराहल जनजाति विकास प्रखंड
17. तामिया और जमई तहसील, पटवारी सर्किल सं. 10 से 12 और 16 से 19 तक, पटवारी सर्किल सं. 09 में सिरीगांव खुर्द और किरवारी गांव, परसिया तहसील में पटवारी सर्किल खंड 13 के मैनावरी और गौली परसिया गांव, छिन्दवाड़ा तहसील में पटवारी सर्किल सं0 25 का बहमानी गांव। हरई जनजाति विकास खंड और अमरवाड़ा तहसील में पटावारी सर्किल सं0 28 से 36, 41, 43, 44 और 45 बी तक।
    बिछुआ तहसील और सौंसर तहसील में पटवारी सर्किल सं0 05, 08, 09, 10, 11 और 14, पटवारी सर्किल सं0 01 से 11 और 13 से 26 और पटवारी सर्किल सं0 12 (ग्राम भूली को छोड़कर) पटवारी सर्किल सं0 27 का ग्राम नंदपुर, छिंदवाड़ा जिले की पांदुर्णा तहसील में पटवारी सर्किल सं0 28 के नीलकंठ और धावादिखाना गांव।

IX. छत्तीसगढ़ $$$

1. सरगुजा जिला
2. कोरिया जिला
3. बस्तर जिला
4. दांतेवाड़ा जिला
5. कांकेर जिला
6. बिलासपुर जिले में मारवाही, गोरिल्ला- 1, गोरिल्ला-2 आदिवासी विकास खंड और कोटा राजस्व निरीक्षक सर्किल
7. कोरबा जिला
8. जशपुर जिला
9. रायगढ़ जिले में धार्म जयगढ़, घरघोडा, तामनर, लायलुंगा और खरसिया जनजाति विकास खंड
10. दुर्ग जिले में डोंडी जनजाति विकास खंड
11. राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला जनजाति विकास खंड
12. रायपुर जिले में गरियाबंद, मैनपुर और छूरा जनजाति विकास खंड
13. धामतरी जिले में नागरी (सिहावा) जनजाति विकास खंड

$$$ संयुक्त राज्य मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सां. आ. 9) दिनांक 23.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सां.आ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000

के तहत नए राज्य छत्तीसगढ़ के निर्माण के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध है, 31.12..1977 के आदेश को रद्द करके, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सां.आ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय 7
जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत कार्यक्रम

जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता

7.1 मंत्रालय द्वारा प्रशासित यह एक मुख्य कार्यक्रम है और इसके अन्तर्गत, योजना आयोग द्वारा किए गए वार्षिक आवंटन के आधार पर राज्य सरकारों को अनुदान प्रदान किया जाता है। इसे उन क्षेत्रों के लिए, राज्य योजना के योगज के रूप में लिया जाता है जहां राज्य योजना प्रावधान सामान्य रूप में जनजातियों का आर्थिक विकास नहीं कर पाते। यह कार्यक्रम 1974 के दौरान शुरू किया गया और नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता का उद्देश्य जनजातीय उपयोजना के परिवार आधारित आय सृजनकारी कार्यकलापों की चिंतनीय खाई को पाटना था।

7.2 दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि से जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य एवं क्षेत्रों का विस्तार किया गया है ताकि रोजगार व आय सृजनात्मक गतिविधियों एवं उससे संबंधित अवस्थापना सुविधाओं को इसके अन्तर्गत लाया जा सके । परिवार आधारित गतिविधियों के अतिरिक्त स्वयं-सहायक समूहों / समुदाय द्वारा संचालित अन्य गतिविधियां भी प्रारम्भ की जा सकती हैं। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के विस्तार का मूलभूत लक्ष्य मांग आधरित आय-सृजन कार्यक्रमों में गति लाना और इस प्रकार जनजातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाना है। राज्यों द्वारा कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देश मई, 2003 में जारी किए गए थे, निम्नलिखित प्रक्रियात्मक परिवर्तन दर्शाते हुए जनवरी, 2008 में इन्हें फिर से संशोधित किया गया है:-

- (क) वाटरशेड आधारित आय सृजनकारी कार्यक्रमों (ख) कौशल/प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, भंडारण, लघु पैमाने पर कारोबारी निविष्टियां आदि जैसे विशिष्ट आय सृजनकारी कार्यकलापों (ग) बाजारों, सेवा डिलीवरी केन्द्रों से संयोजन आदि पर विशेष ध्यान दिया गया;
- मंत्रालय चूंकि इन सबके लिए व्यापक भूमिका नहीं निभा सकता, प्रत्येक राज्य स्वयं कार्यक्रम बनाएगा और कुशलता से उनकी निगरानी करेगा;
- मंत्रालय दूसरे स्तर की निगरानी करेगा;

7.3 विशेष केन्द्रीय सहायता पूर्वोत्तर राज्यों असम, मणिपुर, सिक्किम तथा त्रिपुरा और दो संघ राज्य क्षेत्रों सहित 22 जनजातीय उपयोजना राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाती है। तथापि, वर्ष 2003-04 से संघ राज्य क्षेत्रों की निधियां गृह मंत्रालय के बजट में उपलब्ध कराई जा रही हैं और मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्रों में निधियों के प्रशासन से संबंधित नहीं है।

विशेष केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित क्षेत्रों में तथा निम्नलिखित जनसंख्या के आर्थिक विकास के लिए निर्मुक्त की जाती है:

1. आईटीडीपी/आईटीडीए क्षेत्र (संख्या में 192), जो सामान्य रूप से कम से कम तहसील, ब्लॉक या उनसे अधिक आकार के अखंड क्षेत्र हैं जिनमें कुल जनसंख्या की 50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या है।
2. माडा पाकेट (संख्या में 259), ये पहचान किए गए ऐसे क्षेत्र हैं, जो न्यूनतम 10,000 की कुल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं और इसमें 50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या है।
3. क्लस्टर (संख्या में 82), ये पहचान किए गए ऐसे क्षेत्र हैं जो न्यूनतम 5000 की कुल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं और इसमें 50 प्रतिशत या उससे अधिक की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या है।
4. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी), जनसंख्या की धीमी वृद्धि दर, प्रौद्योगिकी का कृषि-पूर्व स्तर तथा साक्षरता का अत्यंत कम स्तर इनकी विशेषता है।

5. विभिन्न ऐसे स्थानों में जनजातीय जनसंख्या, जो उपर्युक्त क्रम संख्या (1 से 4) में उल्लिखित श्रेणियों में नहीं आती।

वित्तपोषण पद्धति

7.4 मंत्रालय राज्य सरकारों को योजना आयोग द्वारा इस उद्देश्यार्थ वार्षिक तौर पर उपलब्ध करवाई गई निधियों में से 100 प्रतिशत सहायता-अनुदान प्रदान करता है।

मई, 2003 में निर्धारित दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं; इन्हें जनवरी, 2008 में निर्धारित प्रक्रियात्मक आशोधनों के साथ पढ़ना होगा :-

1. गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनजातीय आबादी को सहायता दी जाती है;
2. विशेष केन्द्रीय सहायता का 70 प्रतिशत उपयोग उन प्राथमिक योजनाओं के लिए किया जाए जो परिवार/स्व सहायता समूह/कृषि/बागवानी, भूमि सुधार, जल संभर विकास, पशुपालन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, वन एवं वन ग्रामों का विकास, लघु क्षेत्र के उद्योगों में उद्यमिता विकास आदि जैसे क्षेत्रों में समुदाय आधारित रोजगार एवं आय-सृजन से संबंधित हैं तथा 30 प्रतिशत का उपयोग उनसे सम्बद्ध अवस्थापना के विकास के लिए किया जाए;
3. वन गांवों में रहने वाली उपेक्षित जनजातियों को प्राथमिकता एवं संयुक्त वन प्रबंधन के साथ कार्यक्रमों के सामंजस्य को प्राथमिकता दी जाए;
4. एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरणों/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं हेतु दीर्घकालिक विशिष्ट क्षेत्र लघु योजनाएं तैयार करना;
5. कम से कम 30 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए;
6. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का पालन;
7. विशेष केन्द्रीय सहायता को राज्य की वार्षिक योजना का अभिन्न भाग बनाया जाए;
8. जनजातीय उपयोजना के अक्षरशः प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उन राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए एक वर्ष में समग्र परिव्यय/आबंटन का नियत 10 प्रतिशत आरक्षित रखना, जो कि इसके लिए उपयुक्त है;
9. आईटीडीपी/आईटीडीए-वार निधियां आरक्षित रखना;
10. प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करना;

राज्यों को निधियों के आबंटन हेतु मानदंड

7.5 (क) टीएसपी को एससीए के अधीन कुल वार्षिक आबंटन का 10 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदानों के लिए आरक्षित रखा जाता है और नीचे निर्धारित किए गए मानदंडों को पूरा करने वाले चुने गए राज्यों को निर्मुक्त किया जाता है :

- ज्यादा एकीकृत और केन्द्रित नियोजन तथा परियोजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए यह सुनिश्चित करके कि पूरी टीएसपी निधि, राज्य में कम से कम जनजातीय जनसंख्या के समानुपात में एक बजट शीर्ष में राज्य सरकार के जनजातीय विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रखकर पूर्ण रूप से टीएसपी दृष्टिकोण अंगीकार किया जाए;
- उसके बाद अनुमोदित जनजातीय उपयोजना निधि का औसतन 75 प्रतिशत वास्तव में प्रयोग/निर्मुक्त किया जाए, जो पहले तीन वित्तीय वर्षों में राज्य के जनजातीय विकास विभाग के बजट शीर्ष से कार्यान्वयन अभिकरणों को निर्मुक्त किया गया है; और
- प्रोत्साहन के रूप में राज्यों को दी गई निधियों का उपयोग केवल जनजातियों के लाभार्थ रोजगार एवं आय-सृजन के क्रियाकलापों में किया जाए।

(ख) एससीए के अंतर्गत कुल आबंटन के शेष 90 प्रतिशत को राज्यों में जनजातीय उपयोजना की स्थूल रणनीति के तहत कार्यक्रमों के हिस्से के आधार पर, जैसे एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण पॉकेट (माडा), क्लस्टर एवं आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) में पुनः आबंटित किया जाएगा तथा उसकी गणना प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी।

आईटीडीपी, माडा, क्लस्टर और आदिम जनजातीय समूह एवं बिखरी जनजातियों के कार्यक्रमों के अधीन राज्य-वार धनराशि का आबंटन निम्न प्रकार किया जाता है :

7.6 (क) एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियां (आईटीडीए)/एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं (आईटीडीपी): आईटीडीपी/आईटीडीए को एससीए आबंटित करने के लिए राज्यों को दो समूहों में बांटा जाता है।

श्रेणी (क) : इसमें वे राज्य आते हैं जिनका काफी भूभाग जनजातीय बहुल जनसंख्या से आबाद है जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान और सिक्किम।

श्रेणी (ख) : इसमें वे राज्य आते हैं जिनके कुछ क्षेत्रों में जनजातीय संकुलता के साथ राज्य में जनजातियों की बिखरी जनसंख्या है जैसे असम, बिहार, गोवा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल।

आईटीडीपी को एससीए के सकल परिव्यय का आबंटन उपर्युक्त दो श्रेणियों के राज्यों के बीच प्रत्येक समूह के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की जनजातीय जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।

श्रेणी (क) के लिए आबंटित निधियों को राज्यों में निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर बांटा जाता है :

- 70 प्रतिशत आईटीडीपी/आईटीडीए क्षेत्र में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के आधार पर।
- 30 प्रतिशत आईटीडीपी/आईटीडीए के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर।

श्रेणी (ख) राज्यों के लिए आबंटित निधियों को केवल आईटीडीपी में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जाता है।

(ख) माडा पॉकेट, क्लस्टर और बिखरी हुई जनजातियां:–

- माडा पॉकेटों, क्लस्टर और बिखरी हुई जनजातियों में अनु. जनजाति जनसंख्या के आधार पर 100 प्रतिशत।

(ग) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी):-

वितरण का सूत्र इस प्रकार है :

- आदिम जनजातीय समुदायों के संख्यात्मक आकार पर राशि का 70 प्रतिशत।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आदिम जनजातीय समूहों की संख्या के अनुसार राशि का 30 प्रतिशत।

7.7 मानदंडों के आधार पर प्रत्येक राज्य की पात्रता की गणना करने के बाद माडा, आदिम जनजातीय समूह, क्लस्टर में अनुसूचित जनजाति और बिखरे हुए जनजातीय समूह (डीटीजी) के लिए इस प्रकार परिगणित राशि में से प्रत्येक राज्य के लिए एससीए को निर्धारित किया जाएगा और उसे केन्द्रित और लक्ष्यबद्ध तरीके से माडा, डीटीजी, क्लस्टर्स में अनुसूचित जनजाति और पीटीजी के लाभार्थ परियोजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा।

7.8 आईटीडीपी हेतु प्रत्येक राज्य के लिए आबंटित एससीए के शेष भाग को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य के प्रत्येक आईटीडीपी को इन आईटीडीपी में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के समानुपात में किसी राज्य विशेष में आईटीडीपी की कुल जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाता है। आईटीडीपी, माडा पॉकेट, क्लस्टर जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में पीटीजी और एक जनजातीय सलाहकार परिषद के अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों के विवरण **अनुलग्नक: 7 (क)** में दिए गए हैं।

7.9 वर्ष 2011-12 के लिए 1096.01 करोड़ रु. का बजटीय समर्थन है जिसमें से 42.01 करोड़, मंत्रालय द्वारा वन ग्रामों के विकास कार्यक्रम के लिए चिह्नित किए गए हैं। कार्यक्रम का अर्थ अभिज्ञात वन ग्रामों में अवसंरचनात्मक विकास प्रदान करना है तथा जिसके संबंध में जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता शीर्ष से निधियां प्रदान की जाती हैं।

उपलब्धि

7.10 1096.01 करोड़ रु. की आबंटित धनराशि में से 31.12.2011 तक 777.17 करोड़ रु. की राशि राज्यों को निर्मुक्त की गई थी। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 (31.12.2011 तक) के दौरान की गई निर्मुक्तियों को दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक: 7(ख)** में दिया गया हैं।

आकृति 7(i) टीएसपी को एससीए के तहत निर्मुक्तियां

(करोड रुपये में)

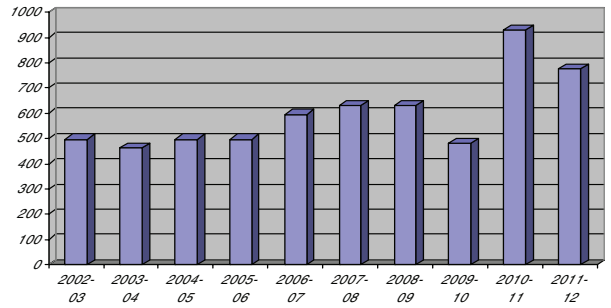

(दिनांक 31.12.2011 तक के अनुसार 2011-12 के आकड़े)

विभिन्न योजना अवधियों के दौरान निर्मुक्तियों की प्रवृत्ति नीचे आकृति 7(ii) में दी गई है, जिससे जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्दीय सहायता के अंतर्गत वर्ष-दर-वर्ष राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के समर्थन में निरंतर वृद्धि का पता चलता है।

आकृति 7(ii)
टीएसपी को एससीए के तहत योजना वार निर्मुक्ति

(करोड रुपये में)

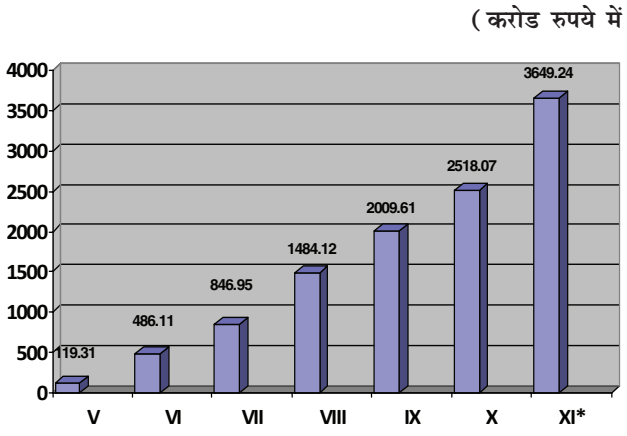

** 11वीं योजना - आंकड़े 31.12.2011 तक*

वन ग्रामों के विकास के कार्यक्रम

7.11 स्वतंत्रता से पूर्व वानिकी के विभिन्न कार्यों हेतु सुरक्षित श्रमशक्ति उपलब्ध कराने के लिए वन क्षेत्रों में आवास स्थापित किए गए थे। धीरे-धीरे ये आवास गांवों में बदल गए। ये ग्राम जिलों के राजस्व प्रशासन से बाहर हैं, इसलिए विकास के लाभों से वंचित हैं। इन वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में परिवर्तन की प्रक्रिया जारी है। तथापि 12 राज्यों में 2474 ऐसे वन ग्राम हैं जो राज्यों के वन विभागों के प्रबंधन में हैं। इन ग्रामों के अधिकांश निवासी जनजातीय हैं। इन ग्रामों के विकास का स्तर राज्य के शेष क्षेत्रों के बराबर नहीं है। वन ग्रामों पर उपलब्ध राज्यवार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	राज्यों के नाम	वन ग्रामों की संख्या
1.	असम	499
2.	छत्तीसगढ़	425
3.	गुजरात	199
4.	झारखंड	24
5.	मेघालय	23
6.	मध्य प्रदेश	893
7.	मिजोरम	85
8.	ओडिशा	20
9.	त्रिपुरा	62
10.	उत्तराखण्ड	61
11.	उत्तर प्रदेश	13
12.	पश्चिम बंगाल	170
	कुल	**2,474**

7.12 2.5 लाख जनजातीय परिवारों वाले वन ग्रामों का विकास 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय विकास का प्रमुख क्षेत्र है। तद्नुसार, योजना आयोग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय को 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए वन ग्रामों के विकास के लिए औसतन 15 लाख रुपए प्रति ग्राम की दर से 450 करोड़ रुपए आबंटित किए। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के एक भाग के विस्तार के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन ग्रामों के विकास के कार्यक्रम शुरू किए तथा मंत्रालय के वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 करोड़ रू. के बजट में क्रमशः 230 करोड़ रु., 220 करोड़ रु., 150 करोड़ रु., 150 करोड़ रु. 100 करोड़ रु. और 60.50 करोड़ रु. तथा 42.01 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। दसवीं योजना के अंत में, वृहद विचार किया गया कि ग्यारहवीं योजना के दौरान सीमित समयावधि के लिए भी राजस्व गांवों में परिवर्तन के लिए लंबित गांवों में पर्याप्त विभागीय गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम चलाया जाए। यह निर्णय

भी लिया गया कि दसवीं योजना के प्रथम चरण के दौरान वित्तपोषित सभी वन गांवों को 15 लाख रु. तक की अतिरिक्त निधि प्रदान की जाएगी। तद्नुसार, कई राज्य सरकारों से इसके लिए प्रस्ताव भी प्राप्त हो गए हैं। इसके लिए राज्य सरकारों से अधिकांश गांवों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और दूसरे चरण के निधियन हेतु 31.12.2011 तक 282.58 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए हैं।

7.13 विकास के संदर्भ में सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य परिचर्या, प्राथमिक शिक्षा, संपर्क मार्ग, पेयजल, सिंचाई जैसी न्यूनतम सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करने तथा अन्य ढांचागत सुविधाएं एवं आय-सृजन की गतिविधियों पर विचार किया गया है। परियोजनाओं या प्रवर्तन के लिए राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड (एनएईबी), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए कार्यविधि

7.14 पहले एनएईबी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राज्यों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की संवीक्षा करता है फिर उसे जनजातीय कार्य मंत्रालय को अग्रेषित करता है, जहां त्रिदलीय परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा इन्हें अनुमति देने के लिए इन पर विचार किया जाता है। यह कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, योजना आयोग एवं संबंधित राज्य सरकारों के गहन सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है।

निधियों की निर्मुक्ति

7.15 वन ग्रामों वाले सभी 12 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और कार्यक्रम के प्रारंभ से ही निधियां निर्मुक्त कर दी गई थी जिन्हें नीचे दर्शाया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल अल्प निधियन किया जाना शेष है जिसके लिए राज्यों से प्रगति रिपोर्ट/उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि के लिए कहा जा रहा है।

तालिका 7.15 वन ग्रामों के विकास के लिये राज्यों को जारी निधियॉ

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्त राशि (2005-06)	निर्मुक्त राशि (2006-07)	निर्मुक्त राशि (2007-08)	निर्मुक्त राशि (2008-09)	निर्मुक्त राशि (2010-11)
1.	असम	4059.00	1817.42	0.00	4696.05	0.00
2.	छत्तीसगढ़	4359.00	4161.37	1034.00	0.00	1500.00
3.	गुजरात	1979.00	1434.38	593.62	0.00	0.00
4.	झारखंड	129.71	173.87	0.00	0.00	1351.96
5.	मेघालय	0.00	390.71	0.00	0.00	0.00
6.	मध्य प्रदेश	6190.65	10472.42	2829.00	6502.50	0.00
7.	मिजोरम	202.50	1317.50	190.00	435.00	0.00
8.	ओडिशा	157.14	133.46	0.00	180.00	0.00
9.	त्रिपुरा	0.00	930.00	0.00	558.00	0.00
10.	उत्तराखंड	0.00	566.96	0.00	0.00	0.00
11.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	30.00	151.14
12.	पश्चिम बंगाल	2104.00	699.00	0.00	2550.00	0.00
	कुल	**19181.00**	**22097.09**	**4646.62**	**14951.55**	**3003.10**

टिप्पणी: वर्ष 2009-10 के दौरान कोई निधि निर्मुक्त नहीं की गई।

निधियों के प्रवाह की प्रणाली

7.16 प्रस्तावों की स्वीकृति के बाद वन विकास अभिकरण (एफडीए) को हस्तांतरित करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों को निधियां जारी करता है। इस क्षेत्र में वन विकास अभिकरण (एफडीए) परियोजनाएं कार्यान्वित करते हैं। परवर्ती किस्तें एफडीए द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा कार्यक्रम के संतोषजनक कार्यान्वयन से जुड़ी होती हैं।

निगरानी तंत्र

7.17 राज्य सरकारों से अपेक्षा है कि वे एनएईबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपने प्रस्ताव, निगरानी, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग की प्रणाली बनाएं। एफडीए को एनएईबी के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से एनएईबी को अपनी प्रगति रिपोर्ट भेजनी होती है जो उसे जनजातीय कार्य मंत्रालय को अग्रेषित करता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत कार्यक्रम

7.18 भारत के संविधान का अनुच्छेद 275(1) निम्नलिखित प्रावधान करता है:-

''ऐसी राशिया जिसे संसद कानून द्वारा प्रदान कर सकती है वे ऐसे राज्यों जिन्हे संसद सहायता के लिए जरूरत मंद निर्धाारित कर सकती है, के राजस्वो के सहायता अनुदान के रूप में प्रति वर्ष भारत की समेकित निधि पर प्रभारित होगी तथा अलग-अलग राज्यों हेतु अलग-अलग राशि निर्धारित की जा सकती।

''बशर्ते कि उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संवर्धन के उद्देश्य या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन के बराबर उठाने के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से राज्यों द्वारा की गई ऐसी विकास योजनाओं की लागतों को पूरा करने के लिए राज्य के राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में भारत की समेकित निधि से भुगतान किया जाएगा।''

उपरोक्त संवैधानिक बाध्यता के अनुसरण में जनजाति कार्य मंत्रालय 'सविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों ' के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाली राज्य सरकार को निधिया प्रदान करता है।

उद्देश्य

7.19 योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देना और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर का उन्नयन करना है।

कवरेज

7.20 आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल नामक 26 राज्यों को अनुदान प्रदान किया जाता है।

निधियन पद्धति

7.21 यह एक विशेष केन्द्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है और (1) अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ाने, और (2) जनजातीय लोगों को राज्य के शेष हिस्से के बराबर लाने के लिए जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु ऐसी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनजातीय विकास की प्रत्येक योजना की लागत को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। राज्यों को अनुदान उस राज्य में जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों की निर्मुक्ति एवं उपयोग के दिशानिर्देश वर्ष 2002 में संशोधित किए जा चुके हैं। ग्यारहवीं योजना के लिए निम्नलिखित प्रक्रियात्मक परिवर्तन दर्शाते हुए जनवरी, 2008 में इसे और संशोधित किया गया है:

- सामुदायिक कल्याणकारी परिसम्पत्तियों जैसे विद्यालय, कौशल पूर्ण शिक्षण, पोषण, पेयजल इत्यादि पर ध्यान केन्द्रित करना;
- नवीन अनुदान वास्तव में नई योजनाओं के लिए हैं- अन्तिम आउटपुट/परिणाम या सुपुर्दगी के तरीके के सन्दर्भ में है;
- प्रत्येक राज्य को स्वंय ही कार्यक्रमों को प्रभावी निगरानी

का निरूपण एवं प्रचालन करना होगा क्योंकि यहां मंत्रालय ऐसी बड़ी भूमिका नहीं निभा सकता है।

- मंत्रालय को द्वितीय स्तर की निगरानी करनी होती है।

मुख्य विशेषताएं

वर्ष 2002 में निर्धारित दिशा निर्देश निम्नवत हैं: इन्हें जनवरी 2008 में निर्धारित प्रक्रियात्मक संशोधनों के साथ पढ़ा जाए:

(i) 2000-01 से पूर्व संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को अनुदान ब्लॉक ग्रांट्स के रूप में जारी किए जाते थे। तब से निधियां ऐसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के उन्नयन एवं निर्माण हेतु परियोजनाएं चलाने के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों को राज्य के शेष भाग के समकक्ष लाने के लिए आवश्यक हों।

(ii) राज्य ऐसे क्षेत्रों/सेक्टरों की पहचान करेंगे, जो मानव विकास सूचकांक की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हों तथा महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के बीच की खाई पाटने के लिए परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं।

(iii) दिशानिर्देशों में परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के नियोजन एवं कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी के संबंध में परिकल्पना की गई है। राज्य पंचायत अधिनियमों तथा पेसा (पीईएसए) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों पर समुचित ध्यान दिया जाना है।

(iv) बहु-आयामी दलों के माध्यम से आईटीडीपी/माडा/क्लस्टरों के लिए माइक्रो-प्लान तैयार करने के लिए एकीकृत एवं समग्र दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है।

(v) कम से कम 30 प्रतिशत परियोजनाओं का लक्ष्य महिलाओं को लाभ पहुंचाना होना चाहिए।

(vi) अनुदान का 2 प्रतिशत परियोजना प्रबंधन, प्रशिक्षण, एमआईएस, प्रशासनिक खर्चों, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(vii) अवसंरचना के अनुरक्षण के लिए मंत्रालय की पूर्वानुमति से राज्यों के आबंटन का 10 प्रतिशत प्रयोग किया जा सकता है।

(viii) अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान से निधियों के कुल आबंटन का 10 प्रतिशत अभिनव अनुदान के रूप में आवंटित किया जाता है। 26 राज्यों में से यह केवल उन्हीं राज्यों को आबंटित किया जाता है, जो टीएसपी दृष्टिकोण अपनाते हैं अर्थात् वे राज्य जिन्होंने अपने राज्य में कम से कम अनुसूचित जनजातीय आबादी के अनुपात में निधियां निर्धारित की हैं, निधियों को एक बजट शीर्ष जनजातीय विकास/कल्याण विभाग में रखा गया है और पिछले तीन वर्षों में जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत आबंटनों का कम से कम 75 प्रतिशत व्यय किया जा चुका हो। चार जनजातीय बहुल राज्यों के मामले में, मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अनुदान के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के लिए किसी राज्य को इसके लिए योग्य पाए जाने पर नए अनुदानों के लिए विचार किया जाएगा।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

7.22 जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में छठी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के 100 आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निधियों के एक भाग का उपयोग करने का निर्णय 1997-98 के दौरान किया गया। दसवीं योजना के अंत तक 22 राज्यों में 100 विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से 92 प्रचालानात्मक किए जाने की सूचना हैं।

7.23 इस प्रयोजन के लिए बनाई गई एक स्वायत्त सोसायटी के माध्यम से प्रत्येक राज्य में इन विद्यालयों को चलाया जाना अपेक्षित था। इन विद्यालयों में शिक्षा का एकसमान पैटर्न प्रदान करने के लिए और इनके विद्यार्थियों के उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों (चिकित्सा, तकनीकी आदि) के लिए ये विद्यालय मुख्यत: राज्य बोर्डों से सम्बद्ध हैं। इन विद्यालयों को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का नाम दिया गया है और नवोदय विद्यालयों के अनुरूप चलाने की परिकल्पना की गई लेकिन राज्य केन्द्रित प्रबंधन के साथ।

7.24 ईएमआरएस की स्थापना करने हेतु दिशानिर्देशों को

जून, 2010 में पुन: संशोधित किया गया है; ऐसी आशा की जाती है कि देश में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को और अधिक ईएमआरएस की स्थापना हेतु नए प्रयास किए जाने से पर्याप्त लाभ होगा। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- ईएमआरएस का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के विद्यार्थियों को मिडिल और उच्चत्तर माध्यमिक स्तर की गुणवता शिक्षा प्रदान करना है;
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ईएमआरएस का निर्माण करने और चलाने के लिए अनुच्छेद 275(1) के अनुदानों में से निधियां देंगे;
- ईएमआरएस के लिए आवर्ती और अनावर्ती लागतें काफी बढ़ गई हैं। छात्रावासों तथा स्टाफ क्वार्टरों सहित विद्यालय परिसर के लिए पूंजीगत लागत को 2.50 करोड़ रुपए से संशोधित कर 12.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों, मरुस्थलों और द्वीप में इसे 16.00 करोड़ रुपए करने का प्रावधान है। किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार द्वारा पूरी की जानी होती है। आवर्ती लागत को प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष 42000 रुपए पर निर्धारित कर दिया गया है। महंगाई इत्यादि के लिए प्रतिपूर्ति हेतु इसे प्रत्येक दूसरे वर्ष 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
- राज्यों को ईएमआरएस कार्यक्रम और इसके विस्तार हेतु मंत्रालय का समर्थन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रबंधन की उच्च गुणवता को सुनिश्चित करने के बाद ही दिया जाएगा;
- ईएमआरएस या तो राज्य अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जैसा भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वांछित हो, से जुडे होने चाहिए। प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ईएमआरएस के प्रबंधन और प्रभावी कार्यकरण के लिए एक मात्र रूप से जिम्मेदार होगा;

7.25 वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य सरकारों की ओर से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 37 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए थे तथा वर्ष 2011-12 के दौरान 14 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए है।

आबंटन

7.26 वर्ष 2011-12 के दौरान योजना आयोग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत विशेष क्षेत्र के कार्यक्रम-अनुदान हेतु 1197.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्रदान की है।

7.27 दसवीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं योजना के दौरान राज्य सरकार को किए गए वार्षिक आबंटन और निर्मुक्तियां दर्शाने वाला विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

7.28 वर्ष 2002-2003 से वर्ष 2011-2012 के दौरान

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आबंटन	सहायता अनुदान (निर्मुक्ति)
2002-03	300.00	300.00
2003-04	300.00	252.70
2004-05	330.00	330.00
2005-06	380.00	380.00
2006-07	400.00	400.00
2007-08	400.00	390.28
2008-09	416.00	339.78
2009-10	1000.00	399.10
2010-11	1046.00	999.88
2011-12 (31.12.11 तक)	1197.00	720.90

भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान के रूप में की गई राज्यवार निर्मुक्ति का विवरण **अनुलग्नक 7-ग** में उपलब्ध है।

10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को आबंटित और निर्मुक्त राशियां निम्नलिखित आकृति 7(iii) में दर्शायी गयी है :

आकृति 7(iii) अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत वर्ष वार निर्मुक्तियां

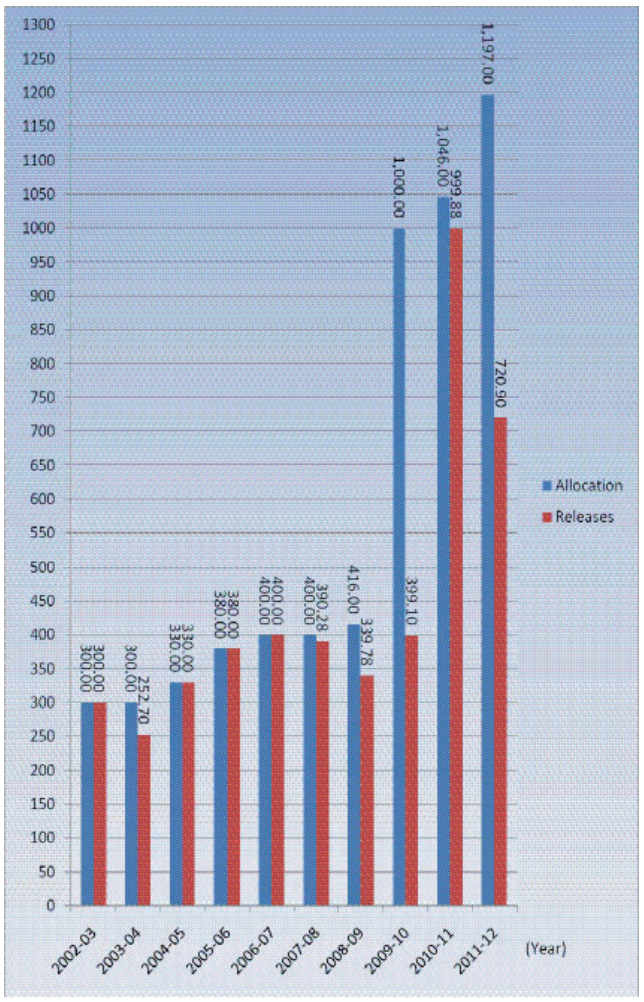

10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को आबंटित और निर्मुक्त राशियां निम्नलिखित आकृति 7(iv) में दर्शायी गई है:-

आकृति 7(iv) अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत वर्ष वार निर्मुक्तियां

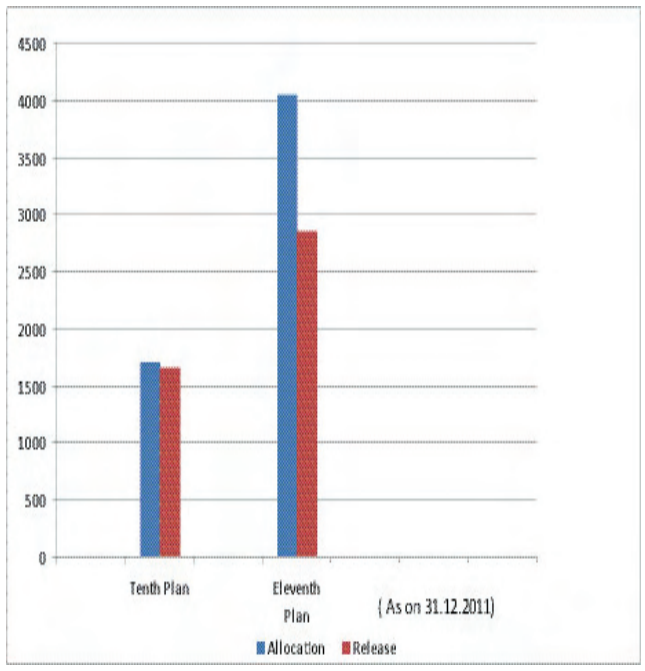

7.29 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों में से शुरू की गई योजनाओं/कार्य के कार्यान्वयन को शीघ्रता से करने की पहल की। वर्ष के दौरान मंत्रालय ने योजनाओं का कार्यान्वयन शीघ्रता से करने और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए इस मामले को राज्यों के साथ उठाया और परिणामस्वरूप अव्ययित शेष राशि धीरे-धीरे कम हो रही है। कार्यान्वयन को और शीघ्रता से करने के लिए और निधियों की संभव पार्किंग को हतोत्साहित करने हेतु 2007-08 से उन राज्यों को निधियां निर्मुक्त नहीं की गईं, जिनके पास पूर्व में निर्मुक्त की गई निधियों में से अव्ययित शेष राशि पड़ी थी। ❑

अनुलग्नक : 7-क

अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय सलाहकार परिषद वाले जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों तथा राज्यों में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं/अभिकरण (आईटीडीपी/आईटीडीए), संशोधित क्षेत्र विकास अप्रोच (माडा) पॉकेट, क्लस्टर तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) की स्थिति के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	संख्या			
		आईटीडीपी/ आईटीडीए पॉकेट	माडा	क्लस्टर	पीटीजी
1.	आंध्र प्रदेश #	8	41	17	12
2.	असम	19	–	–	.
3.	बिहार	–	7	–	9**
4.	छत्तीसगढ़ #	19	9	2	**
5.	गुजरात #	9	1	–	5
6.	हिमाचल प्रदेश #	5	2	–	.
7.	जम्मू एवं कश्मीर	–	–	–	.
8.	झारखंड #	14	34	7	**
9.	कर्नाटक	5	–	–	2
10.	केरल	7	–	–	5
11.	मध्य प्रदेश #	31	30	6	7**
12.	महाराष्ट्र #	16	44	24	3
13.	मणिपुर	5	–	–	1
14.	ओडिशा #	21	46	14	13
15.	राजस्थान #	5	44	11	1
16.	सिक्किम	4	–	–	.
17.	तमिलनाडु $	9	–	–	6
18.	त्रिपुरा*	–	–	–	1
19.	उत्तर प्रदेश	1	1	–	2**
20.	उत्तराखंड	–	–	–	**
21.	पश्चिम बंगाल $	12	–	1	3
22.	संघ राज्य क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	–	–	5
23.	दमन व दीव	1	–	–	.
	कुल	**192**	**259**	**82**	**75**

* त्रिपुरा में आईटीडीपी नहीं है। त्रिपुरा जनजातीय स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) है। दिनांक 03.10.2006 के त्रिपुरा राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ.15-2/भाग-I/टीडब्ल्यू/एसपी/2004/14648 की सूचना के अनुसार संविधान के 49वें संशोधन द्वारा 1985 से प्रभावी छठी अनुसूची के प्रावधानों का विस्तार त्रिपुरा तक किया गया है।

** बिहार तथा झारखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पीटीजी समान हैं।

\# राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय सलाहकार परिषदें (टीएसी) हैं।

$ राज्यों में केवल टीएसी ही हैं।

अनुलग्नक : 7-ख

वर्ष 2002-03 से वर्ष 2011-12 तक के दौरान जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता की निर्मुक्ति

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के नाम	निर्मुक्त निधि									
		2002-03	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12 (31.01.2012 तक)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	आन्ध्रप्रदेश	2732.80	2459.52	2459.52	2751.14	3344.33	3712.99	4176.75	1930.00	5746.50	5085.00
2	असम	3058.99	2753.09	2064.82	3066.59	3601.59	3220.27	3755.65	2883.00	3500.00	2471.95
3	बिहार	556.56	500.90	250.45	543.57	656.00	715.50	0.00	870.94	650.00	400.00
4	छत्तीसगढ़	4626.18	4405.12	5397.76	4641.08	5477.04	5893.78	6829.20	6322.88	8453.00	7500.00
5	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गुजरात	3930.91	3743.09	3537.82	3963.52	4882.13	5419.14	4571.44	5635.53	8126.00	6650.00
7	हिमाचल प्रदेश	643.53	612.79	750.87	825.90	1022.14	1133.43	1276.00	1179.40	1506.00	1553.00
9	जम्मू और कश्मीर	971.94	925.50	874.75	901.28	1088.00	956.24	676.00	263.79	489.57	1143.00
8	झारखंड	5870.24	5283.22	5283.22	5896.10	7041.25	7711.12	2198.25	0.00	9481.55	10704.00
10	कर्नाटक	771.33	694.19	899.97	1029.06	1242.00	1372.00	1544.00	1647.96	2053.00	2170.00
11	केरल	273.70	260.62	319.35	274.03	318.13	352.36	396.25	366.10	440.00	240.00
12	मध्यप्रदेश	7833.22	7458.93	9139.70	8186.01	10126.02	9129.39	12644.25	8722.00	15214.00	15393.00
13	महाराष्ट्र	3723.83	3351.45	3351.45	3351.45	3888.00	4293.00	2500.00	895.91	6696.00	3394.00
14	मणिपुर	761.96	725.55	685.76	685.76	796.00	879.00	989.00	527.80	1187.00	705.00
15	ओडिशा	6495.30	6184.94	7578.63	6516.82	7695.87	8543.41	10110.50	8885.55	12393.00	13101.00
16	राजस्थान	3649.56	3284.60	3284.60	3490.91	4214.00	4654.00	5236.00	3400.00	8209.00	1840.00
17	सिक्किम	108.02	102.86	126.04	109.49	135.52	280.36	315.00	291.38	369.00	384.00
18	तमिलनाडु	323.32	290.99	377.25	323.70	375.55	142.59	469.00	108.00	393.05	0.00
19	त्रिपुरा	1041.03	991.29	1214.66	1045.03	1240.34	1318.28	1548.00	1431.29	1879.00	2164.00
20	उत्तराखंड	92.91	88.47	83.62	83.62	50.00	0.00	0.00	108.14	0.00	0.00
21	उत्तर प्रदेश	32.10	30.57	37.45	33.63	0.00	425.36	644.25	0.00	0.00	0.00
22	पश्चिम बंगाल	2202.57	1982.31	1982.31	1982.31	2270.00	2894.59	3255.75	2654.34	3384.00	3962.00
	कुल योग	**49700.00**	**46130.00**	**49700.00**	**49701.00**	**59573.91**	**63179.81**	**63135.29**	**48124.00**	**90169.67**	**78859.95**

अनुलग्नक : 7-ग

दसवीं एवं ग्यारहवीं योजना के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (31.12.2011 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्धप्रदेश	2160.30	1785.00	2300.46	3112.31	2830.31	2453.03	1863.44	1946.20	5187.70	5732.38
अरुणाचल प्रदेश	300.00	200.00	273.72	384.06	322.52	544.29	308.68	0.00	772.00	532.27
असम	1024.40	668.87	1155.00	1381.41	1514.17	1192.63	1444.88	1240.77	3517.96	3419.00
बिहार	209.00	209.00	229.90	0.00	293.00	319.20	0.00	95.00	838.00	959.00
छत्तीसगढ़	2689.50	2089.00	2858.56	3479.69	4131.86	3090.44	3211.43	2834.80	7786.00	5000.00
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	68.45	7.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	2250.00	2280.00	2515.00	5660.96	3964.38	3652.68	2372.77	58.00	8302.00	9426.00
हिमाचल प्रदेश	80.00	80.00	109.36	133.88	330.33	165.43	148.32	180.00	377.00	431.00
जम्मू और कश्मीर	318.00	367.00	398.70	361.29	427.00	286.61	193.66	0.00	607.00	0.00
झारखंड	2808.00	2208.00	2428.80	400.00	3244.15	3060.27	1852.43	3730.00	8004.00	8931.00
कर्नाटक	904.35	797.00	957.88	1519.35	1526.87	1458.05	1496.37	1823.00	3813.00	3652.00
केरल	588.00	158.00	161.56	0.00	497.19	101.52	159.42	134.92	405.00	347.22
मध्यप्रदेश	4052.32	3821.58	5173.57	6420.27	6052.44	5973.00	6466.80	6435.00	17311.31	11863.00
महाराष्ट्र	2925.00	2672.00	2939.20	3459.20	2508.35	3610.310	2441.46	2000.00	9442.00	2147.75
मणिपुर	424.55	230.00	253.00	0.00	411.00	311.96	324.44	352.50	819.00	937.00
मेघालय	555.00	50.55	759.50	0.00	0.00	773.02	155.33	0.00	2100.00	0.00
मिजोरम	240.00	240.00	488.41	422.62	384.17	409.79	403.57	441.00	922.96	489.53
नागालैंड	0.00	0.00	529.58	700.93	812.22	866.170	200.00	576.59	2047.42	998.00

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (31.12.2011 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ओडिशा	3641.60	2830.00	4346.98	4445.48	4029.11	4176.84	4129.73	7026.00	11144.33	5845.00
राजस्थान	2224.48	2070.00	2200.00	2240.48	3160.00	3168.91	3107.04	1500.00	8351.00	3500.00
सिक्किम	83.00	33.00	45.20	143.92	50.99	101.50	65.00	149.20	226.00	259.00
तमिलनाडु	210.00	250.00	287.40	619.57	477.62	0.00	291.31	340.00	358.00	0.00
त्रिपुरा	665.50	313.00	428.30	412.28	570.32	485.04	434.88	780.00	1358.73	927.10
उत्तरप्रदेश	27.00	27.00	36.82	0.00	0.00	499.12	391.28	0.00	1200.00	1484.91
उत्तराखंड	78.00	128.00	135.80	0.00	249.00	107.81	20.00	120.00	250.00	0.00
पश्चिम बंगाल	1543.00	1763.00	1987.30	2702.30	2151.00	2151.620	2489.09	2320.00	4848.00	5209.38
कुल	**30000.00**	**25270.00**	**33000.00**	**38000.00**	**40000.00**	**39027.69**	**33978.41**	**34084.98**	**99988.41**	**72090.54**

अध्याय 8

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

8.1. संगठन : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) को सरकारी कंपनी के रुप में अप्रैल, 2001 में निगमित किया गया था तथा इसे कम्पनी अधिनियम 1956 (अलाभ वाली कंपनी) की धारा 25 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया है। इसे केवल अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के आर्थिक उत्थान पर ध्यान देने के लिए स्थापित किया गया है। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चेनेलाइजिंग एजेंसियों, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ लि. (ट्राइफेड) से प्रतिनिधियों तथा अनुसूचति जनजातियों के ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों के साथ निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है।

8.2 मिशन, उद्देश्य तथा कार्य

क. **मिशन :** सतत आधार पर अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास

ख. **उद्देश्य :** एनएसटीएफडीसी अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रलय के तहत एक शीर्ष संगठन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

- अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलापों की पहचान करना ताकि स्व-रोजगार का सृजन किया जा सके तथा उनकी आय को बढ़ाया जा सके।
- संस्थागत और नौकरी के समय जारी प्रशिक्षण दोनों के माध्यम से उनके शिल्प और उद्यमी विकास का उन्नयन।
- मौजूदा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों और जनजातियों के आर्थिक विकास में कार्यरत अन्य राष्ट्रीय स्तर के संगठनों/ विकास अभिकरणों को और अधिक प्रभावी बनाना।
- राज्य चेनेलाइजिंग एजेन्सी (एससीए) की परियोजना निर्माण, एनएसटीएफडीसी समर्थित योजनाओं के कार्यान्वयन तथा उनके कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करना।
- एनएसटीएफडीसी सहायित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना तथा इसके प्रभाव का आकलन करना और मूल्यांकन के माध्यम से कार्यान्वयन प्रक्रिया में सुधार करना।

ग. कार्य :

- अनुसूचित जनजातियों में एनएसटीएफडीसी की रियायती योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- शिल्प विकास और लाभार्थियों तथा एसीए के अधि कारियों की क्षमता निर्माण के लिए सहायता करना।
- एससीए के माध्यम से व्यवहार्य आय सृजनकारी योजनाओं तथा पात्र अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु अन्य एजेंसियों के लिए रियायती वित्त प्रदान करना।
- जनजातीय उत्पाद को बाजार से जोडने में सहायता करना।

8.3 अंश पूंजी : अधिकृत अंश पूंजी 500 करोड़ रुपये है तथा अब तक प्रदत्त पूंजी 312.33 करोड़ रुपय (31.12. 2011 तक) है।

8.4 पात्रता मानदण्ड : एनएसटीएफडीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता है:–

(क) व्यक्ति/स्व सहायता समूह

- सभी आवेदक/सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित हों।
- आवेदनकर्त्ताओं की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की आय सीमा के दोगुना (डीपीएल) से अधिक न हो। वर्तमान में यह सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 39,500 रुपये प्रति वर्ष और शहरी क्षेत्रों के लिए 54,500 रुपये प्रति वर्ष है, जो योजना आयोग के मानदण्डों पर आधारित है।

(ख) **सहकारी समितियाँ :** कम से कम 80 प्रतिशत या उससे अधिक सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होने चाहिए तथा आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की सीमा के दोगुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। सदस्यता के बदलाव के मामले में, उक्त सहकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एनएसटीएफडीसी के ऋण की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति सदस्यों का प्रतिशत 80 से कम न हो।

8.5 योजनाएं : निगम आय सृजन कार्यकलापों तथा विपणन सहायता के तहत केवल मियादी ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी के कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क. आय सृजनकारी गतिविधियां

- **मियादी ऋण योजना :** एनएसटीएफडीसी प्रति इकाई 10.00 लाख रुपए तक की लागत वाली व्यवहार्य योजनाओं के लिए मियादी ऋण प्रदान करता है। इस योजना के तहत एनएसटीएफ डीसी की वित्तीय सहायता योजना की लागत की 90 प्रतिशत तक दी जाती है तथा शेष राशि सब्सिडी/प्रवर्तक के अंशदान/सीमान्त धनराशि के रुप में पूरी की जाती है।
- **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई):** यह योजना केवल अनुसूचित जनजाति की महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए है। इस योजना के तहत एनएसटीएफडीसी प्रति इकाई 50,000 रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत तक मियादी ऋण प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता 4 प्रतिशत वार्षिक की उच्च रियायती ब्याज दर पर दी जाती है।
- **लघु ऋण योजना:** यह योजना अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए केवल स्वयं सहायित समूहों हेतु एक खास योजना है। इस योजना के तहत निगम प्रति सदस्य 35,000/–रु. और प्रति स्व–सहायता समूह 5.00 लाख रु. प्रदान करता है।
- **स्वयं सहायित समूहों (एसएचजी) के लिए योजना :** स्वयं सहायित समूहों के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु यह एक विशिष्ट योजना है तथा प्रति एसएचजी 25 लाख रुपए तक की इकाई वाली योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत स्कीम की लागत के 90 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता दी जाती है जो प्रति सदस्य निवेश के अधीन है तथा प्रति इकाई 50,000 रुपए से अधिक नहीं हो। योजना के तहत प्रवर्तक का कम–से–कम अंशदान इकाई की लागत का 10 प्रतिशत है।
- **ट्राइफेड के सूचीबद्ध कारीगरों को सहायता:**

  इस योजना का उद्देश्य परियोजना से संबंधित परिसंपत्तियां खरीदने के लिए रिआयती वित्त और ट्राइफेड के सूचीबद्ध जनजातीय कारीगरों के लिए कार्यशील पूंजी देना है। योजना के तहत व्यक्तियों के लिए 50,000/– रुपये तक और प्रति एसएचजी/सहकारी समितियों को 5.00 लाख रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ग. एनएसटीएफडीसी की उपरोक्त योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के संक्षिप्त मानदण्ड निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	सहायता का प्रकार	प्रति इकाई लागत	एनएसटीएफडीसी का अंश	प्रतिवर्ष देय ब्याज	
				एससीए द्वारा	लाभार्थियो द्वारा
1.	सावधिक ऋण योजना	10.00 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	3% (एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए तक)	6%
				5% (एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए से अधिक)	8%
2.	आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई)	50,000 रुपए	इकाई लागत का 90%	2%	4%
3.	लघु ऋण योजना	प्रति सदस्य 35,000 रू. तथा प्रति एसएचजी 5 लाख रुपए	100%	3% (एसएचजी द्वारा देय)	6%
4.	स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) हेतु योजना	25.00 लाख रू	इकाई लागत का 90%	सावधिक ऋण योजना के लिए लागू ब्याज दरों के अनुरूप	
5.	ट्राईफेड के सूची बद्ध कारीगरों के लिए विशेष योजना	50000 रू	इकाई लागत का 90%	एएमएसवाई के तहत 2% तथा अन्य योजनाओं के तहत 3%	एएमएसवाई के तहत 4% तथा अन्य योजनाओं के तहत 6%
6.	शिक्षा ऋण योजना	5.00 लाख रू.	90%	3%	6%

- एनएसटीएफडीसी की शिक्षा ऋण योजना: वर्ष 2011-12 के दौरान एनएसटीएफडीसी ने अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए भारत में पीएचडी सहित प्रौद्योगिकी तथा व्यवसायिक शिक्षा हेतु खर्च को पूरा करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया है। योजना के तहत, एनएसटीएफडीसी प्रति परिवार 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अधिकतम ऋण 5.00 लाख रुपये है। सहायता के लिए ब्याज दर प्रतिवर्ष 6% है।

ख विपणन समर्थन सहायता : निगम लघु वन उत्पादों (एमएफपी) की खरीद तथा विपणन में लगी एजेंसियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

घ. अनुदान के रुप में एनएसटीएफडीसी द्वारा दी गई वित्तीय सहायता : स्वरोजगार/रोजगार हेतु अवसर पैदा करने के लिए पात्र अनुसूचित जनजातियों के शिल्प तथा उद्यमशीलता के विकास हेतु अनुदान के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

8.6. **रणनीतिक पहल :** रणनीतिक पहल : एनएसटीएफडीसी योजनाओं के बारे में बड़ी जागरुकता सृजित करने तथा कार्यान्वयन तंत्र में सुधार लाने के लिए एनएसटीएफडीसी ने कई पहलें की हैं। कुछ पहलें निम्नानुसार है :

क. ट्राइफेड के सूचीबद्ध गरीब जनजातीय कारीगरों को रिआयती वित्त प्रदान करने के लिए एनएसटीएफडीसी और ट्राइफेड ने दिनांक 30.06.2011 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। यह योजना हिमाचल राज्य में पाइलेट आधार पर कार्यान्वित की जा रही है।

ख. वर्ष के दौरान एनएसटीएफडीसी की शिक्षा ऋण योजना 'आदिवासी शिक्षा ऋण योजना' का प्रारंभ हुआ था। यह अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को भारत में उच्चतम/प्रौद्योगिक शिक्षा पूरी करने हेतु व्यय में समर्थ बनायेगी।

ग. इस अवधि के दौरान, गरीब अनुसूचित जनजातियों को रिआयती वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उड़ीसा राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैतरणी ग्राम्य बैंक के साथ निगम ने पुनर्सहायता समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं।

घ. एनएसटीएफडीसी विविध पीएसयू बैंकों से उनकी सहायता को चैनलाइज करने के लिए कहारहा है। एनएसटीएफडीसी की आधार दरों से नीये रिआयती वित्तीय सहायता एसबीआई तथा अन्य पीएसयू बैंकों को उधार देने में समर्थ करने के लिए छूट हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से सम्पर्क किया है। आरबीआई ने दिनांक 09.09.2011 के परिपत्र, एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के तहत निर्धारित ब्याज दरों पर पुनर्सहायता देने की सभी पीएसयू बैंकों को अनुमति दी है। यह लाभीर्थियों के बड़ी संख्या को कवर करने के लिए एनएसटीएफडीसी को उसके कार्यकलापों को बढ़ाने में समर्थ बनायेंगे।

ङ एनएसटीएफडीसी योजनाओं के बारे में बड़ी जागरुकता पैदा करने के लिए एनएसटीएफडीसी विभिन्न सरकारी संगठनों के साथ सहयोग कर रहा है। वर्ष के दौरान, एनएसटीएफडीसी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम से मिलकर उनकी "उद्यमी हेल्पलाइन" के माध्यम से एनएसटीएफडीसी ऋण योजनाओं के बारे में सूचना प्रदान की है।

एनएसटीएफडीसी ने केवीआईसी समझौता भी किया है। मानव संसाधन विकास निदेशालय ने सहयोग देनेवाले सभी प्रशिक्षण संस्थाओं से "उद्यमीयता विकास और जागरुकता कार्यक्रम" के तहत अपने पाठ्यक्रम में एनएसटीएफडीसी की योजनाओं को शामिल करने को सभी सहयोगी संस्थाओं से कहा है। इसके अलावा, चर्चा सत्रें, एनएसटीएफडीसी से सहायता प्राप्त लाभार्थियों की सफलता कहानियों के प्रसारण आदि द्वारा आकाशवाणी, दूरदर्शन, लोकसभा टीवी चैनल के माध्यम से भी जागरुकता पैदा की गई है।

च. वर्ष के दौरान एनएसटीएफडीसी की एससीए के क्षेत्रीय सम्मेलन हुए हैं। इन बैठकों में एससीए को वर्ष के दौरान एनएसटीएफडीसी द्वारा आरंभ की गई नई योजनाओं के बारे में सूचना दी गई और अपने राज्यों में इन योजनाओं को पर्याप्त प्रचार करने का अनुरोध किया गया। एससीए को कुल सफल योजनाओं के बारे में भी बताया गया तथा इन्हें अपनाने की संभावना का पता लगाने का भी अनुरोध किया गया।

छ. उपर्युक्त के अलावा, निगम द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप भी किए जा रहे हैं:

- महत्वपूर्ण अन्तरालों तथा एससीए द्वारा की जाने वाली सर्वोत्तम कवायदों को अभिज्ञात करने के लिए इकाइयों की जांच करना।
- एससीए को फीडबैक उन्मुख कार्रवाई प्रदान करना।
- ख्याति प्राप्त संगठनों द्वारा प्रभाव आकलन।
- जनजातीय बहुल क्षेत्रों में जागरुकता कैंपों, प्रचार आदि का आयोजन करना।
- एससीए द्वारा ऋणों के समय पर भुगतान के लिए पहल योजना।
- अतिदेयों के समायोजन के लिए बजटीय समर्थन देने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध करना।

8.7 निगम का कार्य निष्पादन :

(क) **संस्वीकृतियाँ :** एनएसटीएफडीसी ने योजनाओं/परियोजनाओं की संस्वीकृति हेतु सांकेतिक रूप से 160.00 करोड़ रुपए आबंटित किए। वर्ष के दौरान 31.12.2011 तक निगम ने आय सृजन क्रियाकलापों के 157.80 करोड़ रुपए के अपने भाग को 101025 लाभ प्राप्त करने वालों के आर्थिक विकास के लिए

आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत 104 योजनाओं को स्वीकृत किया। उपरोक्त में, महिला लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए विशिष्ट योजना एएमएसवाई के तहत 6197 महिला लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए 16.55 करोड़ रुपए तथा लघु ऋण योजना के तहत 3923 लाभार्थियों के लिए 5.30 करोड़ रुपये की संस्वीकृति भी शमिल है।

(ख) **प्रशिक्षण के लिए अनुदान :** वर्ष के दौरान, 31.12.2011 तक एनएसटीएफडीसी के दक्षता एवं इंटरप्रेनरशिप विकास कार्यक्रमों के अनुदान के रूप में 3.30 लाख रुपए संस्वीकृत किए हैं। इन प्रचालनों के स्तर को बढ़ाने के लिए एससीए ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उपयुक्त प्रस्ताव अग्रेषित करने का अनुरोध किया है।

(ग) **वसूली:** 31.12.2011 तक संचयी वसूली प्रतिशतता 82.17 प्रतिशत है।

वर्ष 2011-12 के लिए समझौता ज्ञापन : निगम ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तथा विभिन्न क्रियाकलापों के लिए लक्ष्यों/मानदण्डों का निर्धारण किया। इससे निगम के कार्य-निष्पादन में सुधार होने की संभावना है तथा इससे लक्षित अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय ने भी समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों/मानदण्डों की क्रियान्वयन प्रगति की समीक्षा की।

आंध्र प्रदेश के भद्राचलम आईटीडीए में जनजातीय लोगों के लिए यंत्र चलित नावें

एनएसटीएफडीसी की सफल कहानियां

श्रीमती आरती हंसा निवासी गांव महालिडिह, पोस्ट बारी, जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल कृषि मजदूर थी तथा प्रतिवर्ष 9000/– रुपये कमाती थी। परिवार की दैनिक आवश्यकताओं के लिए उनकी अल्प आय पर्याप्त नहीं थी। उन्हें बड़ी बहुद्देश्यीय सहकारी समिति (एलएएमपीएस) के माध्यम से एनएसटीएफडीसी योजनाओं के बारे में जानकारी मिली और ग्रोसरी दुकान खोलने हेतु पश्चिम बंगाल जनजातीय विकास सहकारी निगम लिमिटेड के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन दिया। उन्हें 20000/– रुपये का ऋण 10000/– रुपये राजसहायता (सब्सिडी) के साथ संस्वीख़त हुआ था। उनकी कड़ी मेहनत के कारण ग्रोसरी दुकान सफलतापूर्व चल रही है तथा प्रतिमाह लगभग 3000/– रुपये कमाती हैं। अब, वह अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में समर्थ हैं। लाभार्थी ऋण का पुनर्भुगतान में नियमित रूप से कर रही हैं तथा उन्हें एनएसटीएफडीसी लाभार्थी के रूप में चिह्नित किए जाने का गर्व है।

श्री रंगप्पा गिलिकेनहल्ली निवासी, होलालकेरी तालुक, जिला चित्रदुर्गा, कर्नाटक को कर्नाटक अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड की गंगा कल्याण योजना के तहत सिंचाई सुविधा प्रदान की गई थी। नलकूप यूनिट की कुल लागत 1.00 लाख रुपये है। सुनिश्चित सिंचाई की वजह से लाभार्थी वर्षभर सब्जी उत्पन्न करते हैं। उनकी कुल कृषि आय जो न्यूनतम थी अब बढ़कर 1.25 लाख रुपये हो गई है और खर्च तथा पुनर्भुगतान काटने के पश्चात उनकी कुल कृषि आय प्रतिवर्ष 75,000/– रुपये है। अब उनका परिवार आर्थिक रूप से स्वावलम्बित है और उनके परिवार में परिवर्तन लाने हेतु एनएसटीएफडीसी तथा केएसटीडीसी दोनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

अध्याय 9

शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्यक्रम

अनुसूचित जनजाति के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु योजना

9.1 उद्देश्य : योजना का उद्देश्य ऐसे जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रावास आवास देकर जनजातीय विद्यार्थियों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देना है, जो अपनी खराब आर्थिक स्थिति और अपने गांवों में दूर-दराज की अवस्थिति के कारण अपनी शिक्षा को अन्यथा जारी रखने में असमर्थ होते हैं। इस योजना को दिनांक 01-04-2008 से संसोधित कर दिया गया है।

9.2 कवरेज : योजना देश में संपूर्ण अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या को कवर करती है न कि क्षेत्र विशिष्ट को। तथापि, योजना के तहत छात्रावासों की संस्वीकृति जहाँ तक संभव होगा स्थापित शैक्षिक संस्थानों के एक भाग के रूप में या ऐसे संस्थानों/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के बिल्कुल नजदीक दी जाएगी।

9.3 निधिकरण प्रतिमान : यह केन्द्र और राज्यों के बीच लागत विभाजन के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। संशोधित योजना के तहत, राज्य सरकारें सभी लड़कियों के छात्रावासों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों (समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए) में लड़कों के छात्रावासों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा प्राप्त करने की पात्र हैं। अन्य लड़कों के छात्रावासों के लिए राज्य सरकारों हेतु निधियन प्रणाली 50:50 के अनुपात में है। संघ शासित प्रदेशों के मामले में केन्द्र सरकार लड़के तथा लड़कियों दोनों के छात्रावासों हेतु निर्माण की पूरी लागत वहन करती है। अनुसूचित जनजाति की छात्राओं एवं छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में छात्रावासों हेतु भी अन्य छात्रावासों के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही निधियां प्रदान की जाती हैं। इस उद्देश्यार्थ संसद सदस्य राज्य हिस्से के स्थान पर अपने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से भी निधियाँ प्रदान कर सकते हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालय 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे जबकि अन्य विश्वविद्यालय 45 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सेदारी, 45 प्रतिशत राज्य हिस्सेदारी के लिए पात्र होंगे तथा शेष 10 प्रतिशत हिस्सा संबंधित विश्वविद्यालय को स्वयं वहन करना होगा। यदि संबंधित राज्य सरकारें उपर्युक्त निर्धारण के अनुसार विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत हिस्सा प्रदान नहीं करती हैं तो राज्य सरकार का हिस्सा भी संबंधित विश्वविद्यालय को ही वहन करना होगा तथा इस प्रकार से उनका योगदान 55 प्रतिशत तक हो जाएगा।

9.4 मुख्य विशेषताएं :

(i) इस योजना में मिडिल, माध्यमिक, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए मौजूदा छात्रावास भवनों के विस्तार और नए छात्रावासों के निर्माण और मौजूदा छात्रावास भवनों के विस्तार का प्रावधान है।

(ii) राज्य सरकार भवन के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था नि:शुल्क करती है।

(iii) यह योजना छात्रावास चलाने के लिए आवर्ती व्यय प्रदान नहीं करती।

(iv) छात्रावासों का रख-रखाव और उनके प्रयोग के लिए विनियमन राज्य सरकार क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

9.5 आबंटन : दसवीं पंचवर्षीय योजना में लड़कों और लड़कियों के छात्रावासों की योजनाओं का विलय कर कुल 134.24 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया गया था। वर्ष 2011-12 के लिए 78.00 करोड़ रुपये के आबंटन के विरुद्ध 31 दिसंबर

2011 तक 37.59 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था।

9.6 कार्य निष्पादन : वर्ष 2011-12 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के छात्रों और छात्राओं के छात्रावासों के लिए अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, त्रिपुरा, तथा उत्तराखंड को 37.59 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। 2009-10 से 2011-12 (31-12-2011 तक) के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और विश्वविद्यालयों को स्वीकृत किए गए छात्रावासों और जारी किए गए सहायता-अनुदानों के ब्यौरे **अनुलग्नक: 9(क)** में दिए गए हैं।

9.7 छात्रावासों के संचलन तथा रख रखाव की जिम्मेदारी केवल सम्बंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विश्व विद्यालय की है। यदि छात्रावासों के खराब रखरखाव के सम्बन्ध में कोई शिकायत मंत्रालय के नोटिस में लाई जाती है तो इसे राज्य सरकार के पास भेजा जाता है। मंत्रालय ने इस पर विचार किया है तथा राज्य सरकारों से छात्रावासों में बच्चों के लिए शौचालयों, स्नानागारों, पेयजल, बिस्तर, पोषक खादय तथा सहज वातावरण जैसी पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं सृजित करने तथा पर्याप्त समर्थनकारी स्टाफ प्रदान करने और इस उद्देश्य के लिए अपने राज्य बजट में निधियां देने के लिए कहा गया है।

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना हेतु योजना

9.8 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य, पीटीजी सहित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ावा देना और उनका विस्तार करना है। आश्रम स्कूलों में आवासीय सुविधाओं सहित सीखने के लिए अनुकूल माहौल में शिक्षा प्रदान की जाती है। योजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 (01.04.2008 से) से संशोधित कर दिया गया है।

9.9 कवरेज : यह योजना 22 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हुए देश के सभी जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों को कवर करती है।

9.10 निधियन पद्धति : यह केन्द्र एवं राज्यों के बीच लागत भागीदारी आधारित केन्द्र प्रायोजित योजना है। राज्य सरकारें सभी लड़कियों के आश्रम स्कूलों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में (समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए क्षेत्र) लड़कों के आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा प्राप्त करने की पात्र हैं। लड़कों के आश्रम स्कूलों हेतु राज्य सरकारों के साथ हिस्सेदारी 50:50 के अनुपात पर आधारित है। संघ शासित राज्यों के मामलों में, केन्द्र सरकार लड़कों के एवं लड़कियों के आश्रम स्कूलों के निर्माण की पूरी लागत वहन करती है। संसद सदस्य इस उद्देश्यार्थ 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' से राज्यों के हिस्से के स्थान पर निधियाँ प्रदान कर सकते हैं।

9.11 मुख्य विशेषताएं :

(i) इस योजना में शिक्षा के प्राथमिक स्तर से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्कूल भवनों के निर्माण के लिए धनराशि का प्रावधान है तथा पीटीजी सहित जनजातीय लड़के-लड़कियों हेतु वर्तमान आश्रम स्कूलों के स्तरोन्नयन हेतु भी निधियाँ प्रदान की जाती हैं।

(ii) इस योजना के अंतर्गत, स्कूल भवनों के अतिरिक्त छात्रों के लिए छात्रावास तथा स्टॉफ क्वार्टरों का निर्माण भी किया जाता है। राज्य सरकार आश्रम स्कूलों के लिए नि:शुल्क भूमि देती है।

(iii) स्कूल और छात्रावास के पुस्तकालय के लिए फर्नीचर, उपस्करों, स्कूल पुस्तकालय के लिए पुस्तकों आदि की खरीद जैसी व्यय की अन्य अनावर्ती मदों के लिए भी 50:50 के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) इस योजना के अंतर्गत केवल पूंजी लागत की व्यवस्था की जाती है। आवर्ती खर्चों को राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

(v) नए स्कूलों के लिए स्थान तथा दाखिला नीति का निर्धारण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाना चाहिए।

(vi) आश्रम स्कूल का निर्माण कार्य केन्द्रीय सहायता जारी होने के दो वर्षों के भीतर किया जाना अनिवार्य है। तथापि, वर्तमान आश्रम स्कूलों के

विस्तार हेतु निर्माण की अवधि 12 महीने है।

9.12 आबंटन : दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 78.30 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई। वर्ष 2011-12 के लिए आबंटन 75.00 करोड़ रुपये है।

9.13 कार्य निष्पादन: 31 दिसंबर 2011 तक गुजरात, मध्यप्रदेश तथा ओडिशा की राज्य सरकारों को 68.65 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं। 2009-10 से 2011-12 (31.12.2011 तक) के दौरान स्वीकृत आश्रम विद्यालयों और निर्मुक्त किए गए अनुदानों के ब्यौरे **अनुलग्नक-9(ख)** में दिए गए हैं।

9.14 छात्रावासों के संचलन तथा रख रखाव की जिम्मेदारी केवल सम्बंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विश्व विद्यालय की है। यदि छात्रावासों के खराब रखरखाव के सम्बन्ध में कोई शिकायत मंत्रालय के नोटिस में लाई जाती है तो इसे राज्य सरकार के पास भेजा जाता है। मंत्रालय ने इस पर गंभीर विचार किया है तथा राज्य सरकारों से

अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा - योजनाएं एक नजर में :

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	स्नातक (3)	पी.जी (2)	एम.फिल	पीएच.डी (1तथा ½)
आश्रम विद्यालयों की स्थापना लड़कियों के आश्रम स्कूलों तथा समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए केवल नक्सल प्रभावित जिलों में लड़कों के आश्रम स्कूलों हेतु राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है तथा लड़कों के लिए अन्य आश्रम स्कूलों एवं टीएसपी राज्यो में निधियन 50:50 अनुपात के आधार पर जारी रहेगा। संघ शासित प्रदेशों को आश्रम स्कूलों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनावर्ती मदों जैसे फर्नीचर, उपस्करों, पुस्तकालय पुस्तकों इत्यादि के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।														
										मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति छात्रावासियों के लिए 380 रुपए से 1200 रु. तक प्रतिमाह और दिवा छात्रों के लिए 230 रु. से 550 रु. प्रतिमाह अनुरक्षण भत्ता+अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क की प्रतिपूर्ति (1-7-2010 से अधिकतम आय 2.00 लाख रू प्रतिवर्ष)				
								प्रतिभा उन्नयन प्रति विद्यार्थी प्रति माह 19500/- रु. तक							
												उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना सरकारी संस्थानों के लिए-पूरा शिक्षा-शुल्क और अप्रतिदेय राशि। निजी संस्थाओं के लिए प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 2 लाख रुपए तक+अन्य भत्ते यदि लागू हों।			

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	स्नातक (3)	पी.जी (2)	एम.फिल	पीएच.डी (1तथा ½)
													राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना		
													अनुरक्षण भत्ता प्रतिवर्ष 14000/- अमरीकी डालर और प्रतिवर्ष 9000/- यू.के. पौंड+ अन्य भत्ते यदि लागू हों।		
													राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति- 2 वर्षों के लिए 16000/- रुपए प्रति माह की दर से वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति 18000/- रुपए प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए		

छात्रावासों का निर्माण

लड़कियों के छात्रावासों तथा समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए नक्सल प्रभावित जिलों में लड़कों के छात्रावासों हेतु राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है तथा लड़कों के लिए अन्य छात्रावासों में निधियन 50:50 अनुपात के आधार पर जारी रहेगा। संघ शासित प्रदेशों को छात्रावासों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनावर्ती मदों जैसे उपस्करों, फर्नीचर, पुस्तकालय पुस्तकों इत्यादि के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्रावासों के निर्माण के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 90 प्रतिशत तथा अन्य विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत तक सहायता प्रदान की जाती है।

* कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्षों की संख्या दर्शाते हैं।

शौचालयों, स्नान घरों, जैसी पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं सृजित करने और इस उद्देश्य के लिए अपने राज्य बजट में निधियां देने के लिए कहा गया है तथा इस उद्देश्य के लिए निर्माण लागत राज्य लो.नि.वि की अनुसूचित दरों के अनुसार हैं।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और प्रतिभा उन्नयन योजना

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस)

9.15 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ बनाया जा सके। यह योजना कुछ संशोधनों के साथ 1.7.2010 से संशोधित की गई है।

9.16 क्षेत्र : यह योजना सभी अनुसूचित जनजातीय छात्रों, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 1.7.2010 से 2.00 लाख रुपये अथवा उससे कम है, के लिए खुली है तथा छात्रवृत्तियां उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, जहां के वे निवासी हैं। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) कोर्स भी मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष 10 पात्र अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सीपीएल पाठ्यक्रम के लिए 10 प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का चयन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय

(डीजीसीए) द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। सीपीएल पाठ्यक्रम के लिए आवेदन विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं।

9.17 मुख्य विशेषताएं :

(i) छात्रों को अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए अलग दरों से छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। पाठ्यक्रमों को चार श्रेणियों में बांटा गया है और दरें 230/- रुपये प्रति मास से लेकर 1200/- रुपये प्रति मास हैं। इसके अलावा, अनिवार्य शुल्क की भी प्रतिपूर्ति की जा रही है।

(ii) दृष्टिहीन छात्रों के लिए रीडर्स भत्ते का प्रावधान है। विकलांगों के लिए सहायक और परिवहन भत्ते का प्रावधान है।

(iii) छात्रवृत्ति वार्षिक आधार पर पाठयक्रम की पूरी अवधि के लिए प्रदान की जाती है और यह छात्र के संतोषजनक निष्पादन और अच्छे आचरण पर निर्भर करती है।

(iv) कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स (सीपीएल) को समूह-1 के तहत शामिल किया गया है।

9.18 निधियन पद्धति :

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन संबंधित राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की प्रतिबद्ध देयता के अलावा 100% सहायता मंत्रालय से प्राप्त करते हैं। प्रतिबद्ध देयता पिछली पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत उनके द्वारा किया गया वास्तविक व्यय है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिबद्ध देयताएं वहन की जाती हैं। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों को 1997-98 से अपनी प्रतिबद्ध देयता के लिए अपने स्वयं के बजटीय प्रावधान करने से छूट दी गई है तथा सिक्किम राज्य सरकार को 2007-08 से भी छूट दी गई है। इस योजना के अंतर्गत उनके संबंध में सम्पूर्ण व्यय मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है।

9.19 कार्य-निष्पादन :

दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिभा उन्नयन और पुस्तक बैंक की दो लघु योजनाओं का विलय मैट्रिकोत्तर योजना के साथ कर दिया गया और संयुक्त योजना के लिए 383.09 करोड़ रुपये की धनराशि का आबंटन किया गया। वर्ष 2011-12 के लिए पूर्वोत्तर संघटक सहित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 667.50 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था। 31.12.2011 तक 669.02 करोड़ रुपये उन राज्यों को निर्मुक्त किए जा चुके हैं, जिनसे पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वर्ष 2009-10 से 2011-12 (31-12-2011 तक) के दौरान लाभार्थियों की राज्यवार कवरेज तथा निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता **अनुलग्नक-9 (ग)** में दी गई है।

पुस्तक बैंक

9.20 उद्देश्य : व्यावसायिक पाठयक्रमों में चुने गए अनुसूचित जनजाति के अनेक छात्रों के लिए अपने विषयों की पुस्तकें उपलब्ध न होने के कारण शिक्षा जारी रखना कठिन होता है क्योंकि ये अधिकांशत: महंगी होती हैं। व्यावसायिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों से अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा पढ़ाई छोड़ कर जाने की दर कम करने के लिए इस योजना के अंतर्गत पुस्तकें खरीदने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

9.21 प्रमुख विशेषताएं : यह योजना अनुसूचित जनजाति के उन सभी छात्रों के लिए खुली है जो मेडिकल (मेडिसिन और होमियोपैथी की भारतीय प्रणालियों सहित), इंजीनियरी, कृषि, पशुचिकित्सा, पॉलीटेक्नीक, कानून, चार्टर्ड एकाउंटेंसी, व्यापार प्रबंधन, जैव विज्ञान विषय में पढ़ते हैं, और जो मैट्रिकोत्तर छात्रवृति प्राप्त कर रहे हैं।

(i) पुस्तक बैंक के प्रयोजन के लिए पुस्तकें पाठ्य पुस्तकों तक सीमित हैं।

(ii) स्नात्तकोतर पाठयक्रमों और चार्टड एकाउंटेंसी को छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक पाठयक्रमों के दो छात्रों के लिए पुस्तकों का एक सैट खरीदा जाता है, जबकि इन दोनों पाठ्यक्रमों के प्रत्येक छात्र के लिए एक सैट खरीदा जाता है।

(iii) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकों के एक सैट का निर्णय लिया जाता है।

(iv) पुस्तकों के प्रत्येक सैट की प्राप्त-अवधि 3 वर्ष नियत की जाती है।

(v) पुस्तक बैंकों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य

क्र. स.	पाठ्यक्रम	एक सैट की लागत (2 विद्यार्थियों के लिए एक सेट)
I	**डिग्री पाठ्यक्रम**	
1	मेडिकल	7,500/- रुपये
2	इंजीनियरिंग	7,500/-रुपये
3	पशुचिकित्सा	5,000/-रुपये
4	कृषि	4,500/-रुपये
5	पोलिटेक्निक	2,400/-रुपये
II	**स्नातकोत्तर पाठयक्रम**	
1	मेडिकल, इंजीनियरिंग	5,000/-रुपये (प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 1 सेट)
2	व्यवसाय प्रबंधन,	
3	कानून	
4	जैव विज्ञान	

क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित उच्चतम सीमा अथवा सैट की वास्तविक लागत, जो भी कम है, तक सीमित होती है।

इस योजना में स्टील की अलमारी की खरीद, परिवहन लागत आदि के लिए 2000/- रुपये अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, की व्यवस्था है। पुस्तकें संबंधित विश्वविद्यालय/कॉलेज को प्रदान की जाती हैं और शैक्षिक वर्ष के लिए विद्यार्थियों को जारी की जाती हैं।

9.22 वित्तपोषण पद्धति : यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है और खर्चे केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 के आधार पर बांटे जाते हैं। तथापि, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संबंध में मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान दिए जाते हैं।

प्रतिभा उन्नयन

9.23 इस योजना का पीटीजी विद्यार्थियों सहित अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को आवासीय विद्यालयों में शिक्षा सहित चहुमुखी विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रतिभा का उन्नयन करना है ताकि वे अन्य उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में दाखिले तथा वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी व्यवसायों में अन्य विद्यार्थियों के साथ मुकाबला कर सकें। यह योजना पीएमएस की उस योजना के रूप में कार्य कर रही है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 से संशोधित कर दिया गया था।

9.24 मुख्य विशेषताएं

(i) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन छात्रावास की सुविधाओं वाले तथा कक्षा 9 से 12 की परीक्षाओं में छात्रों के कार्य निष्पादन में उत्कृष्टता दिखाने वाले विभिन्न जिलों/शहरों में कुछ स्कूलों को चुनते हैं। मंत्रालय वार्षिक रूप से प्रत्येक राज्य के लिए पुरस्कारों (अवार्डों) की कुल संख्या निर्धारित करता है।

(ii) पहचान किए गए स्कूलों में कोचिंग 9वीं कक्षा से आरंभ हो जाती है और जब तक उम्मीदवार 12वीं कक्षा पूर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक जारी रहती है।

(iii) कोचिंग भाषा, विज्ञान, गणित में दी जाती है और इसके साथ-साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग एवं मेडिकल में प्रवेश के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है।

(iv) जनजातीय छात्रों को चुनते समय उद्देश्य कम से कम 30% लड़कियों तथा 3% विकलांग छात्रों को शामिल करने का रहता है।

(v) वर्ष 2008-09 से 19,500 रु. का एक संशोधित पैकेज अनुदान प्रति छात्र प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है जिसमें प्रधानाचार्य या कोचिंग प्रदान करने वाले विशेषज्ञों को भुगतान किया जाने वाला मानदेय और साथ ही आकस्मिक व्यय को पूरा करना शामिल है।

(vi) विकलांग छात्रों को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है।

(vii) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के कार्यान्वयन के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

9.25 आबंटन : दसवीं पंचवर्षीय योजना में संयुक्त मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए आबंटन 383.09 करोड़ रुपये था। वर्ष 2011-2012 के लिए प्रतिभा उन्नयन योजना के लिए 1.50 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था।

9.26 कार्य निष्पादन : 31 दिसम्बर, 2011 तक, गुजरात ,मध्यप्रदेश और त्रिपुरा राज्य सरकारों को 624 विद्यार्थियों के लिए 1.14 करोड रु. की राशि निर्मुक्त की गई। वर्ष 2009-10 से 2011-12 (31-12-2011 तक) के दौरान राज्यवार लाभार्थियों की कवरेज तथा निर्मुक्त राशि **अनुलग्नक-9(घ)** में दी गई है।

विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना (एनओएस):

9.27 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य केवल इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में उच्चतर अध्ययन (मास्टर्स, डाक्टोरल तथा पोस्ट डाक्टोरल स्तर) कर रहे अनुसूचित जनजातीय छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह गैर-योजना स्कीम थी जो 2007-08 से योजना-स्कीम बन गई।

9.28 क्षेत्र : मैट्रिकोत्तर, डाक्टोरल तथा पोस्ट डाक्टोरल स्तर के पाठ्यक्रमों में पढ़ने के लिए अधिकतम 13 अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवारों तथा दो आदिम जनजातीय समूह के उम्मीदवारों को वार्षिक रूप से छात्रवृत्ति दी जाती है। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती है।

9.29 मुख्य विशेषताएं

(i) यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवार (प्रत्येक परिवार से एक सदस्य) को दी जाती है जिसकी आयु विज्ञापन की तारीख को 35 वर्ष तक है, बशर्ते कि उम्मीदवार या उसके माता-पिता/ अभिभावकों की कुल आय 25,000 रु. प्रतिमाह से अधिक न हो।

(ii) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव हो, एम.फिल अथवा पीएच.डी. पाठ्यक्रम के लिए प्रथम श्रेणी के साथ 60% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातक डिग्री हो तथा दो वर्षों का कार्य अनुभव हो। एम फिल या पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए प्रथम श्रेणी के साथ 60% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री तथा दो वर्षों का अनुसंधान/शिक्षण/कार्य अनुभव हो। पोस्ट डाक्टोरल अध्ययन के लिए उम्मीदवार के साथ डाक्टोरल डिग्री सहित 60% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री सहित संगत क्षेत्र में 5 वर्षों का अध्यापन/अनुसंधान/ व्यावसायिक अनुभव हो।

(iii) उम्मीदवारों से विदेश में किसी विश्वविद्यालय/ संस्थान से चयन की तारीख से 3 वर्षों के अंदर अपने द्वारा स्वयं दाखिले की व्यवस्था करना अपेक्षित है।

(iv) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्त्ताओं को 14,000 अमेरिकी डॉलर या 9000 पौंड प्रति वर्ष का अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाता है जिसे वे 2400 अमेरिकी डॉलर या 1560 पौंड प्रतिवर्ष अनुसंधान/अध्यापन असिस्टेंटशिप कार्य आरंभ करने के द्वारा सम्पूरित कर सकते हैं। इस सीमा से अधिक कमाई के मामले में, भारतीय मिशन तदनुरूप मंजूर किए गए अनुरक्षण भत्ते को कम कर सकता है।

(v) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को भारत लौटने के बाद कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रहना आवश्यक है।

9.30 इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति तथा आदिम जनजातीय समूह के उम्मीदवारों को चार वार्षिक ''यात्रा अनुदान'' भी प्रदान किए जाते हैं। यात्रा अनुदान ऐसे उम्मीदवारों के लिए पूरे वर्ष भर खुले हैं जो विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययनों, अनुसंधान या प्रशिक्षण के लिए किसी विदेशी विश्वविद्यालय/सरकार या किसी अन्य योजना के अंतर्गत, जहां यात्रा की लागत नहीं दी जाती, प्रतिभा छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। यह योजना इकानॉमी क्लास द्वारा भारत से आने-जाने की यात्रा के लिए अनुदान उपलब्ध कराती है।

9.31 निधियन पद्धति : चुने हुए उम्मीदवारों को भारतीय मिशन के माध्यम से मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर अनुदान दिए जाते हैं।

9.32 आबंटन : वर्ष 2011-12 के लिए 1.00 करोड़ रुपये का आबंटन है।

9.33 कार्य निष्पादन : वर्ष 2010-11 के लिए एनओएस हेतु अवार्ड प्रदान करने के लिए 10 विद्यार्थियों का अनंतिम रूप से चयन किया गया है। वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में एनओएस की प्राप्ति पर 1 तथा 4 विद्यार्थी विदेश गए।

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति(आरजीएनएफ)

9.34 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को एम.फिल और पीएच.डी. जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु फेलोशिप के रूप में वित्तीय सहायता देना है। यह योजना 2005-06 से शुरू की गई है।

9.35 कवरेज : इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त सभी विश्वविद्यालय/ संस्थान कवर किए जाएंगे। अध्येतावृत्ति की अवधि निम्नानुसार है:-

9.36 वित्तपोषण पद्धति : जेआरएफ एवं एसआरएफ के लिए अध्येतावृत्ति दर, समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी अध्येतावृत्ति के समान होगी। ये मौजूदा दरें नीचे दी गई हैं।

पाठ्यक्रम का नाम	अधिकतम अवधि	जेआरएफ और एसआरएफ की स्वीकार्यता	
	जेआरएफ	जेआरएफ	एसआरएफ
एम. फिल	2 साल	2 साल	शून्य
पीएच. डी	5 साल	2 साल	शेष 3 साल
एम. फिल+पीएचडी	5 साल	2 साल	शेष 3 साल

9.37 मुख्य विशेषताएं :

क्र.सं.	मद	राशि
1	विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए अध्येतावृत्ति	16000/- रुपये प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जेआरएफ) 18000/- रुपये प्रतिमाह शेष अवधि के लिए (एसआरएफ)
2.	इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी में अध्येतावृत्ति	18000/- रुपये प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जेआरएफ) 20000/- रुपये प्रतिमाह शेष अवधि के लिए (एसआरएफ)
3	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए आकस्मिक व्यय	10000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 20500/- रुपये प्रतिवर्ष शेष अवधि के लिए
4	विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी के लिए आकस्मिक व्यय	12000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 25000/- रुपये प्रतिवर्ष शेष अवधि के लिए
5	विभागीय सहायता (सभी विषय)	अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए मेजबान संस्थान को 3000/-रुपये प्रतिवर्ष प्रति छात्र
6	अंगरक्षण/वाचक सहायता (सभी विषय)	शारीरिक एवं दृष्टि विकलांग अभ्यर्थियों के मामले में 2000/-रुपये प्रतिमाह की दर से

- इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को 667 अध्येतावृत्तियाँ दी जाएंगी।
- अध्येतावृत्ति की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है।
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को एम.फिल और पीएच.डी. जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है।
- यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।
- इसकी स्नातकोत्तर परीक्षा में अथवा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण करने में न्यूनतम अंकों का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

9.38 आबंटन : वर्ष 2011-12 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 62.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। 31.12.2011 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 62.00 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई थी।

9.39 कार्य निष्पादन: आर जी एन एफ की योजना के तहत इसकी शुरुआत से नई एवं चालू अध्येतावृतियों सहित 3335 अध्येतावृतियां दी गई हैं।

अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा की योजना

9.40 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजातीय छात्रों को संस्थानों की चुनिंदा सूची में से किसी एक में, जिसमें छात्रवृत्ति योजना संचालित होगी, डिग्री और पोस्ट-डिग्री स्तर पर अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना 2007-08 से शुरू की गई है।

9.41 कवरेज : इस योजना के अंतर्गत सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में अनुमोदित 183 संस्थाएं हैं, जिनमें प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विधि तथा वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र को कवर किया गया है। प्रत्येक संस्थान को पांच अवार्ड आबंटित किए गए हैं, जिनमें प्रतिवर्ष कुल अधिकतम 625 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

9.42 मुख्य विशेषताएं

(i) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की पारिवारिक आय सभी स्रोतों से 2 लाख रु. प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, निजी क्षेत्र के संस्थानों में प्रति छात्र 2 लाख रु. प्रति वर्ष की सीमा होगी और वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण के लिए निजी क्षेत्र के उड़ान क्लबों के लिए प्रति छात्र 3.72 लाख रु. प्रति वर्ष की सीमा होगी।

(ii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी/सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के संबंध में पूरा ट्यूशन शुल्क और अन्य अप्रतिदेय राशियों को शामिल करते हुए छात्रवृत्ति दी जाएगी।

(iii) इस छात्रवृत्ति में (क) आजीविका व्यय प्रति माह 2200 रु. प्रति छात्र, वास्तविक व्यय के अधीन, (ख) पुस्तकें और स्टेशनरी प्रति वर्ष प्रति छात्र 3000 रु. और (ग) सहायक वस्तुओं सहित नवीनतम कम्प्यूटर प्रणाली की लागत के रूप में पूरे पाठ्यक्रम के दौरान एक बार 45000 रुपये की सीमा तक सहायता प्रदान की जाएगी ।

(iv) योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर वित्तपोषित होगी तथा निधि संबंधित संस्था को सीधे निर्मुक्त की जाएगी।

9.43 आबंटन : वर्ष 2011-12 के दौरान योजना के तहत 5 करोड़ रु. की राशि का आबंटन किया गया है। इसके विरुद्ध 31.12.2011 तक 4.02 करोड़ रुपये व्यय किए गए

9.44 कार्य निष्पादन : अब तक 35 संस्थानों में 233 विद्यार्थियों को उच्च श्रेणी शिक्षा अध्येतावृति प्रदान की गई।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (वीटीसी)

9.45 उद्देश्य : इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न परम्परागत/आधुनिक व्यवसायों में लगे जनजातीय युवाओं की प्रतिभा का उन्नयन करना है जो उनकी शैक्षिक योग्यता,

मौजूदा आर्थिक प्रवृति और बाजार संभाव्यता पर निर्भर है, और जो उन्हें उपयुक्त रोजगार दिलाने अथवा उन्हें स्व-नियोजित बनने में समर्थ बनाएगा। इस योजना को 1.4.2009 से संशोधित किया गया है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, सरकार द्वारा स्वायत निकायों के रूप में स्थापित संस्थाओं अथवा संगठनों, स्थानीय निकायों और सहकारी समितियों जैसे शैक्षिक और अन्य संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

9.46 कवरेज : योजना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कवर करती है। योजना केवल अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी के लाभ के लिए है। यथासंभव न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें जनजातीय छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी।

योजना के अन्तर्गत स्थापित प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी) को अधिकतम पांच ट्रेड प्रदान किए जा सकते हैं और यह 100 अथवा इससे अधिक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा अर्थात एक ट्रेड के लिए कम से कम 20 उम्मीदवार होने चाहिए। इसमें मासिक वजीफे और प्रशिक्षणार्थी के लिए कच्चे माल का प्रावधान है। निधियन दो तरीकों से किया जाएगा:

(क) मुख्यत: दूरस्थ क्षेत्रों/सुविधा वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में वीटीसी स्थापित करके उनका संचालन करके;

(ख) नगरों/जिलों आदि में पहले से ही मौजूद संस्थानों जैसे आईटीआई, पोलीटैक्नीक, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और अन्य निजी मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी उम्मीदवारों के लिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण का समर्थन करके। दोनों मामलों में दिए गए मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षणार्थी को प्रतिवर्ष अधिकतम 30,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।

9.47 वित्त-पोषण पद्धति : इस योजना के अंतर्गत 100% अनुदान राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किया जाएगा जो इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं।

9.48 मुख्य विशेषताएं :

(क) योजना पीटीजी के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए कार्यान्वित की जाएगी तथा देश में कहीं भी की जा सकती है परन्तु प्राथमिकता विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह द्वारा आबाद सुदूर जनजातीय क्षेत्रों और चरमपंथी गतिविधियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों को दी जाएगी।

(ख) योजना के अंतर्गत, आधुनिक ट्रेडों, जिनमें क्षेत्र में रोजगार संभाव्यता हो, ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(ग) यह योजना एकमात्र रूप से अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी के लाभ के लिए है। वीटीसी चलाने वाले संगठन अनुसूचित जनजातियों के युवाओं को, उस क्षेत्र/राज्य जिससे वे संबंधित हैं, को ध्यान में रखे बिना, प्रवेश देंगे;

(घ) संबंधित संगठन (अर्थात राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठन/अन्य संगठन आदि) की ओर से, तत्संबंधी क्षेत्र/राज्य में उपलब्ध उद्योगों के प्रकार मौजूदा आर्थिक प्रवृति, बाजार संभाव्यता, लक्षित आबादी की शैक्षिक योग्यता आदि पर निर्भर करते हुए, ट्रेडों को प्रस्तावित करने से पूर्व, अग्रिम रूप से रोजगार संभाव्यता का निर्धारण करना अनिवार्य होगा।

(ङ) संगठन उन मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ सम्पर्क स्थापित करेंगे, जो उम्मीदवारों को उन ट्रेडों में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा प्रदान कर सकते हैं, जिनमें उन्हें प्रशिक्षित किया गया है ।

(च) संस्थान/संगठन (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चलाए जाने वाले संस्थान और गैर-सरकारी संगठन) जो पहले से ही इस मंत्रालय की सहायता से परियोजना चला रहे हैं और नए आवेदक संस्थान/संगठन भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय से "मोड्यूलर एम्प्लोयेबल स्किल्स (एमईसी)" के अन्तर्गत अथवा रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय (श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) के अन्तर्गत जो भी लागू हो, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिसर से "क्राफ्टसमैन ट्रेनिंग स्कीम (सीटीएस)" जो भी लागू हो, के अन्तर्गत मान्यता/संबंधन/प्रत्यायन प्राप्त करेंगे/रखेंगे।

(छ) संगठन को स्थापना सेवाओं के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहिए और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद

स्व-रोजगार में रूचि रखने वाले उम्मीदवारों के लिए, संगठन वितीय संस्थाओं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), बैंकों आदि के माध्यम से उनके लिए आसान माइक्रो फाइनेंस/ऋण का प्रबंध करेगा। प्राथमिकता उन संस्थानों को दी जाएगी, जो प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्लेसमेंट/रोजगार की गारंटी देंगे।

(ज) यथासंभव, न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें जनजातीय छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी;

(झ) योजना के पैरा 2 में यथा विनिर्दिष्ट सहायता के लिए पात्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/राज्य स्वामित्व प्राप्त संस्थानों/स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य निजी संगठनों को 100 प्रतिशत सहायता-अनुदान दिया जाएगा;

(ञ) सहायता-अनुदान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/राज्य स्वामित्व प्राप्त संस्थानों को एक वर्ष में एक किस्त में दिया जाएगा और सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार गैर सरकारी संगठनों/निजी संस्थानों को दो किस्तों में दिया जाएगा;

(ट) इस योजना के अन्तर्गत निधियन दो तरीकों से किया जाएगा: (i) मुख्यत: दूरस्थ क्षेत्रों/सुविधा वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में वीटीसी स्थापित करके उनका संचालन करके; (ii) नगरों/जिलों आदि में पहले से ही मौजूद संस्थानों जैसे आईटीआई, पोलीटैक्नीक, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और अन्य निजी मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी उम्मीदवारों के लिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण का समर्थन करके। परिशिष्ट-। में दिए गए मानदण्डों के अनुसार दोनों मामलों में दिए गए मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षणार्थी को प्रतिवर्ष अधिकतम 30,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।

आवर्ती

(क) प्रतिवर्ष प्रति प्रशिक्षार्थी 30,000/- रुपये में निम्निलिखित शामिल है :-

(i) प्रशिक्षार्थी को प्रतिमास 700/- रुपये वजीफा।

(ii) उपकरणों को प्राप्त करने, कच्चे माल आदि के लिए प्रति प्रशिक्षार्थी को प्रतिवर्ष 1600/- रुपये।

(iii) प्राध्यापक वर्ग/सहायक स्टाफ आदि को मासिक मानदेय।

(iv) प्रशिक्षार्थियों के छात्रावास/आवास, बिजली तथा जल प्रभार आदि।

(ख) किराए के मकान के संबंध में, वास्तविक के अनुसार उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त वार्षिक किराया स्वीकार्य होगा और उच्चतम सीमा प्रति माह 10,000/- रुपये होगी। यह राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा **किराया आकलन प्रमाणपत्र** के प्रस्तुतीकरण के अधीन होगा। यदि मकान का स्वामित्व/संगठन द्वारा रखा जाता है तो मात्र 10% जमाबन्दी मूल्य (राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाणित) स्वीकार्य होगा, प्रति वर्ष रखरखाव प्रभार प्रदान किया जायेगा।

अनावर्ती

पांच वर्ष में एक बार प्रति व्यापार 0.48 लाख रुपये की दर से पांच व्यापारों के लिए 2.40 लाख रुपये।

9.49 आबंटन : 10वीं पंचवर्षीय योजना में आबंटन की राशि 67.12 करोड़ रुपये थी (33.56 करोड़ रुपये राज्य सरकारों के लिए और गैर-सरकारी संगठन के लिए उतनी ही राशि)। वर्ष 2011-12 के दौरान इस योजना के तहत 9.00 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। (6.00 करोड़ रुपये राज्य के लिए तथा 3.00 करोड़ रुपये गैर-सरकारी संगठनों के लिए है)।

9.50 कार्य-निष्पादन : वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त किए गए अनुदानों का ब्यौरा **अनुलग्नक-9 (ङ)** में दिया गया है। 2009-10 से 2011-12 (31.12.2011 तक) के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त किए गए अनुदान अध्याय 10 के तहत **अनुलग्नक-10 (घ)** में दिय गए हैं। ❑

अनुलग्नक : 9-क

अनुसूचित जनजाति लड़के एवं लड़कियों के छात्रावास की योजना के तहत वर्ष 2009-10 से 2011-12 (31.12.2011) तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विश्वविद्यालय का नाम	2009-10			2010-11			2011-12 (31.12.2011 तक)		
		राशि	छात्रवास	सीटें	राशि	छात्रवास	सीटें	राशि	छात्रवास	सीटें
1	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0	75.09	6	121	1201.64	15	790
2	छत्तीसगढ़	830.83	बकाया	0	0.00	0	0	0.00	0	0
3	गुजरात	646.10	44	4400	1296.43	बकाया	0	0.00	0	0
4	हिमाचल प्रदेश	236.04	बकाया	0	*180.47	1	88	0.00	0	0
5	झारखंड	259.17	बकाया	0	0.00	0	0	716.00	33	1850
6	कर्नाटक	250.00	10	700	105.38	बकाया	0	0.00	0	0
7	केरल	0.00	0	0	146.79	3	160	250.00	4	260
8	मध्यप्रदेश	1300.00	60	3000	0.00	0	0	0.00	0	0
9	मणिपुर	0.00	0	0	1372.54	19	899	0.00	0	0
10	ओडिशा	0.00	0	0	1000.00	65	6500	0.00	0	0
11	राजस्थान	1503.83	13	975	3123.87	62	3100	0.00	0	0
12	तमिलनाडु	200.00	8	400	0.00	0	0	0.00	0	0
13	त्रिपुरा	664.00	12	1200	0.00	0	0	1553.83	11	550
14	उत्तराखंड	0.00	0	0	0.00	0	0	37.48	बकाया	-
15	पश्चिम बंगाल	10.03	1	20	179.90	2	200	0.00	0	0
16	जेएनयू/आईआईटी, दिल्ली	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
17	दिल्ली विश्वविद्यालय	500.00	बकाया	0	173.20	बकाया	0	0.00	0	0
18	वीर नरमाद साउथ विश्वविद्यालय गुजरात, सूरत, गुजरात	0.00	0	0	100.00	1	100	0.00	0	0
19	हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस (बीएचयू) वाराणसी, यू.पी.	0.00	0	0	46.33	1	80	0.00	0	0
	कुल	6400	148	10695	7800.00	160	11248	3758.95	63	3450

*हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को निर्मुक्ति

अनुलग्नक : 9-ख

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना के तहत वर्ष 2009-10 से 2011-12 (31.12.2011) तक की उपलब्धियों सहित निर्मुक्त की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10			2010-11			2011-12 (31.12.2011 तक)		
		राशि	छात्रवास	सीटें	राशि	छात्रवास	सीटें	राशि	छात्रवास	सीटें
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0	0	500.00	13	1300	0.00	0	0
2	गुजरात	0.00	0	0	1887.53	8	2400	1500.00	बकाया	0
3	कर्नाटक	29.62	बकाया	0	0.00	0	0	0.00	0	0
4	केरल	1236.04	बकाया	0	1025.02	3	770	0.00	0	0
5	मध्य प्रदेश	1099.89	52	2600	0.00	0	0	2815.11	40	2000
6	उड़ीसा	1500.00	बकाया	0	2004.00	बकाया	0	2550.00	30	7500
7	त्रिपुरा	0.00	0	0	622.76	16	1150	0.00	0	0
8	उत्तरप्रदेश	234.45	2	120	0.00	0	0	0.00	0	0
9	उत्तराखंड	0.00	0	0	460.69	2	405	0.00	0	0
	कुल	**4100.00**	**54**	**2720**	**6500.00**	**42**	**6025**	**6865.11**	**70**	**9500**

अनुलग्नक : 9-ग

अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2009-10 से 2011-12 (31.12.2011) तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10		2010-11		2011-12 (31.12.2011 तक)	
		राशि	छात्रवास	सीटें	राशि	छात्रवास	सीटें
1	आंध्र प्रदेश	2919.27	213620	20036.25	147976	13699.00	205776
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00000	0	23.53	1	0.00	
3	असम	2510.12	70149	2881.26	78505	4210.81	82876
4	बिहार	0.00	0	0	2285	298.42	3635
5	छत्तीसगढ़	375.95	82995	1253.96	98602	2680.00	108462
6	गोवा	54.26	654	29.11	257	16.00	1332
7	गुजरात	3046.63	134911	5116.09	125260	8482.59	129368
8	हिमाचल प्रदेश	0.00	2368	113.99	1263	307.00	1712
9	जम्मू और कश्मीर	0.00	10182	0.00	8338	408.00	11405
10	झारखंड	1267.00	27712	1855.54	39647	3374.06	52612
11	कर्नाटक	1863.63	76069	3163.59	87136	6149.11	102820
12	केरल	284.40	10636	457.08	11823	669.00	12953
13	मध्य प्रदेश	3236.50	105369	2026.23	130364	3260.00	142203
14	महाराष्ट्र	1250.00	134875	6629.51	123307	5965.00	157426
15	मणिपुर	2163.28	42381	2460.01	49842	4742.29	54826
16	मेघालय	1006.57	58283	2717.23	64110	2449.00	70521
17	मिजोरम	1571.26	37873	1633.93	38706	3398.32	43819
18	नागालैंड	1866.77	39878	1908.44	37880	1714.00	
19	ओड़िशा	566.79	52706	1104.03	60476	1019.00	63490
20	राजस्थान	1661.31	193813	800.00	161730	0.00	251079
21	सिक्किम	37.88	2001	56.41	2206	65.00	2429
22	तमिलनाडु	72.34	4241	112.71	4334	56.00	4769
23	त्रिपुरा	538.26	17828	380.40	16744	703.00	18584
24	उत्तर प्रदेश	0.00	4990	0.00	7125	479.00	7848
25	उत्तराखंड	188.98	16639	531.69	16513	702.78	18164
26	पश्चिम बंगाल	603.80	33425	302.00	59510	2045.22	55564
27	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	559	9.15	658	10.00	28
28	दमन व दीव	1.73	197	0.85	169	0.00	203
	कुल	**27086.73**	**1374354**	**55602.99**	**1374767**	**66902.60**	**1603904**

अनुलग्नक : 9-घ

प्रतिभा उन्नयन की योजना के तहत वर्ष 2009-10 से 2011-12 (31.12.2011) तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10		2010-11		2011-12 (31.12.2011 तक)	
		राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1	आंध प्रदेश	0.00	0	32.760	168	0.00	0
2	छत्तीसगढ़	37.54	280	17.060	Arrear	0.00	0
3	गुजरात	0.00	0	8.100	92	17.60	92
4	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0.045	1	0.00	0
5	मध्य प्रदेश	0.00	0	0.00	0	92.88	516
6	राजस्थान	6.22	36	8.170	36	0.00	0
7	सिक्किम	3.12	16	3.120	16	0.00	0
8	त्रिपुरा	3.12	16	3.120	16	3.12	16
	कुल	**50.00**	**348**	**72.375**	**329**	**113.60**	**624**

अनुलग्नक : 9-ङ

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के तहत वर्ष 2009-10 से 2011-12 (31.12.2011) तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10			2010-11			2011-12 (31.12.2011 तक)		
		राशि	केन्द्र	लाभार्थी	राशि	केन्द्र	लाभार्थी	राशि	केन्द्र	लाभार्थी
1	असम	0.00	0	0	150.00	10	500	0.00	0	0
2	छत्तीसगढ़	0.00	0	0	0.00	0	0	107.86	11	477
3	गुजरात	0.00	0	0	37.12	13	1300	228.96	Arrears	Arrears
4	मध्य प्रदेश	0.00	0	0	260.00	10	1000	0.00	0	0
5	मिजोरम	0.00	0	0	152.88	5	500	0.00	0	0
	कुल	**0.00**	**0**	**0**	**600.00**	**38**	**3300**	**336.82**	**11**	**477**

अध्याय 10
भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड)

10.1.1 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड एक बहु-राज्यीय सहकारी समिति है। *इसकी स्थापना बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (अब बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002) के अंतर्गत वर्ष 1987 में की गई थी।*

10.1.2 ट्राइफेड अब जनजातीय उत्पादों के लिए विपणन विकास तथा सेवा प्रदाता दोनों के रूप में कार्य कर रहा है। ट्राइफेड एक क्षमता निर्माता के तौर पर भी कार्य करता है जिसमें यह अनुसूचित जनजाति-शिल्पियों एवं एमएफपी-एकत्र करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

10.1.3 ट्राइफेड की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 300 करोड़ रुपये है। दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार ट्राइफेड की प्रदत्त शेयर पूंजी 100,54,95,000 रुपये थी। दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार ट्राइफेड के 28 सदस्य (शेयर-धारक) थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय, जिसने इक्विटी शेयर पूंजी में 99.75 करोड़ रुपये का निवेश किया है, ट्राइफेड का अकेला सबसे बड़ा शेयर-धारक है।

10.2 केन्द्रीय क्षेत्र की योजना : *"जनजातीय उत्पादों/उपज का बाजार विकास"*

10.2.1 मंत्रालय 'जनजातीय उत्पादों के बाजार विकास' की योजना के तहत ट्राइफेड को निम्नलिखित चार मुख्य गतिविधियां करने के लिए सहायता अनुदान देता है।

(i) विपणन विकास कार्यकलाप

(ii) जनजातीय एमएफपी संग्रहकर्ता प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

(iii) जनजातीय कारीगर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

(iv) अनुसंधान और विकास

11वीं योजना अवधि (2007-12) हेतु ट्राइफेड के नए रोड मैप के तहत निम्नलिखित गतिविधियां की गई हैं:

10.2.2 इस योजना के लिए 11वीं योजना में 69.59 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए बजट आबंटन 22.00 करोड़ रुपये था। जिसमें से ट्राइफेड को 16.50 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त कर दी गई है (31.12.2012 तक)।

10.3 वर्ष 2011-12 के दौरान ट्राइफेड द्वारा किए गए कार्यकलाप :

10.3.1 2011-12 (31.12.2011 तक) के दौरान ट्राइफेड द्वारा किए गए कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

10.3.2 विपणन विकास कार्यकलाप

ट्राइफेड देश भर में अपने फुटकर बाजार नेटवर्क 'ट्राइब्स इंडिया' द्वारा जनजातीय उत्पादों का विपणन करता है। 31.12.2011 तक ट्राइफेड ने जनजातीय उत्पादों की 630.58 लाख रुपये की बिक्री की है। विपणन विकास कार्यकलापों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- जयपुर, मणाली तथा सूरत में 3 स्वायत्त फुटकर बाजार और कोयम्बटूर, एर्णाकुलम तथा गोवा में प्रेषण आधार पर 3 फुटकर बाजारों को जोड़ कर ट्राइफेड ने 'ट्राइब्स इंडिया' फुटकर बाजार की कड़ी को विस्तृत कर दिया है। इन फुटकर बाजारों से ट्राइफेड ने 18 राज्यों के 29 शहरों में 29 स्वायत्त ट्राइब्स इंडिया फुटकर बाजार और प्रेषण के आधार पर 14 फुटकर बाजारों की स्थापना से अपनी उपस्थिति चिह्नित की है।

- ट्राइफेड ने भारत में 30 से अधिक प्रमुख प्रदर्शिनियों और विदेश में 2 प्रदर्शिनियों में भाग लिया है।
- इसने भोपाल में जनजातीय उत्पादों की एक प्रदर्शिनी 'आदिशिल्य' और मुंबई तथा बंगलौर में जनजातीय चित्रकला की दो विशेष प्रदर्शिनियां 'आदिचित्र' आयोजित की हैं।

31 दिसंबर 2011 तक ट्राइफेड ने 507.13 लाख रुपये के जनजातीय उत्पाद खरीदे हैं।

ट्राइफेड ने 610 वैयाक्तिक/एसएचजी/सहकारिता/एनजीओ/राज्य सरकार संगठनों आदि को आपूर्तिकर्ताओं के पैनल बनाए रखा जो लगभग 66000 जनजातीय लाभार्थी परिवारों से संबंद्ध हैं।

ट्राइफेड राज्यों के जनजातीय बसे हुए जिलों में जनजातीय कारीगर मेले (टीएएम) आयोजित करता है ताकि जनजातीय कारीगरों को उनके देहातों में ही मिले और उनके उत्पादों के लिए विपणन सहायता प्रदान करे।

2011-12 में, 14 राज्यों में कार्यान्वयन के लिए 26 टीएएम आबंटित किए गए हैं, जिनमें से 8 पूर्ण हो गये हैं तथा 4 प्रारंभ हेतु तैयार हैं। उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में टीएएम प्रारंभ किये गये है, जहां लगभग 400 नए कारीगरों को पहचाना गया है।

10.3.3 जनजातीय एमएफपी एकत्रित करने वालों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

ट्राइफेड ने एमएफपी क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं/कार्यकलापों को प्रारंभ किया है:

महुआ फूल विकास कार्यकलाप: मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में 2700 महुआ संग्रहकताओं को प्रशिक्षण दिया गया था और उनको आवश्यक एकत्रण/भंडार किट प्रदान किए गए थे।

लाख की खेती और प्रसंस्करण कार्यकलाप: लाख की खेती के क्षेत्र में 650 जनजातीय को लाख की खेती के कार्य के लिए प्रेरित किया गया था।

मधु एकत्रित करने वालों के लिए विकास कार्यकलाप: 6 राज्यों में 1410 मधु एकत्रित करने वालों के लिए वैज्ञानिक संचयन/खेती, प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन, भंडार, विपणन आदि पर प्रतिभा उन्नयन/क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किये गये थे और उनको मधु एकत्रित करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान किये थे।

गोंद संकलनकर्ताओं के कार्यकलाप: मध्य प्रदेश राज्य के दमोह जिले में प्रशिक्षित लाभार्थियों को 423 सौर गोंद ड्रायर का वितरण किया गया था।

पत्तों के कप और प्लेटें: ओडिशा के मालकनगिरि जिले में गढ़न मशीनों द्वारा दोना-पेटल निर्माण प्रारंभ करने के लिए 100 जनजातियों को प्रेरित किया गया था।

10.3.4 जनजातीय कारीगरों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

वर्ष के दौरान, ट्राइफेड ने झारखण्ड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम, असम तथा उत्तराखण्ड जैसे 11 राज्यों में 531 जनजातीय कारीगरों के लिए 20 शिल्पों में 26 प्रशिक्षण कार्यक्रमों प्रारंभ किये हैं।

प्रशिक्षण में प्रस्तुत शिल्पों की श्रेणी इस प्रकार है:- लाख कारीगरी, घण्टा धातु तथा लोहे का संयोजक कारीगरी, बॉस, ईख, मोमबत्ती, तानतानी कारीगरी, हाथ का बना कागज, जूट कारीगरी, जनजातीय गहनें, कान्ता फुलकारी, एरी सिल्क् यान बुनाई, ऊनी शॉल, पत्चित्र तथा तालपत्र नक्काशी, वर्ली चित्रकला, संताल चित्रकला, वैतकर चित्रकला, जदुपतिया चित्रकला, कुरुम्बा चित्रकला और तोड़ा फुलकारी, ये सब प्रशिक्षण जनजातीय क्षेत्रों में आयोजित किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त, वितोरा चित्रकला, वन-विद्या, कच्च काम, हाथ का बना कारगज, कान्ता फुलकारी और नीला कुम्हारी में गुजरात, पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान जैसे 3 राज्यों में 8 से अधिक प्रशिक्षण शीघ्र कार्यान्वयन के लिए पंक्ति में है जिसमें 166 कारीगर शामिल करेगा।

10.3.5 अनुसंधान और विकास कार्यकलाप:

- ट्राइफेड प्रयोगशाला के एनएबीएल प्रत्यायन के लिए प्रक्रिया चालू है। ट्राइफेड के दो अधिकारी भारतीय गुणवत्ता प्रबंधन संस्थान, जयपुर में जांच तथा व्यासमापन हेतु अनिश्चित घटक के मापन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं।

- महुआ फूल से नूट्रासूटिकल पेय (मादक और गैर मादक) के विकास पर परियोजना, जिसको आईआईटी दिल्ली तथा जेयपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोलन (हिमाचल प्रदेश) को संयुक्त रूप में पुरस्कृत किया था, प्रगति में है।

- ट्राइफेड के सलाहकार समिति ने सीएफटीआरआई, मैसूर से कार्यकलापों के समर्थन के लिए नयी परियोजना "आन्टी-अल्सर, आन्टी-डयबेटिक और आन्टी-कैन्सर पोटेंशियल की बेल फूट-मूल्यांकन से स्वास्थ्य उत्पाद तैयार करना" का प्रस्ताव पहचाना है।

- परियोजनाएं समाप्त करने हेतु एमएफपी में मूल्य वर्द्धन पर निम्नलिखित 6 आर एण्ड डी परियोजना की अंतिम समीक्षा प्रारंभ की गई थी।

- साल फाट से औद्योगिक प्रधान ओलियो-केमिकल्स तैयार करना।

- जैव खाद, जैव-कीटनाशक और नूट्रिफिकेशन इनहिबिटर के स्रोत के रूप में साल सीड तेल टिकिया का उपयोग।

- साल तेलरहित टिकिया और महुआ फूल से औद्योगिक एन्सैमों के उत्पादन के लिए वन उप-उत्पाद के उपयोगिता हेतु सोलिड स्टैट फेर्मेन्डेशन प्रक्रिया।

- महुआ फूल से लाक्टकि एसिड का किण्वक उत्पादन।

- गुणयुक्त लघु वन उत्पादों के उत्पादन के लिए इंटग्रेडेड पोस्ट-हार्वेस्टेड प्रौद्योगिकी का विकास।

- साल टिकिया से स्टार्च तथा टलिन का वियोजन के लिए प्रक्रिया विकास।

10.4 "लघु वन उत्पाद (एमएफपी) *प्रचालनों हेतु राज्य जनजाति विकास सहकारी समितियों (एसटीडीसीसी) आदि को सहायता अनुदान" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना*

10.4.1 अनुसूचित जनजातियों में से अधिकांश जंगली क्षेत्रों में रहती हैं, जो अपनी आजीविका के लिए लघु वन उत्पादों जैसे इमली, शहद, साल पत्तियां, तेंदू पत्ता, महुआ के फूल, महुआ के बीज इत्यादि पर निर्भर हैं। अधिकांश एमएफपी मदें मौसमी हैं तथा ये जल्दी नष्ट हो जाने वाली चीजें भी हैं।

10.4.2 जनजातियाँ अपने स्वयं के उपभोग/उपयोग के साथ-साथ बिक्री के लिए एमएफपी का संग्रहण करती हैं। जनजातियाँ अपने पास उपलब्ध एमएफपी के स्टॉक को अपने नजदीकी क्षेत्रों में आयोजित होने वाले साप्ताहिक बाजारों में कम नकद मूल्य या वस्तु विनिमय करके बेच देती थीं। जनजातियों में सामान्यत: इन उत्पादों की और कहीं बाजारी कीमत की अज्ञानता तथा बाहरी बाजारों से उनका सीधा संबंध, सामूहिक मोल-भाव की शक्ति तथा मौसमी एवं नष्ट होने वाले सामान की भण्डारण क्षमता न होने की बात का फायदा उठाते हुए, व्यापारी तथा बिचौलिए भी वहां पहुंच गए। इससे कुछ क्षेत्रों में जनजातियों का शोषण किया जाने लगा। इस प्रक्रिया में, जनजातियों को अपने एमएफपी के लिए बहुत ही कम कीमत मिलती थी।

10.4.3 जनजातीय लोगों की सहायता के लिए राज्य सरकारों ने मुख्य चयनित एमएफपी का राष्ट्रीयकरण कर दिया तथा जनजातीय लोगों को उनके एमएफपी का उचित मूल्य देते हुए इसे खरीदने के अधिदेश के साथ राज्य स्तरीय सरकारी संगठन (जैसे राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (एसटीडीसीसी), वन विकास निगम (एफडीसी) इत्यादि) स्थापित किए।

10.4.4 एमएफपी के प्रचालन हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना द्वारा इन राज्य स्तरीय संगठनों की सहायता करने के लिए राज्य जनजाति विकास सहकारी समितियों (एसटीडीसीसी) इत्यादि को सहायता अनुदान की शुरूआत वर्ष 1992-93 में की गई। इस योजना के तहत संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से इन संगठनों को सहायता-अनुदान प्रदान किया जाता है :-

(1) यदि आवश्यक हो, प्रचालन हानि को कम करते हुए

संचालित लघु वन उत्पादों की मात्रा में वृद्धि करना;

(2) वर्तमान में संचालित लघु वन उत्पादों की मात्रा में वृद्धि करते हुए लघु वन उत्पादों के प्रचालन हेतु निगम की शेयर पूंजी आधार को बल प्रदान करना;

(3) जहां आवश्यक हो, वैज्ञानिक भंडारणगृह सुविधाओं की स्थापना करना;

(4) जनजातियों के लिए लघु वन उत्पादों पर अधिकाधिक लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इनके मूल्य वर्धन हेतु प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना;

(5) जनजातियों को उपभोक्ता ऋण देना; और

(6) अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) कार्यकलापों/ प्रयासों में सहायता करना।

10.4.5 वर्ष 2011-12 के लिए बजट आबंटन 20.00 करोड़ रुपए है। जिसमें से इस योजना के तहत इस वर्ष 31.12.2011 तक 11.52 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न राज्य सरकारों को अभिज्ञात एसटीडीसीसी के लिए संवितरित कर दी गई है।

10.4.6 वर्ष 2009-10 2010-11 और 2011-12 (31.12.2011 तक) में अब तक की गई राज्यवार निर्मुक्तियों का ब्यौरा **अनुलग्नक: 10** में दिया गया है। ❑

अनुलग्नक : 10

'लघु वन उत्पादों के प्रचालनों के लिए एसटीडीसीसी को सहायता-अनुदान' योजना के तहत राज्यों को वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान निर्मुक्त की गई सहायता अनुदान का ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य	11वीं योजना		
		2009-10	2010-11	2011-12 (31.12.2011 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	158.00	158.00	144.00
2.	असम	65.00	-	-
3.	छत्तीसगढ़	87.00	-	135.00
4.	गुजरात	146.00	130.00	150.00
5.	हिमाचल प्रदेश	5.00	33.00	7.00
6.	केरल	7.00	58.00	10.00
7.	मध्य प्रदेश	-	312.00	350.00
8.	महाराष्ट्र	168.00	234.00	-
9.	मेघालय	39.00	92.00	57.00
10.	ओडिशा	219.00	225.00	116.00
11.	राजस्थान	-	42.00	29.28
11.	त्रिपुरा	20.00	71.00	28.00
12.	पश्चिम बंगाल	86.00	145.00	126.00
	कुल	**1000.00**	**1500.00**	**1152.28**

अध्याय 11

स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम

जनजातीय विकास में स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

11.1 यह स्वीकार किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के विकास का काम केवल सरकारी प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता। स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों का आधार स्थानीय होता है और उनमें सेवा की भावना होती है, इसलिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है। यह सुनिश्चित करने में वे सरकारी प्रयासों के पूरक होते हैं कि उन प्रयासों के लाभ अत्यधिक लोगों तक पहुंचे। कुछ मामलों में स्वैच्छिक संगठन सरकारी योजनाओं को सरकार की अपेक्षा ज्यादा कुशलता से क्रियान्वित करने और निरंतरता बनाए रखने की बेहतर हालत में होते हैं। इसका श्रेय मुख्य रूप से स्वैच्छिक संगठनों की कर्मठता और समर्पित मानव संसाधनों को जाता है।

11.2 बहुत से स्वैच्छिक संगठनों ने जनजातियों के उत्थान में सराहनीय कार्य किया है और अब भी उनके प्रयास जारी हैं। कुछ अरसे से वित्तीय सहायता के लिए मंत्रालय के पास पहुंचने वाले गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है और यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार के भागीदार के रूप में केवल खरे और प्रतिबद्ध संगठनों को ही विकासात्मक क्रियाकलाप चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

11.3 योजनाओं के पारदर्शी तथा राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों की अधिक सहभागिता के साथ कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 में गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्तावों की प्राप्ति, पहचान, संवीक्षा एवं स्वीकृति के लिए एक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया विकसित की है और वर्ष 2008-09 के दौरान प्रासंगिक योजनाओं में संशोधन करके प्रणाली को पुनः सुदृढ़ बनाया है। इस प्रक्रिया के अनुसार सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा राज्य के प्रधान सचिव/सचिव जनजातीय/सामाजिक विकास विभाग की अध्यक्षता में गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न अन्य विभागों के अधिकारियों और गैर-सरकारी सदस्यों को मिलाकर "स्वैच्छिक प्रयासों के समर्थन के लिए राज्य समिति" का गठन किया गया है। यह बहु-आयामी राज्य स्तरीय समिति गैर-सरकारी संगठनों के नए प्रस्तावों और चालू प्रस्तावों की जांच करती है और प्राथमिकता के आधार पर सेवा वंचित जनजातीय क्षेत्रों में केवल सर्वाधिक प्रभावी परियोजनाओं की सिफारिश करती है।

राज्य स्तरीय समितियों का गठन एवं उनकी भूमिका

(क) प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को प्रधान सचिव/सचिव, राज्य जनजातीय कल्याण विभाग (राज्य सामाजिक कल्याण विभाग जैसा भी मामला हो) की अध्यक्षता में बहुविषयक राज्य समिति का गठन करना होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(i) सचिव, राज्य ग्रामीण विकास विभाग, या उसका प्रतिनिधि;

(ii) सचिव, राज्य कृषि विभाग, या उसका प्रतिनिधि;

(iii) सचिव, राज्य स्वास्थ्य विभाग, या उसका प्रतिनिधि;

(iv) अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले तीन विशेषज्ञ/राज्य में कार्यरत ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संगठन;

(v) आयुक्त/निदेशक, जनजातीय कल्याण विभाग: **सदस्य सचिव** या निदेशक, जनजातीय अनुसंधान संस्थान।

(ख) राज्य समिति की बैठकों का आयोजन प्रत्येक वित्त वर्ष में एक बार या अधिकतम दो बार किया जाना चाहिए।

(ग) राज्य समितियां निरीक्षण रिपोर्टों अथवा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए दिशानिर्देश/प्रक्रियाओं के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के परियोजना प्रस्तावों की जांच करने के लिए जिम्मेदार होंगी।

(घ) प्रस्तावों की जांच करते समय, राज्य समितियां निम्नलिखित पहलुओं का ध्यान रखेंगी :

(i) सिफारिश की गई परियोजना सही ढंग से संचालित की जा रही है तथा सेवा वंचित क्षेत्रों में गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान कर रही है;

(ii) सहायक आंकड़ों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के बाद चल रही परियोजनाओं को जारी रखने का औचित्य दिया गया हो;

(iii) परियोजना जारी रहने या निधियों की आवश्यकता के लिए संभावित अवधि;

(iv) आमतौर पर सामान्य जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा अधिक साक्षरता स्तर वाले जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक परियोजनाओं की सिफारिश नहीं की जाती है। इसी प्रकार, अच्छे अस्पताल वाले क्षेत्रों में 10 या इससे अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों की सिफारिश नहीं की जाती है;

(v) सेवा वंचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है;

(vi) लड़कियों के लिए आवासीय स्कूलों में महिला सेवा स्टाफ, वार्डन एवं पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान होना चाहिए;

(vii) जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, मानीटरिंग इत्यादि के लिए पंचायती राज संस्थाओं से संबंध स्थापित किया जाना चाहिए;

(viii) प्रत्येक वर्ष, बजटीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, उन परियोजनाओं को हटाने के प्रयास किए जाते हैं जिनका संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा है; तथा चल रही ऐसी परियोजनाएं जो आत्मनिर्भर हो चुकी हैं तथा अपने स्वयं के संसाधनों से अपनी परियोजनाओं का संचालन कर सकती हैं, उन्हें भी बंद करने के प्रयास किए जाते हैं;

(ix) ऐसी नई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो पहले से चल रही हैं तथा सेवा वंचित क्षेत्रों में गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने का रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी हैं;

(x) नई परियोजनाओं के लिए, परियोजनाओं को शुरू करते समय उनके प्रभाव का निष्पक्षता से मूल्यांकन करने के लिए न्यूनतम बैंचमार्क डाटा उपलब्ध होने चाहिए या उन्हें एकत्रित किया जाना चाहिए।

(ङ) राज्य समितियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवश्यकता अनुसार निरीक्षण दौरा करके इसके निष्पादन को ध्यान में रखते हुए परियोजना की निधियन आवश्यकताओं के बारे में स्वयं को संतुष्ट करें।

11.4 इस वर्ष से पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने राज्य सरकार से विधिवत् सिफारिश किए गए तथा प्राप्त सभी एनजीओ परियोजनाओं की स्थिति को इस मंत्रालय की वेबसाइट प्रदर्शित करना आरंभ कर दिया है।

11.5 स्थापित स्वैच्छिक अभिकरण (ईवीए): मंत्रालय द्वारा यह प्रयास भी किया गया था कि वह अखिल भारतीय स्वरूप के स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों का पता लगाए जो अपनी नि:स्वार्थ सेवा और अनोखी उपलब्धियों के लिए जाने जाते हों। उन्हें औरों के मुकाबले, नए प्रस्तावों को मंजूर करने के संबंध में तथा वार्षिक अनुदान समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निर्मुक्त करने से संबंधित सेवा शर्तों में ढील देने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। इस दिशा में मंत्रालय ने कुछ ऐसे संगठनों का पता लगाया है और उन्हें "स्थापित स्वैच्छिक अभिकरणों (ईवीए)" की श्रेणी में रखा है। मंत्रालय द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संगठन के रूप में घोषित संगठनों के नाम नीचे दिए गए हैं :-

1. रामकृष्ण मिशन और इसके सम्बद्ध संगठन।
2. अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम तथा इससे सम्बद्ध संगठन।
3. भारत सेवाश्रम संघ तथा इसके सम्बद्ध संगठन।
4. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ तथा इसके सम्बद्ध संगठन।
5. सेवा भारती और इसके सम्बद्ध संगठन।
6. विद्या भारती तथा उनके सम्बद्ध संगठन।
7. स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन, कर्नाटक।
8. दीन दयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली।
9. सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसायटी, पुणे, महाराष्ट्र।
10. राष्ट्रीय सेवा समिति, आन्ध्र प्रदेश।
11. विवेकानंद गिरिजन कल्याण केन्द्र, कर्नाटक।
12. अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, नई दिल्ली।
13. डी.ए.वी. मैनेजिंग कमेटी, नई दिल्ली।
14. विनोबा निकेतन, केरल।

स्वैच्छिक क्षेत्र की योजनाएं

11.6 मंत्रालय के पास इस समय चार सतत स्वरूप की योजनाएं हैं जो स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए खुली हैं। ये योजनाएं निम्नलिखित हैं:- मंत्रालय के पास इस समय चार सतत स्वरूप की योजनाएं हैं जो स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए खुली हैं। ये योजनाएं निम्नलिखित हैं:-

1. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग भी शामिल है, के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के सहायता अनुदान और अवसंरचना के सुधार के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना।
2. जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षिक सुदृढ़ीकरण (जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास हेतु कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसरों की पूर्ववर्ती स्कीम)।
3. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।
4. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास। (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के विकास की योजना के रूप में ज्ञात)एनजीओ घटक

अनुसूचित जनजातियों हेतु कोचिंग तथा अवसंरचना में सुधार हेतु विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-अनुदान की योजना

11.7 अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना 1953-54 में आरंभ की गई थी तथा यह योजना जारी है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग तथा अवसंरचना योजनाओं में सुधार के लिए एनजीओ को विशेष प्रोत्साहन को इस योजना के साथ मिला दिया गया था तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और अवसंरचना के सुधार हेतु विशेष प्रोत्साहन सहित अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की अम्ब्रेला योजना तैयार की गई थी। इस योजना को वित्तीय मानदण्डो सहित वर्ष 2008-09 में संशोधित किया गया है। संशोधित योजना 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी है। संशोधित आवेदन पत्रों इत्यादि सहित संशोधित योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

11.8 उद्देश्य : इस योजना का प्रमुख उद्देश्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि, बागवानी, उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा तंत्र आदि जैसे क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से सेवावंचित जनजातीय क्षेत्रों में अंतराल को भरना और सरकार की कल्याण-योजनाओं की पहुंच को बढ़ाना तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण प्रदान करना है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान अथवा आजीविका सृजन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली किसी अन्य नई गतिविधि पर स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से विचार किया जा सकता है।

11.9 प्रक्रिया एवं वित्त पोषण : यह योजना केन्द्रीय

क्षेत्र की योजना है। संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित राज्य समिति की बहु विषयक राज्य स्तरीय समिति द्वारा यथाविधि संतुष्ट आवेदन (संशोधित निर्धारित प्रपत्र में) पर संशोधित योजना में निर्धारित विभिन्न श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए पात्र गैर सरकारी संगठनों/ स्वायत्तशासी समितियों को अनुदान दिया जाता है। सरकार द्वारा आमतौर पर 90% तक निधियां दी जाती हैं। शेष 10% को स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अपने संसाधनों से पूरा करने की उम्मीद की जाती है। हांलाकि उन परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है जिनका क्रियान्वयन अनुसूचित क्षेत्रों में किया जा रहा है। किसी विशिष्ट वर्ग की परियोजना हेतु स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन को सहायता सरकार द्वारा उस विशिष्ट वर्ग के लिए निर्धारित वित्तीय मानदण्डों तथा समय-समय पर संशोधित मानदण्डों के अनुसार दी जाती है। अनुदानों की संस्वीकृति समय-समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005, के नियम 209 के तहत की जाती है। अनुदान संशोधित योजना के नियमों एवं शर्तों के अनुसार जारी किए जाते हैं।

11.10 गैर सरकारी संगठनों को निर्मुक्त अनुदानों के संबंध में अलग लेखा रखने की जरूरत होती है और ये लेखे सरकार के सभी समुचित अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले होते हैं। गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के लेखे की वार्षिक रूप से लेखा परीक्षा भी चार्टर्ड एकाउंटेंट से करानी होती है और 'सा.वि.नि. 19(क)' के तहत निर्धारित प्रपत्र में पिछले अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ लेखा-परीक्षा विवरण की प्रतियों का पूरा सेट मंत्रालय को प्रस्तुत करना होता है।

11.11 अनुदान प्रतिवर्ष सामान्यतया दो किस्तों में निर्मुक्त किया जाता है, बशर्ते कि गैर सरकारी संगठनों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक पाया जाए, जिसका आकलन जिला कलेक्टर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण की रिपोर्ट एवं राज्य समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक तौर पर जमा की जानी चाहिए तथा दिनांक सहित इसे जिला कलेक्टर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

11.12 गैर सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों को मंत्रालय या राज्य सरकार के अधिकारियों या मंत्रालय द्वारा नामित किसी एजेंसी द्वारा निरीक्षण करने के अलावा वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुसार मानीटर किया जाता है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने पेशेवर अभिज्ञात एजेंसियों के माध्यम से स्वतंत्र मॉनीटरिंग रिपोर्टें प्राप्त करने के लिए प्रयासों की पहल की है।

11.13 योजना का कार्य-निष्पादन : 11वीं योजना अवधि के लिए योजना हेतु परिव्यय 300.00 करोड़ रुपये है। मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान (31.12.2011 तक) इस योजना के तहत वार्षिक आबंटन तथा खर्च पिछले दो वर्षों में आबंटन एवं खर्च के साथ **तालिका 11.1** में दिया गया है:

तालिका 11.1: वर्ष 2011-12 तथा पिछले दो वर्षों के दौरान निधियों का आबंटन तथा निर्मुक्ति

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट आबंटन*		व्यय*
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
2009-10	53.25	49.75**	49.75
2010-11	55.00	60.00**	54.12
2011-12 (31.12.2011 तक)	60.00	60.00**	33.54

* इस राशि में अवसंरचना में सुधार और अनुसूचित जनजातियों को कोचिंग के लिए विशेष प्रोत्साहन हेतु गैर सरकारी संगठनों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान शामिल है।

**पूर्वोत्तर पूल की निधियां शामिल हैं।

11.14 संशोधित योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की विभिन्न श्रेणियां निर्धारित की गई हैं जिन पर अनुदान के लिए विचार किया जा सकता है। श्रेणियों की सूची निम्नलिखित है :

1. आवासीय विद्यालय
2. गैर-आवासीय विद्यालय
3. छात्रावास
4. सचल औषधालय
5. दस बिस्तरों वाला अस्पताल
6. कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र
7. पुस्तकालय

8. सचल पुस्तकालय सह दृश्य-श्रव्य (एवी) इकाई
9. जनजातीय प्रौढ़ शिक्षा के लिए ग्रामीण रात्रि विद्यालय
10. बालवाड़ी/क्रैश केन्द्र
11. स्वास्थ्य रोकथाम एवं स्वच्छता कार्यक्रम
12. पेय जल कार्यक्रम
13. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में पशिक्षण
14. पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों तथा लक्षद्वीप की 15 जनजातीय बालिकाओं को प्रायोजित करना
15. रोजगार वाले शिल्पों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र
16. वृद्ध आश्रम
17. जागरूकता के प्रसार में स्कूल के बच्चों को शामिल करना।
18. सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कोई अन्य अभिनव परियोजना

परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों के ब्यौरे

आवासीय विद्यालय

11.15 आवासीय विद्यालय परियोजना की एक लोकप्रिय श्रेणी है, जिसका उद्देश्य उन गरीब जनजातीय बच्चों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना है, जो अपने पड़ोस में स्कूल न होने की वजह से अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वे अपने गांवों से बाहर शिक्षा पाने और रहने की लागत वहन नहीं कर पाते हैं। स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा आवासीय स्कूल ऐसी जगहों, गांवों या कस्बों में स्थापित किए जाते हैं जो राज्य और जिले के अन्य भागों से अच्छी तरह जुड़े नहीं होते हैं। आवासीय स्कूलों में छात्रों को रहने और खाने की मुफ्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वर्दी की लागत, पुस्तकें, लेखन सामग्री और अन्य प्रासंगिक प्रभार भी योजना से पूरे किए जाते हैं। अध्यापकों तथा अन्य स्टाफ के सदस्यों जैसे वार्डन, एकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक स्टाफ को मानदेय का भुगतान भी सहायता अनुदान में से किया जाता है। आवासीय स्कूल परियोजना को कार्यान्वित करने वाले संगठन, परियोजना को खुद की बिल्डिंग में या किराए पर लेकर चला सकते हैं जिसमें पर्याप्त संख्या में कमरे तथा टायलेट/बाथरूम सुविधाएं हों। रखरखाव प्रभार अथवा भवन के किराए का भुगतान अनुदान सहायता से किया जाता है। अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों की एक बड़ी संख्या इन परियोजनाओं से लाभान्वित हो रही है।

11.16 2011-12 (31.12.2011 तक) के दौरान 15 राज्यों में 39 आवासीय विद्यालयों को निधिपोषित किया गया जिनसे 10920 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है तथा इन्हें निधियां प्रदान की गई हैं।

टीयर फंड इंडिया कमेटी आन रिलीफ एण्ड रिहेबिलिटेशन सर्विस (टीएफआईसीओआरआरएस), चीमटूंग, डोरकास रोड, न्यू लामका, जिला-चरचांदपुर, मणिपुर द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय

गैर-आवासीय विद्यालय

11.17 यह भी अत्यधिक लोकप्रिय और सफल परियोजनाओं में से एक है। विद्यालय में छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा और मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। वर्दी, पुस्तकें, स्टेशनरी, चिकित्सीय सहायता और अन्य आकस्मिक खर्चों को भी योजना से पूरा किया जाता है। अध्यापक और अन्य कर्मचारियों जैसे अकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक कर्मचारियों को भी सहायता अनुदान से मानदेय दिया जाता है। गैर-आवासीय विद्यालय परियोजनाओं का संचालन करने वाले संगठन इनका संचालन अपने स्वयं के भवनों या किराए के भवनों में भी कर सकते हैं जिनमें पर्याप्त संख्या में कमरे तथा टायलेट सुविधाएं हों। इन परियोजनाओं से अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियां दोनों लाभान्वित हो रहे हैं।

11.18 वर्ष 2011-12 (31.12.2011 तक) के दौरान 9 राज्यों में संचालित 73 गैर-आवासीय विद्यालयों को निधिपोषित किया गया जिनसे 10281 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

छात्रावास

11.19 इस परियोजना का उद्देश्य ऐसे जनजातीय छात्रों को छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करना है जिन्होंने अपनी प्राइमरी या मिडिल शिक्षा अपने गांव के पास के स्कूलों से पूरी की हो लेकिन वे शहरों में रहन-सहन की उच्च लागत की वजह से बाहर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते और उनके अपने गांवों के नजदीक महाविद्यालय की सुविधाएं नहीं हैं। ये छात्रावास उन शहरों और नगरों में चलाए जाते हैं, जहां शिक्षा की अच्छी सुविधाएं होती हैं।

11.20 वर्ष 2011-12 के दौरान (31.12.2011 तक) 13 राज्यों में 40 छात्रावासों को निधिपोषित किया गया जिनसे 11208 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

आर.के.मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ द्वारा संचालित छात्रावास

सचल औषधालय

11.21 सचल औषधालयों/क्लीनिकों के जरिए अलग-थलग गांवों/बस्तियों में रहने वाले जनजातीय लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने वाले संगठन को सहायता प्रदान की जाती है। वैन, जीप, दवाइयों और उपस्करों की खरीद की लागत को वहन करने के साथ-साथ डॉक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों तथा दवाइयों के आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए वार्षिक सहायता अनुदान मंजूर किया जाता है।

आर.के.मिशन टी बी सेनोटोरियम, रांची, झारखण्ड द्वारा संचालित संचल औषधालय

11.22 वर्ष 2011-12 (31.12.2011 तक) के दौरान 13 राज्यों मे 39 सचल औषधालयों को निधिपोषित किया गया जिनसे 4.97 लाख अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को फायदा पहुंचा।

आर.के.मिशन टी बी सेनोटोरियम, रांची, झारखण्ड द्वारा संचालित संचल औषधालय

दस अथवा उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल

11.23 इस परियोजना को चलाने के पीछे विशिष्ट उद्देश्य स्वैच्छिक एजेंसियों को जनजातीय क्षेत्रों में, जहां सरकार ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकी है, दस अथवा उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल चलाने के लिए सहायता देना है। इन छोटे अस्पतालों में ज्यादातर बाह्य रोगियों का इलाज किया जाता है लेकिन अन्तरंग रोगियों के इलाज की सुविधाएं भी हैं। फर्नीचर, उपस्कर, अस्पताल उपकरणों, एम्बुलेंस,

एक जेनरेटर सेट तथा डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों को मानदेय प्रदान करने के लिए आवर्ती खर्चों तथा दवाइयों की अधिप्राप्ति, भवन किराया शुल्क इत्यादि के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

स्वामी विवेकानन्द यूथ मूवमेंट, कंचनहाल्ली, डाकघर-शांति नगर, तालुका-हेगाडाबडेनाकोटे, जिला-मैसूर, कर्नाटक द्वारा संचालित दस बिस्तरों का अस्पताल

स्वामी विवेकानन्द यूथ मूवमेंट, कंचनहाल्ली, डाकघर-शांति नगर, तालुका-हेगाडाबडेनाकोटे, जिला-मैसूर, कर्नाटक द्वारा संचालित दस बिस्तरों का अस्पताल

11.24 वर्ष 2011-12 (31.12.2011 तक) के दौरान 5 राज्यों में दस बिस्तरों वाले 11 अस्पताल चलाने के लिए निधियां प्रदान की गई, जिनसे 1.98 लाख अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ पहुंचा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

11.25 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों में 30 छात्रों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। इस परियोजना का विशिष्ट प्रयोजन कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग आदि का ज्ञान बढ़ाना और उन्हें सार्वजनिक, निजी क्षेत्रों में रोजगार पाने की क्षमता प्रदान करना है। इन केन्द्रों में आयोजित पाठ्यक्रमों की मान्यता सुनिश्चित करने और इन्हें मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र/डिप्लोमा के साथ जोड़ने के लिए मंत्रालय ने इस बात पर बल दिया है कि संगठन अपने कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कम्प्यूटर पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रत्यायन विभाग (डीओईएसीसी) द्वारा मान्यता दिलवाएं और मंत्रालय द्वारा मान्यता के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा रही है।

11.26 2011-12 के दौरान (31.12.2011 तक) 5 राज्यों में 7 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों को निधिपोषित किया गया जिससे 275 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

11.27 वर्ष 2011-12 (31.12.2011 तक) तथा पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान किए गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों/स्वायत्तशासी समितियों की सूची **अनुलग्नक : 11-क** में दी गई है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग

11.28 अनुसूचित जनजातियों की कोचिंग (पूर्ववर्ती कोचिंग और संबद्ध) योजना चौथी पंचवर्षीय योजना से प्रचालनरत है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 में संशोधित किया गया है। संशोधित आवेदन-पत्र इत्यादि सहित संशोधित योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

11.29 उद्देश्य : वंचित परिवारों और उपेक्षित परिवेश की अनुसूचित जनजातियों के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ पृष्ठभूमि से आए लोगों के साथ प्रतियोगिता करना कठिन होता है। समान अवसर प्रदान करने तथा अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए जनजनातीय कार्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता कोचिंग संस्थानों में वंचित अनुसूचित

जनजाति के प्रत्याशियों को कोचिंग प्रदान करने की एक योजना को बढ़ावा दिया जाता है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकें और सिविल सर्विस तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उपयुक्त नौकरी पा सकें।

11.30 कार्यान्वयन एजेंसियां तथा वित्त पोषण पद्धति

इस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विश्वविद्यालय तथा ख्यातिप्राप्त निजी कोचिंग संस्थानों जो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र चलाते हैं, के माध्यम से किया जाता है। सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं की अपेक्षा गुणवत्तायुक्त व्यावसायिक कोचिंग संस्थानों की ओर ध्यान देने के प्रयास किए जा रहे हैं। निधियां प्रति यूनिट आधार पर प्रदान की जाती हैं। मंत्रालय से संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/निजी संस्थाओं को ठेके के आधार पर 100% की सीमा तक सहायता प्रदान की जाती है जबकि राज्यों द्वारा संचालित संस्थाओं को 80% सहायता दी जाती है।

11.31 वित्त पोषण में कोचिंग शुल्क, (संकाय के प्रभार सहित) विज्ञापन प्रभार, प्रत्याशियों को वजीफा, बाहर से आने वाले छात्रों को रहने और भोजन की सहायता भी शामिल है।

11.32 मुख्य विशेषताएं

- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा कोचिंग संस्थानों, विश्वविद्यालयों से विज्ञापन के जरिए प्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से निजी संस्थानों के संदर्भ में सफलता दर के अनुसार ट्रेक रिकॉर्ड और वास्तविकता की पुष्टि की जाती है।

- प्रस्तावों की जांच चयन समिति द्वारा की जाती है और संस्थाओं को समिति के सामने अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। कोचिंग संस्थानों को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। मंत्रालय द्वारा एक बार चुने जाने पर कोचिंग संस्थाओं को परियोजना अवधि के दौरान विज्ञापन के उत्तर में तब तक पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती जब तक कि उन्हें दोबारा ऐसा करने के लिए न कहा जाए।

- कोचिंग संस्थाओं को निर्धारित आवेदन पत्र में निर्धारित वित्तीय मानकों के अनुसार प्रस्ताव जमा कराने की आवश्यकता होती है। गैर-अनुसूचित जनजातियों के छात्रों सहित कुल छात्रों की संख्या योग्यता के आधार पर प्रवेश के अनुसार 40 छात्र प्रति कक्षा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की कुल संख्या में प्रधिमानत: 30 प्रतिशत महिला अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी और 5 प्रतिशत विकलांग अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी होने चाहिए।

- कोचिंग कक्षा आरंभ होने के एक सप्ताह के अंदर संस्थानों को अपने प्रत्याशियों के फोटो सहित पाठ्यक्रम वार नाम और उनके अन्य विवरण तथा पूरे पते निर्धारित प्रपत्र में देने होते हैं।

- प्रत्याशी किसी एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत केवल एक बार और कुल मिलाकर अधिकतम दो कोचिंग पाठ्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। प्रत्याशियों को संस्थान को यह वचन देना होगा कि उन्होंने इससे पूर्व इस मंत्रालय से सहायता प्राप्त किसी कोचिंग संस्थान का लाभ नहीं उठाया है/उठा रहे हैं।

- प्रत्याशी की आय सीमा (अपनी स्वयं की आय और/अथवा माता-पिता की आय, यदि उन पर निर्भर है) इस योजना के तहत 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- छात्रों को पूरी कोचिंग अवधि में प्रतिमाह 1 हजार रुपये की निश्चित राशि का वजीफा दिया जाता है। बाहरी छात्रों को रहने और भोजन के लिए प्रति छात्र 2 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। संबंधित कोचिंग संस्थानों को बाहरी छात्रों के लिए व्यवस्था करनी होती है और प्रमाणित करना होता है कि छात्र बाहर से आया है।

- राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को वर्ष में कम से कम एक बार कोचिंग संस्थान चलाने की निगरानी करनी होती है और निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय में एक रिपोर्ट जमा करनी होती है।

- कोचिंग संस्थानों को परिणाम घोषित होने तक वित्तीय वर्ष के आरंभ में तथा वित्तीय वर्ष के अंत में अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को रोल नं. के साथ प्रत्येक परीक्षा विवरण सहित पाठ्यक्रम वार सूची जमा करानी होती है। कोचिंग संस्थानों को निरंतर सहायता देने के लिए प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कम से कम 10 प्रतिशत सफलता दर पाने की आवश्यकता होती है।

11.33 आबंटन : वर्ष 2011-12 के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग हेतु आबंटन 4.50 करोड़ रुपये था। इनमें से 2.04 करोड़ रुपये वर्ष 2011-12 में 8 राज्यों में चयनित 11 पेशेवर कोचिंग संस्थानों को जारी किए गए जिससे 520 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

कोठारी इस्टीट्यूट, 7 शिवविलास पैलेस, रजवाडा चौक, इंदौर, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित कोचिंग संस्थान

11.34 वर्ष 2011-12 (31.12.2011 तक) तथा पिछले दो वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और व्यावसायिक कोचिंग संस्थाओं की सूची **अनुलग्नक: 11-ख** में दी गई है।

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना (जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता विकास हेतु कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर की पूर्ववर्ती योजना) :

11.35 कम साक्षरता वाले पॉकेटों में अनुसूचित जनजाति लड़कियों हेतु महिला-पुरुष आधारित विशिष्ट योजना की शुरूआत 1993-94 में की गई थी। इस योजना को वर्ष 2008-09 में संशोधन किया गया, जो 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। संशोधित आवेदन-पत्र सहित संशोधित योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

11.36 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य अभिज्ञात जिलों या ब्लॉकों में जनजातीय लड़कियों का 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करके, विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों या पीटीजी (पूर्व में आदिम जनजातीय समूह के रूप में ज्ञात) द्वारा निवास क्षेत्रों में, तथा शिक्षा के लिए अच्छा माहौल बनाकर प्रारंभिक स्तर पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों में कमी करके सामान्य महिला जनसंख्या तथा जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तर के अंतर को पूरा करना है। इस योजना में वैसे क्षेत्रों जहां 5 कि.मी. की दूरी के भीतर विद्यालय नहीं हैं, वहां विद्यालय एवं छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करा कर अनुसूचित जनजाति लड़कियों हेतु विद्यालय शिक्षा सुलभ कराए जाने हेतु बल दिया गया है। सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रभावी भाग लेने हेतु समर्थ बनाने के लिए जनजातीय लड़कियों की साक्षरता दर में सुधार करना अति आवश्यक है।

11.37 कवरेज :

(क) योजना का क्रियान्वयन, जैसा कि संशोधित योजना में बताया गया है, देश के उन 54 विशिष्ट जिलों में किया जा रहा है जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत या इससे थोड़ी कम-ज्यादा है।

(ख) उपरोक्त 54 अभिज्ञात जिलों की अपेक्षा जिले में कोई अन्य जनजातीय ब्लॉक जिसमें जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा जनजातीय महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत या इससे कम है को भी कवर किया गया है।

(ग) इसके अतिरिक्त, इस योजना में ऐसे ब्लॉक स्तर से नीचे के क्षेत्रों (ग्राम पंचायतों) को भी शामिल किया जाता है जहां अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) निवास करते हैं।

(घ) उपरोक्त सभी क्षेत्रों में से **नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को** प्राथमिकता दी जाती है।

11.38 क्रियान्वयन एजेंसी

(क) इस योजना का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों और स्वायत्तशासी समिति/राज्य सरकार के संस्थानों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गठित बहु-विषयक **"स्वैच्छिक प्रयासों को सहायता हेतु राज्य समिति"** (एससीएसवीई) इस योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों की परियोजनाओं की छानबीन तथा पहचान करने के लिए जिम्मेवार है।

11.39 प्रक्रिया एवं निधियन पद्धति :

(क) यह जेंडर विशिष्ट केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना है तथा इसके लिए मंत्रालय 100 प्रतिशत निधियां प्रदान करता है। निधियां संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की बहुविषयक राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश पर निर्धारित आवेदन-पत्र में आवेदन करने वाले (निर्धारित संशोधित प्रपत्र में) पात्र गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की जाती है। संशोधित योजना में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आवेदन-पत्र तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान की सीमा का निर्धारण संशोधित योजना के तहत निर्धारित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। अनुदानों की संस्वीकृति समय-समय पर संशोधित, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005, के नियम 209 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। अनुदानों की निर्मुक्ति संशोधित योजना के साथ संलग्न नियम एवं शर्तों के अनुसार की जाती है।

(ख) गैर-सरकारी संगठनों को जारी किये गये अनुदानों के संबंध में अलग से खाता (अकाउंट) खोलने की आवश्यकता होती है, जो सरकार के सभी उचित अधिकारियों एवं एजेंसियों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहता है। गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष में एक बार अपने सहायता अनुदान खातों को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षित करवाना होता है तथा जीएफआर 19(क) के तहत निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ लेखा परीक्षित विवरण की प्रतियों का एक पूरा सैट प्रस्तुत करना होता है।

(ग) अनुदान आमतौर पर प्रत्येक वर्ष दो किस्तों में जारी किए जाते हैं, परंतु यह अधिकृत अधिकारियों या जिला कलेक्टर द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण पर आधारित गैर-सरकारी संगठन के संतुष्टिपूर्ण कार्य-निष्पादन तथा राज्य समिति की सिफारिशों के विषयाधीन होते हैं। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक तौर पर प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा यह दिनांक सहित जिला कलेक्टर द्वारा यथा प्रतिहस्ताक्षरित होनी चाहिए।

(घ) गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों की मानीटरिंग मंत्रालय या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के अतिरिक्त वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। इसके अलावा, चिह्नित पेशेवर संगठनों के माध्यम से भी स्वतंत्र निगरानी रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव है।

11.40 मुख्य विशेषताएं : जनजातीय लड़कियों की साक्षरता में सुधार करने के लिए एक सुनियोजित ढंग से हस्तक्षेप करने तथा सामान्य महिला साक्षरता स्तर तथा जनजातीय महिला साक्षरता स्तर एवं जनजातीय महिला तथा जनजातीय पुरुष साक्षरता स्तर में अंतर को कम करने के लिए निम्नलिखित हस्तक्षेप/कार्रवाइयां की गई हैं :

(क) जनजातीय लड़कियों द्वारा नियमित तौर पर मिडिल/माध्यमिक स्कूलों में दाखिला लेने के लिए ब्लॉक स्तर पर छात्रावास सुविधाएं तथा प्राथमिक स्कूलों में नियमित दाखिले के लिए पंचायत स्तर पर छात्रावास सुविधाएं।

(ख) केवल छात्रावास सुविधाओं, न कि स्कूल की स्थापना यदि आवश्यक हो तो चरणबद्ध ढंग से की जा सकती है, 100 प्राथमिक स्कूल की लड़कियों के लिए तथा 150 मिडिल एवं उच्च स्कूल की लड़कियों के लिए क्रमशः पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर इनकी स्थापना की जा सकती है। छात्रावास एक या अधिक स्थानों पर हो सकती है। आवश्यक परिस्थितियों में, इनमें शामिल की जाने वाली लड़कियों की संख्या अधिक हो सकती है। छात्रावास एक से अधिक स्थानों पर हो सकते हैं किन्तु, ये पहाड़ी क्षेत्रों में 0.5 कि.मी. तथा समतल भू-भाग में 2 कि.मी. से अधिक दूरी पर नहीं होने चाहिए।

(ग) अपवाद-स्वरूप मामलों में जहां सर्व शिक्षा अभियान या शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं के तहत संचालित नियमित स्कूल पांच कि.मी. के दायरे में नहीं है, वहां पर छात्रावास के साथ ही स्कूली सुविधाएं प्रदान करने पर भी विचार किया जा सकता है।

(घ) जहां कहीं भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीएस) कार्यरत हैं, वहां इस योजना के तहत 5 कि.मी. के दायरे में कोई छात्रावास नहीं खोला जाएगा।

(ङ) संशोधन पूर्व योजना के तहत पहले से ही स्थापित वे शैक्षिक परिसर, जो संशोधित योजना के बाद 54 नए चिन्हित कम साक्षरता वाले जिलों/या जनजातीय ब्लॉकों के अंतर्गत आते हैं तथा 'कवरेज' शीर्ष के तहत वर्णित मानदण्डों को पूरा करते हैं एवं जो प्राचीन

जनजातीय समूह क्षेत्रों में आते हैं, उन्हें निर्बाध रूप से जारी रखा गया है।

(च) कोचिंग/विशेष ट्यूशन के लिए प्राथमिक स्तर की छात्राओं के लिए 100 रुपए प्रति माह तथा मिडिल और माध्यमिक स्तर तक की छात्राओं के लिए 200 रुपये प्रति माह की दर से नकद वजीफा प्रदान किया जाता है।

(छ) दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक स्तर तक (कक्षा V तक) 100 रुपये प्रति माह की दर से तथा मिडिल एवं माध्यमिक स्तरों (कक्षा VI से XII) तक 200 रुपये प्रति माह की दर से नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

(ज) 54 कम साक्षरता वाले पहचान किए गए जिलों में प्रत्येक में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा एक जिला शिक्षा सहायता एजेंसी (डीईएसए) की स्थापना की जाएगी जो एक ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संगठन या गैर-सरकारी संगठनों का संघ होगा तथा यह कार्य करेगी। पहचान किए गए जिलों, ब्लॉकों या पॉकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के शत प्रतिशत नामांकन को प्रोत्साहित करना।

11.41 आबंटन : 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि हेतु, 298.78 करोड़ रुपए का अस्थायी आबंटन किया गया है। इसमें से, वर्तमान वर्ष के दौरान आबंटन तथा किया गया व्यय **तालिका 11.2** में दर्शाया गया है :-

तालिका 11.2

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2009-10	50.00	33.50	33.50
2010-11	40.00	39.70	37.56
2011-12	40.00	40.00	15.26 (31.12.2010 तक)

11.42 उपलब्धियां : वर्ष 2011-12 के दौरान, (31.12.2011 तक) 14 शैक्षिक परिसरों के लिए 15.26 करोड़ रुपये जारी किए गए जिसमें 6 राज्यों की अनुसूचित जनजाति की 9004 लाभार्थी लड़कियों को शामिल किया गया।

11.43 इस योजना के तहत वर्ष 2009-10 से 2011-12 (31.12.2011 तक) के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान किए गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों की स्वायत्तशासी समितियों की सूची **अनुलग्नक: 11-ग** में दी गई है।

ब्राइट केरियर अकादमी, डोलोमंडप, चंदनबाद एरिया, पोस्ट जैंपोर, जिला-कोरापुट, पिन-764001, ओडिशा ,द्वारा संचालित शैक्षित परिसर

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (वीटीसी)

11.44 इस योजना के बारे में वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 9 में चर्चा की गई है। वित्तीय मानदण्डों सहित वर्ष 2008-09 के दौरान योजना में संशोधन किया गया है। संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी है।

11.45 वर्ष 2009-10 से 2011-12 (31.12.2011 तक) के दौरान इस योजना के तहत सहायता-अनुदान प्रदान किए गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की सूची **अनुलग्नक: 11-घ** में दी गई है।

❑

अनुलग्नक:11-क

स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के तहत वर्ष 2009-10 से 2011-12 (31.12.2011 तक) के दौरान वित्त-पोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2009-10	2010-11	2011-12 (31/12/2011 तक)
आंध्र प्रदेश					
1	आंध्र प्रदेश जनजातीय कल्याण आश्रम तथा आवासीय शैक्षिक संस्था समिति, (एपीटीडब्यूएआरईआईएस), तेलुगू संशक्षैम भवन दूसरी मंजिल, मसाब टैंक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	18-आवासीय विद्यालय	13879000	36184851	0
2	बापूजी एकीकृत ग्रामीण विकास सोसायटी, गड्डामनुगु, जिला : कृष्णा, आं.प्र.	आवासीय विद्यालय	3424765	2175295	2180295
3	ग्राम अभ्युदय एकीकृत ग्रामीण विकास सोसायटी, ग्रामीण विकास, छठा वार्ड, कोटा स्ट्रीट, उरवाकोंडा, जिला-अनंतपुर, आं.प्र.	आवासीय विद्यालय	880000	2219780	3218940
4	इंटरकल्चर कॉपरेशन फाउंडेशन (आईसीएफ) इंडिया, अम्बोथ थांडा, आर.आर. जिला, आं.प्र.	गैर-आवासीय विद्यालय	397493	0	0
5	एकीकृत विकास एजेंसी, रैथूपेट, नन्दीगामा, जिला - कृष्णा, आंध्र प्रदेश	10 बिस्तरों वाला अस्पताल और सचल औषधालय	685491	0	0
6	जीयार एजुकेशन ट्रस्ट गंगनमहल कालोनी, डोमालगुडा, हैदराबाद, पिन 500027, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	1717660	2949547
7	आर.के.मिशन कोरूकोण्डा रोड, राजामुन्दरी, आंध्र प्रदेश	सचल औषधालय	3246026	563021	1210995
8	श्री लक्ष्मी महिला मंडली, डी.न. 15-155, मिलावरम (वी एंड एम), गडामनुगू, जिला-कृष्णा, आंध्र प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	2037872	1253250	1856859
9	सोसायटी फॉर इंटीग्रेटिड रूरल इम्प्रूवमेंट (एसआईआरआई), 7/163-ए, प्रकाश रोड, जिला-अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1114299	2145769	0
10	चेतनया एजुकेशनल एण्ड रूरल डिवलपमेंट जिला- कूड्डपाह, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	0	1878412
	कुल		**25664946**	**46259626**	**13295048**

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह					
11	रामकृष्ण मिशन, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	437670	145890	0
	कुल		**437670**	**145890**	**0**
अरुणाचल प्रदेश					
12	अरुणाचल पाली विद्यापीठ चांगखाम, जिला - लोहित, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	3804210	3878010	3804210
13	बुद्धिस्ट कल्चरल प्रिजरवेशन सोसायटी अपर गाम्पा, पोस्ट/थाना, बामडिला, जिला - वेस्ट कमांग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	4525342	2248228	0
14	सेन्टर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज ग्राम एवं पोस्ट - तवंग, जिला - तवंग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	3375630	1687815	1687815
15	आर.के.मिशन नरोत्तम नगर, वाया - देवमाली, जिला - तिराप, अरुणाचल प्रदेश	2 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय और 20 बिस्तरो वाला अस्पताल	9337478	9380813	9038813
16	आर.के.मिशन, पोस्ट-विवेकानंदनगर, एलांग, पश्चिम सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय, 10. बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय, छात्रावास और ए.वी. यूनिट	13808590	13808590	13392990
17	आर.के.मिशन हॉस्पिटल, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	60. बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय	7242948	7099995	7300288
18	रामकृष्ण शारदा मिशन, पो. खोनसा, जिला- तिराप, पिन कोड-786630, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	9396510	4584510	4584510
19	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापूर स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055 (मुख्यालय) परियोजना रुपा, आंध्र प्रदेश	छात्रावास	1660899	0	0
20	विवेकानंद केन्द्र अरुणज्योति, ईटानगर, ईटानगर, जिला पपुम्पारे, अरुणाचल प्रदेश	कामगार प्रशिक्षण केद्र और सचलपुस्तकालय, सह एवी इकाई	220285	0	0
21	ओजू वेलफेयर एसोसिएशन, नजदीक नहारलगुन, पुलिस स्टेशन, नहारलगुन, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय (प्राथमिक+माध्यमिक)	3452940	3491865	3540465
	कुल		**56824832**	**46179826**	**43349091**
असम					
22	असम सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, इन्द्रकांता भवन, कनकलता पथ, पो.ऑ. उलूबारी, गुवाहाटी-781007, असम	सचल औषधालय	685350	0	1370700
23	भारत सेवाश्रम संघ (गुवाहाटी), लाखरा रोड, काहिलीपुरा, गुवाहाटी, असम	सचल औषधालय	613663	0	625594

24	डा. अम्बेडकर मिशन ग्राम धोपातारी, जिला - कामरूप, असम	10 बिस्तरों वाला अस्पताल और सचल औषधालय	2274140	0	0
25	ग्राम विकास परिषद ग्राम- रंगालो, जिला - नौगांव, असम	सचल औषधालय	1514700	0	685350
26	पठारी वोकेशनल इंस्टीट्यूट, टॉप फ्लोर, बार लिब्राग, जिला-नौगांव, असम	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	613800	306900
27	आर.के. मिशन आश्रम, उलूबारी, गुवाहाटी, असम	छात्रावास, सचल औषधालय और पुस्तकालय	1287234	652727	1309304
28	आर.के.मिशन सेवाश्रम, आर.के. मिशन रोड, सिलचर, असम	छात्रावास	299473	0	0
29	सदाऊ असोम ग्राम्य पुथीभारल सांथा, तेलीपट्टी, चम्साई रोड़, जिला - नौगांव, असम	पुस्तकालय और गैर-आवासीय विद्यालय	0	1076100	1095750
30	श्रीमंत शंकर मिशन, पी.ओ./जिला-नौगांव, असम	सचल औषधालय	0	689259	706950
31	अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली (मुख्यालय)का एकक दयानंद सेवाश्रम संघ एनइआई बोकाजन कारबी अंगलॉग, असम, बोकाजन में 2 इकाई, जपारजन तथा दीफू	छात्रावास- (4 इकाई)	2998731	3097170	3129479
	कुल		**9673291**	**6129056**	**9230027**
छत्तीसगढ					
32	कछाना ध्रुव सेवा एंड कल्याण समिति, गाँव+पो-पांडुका, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़	गैर-आवासीय विद्यालय	0	1779877	0
33	नव अभिलाषा शिक्षा संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट - बुधवानी, जिला- राजनांदगांव, छत्तीसगढ	आवासीय विद्यालय	1627493	1607120	1620270
34	आर.के.मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला - बस्तर, छत्तीसगढ़	6 छात्रावास, 1 जनजातीय युवा प्रशिक्षण केन्द्र और ऑटो मोबाईल इंजीनियरिंग, दिव्यन कृषि प्रशिक्षण तथा सम्बद्ध विषयों और सचल औषधालय	7958029	6485432	2939761
	कुल		**9585522**	**11326611**	**4560031**
गुजरात					
35	भारत सेवाश्रम संघ, पोस्ट-डेडियापाडा, जिला-नर्मदा, गुजरात	सचल औषधालय	1406753	0	1413900
36	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर (नावासारी), नावासारी, गुजरात	गैर-आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (4 ईकाई) सचल पुस्तकालय सह ए.वी. यूनिट	0	9209878	2311550
37	भारत यात्रा केंद्र, डेडियापाड़ा, जिला नर्मदा, पिन-393040, गुजरात	छात्रावास	1192545	2688200	0
38	इनरेका, रायपीपला रोड, टिम्बापाड़ा, डेडियापाड़ा, जिला- नर्मदा, गुजरात	छात्रावास	1143090	1258090	2381580
39	पंचमहल आदिवासी विकास युवक मंडल ग्राम- धलसीमल, पोस्ट-मोली, तालुका-झालोड, जिला - झालोड, गुजरात	आवासीय विद्यालय	1769310	0	1769310

40	श्री धाधेला केलवानी मंडल, ग्राम एवं पोस्ट - धाधेला, जिला - दाहोद, गुजरात	छात्रावास	1547910	0	652150
41	श्री सदगुरुदेव स्वामी अखण्डानंद मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, बारूमल, जिला - वलसाड, गुजरात	छात्रावास और सचल औषधालय	2808037	0	0
42	श्री स्वामी नारायण एजूकेशन ट्रस्ट, मोल्हापंधा, जिला वलसाड, गुजरात	आवासीय विद्यालय	0	2955534	0
	कुल		**9867645**	**16111702**	**8528490**
हिमाचल प्रदेश					
43	बुद्धिस्ट कल्चरल सोसायटी ऑफ की गाम्पा, पोस्ट - के.गाम्पा, जिला - लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश	छात्रावास	2173088	1198125	1201675
44	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन पोस्ट बॉक्स नं. 98, क्लब हाउस रोड मनाली, जिला - कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	4539875	3605332	3159607
45	इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलॉस्फी एण्ड ट्राइबल कल्चरल सोसायटी, ताबो, जिला - लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	6349050	3645450	0
46	रामधा बुद्धिस्ट सोसायटी, ग्राम एवं पोस्ट - सिद्धपुर, भाया-डारी, नौरबीलिंगा, धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	छात्रावास	2406780	1219590	1339690
47	रिंचेन झांगपो सोसायटी फॉर स्पीति डेवलपमेंट, स्पीति भवन, तहसील-धर्मशाला योल कैन्ट, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	4458900	5359000	500000
	कुल		**19927693**	**15027497**	**6200972**
जम्मू व कश्मीर					
48	गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट गुर्जर कॉलोनी, जम्मू व कश्मीर	सचल औषधालय	2341180	3261420	0
49	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल सोसायटी, ग्राम - गुलाबगढ़, पोस्ट - अठौली, जिला - डोडा, जम्मू व कश्मीर	आवासीय विद्यालय	0	1989020	0
50	लॅमडन सोशल वेलफेयर सोसायटी, लेह, लद्दाख, जम्मू व कश्मीर	आवासीय विद्यालय	1720068	1673012	1656143
51	महाबोधी इन्टरनेशनल मेडिटेशन सेंटर, जम्मू व कश्मीर	आवासीय विद्यालय	441366	0	0
	कुल		**4502614**	**6923452**	**1656143**
झारखंड					
52	भारत सेवाश्रम संघ (पाकुर), ग्राम एवं पोस्ट+जिला - पाकुर, झारखंड	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	1306245	3388945	1057350
53	भारत सेवाश्रम संघ (सोनारी), सोनारी (वेस्ट) रिवरस मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन- 831011, झारखंड	सचल औषधालय (3), कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, केन और बम्बू, सचल पुस्तकालय सह ए.वी. यूनिट कताई तथा बुनाई केन्द्र (2) 20 बिस्तरों वाला अस्पताल (2 इकाई), आवासीय विद्यालय (2 इकाई)	12352421	3252866	16976173

54	भारत सेवाश्रम संघ, पाथरा, पीओ-रानीश्वर, जिला-दुमका, झारखंड	आवासीय विद्यालय (2), 20 बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय, बुनाई तथा कताई प्रशिक्षण केन्द्र	14375004	10994167	3720965
55	भारत सेवाश्रम संघ, (रांची इकाई) बरियातू, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, रांची, झारखंड	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	2132158	1751511	3245892
56	आर.के. मिशन मठ ग्राम पोस्ट एवं जिला - जामतारा, पिन-815351, झारखंड	सचल औषधालय	727939	918683	281855
57	आर.के.मिशन विवेकानंद सोसायटी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर, झारखंड	छात्रावास, सचल औषधालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, टाइपिंग एवं आशुलिपि केन्द्र, सचल पुस्तकालय-व-ए वी युनिट	1566624	1739484	895652
58	आर.के.मिशन आश्रम, मोराबादी, रांची, झारखंड	दिव्यन यूनिट,	5736679	4940067	2652866
		सचल औषधालय, पुस्तकालय, सचल ए.वी. यूनिट			
59	आर.के. मिशन टी.बी. सैनेटोरियम, रांची, झारखंड	70 बिस्तरों वाला अस्पताल और सचल औषधालय (3 इकाई)	11411682	11265962	11826274
	कुल		**49608752**	**38251685**	**40657027**
कर्नाटक					
60	आशीर्वाद रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट (आर), के.एच.बी. कालोनी जिला- गुडीबाण्डे, कर्नाटक	10 बिस्तरों वाला अस्पताल	1616400	1616400	0
61	भारती एजूकेशनल ट्रस्ट ग्राम - पाथापल्ली, तालुका - बागेपल्ली, जिला - कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	0	3320001	0
62	डा. अम्बेडकर एजूकेशन सोसायटी, (आर) नालकुदुर गोमाला, नालकुदुर, पिन-577544, तालुका - चन्नागिरी, जिला - देवानगिरि, जिला कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1600170	1608570	0
63	डॉ. जचानी राष्ट्रीय सेवापीठ 49, एच.बी.समाज रोड, बासवानगुडी, बंगलौर, कर्नाटक	गैर-आवासीय विद्यालय	0	500000	1758064
64	हरिहर ग्रामीण विरूद्धी संघ ग्राम - चिक्काबलपुर जिला - कोलार, कर्नाटक	सचल औषधालय	685350	883516	0
65	कुमुदवती रूरल डेवलपमेंट सोसायटी मकान न. 32, आर.आर. एक्सटेंशन, मधुगिरि-572132, जिला - तुमकुर, कर्नाटक	सचल औषधालय और गैर-आवासीय विद्यालय	0	4929340	0
66	प्रगति रूरल डेवलपमेंट सोसायटी ग्राम एवं पोस्ट-गेराहल्ली, तालुका-चिकबालपुर, जिला-कोलार, कर्नाटक	छात्रावास	0	2961360	0
67	संत कबीरदास एजूकेशन सोसायटी, सेदाम रोड़, जगत, जिला- गुलबर्गा, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1739470	1609470	0
68	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्या संस्था, 4206/9, जिला-देवानगिरि, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	3165740	1483970	0

69	श्री स्वामी सर्वधर्म शरणालय ट्रस्ट, रंगपुरा, जिला - तुमकुर, कर्नाटक	गैर-आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	0	5162580	0
70	श्री विनायक सेवा ट्रस्ट, काईवाडा, चिंतास्वामी-तालुक, जिला-कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	0	3218940	0
71	स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, कंचनहल्ली,	2 आवासीय विद्यालय	3897648	3619454	12469438
	शांति नगर पीओ, हेगादवदेनकोटी तालुक, जिला - मैसूर, कर्नाटक	10 बिस्तरों वाला अस्पताल (2 यूनिट) और सचल औषधालय			
72	विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र, बी.आर. हिल्स, यालांदुर तालुक, जिला चामराजनगर, पिन-571441, कर्नाटक	सचल औषधालय, 10 बिस्तरों वाला अस्पताल और आवासीय विद्यालय	0	9410515	2359598
	कुल		**12704778**	**40324116**	**16587100**
केरल					
73	मां अमृतानंदमयी मठ अमृत भवन, पारीपल्ली, जिला - कोलाम - 691574 (केरल)	छात्रावास और 10-बिस्तरों वाला अस्पताल	0	1093835	2133896
74	श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, पोस्ट - कलाडी, जिला - एरनाकुलम, केरल	छात्रावास	0	2195424	0
75	स्वामी निर्मलानंद मेमोरियल बालभवन, श्री रामकृष्ण आश्रम कयामकुलम, 690502, जिला अल्पाज़ पूजा, केरल	छात्रावास	927689	0	1697936
76	स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, विवेकानन्द नगर मूतिल, जिला-वयानाड, केरल	सचल औषधालय और 20 बिस्तरों वाला अस्पताल	4324516	0	5465745
77	वनवासी आश्रम ट्रस्ट, एट-पेरिया - 34 पोस्ट- पेरिया, जिला - वयानाड, केरल	आवासीय विद्यालय	3005078	5361525	0
78	विनोबा निकेतन पोस्ट - विनोबा निकेतन, जिला - केरल, तिरुअनन्तपुरम	छात्रावास और सचल औषधालय	2048138	2226451	0
	कुल		**10305421**	**10877235**	**9297577**
मध्य प्रदेश					
79	अन्नपूर्णा शिक्षा समिति, ग्राम सेमारखापा (अचली) जिला मांडला, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय,	1691565	0	0
80	अमरपुर बाल विकास विद्यामंदिर, पो. अमरपुर, जिला-डिंडोरी, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	0	2020590	0
81	बंधेवाल शिक्षा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	962490	962490	968490
82	बयहर नारी उत्थान सेवा महिला मंडल, बयहर जिला- बेलूरघाट, मध्यप्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	0	563947	0
83	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापूर स्मारक सदन, नई दिल्ली -110055 (मुख्यालय) धार, मध्य प्रदेश में परियोजना	आवासीय विद्यालय	2303876	0	1228098
84	हितेश्री सामाजिक सांथा, एमआईजी-30/4बी, साकेतनगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	सचल औषधालय	0	703872	733593
85	जन कल्याण आश्रम समिति, गांव सिद्धपुर, (डौभ), पोस्ट सिमरी हरिचंद, तहसील बाबेई जिला-हौशंगाबाद, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1413168	0	0

86	जीवन ज्योति शिक्षा प्रसार समिति सिंगापुर, (सेल्या) मण्डला, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	867749	0	0
87	मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 166 ई. उज्जैन, म. प्र.	आवासीय विद्यालय	0	3340676	0
88	एम.पी. वनवासी सेवा मंडल, तिकारिया, जिला-ढिंढोरी, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	0	2368215	0
89	पुष्पा कांवेन्ट शिक्षा समिति, सी-537-538 पुष्प नगर कॉलोनी, भोपाल-462010 (मध्य प्रदेश)	गैर-आवासीय विद्यालय	0	1936980	911004
90	रामा एजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, वरयालखेडा, भोपाल, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	962490	962490	968490
91	सेवा भारती, स्वामी रामतीर्थ नगर, मैदा मिल के पास, हौशंगाबाद रोड, भोपाल-462011, म.प्र.	2 आवासीय विद्यालय, 3 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और 2 छात्रावास	2597839	1454182	0
92	स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन शिक्षक समिति, युवराज क्लब, कैंट रोड़, गुना, म.प्र.	गैर-आवासीय विद्यालय	620352	1906913	0
93	युवक कल्याण सेवा प्रशिक्षण संस्थान, गांव रांगरी (ठोका), अनंगगांव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय (सैकेंडरी)	0	3400661	0
	कुल		**11419529**	**19621016**	**4809675**
महाराष्ट्र					
94	देवोनिल शिक्षण प्रसारक मंडल, चंदरपुर, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	1561145	0
95	धर्मास्वामी महर्षि श्री संत गुलाबराव महाराज वोरकारी एण्ड विकास शिक्षण संस्था, ग्राम एवं पोस्ट - कारला, जिला - अमरावती, महाराष्ट्र	10 बिस्तरों वाला अस्पताल और सचल औषधालय	2470541	1602900	0
96	जयहिंद मित्र मंडल कोल्हा, जिला - फूलबनी, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय विद्यालय	2354580	0	0
97	खांडेराव एजूकेशन सोसायटी, बसार, जिला - धुले, महाराष्ट्र	बसार में गैर-आवासीय प्राथमिक विद्यालय और बारुड में आवासीय विद्यालय	0	6946290	0
98	रेनुका देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, कुकाणे, मालेगांव, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय प्राथमिक विद्यालय	2561468	961290	0
99	शिव कृपा ग्रामीण ट्राइबल बहुउद्देशीय संस्थान, वार्ड न. 11, चमरोसी रोड, गढ़चिरोली, महाराष्ट्र	सचल औषधालय	706950	0	0
100	शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल, तकली, जलगांव, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	3157269	0
101	श्री कन्हैयालाल महारज ट्रस्ट, सामोडे, तालुक-सकरी जिला-धुले, महाराष्ट्र	आवासीय प्राथमिक विद्यालय	1219590	1216290	0
102	श्री सांइनाथ एजूकेशन सोसायटी, प्रतापपुर, तालुका तालोडा, नंदुरबार, (महाराष्ट्र)	छात्रावास	1771921	1614870	0
103	सिद्धकला शिक्षण प्रसारक मंडल, नंदगांव, तालुक नंदगांव जिला नासिक, महाराष्ट्र	आवासीय प्राथमिक विद्यालय	1554270	1620270	0
104	उज्जवल रूरल डेवलपमेंट सोसायटी ग्राम+पोस्ट नेवादे, तालुक सिन्धखेड़ा, जिला धुले, महाराष्ट्र	छात्रावास	1202040	2439180	0

105	यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नजदीक राधिका होटल, विष्णुवादी, बुल्दाना, जिला बुल्दाना, महाराष्ट्र	10 बिस्तरों वाला अस्पताल	3150815	1616400	0
106	काई थानगुबी शंकर दिओरे देवाभावी संस्था, सोदाने, नवनाथ नगर, तालुक-मालेगांव, जिला-नासिक, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय विद्यालय	1939118	0	0
107	चंदराई महिला मंडल, पो. पिम्पलनेर, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1609470	1609470	108
108	तापी परिसर एजुकेशन एण्ड कल्चर्ल ट्रस्ट, एटी-नेवाडे, जिला-धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	1559070	0
109	राजमाता शिक्षण प्रसारक मंडल, एटी-दथान, तहसील-अस्थि, जिला-बीड महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	0	1609470
	कुल		**20540763**	**25904444**	**1609470**
मणिपुर					
110	भारतीय आदिमजाति सेवक सघं, ठक्कार बापूर स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055(इम्फाल, मणिपुर शाखा)	छात्रावास कम्पयुटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	972198	0
111	चिलचिल एशियन मिशन सोसायटी कांगला टांबी, मणिपुर	छात्रावास	1178550	1762830	0
112	क्रिश्चन ग्रामर स्कूल (चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर) ग्रीन हिल्स तामींगलोंग मुंख्यालय पिन- 795141	आवासीय विद्यालय	1145340	3017250	0
113	इन्टीग्रेटेड एजूकेशनल सोशल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन पूर्वी इम्फाल, मणिपुर	गैर-आवासीय विद्यालय	0	2417580	0
114	इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड एजूकेशनल आर्गेनाइजेशन वांगबाल, पोस्ट - थाऊबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय (2 यूनिट)	0	7438544	0
115	रूरल एजूकेशनल एण्ड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगेनाइजेशन, थांगा टाँगब्राम, लीकाई, बी पी ओ थांगा,) जिला -विष्णुपुर, मणिपुर	गैर-आवासीय विद्यालय	0	2380905	885010
116	सियामसिनपाल्पी, पहरे स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एसएसएसपी कॉम्पलेक्स बूंगनूअल पोस्ट बॉक्स नं 99 जिला-लमका, पिन- 795128, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	12283530	6218685	0
117	टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थाउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	3389040	0
118	सोसायटी फॉर वीमेन एजुकेशन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन (एसडब्ल्यूईएआर) अथोकपाम खुनोऊ, पो. थोउबाल, मणिपुर	सचल औषधालय	0	1737180	706950
119	यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विस (यूआरडीएस) मुख्यालय हीरोक, हीतूपोक्पी जिला - थाउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	3304890	0
120	वार्लोटियर्स फॉर रूरल हेल्थ एण्ड एक्शन (वी ओ आर एच ए) लैमडिंग, वांगजिंग, मणिपुर	सचल औषधालय, टाइपिंग तथा आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	222480	2463390	0
121	टीयर फंड इंडिया कमेटी ऑन रिलिफ एंड रिहेबिलिटेशन सर्विस (टीएफआईसीओआरआरएस) चिंमटूंग वेंग डोरकास्ट रोड, न्यू लमका, जिला-चराचंदपुर, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	5018307	0
	कुल		**14829900**	**40120799**	**1591960**

मेघालय					
122	आर.के.मिशन, लाइथुमखूट. पो. बॉक्स-9, शिलांग, मेघालय	छात्रावास, सचल औषधालय और पुस्तकालय (2 यूनिट)	773851	1657730	0
123	आर.के.मिशन आश्रम, चेरापूंजी, जला - ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय	62 एलपी तथा एमई/ माध्यमिक विद्यालय, छात्रावास और गैर-आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	47571343	60267890	28024327
124	सेवा भारती, शिलांग, मेघालय	सचल औषधालय (2 यूनिट) और आवासीय विद्यालय	773851	0	0
	कुल		**49119045**	**61925620**	**28024327**
मिजोरम					
125	सोशल गाइडेंस एजेंसी, तुईक्वल, आइजोल, मिजोरम	सचल औषधालय	1684590	1733670	0
126	सोशल गाइडेंस एजेंसी, तुईक्वल, आइजोल, मिजोरम	सचल औषधालय	1139936	686166	0
	कुल		**2824526**	**2419836**	**0**
नागालैंड					
127	दयानंद सेवाश्रम संघ दीमापुर, की एक इकाई नागालैंड, (अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ , 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली की (एक इकाई)दीमापुर, (मुख्यालय) परियोजना नाहरवाड़ी, जिला दीमापुर नागालैंड	छात्रावास, नाहरबाई,	730192	1531530	777915
128	ग्रेस सोसायटी, मोकोकचुंग, नागालैंड	छात्रावास	827542	1828486	990034
	कुल		**1557734**	**3360016**	**1767949**
दिल्ली					
129	भारत सेवाश्रम संघ (दिल्ली) श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और छात्रावास	893745	0	893745
	कुल		**893745**	**0**	**893745**
उड़ीसा					
130	आदिवासी सोशल एण्ड कल्चरल सोसायटी, ग्राम एवं पोस्ट - कुचिण्डा, जिला - सबलपुर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	3135319	1613346	0
131	अम्बेडकर एजूकेशनल काम्पलेक्स नीलाद्री विहार, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	छात्रावास	2370060	1185030	0
132	अरुण इंस्टीटडूट ऑफ रूरल अफेयर्स, ग्राम- अस्वखोला, पोस्ट - कारामुल, जिला - देनकेनाल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1620270	1620270	0
133	एशोसिएशन फॉर वोल्यूंटरी एक्शन, दीमापुर, जिला – पुरी, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1804255	1785997	0
134	बनवासी सेवा समिति, पोस्ट- बालीगुडा, जिला - खंडमाल, पिन-762103 उड़ीसा	छात्रावास	1177984	0	0
135	बांकी आंचलिक आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद, बांकी जिला-कटक, उड़ीसा	छात्रावास और क्रेच केन्द्र (5 यूनिट)	2644740	0	1219590

136	भैरवी क्लब, कुमरपाडा, जिला - खुर्दा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	3240540	1610270	0
137	कटक जिला हरिजन सेवा संस्कार योजना, हलादीबसाता बंस्ता, जिला - केन्द्रापारा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1609470	0	1609438
138	ग्लोबल विलेज फॉर रिहैबिलिटेशन एण्ड डेवलपमेंट, उदूलीबेडा, जिला - मलकानगिरि, उड़ीसा	सचल औषधालय	1353707	0	0
139	कलिंगा इंस्टीट्यूट आफॅ सौशल साईंस, (केआईएसएस) कोयल कैम्पस, केआईआईटी, भुवनेश्वर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय (प्राइमरी और सैकेण्डरी)	11548620	0	35521590
140	नेहरू सेवा संघ बानपुर, जिला - खुर्दा, उड़ीसा	छात्रावास	1617525	1617525	0
141	निखिल उत्कल हरिजन सेवा संघ नीलाद्री विहार, सलाश्री विहार, भुवनेश्वर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालयl (सैकेण्डरी)	1943866	2310345	0
142	उड़ीसा सर्वोदय परिषद, सर्वोदय आश्रम, पोस्ट न्यूपाडा, जिला न्यूपाडा, उड़ीसा-766105	छात्रावास	2370060	0	0
143	उड़ीसा सोशल रूरल टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट, जिला कटक, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय (सैकेण्डरी)	3586140	1793070	0
144	आर.के.मिशन विवेकानंद मार्ग, भुवनेश्वर, उड़ीसा	छात्रावास और पुस्तकालय	988740	999765	499883
145	आर.के.मिशन, पुरी, उड़ीसा	छात्रावास, सचल औषधालय टाईपिंग तथा आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र	1740285	1740285	516449
146	रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत आश्रम सारागालांजी, भवानी पटना, जिला कालाहांडी, उड़ीसा	सचल औषधालय	706950	701535	0
147	राष्ट्रीय सेवा समिति 9, ओल्ड हुजूर ऑफिस बिल्डिंग, तिरुपति, आंध्र प्रदेश (मुख्यालय)परियोजना(पदवा, जिला कौरापुट), उड़ीसा	उड़ीसा में सचल औषधालय	0	571910	0
148	सेवा समाज पोस्ट गुनुपुर, जिला- रायगाडा, उड़ीसा	छात्रावास	1968706	1212315	0
149	श्री आर.के.मिशन आश्रम पो.- रामपुर, कालाहांडी, उड़ीसा	छात्रावास, कृषि एवं सम्बद्ध विषय(दिव्यायान इत्यादि) में प्रशिक्षण और सचल औषधालय	5699930	5649322	7160085
150	सोशल वीकर अवेयरनेस डेवलपमेंट एण्ड इकोनॉमिक सर्विस (स्वदेशी), गोपाल बंधु नगर, फूलबनी, जिला - कांधामल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1579230	1578830	0
151	विश्व जीवन सेवा संघ सरधपुर, खुर्दा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2143170	2065545	0
152	भारत सेवाश्रम संघ (जमशेदपुर ब्रांच), सोनारी (वैस्ट), रिवर्स मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन 831011, झारखंड (मुख्यालय)	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (2 यूनिट) 10-बिस्तरों वाला अस्पताल और बुनाई, कताई तथा हेंडलूम प्रशिक्षण केन्द्र	0	16281487	4756738
153	लक्ष्मी नारायण सेवा प्रतिष्ठान, तालुका - मनसापोल, जिला – जाजपुर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1609470	0	1609470
154	व्यक्ति विकास केन्द्र, भारत, सी-31, सेक्टर 1, रोमकेला जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा	सचल औषधालय	837789	0	0
155	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ओडिशा स्टेट ब्रांच, एचआईजी-116, कानक बिहार, फेज-1, पटिया, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-31 (भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ल-110055 का का एक युनिट)	ओडिशा में 3 छात्रावास, सरत, सुबुदीबांध, चंद्रपुर, जिला-मयुरभंज	0	2407804	1749015

156	सोशल बेलफेयर एंड रूरल डवलपमेंट (एसडब्लूएआरडी) बाली जोरांदा, पोस्ट बेनरिया, वाया महीनगढ़ी, जिला-घेनकेनाल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	4105298	2008228	2038770
	कुल		**61402124**	**48752879**	**56681028**
राजस्थान					
157	वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली, जिला - टोंक, राजस्थान	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह सहित पूर्वोत्तर की अनुसूचित जनजाति लड़कियों हेतु वजीफा योजना	0	2876020	0
158	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति, हिंटा पोस्ट भिंडेर जिला – उदयपुर, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	3090237	1577405	0
159	श्रद्धालय आश्रम समिति सूरजपोल, कोटा, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	1594470	1609470	0
	कुल		**4684707**	**6062895**	**0**
सिक्किम					
160	ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन चोगनेई गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय और छात्रावास	6901380	2602665	0
161	मुयाल लियांग ट्रस्ट योंगड़ा हिल्स, डी.पी.सी.ए. गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय	4381966	3261488	0
	कुल		**11283346**	**5864153**	**0**
तमिलनाडु					
162	न्यू लाइफ एजेंसी फॉर ट्राइबल पीपुल अपलिफ्टमेंट, वेल्लोर, तमिलनाड, पिन-632009	छात्रावास	1120467	0	2241628
163	ग्राम्या मक्कल अभिविरूधी इयाकम (जीएमएआई) पुनथोटटम, पोस्ट कोयम्बटूर, तमिलनाडु	10 विस्तरों वाला अस्पताल सचल औशधालय	5638850	0	2330550
164	साउथ इंडिया एस.टी. वेलफेयर एसोसिएशन, साइदापेट, तमिलनाडु	आवासीय विद्यालय	0	3173440	0
	कुल		**6759317**	**3173440**	**4572178**
त्रिपुरा					
165	बहुजन हिताय एजुकेशन ट्रस्ट पोस्ट विष्णुपुर मणिबंकुट स्वरूप, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	2589750	3164940	0
166	त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति, सलकामा, 9/4, कृष्णानगर, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	3198095	1709430	1715281
167	व्यक्ति विकास केन्द्र, भारत, श्रीराम कुटीर, 8वां थानारोड़, वनमालीपुर, अगरतल्ला, त्रिपुरा	सचल औषधालय	796884	0	0
	कुल		**6584729**	**4874370**	**1715281**
उत्तर प्रदेश					
168	सर्वेन्ट ऑफ इंडिया सोसायटी, 846, शिवाजी नगर, पुणे, पिन-411001, महाराष्ट्र, (मुख्यालय) लखीमपुर में परियोजना	छात्रावास (4 यूनीट) आवासीय विद्यालय	1808293	3918321	535209
169	दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 7-ई, झंडेवालान एक्सटेंशन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली (मुख्यालय) बलरामपुर और लखीमपुर खेरी में परियोजना	सचल औषधालय और छात्रावास	0	1564899	3294104
	कुल		**1808293**	**5483220**	**3829313**

उत्तराखंड					
170	अशोक आश्रम पोस्ट - अशोक आश्रम, वाया - डाक पत्थर, देहरादून, उत्तराखंडl	आवासीय विद्यालय	0	5135048	2492831
171	महिला ग्रामीण उत्थान समिति, दीवान निवास, जिला परिषद भवन, तिलडुक्री, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखंड	आवासीय विद्यालय	1609470	1609470	1609470
172	सीमांत अनुसूचित जाति एवं जनजाति सेवा संस्थान, उत्तराखंड	आवासीय विद्यालय	0	1038990	1046790
173	समग्र ग्रामीण विकास समिति, पी.ओ. पोस्ट ग्वालदान, जिला चमोली, उत्तराखंड	सचल औषधालय	595278	1413900	0
174	भारतीय आदिम जाति सेवा संघ, पोस्ट कल्सी, जिला देहरादून, उत्तराखंड	छात्रावास	2287845	0	0
175	सर्वेट्स ऑफ इंडियन सोसायटी, पुणे महाराष्ट्र (मुख्यालय) बीजापुर, उत्तराखंड,	छात्रावास और आवासीय विद्यालय	0	2136985	0
	कुल		**4492593**	**11334393**	**5149091**
पश्चिम बंगाल					
176	भारत सेवाश्रम संघ, (औरंगाबाद), पोस्ट औरंगाबाद, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और सचल औषधालय	2788830	2749454	2749454
177	भारत सेवाश्रम संघ (बलुरघाट), बलुरघाट, जिला दक्षिण दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास, (6 यूनिट) पुस्तकालय और सचल पुस्तकालय -सह-ए.वी. यूनिट	6943100	6919055	6935600
178	भारत सेवाश्रम संघ, (बेलडंगा), बेलडंगा जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय (2 यूनिट) सचल औषधालय, 10 बिस्तरों वाला अस्पताल और टाइपिंग-आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	12013689	11703366	11633851
179	भारत सेवाश्रम संघ (मुलुक) वाया बोलपुर, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (2 यूनिट) बुनाई/कताई तथा हेंडलूम प्रशिक्षण केन्द्र	3695859	3695858	1847929
180	भारत सेवाश्रम संघ (सुरी), जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और सचल औषधालय	1891890	1833300	1829300
181	भारत सेवाश्रम संघ (डोकरा) गांव-पो. डोकरा, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और आवासीय विद्यालय	1207963	3312890	2260980
182	भारत सेवाश्रम संघ (फरक्का) बहरामपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	721755	0	1443510
183	भारत सेवाश्रम संघ, पो. बहरामपुर, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	721755	540566	180189
184	भारत सेवाश्रम संघ (घाकसोल), घाकसोल यूनिट, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और	1627843	1682350	1858500
185	भारत सेवाश्रम संघ (हुगली), गांव पांजीपुरकुमर, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और पुस्तकालय	2558700	1282050	1277050
186	भारत सेवाश्रम संघ, ग्राम कुसुरिया, पो. प्रीतिनगर, जिला नाडिया, पश्चिम बंगाल (रंग घाट पयराडंगा ब्रांच) (नादिया),	आवासीय विद्यालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, टाइपिंग और सचल औषधालय	0	3304982	0

187	भारत सेवाश्रम संघ (पुरुलिया), पोस्ट/जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	छात्रावास, और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	6517748	1460272	1473210
188	भारत सेवाश्रम संघ (रायगंज), रायगंज, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय	706950	706950	706950
189	भारत सेवाश्रम संघ (ताजपुर), ताजपुर यूनिट, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	1353010	740050	2937149
190	भारत सेवाश्रम संघ (टियोर) गांव+पोस्ट टियोर, जिला दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	2102200	2102200	2368050
191	भारत सेवाश्रम संघ (कुनोर), गाँव/पो. कुनोर, जिला उत्तर दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	1185030	1185030	1185030
192	बिकास भारती वेलफेयर सोसायटी, 20/1/बी, लाल बाजार, स्ट्रीट, कोलकता - 700001, पश्चिम बंगाल (मुख्यालय) गोपी बल्बपुर-2 में परियोजना, जिला पश्चिम मेदिनीपुर	सचल औषधालय	1370700	0	685350
193	बिरसा मुंडा एजूकेशन सेंटर ग्राम- क्रांति, पोस्ट- क्रांति हाट, जिला - जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	2988630	2988630	2978390
194	गोहालडिहा जाति उपजाति ब्लू बर्ड, वूमैन वेलफेयर सेंटर, गोहालडिहा, जिला - मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	**2459520**	**2459520**	**2429520**
195	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एशोसिएशन, बुद्ध केंद्र, सालूगाड़ा, जिला जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल-734318	गैर-आवासीय विद्यालय	957690	0	1882980
196	खालिसगड़िहा सोसायटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट खालिसगड़िहा, जिला-पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	2328309	0	0
197	प्रणब कन्या संघ, प्रणब पैली, पोस्ट- कोरा चण्डीगढ़, मधयम ग्राम, जिला - नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल, पिन-743298	छात्रावास	695978	721755	721755
198	आर.के.मिशन ब्वायेज होम, रहारा, जिला-नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल	छात्रावास-सह-आवासीय विद्यालय	1358910	1704330	1600830
	कुल		**58196059**	**51092608**	**50985577**
	कुल योग		**465499574**	**526092203**	**314991100**

अनुलग्नक: 11-क का राज्यवार सारांश

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 से 2011-12 (31.12.2011 तक) के दौरान गैर सरकारी संगठनों को की गई राज्यवार निर्मुक्तियॉ

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12 (31.12.2011 तक)
1	आंध्र प्रदेश	2.57	4.62	1.32
2	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.04	0.01	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	5.68	4.61	4.33
4	असम	0.67	0.61	0.92
5	छत्तीसगढ़	0.96	1.13	0.46
6	गुजरात	0.99	1.61	0.85
7	हिमाचल प्रदेश	1.99	1.5	0.62
8	झारखण्ड	4.96	3.82	4.07
9	जम्मू और कश्मीर	0.45	0.69	0.17
10	कर्नाटक	1.27	4.03	1.66
11	केरल	1.03	1.08	0.93
12	मध्य प्रदेश	1.14	1.81	0.48
13	महाराष्ट्र	2.05	2.59	0.16
14	मणिपुर	1.48	4.01	0.16
15	मेघालय	4.91	6.19	2.80
16	मिजोरम	0.28	0.24	0.00
17	नागालैण्ड	0.46	0.34	0.18
18	ओडिशा	6.14	4.88	5.69
19	राजस्थान	0.47	0.61	0.00
20	सिक्किम	1.13	0.59	0.00
21	तमिलनाडु	0.68	0.32	0.46
22	त्रिपुरा	0.66	0.49	0.17
23	उत्तराखण्ड	0.45	1.13	0.51
24	उत्तर प्रदेश	0.18	0.55	0.38
25	पश्चिम बंगाल	5.82	5.1	5.09
26	दिल्ली	0.09	0	0.08
	कुल	**46.54**	**52.56**	**31.49**

अनुलग्नक: 11-ख का राज्यवार सारांश

अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 से 2011-12 (31.12.2011 तक) के दौरान गैर सरकारी संगठनों को की गई राज्यवार निर्मुक्तियाँ

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12 (31-12-2011 तक)
1	छत्तीसगढ़	41.41	0.00	0.00
2	दिल्ली	53.03	2.81	25.50
3	गुजरात	0.00	0.00	35.97
4	झारखण्ड	25.65	26.20	31.70
5	केरल	0.00	0.00	10.32
6	मध्य प्रदेश	86.86	64.77	21.44
7	मणिपुर	6.20	21.00	15.20
8	ओडिशा	9.32	12.70	0.00
9	राजस्थान	59.53	13.16	51.01
10	त्रिपुरा	9.00	0.00	0.00
11	तमिलनाडु	0.00	9.80	0.00
12	पश्चिम बंगाल	9.00	2.30	13.31
	योग	**300.00**	**152.74**	**204.45**

अनुलग्नक:11-ख

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग की योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 से 2010-11 (31.12.2010 तक) के दौरान निर्मुक्त किये गये अनुदान

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ विश्वविद्यालय/प्राइवेट संस्थानों के नाम	2008-09	2009-10	(लाख रुपये में) 2010-11 (31.12.2010 तक)
	पेशेवर कोचिंग संस्थान :	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि
1	**छत्तीसगढ़**			
	कैरियर प्लस एजूकेशनल सोसायटी, 302-ए-37-38-39, अंसल बिल्डिंग, तीसरा तल, बत्रा सिनेमा के पास, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09 (छत्तीसगढ़ के लिये)	41.41	0.00	0.00,
2	**दिल्ली**			
	कैरियर प्लस एजूकेशनल सोसायटी, 302-ए-37-38-39, अंसल बिल्डिंग, तीसरा तल, बत्रा सिनेमा के पास, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09 (दिल्ली के लिये)	38.41	0.00	0.00
	दिल्ली एजुकेशन सेंटर, 28ए/11, जीआ सराय, आईआईटी के पास, हौज खास, दिल्ली-110016 (दिल्ली के लिये)	14.62	2.81	25.50
3	**गुजरात**			
	एमटी एजुकेयर प्रा.लि. 101/102, सत्यम मॉल, नियर कमेश्वार हाई स्कूल, स्टेरेल्लिटी अहमदाबाद-380015	0.00	0	35.97
4	**झारखंड**			
	झारखंड विकास संस्थान, एल-104, अगरोरा हाऊसिंग कालोनी, रांची, झारखंड	10.50	12.8	12.62
	निखिलेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड मैनमेंट(एनएलबीएम), 210, हरिओम टावर सरकुलर रोड, रांची, झारखंड	4.20	0.00	5.13
	हंस स्टडी सेंटर, 76, सर्कुलर रोड़, रांची, झारखंड	10.95	13.4	13.95

5	**केरल** सेशन ऐकडमी पाट्टूम तिरूवंदपुरम, केरल			
6	**मणिपुर** वालुनटियर्स फॉर, रूरल हेल्थ एण्ड एक्शन (वोहरा), हेड ऑफिस लेमडौंग, जिला थाउबाल, मणिपुर	6.20	14.9	0.00
	कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सेंटर, एमआई रोड, थाउबाल, अचौबा, जिला थाउबाल, मणिपुर	0.00	6.1	15.20
7	**मध्य प्रदेश** क्रिस्टर एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाईटी, दूसरा तल, यमनोतरी, अपार्टमेंट, 96, नेहरू कालोनी, थाटीपुर, ग्वालियर, पिन-474011, मध्य प्रदेश	30.44	42.27	21.44
	कोठारी इन्टीक्यूट, 7, शिवविलास पैलेस, राजवाड़ा चौक, इन्दौर, मध्य प्रदेश	36.82	0.00	0.00
	कुन्दन कल्याण समिति (कौटिल्य अकादमी), बिड़ला नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	11.00	13.00	0.00
	सोशली एडवांसेड, हेल्प एज रिजोलवर एसोसिएशन, नैपियर टाऊन, जबलपुर, मध्य प्रदेश	8.60	0.00	0.00
	जवाहर लाल नेहरू चेरिटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट, वी बोरावान दि कसारवाड, जि. खारगोन, मध्यप्रदेश	0.00	9.5	0.00
8 ,	**उड़ीसा** सोशल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन फॉर, स्ट्रेथनिंग टूडेज, इण्डिया (एसडब्लयूओएसटीआई) पोस्ट-झारपोखरिया, जिला-मयूरभंज, उड़ीसा	9.32	12.7	0.00
9	**राजस्थान** एनएसए कृषि समिति, डी-23, जगनपथ, चौमी हाऊस, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-30200, राजस्थान	13.10	0.00	25.84
	उत्कर्ष विकास समिति, 265 विश्वकर्मा नगर, महारानी फार्म, दुर्गापुर, जयपुर-302018, राजस्थान	12.98	13.16	0.00
	बीएल सैनी कोचिंग सैन्टर, टोंकपाटक, जयपुर, राजस्थान-302018, राजस्थान	24.37	0.00	25.17

	सन्सिस्टम ऑफ इनफोरमेशन टेक्नॉलाजी, 53, तेजमंद, सदर थाना रोड़, अलवर, राजस्थान	9.08	0.00	0.00
10	**त्रिपुरा** स्कूल ऑफ साईंस, पोस्ट कंगवांन, जिला वेस्ट त्रिपुरा, त्रिपुरा	9.00	0.00	0.00
11	**तमिलनाडु** एमटी एजुकेयर प्रा.लि., ओल्ड नं. 176, न्यू नं. 212, रामाकृष्णा मूत्त रोड, मनदेवली, चेन्नई, तमिलनाडु	0.00	9.8	0.00
12	**पश्चिम बंगाल** नार्थ बंगाल सुखन्ता पाल्ली फाउडेशन ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंट, एट-पाउल भवन, शिव मंदिर, पीओ-कदमतला, जिला- दार्जलिंग, पश्चिम बंगाल	9.00	2.3	13.31
	कुल योग	**300.00**	**152.74**	**204.45**

अनुलग्नक:11-ख का राज्यवार सारांश

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग योजना के तहत वर्ष 2009-10 से 2011-12 (31.12.2010 तक) निजी संस्थाओं/राज्य सरकारों को की गई राज्यवार निर्मुक्तियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12 (31.12.2011 तक)
1	छत्तीसगढ़	41.41	0.00	0.00
2	दिल्ली	53.03	2.81	25.50
3	गुजरात	0.00	0.00	35.97
4	झारखंड	25.65	26.20	31.70
5	केरल	0.00	0.00	10.32
6	मध्य प्रदेश	86.86	64.77	21.44
7	मणिपुर	6.20	21.00	15.20
8	ओडिशा	9.32	12.70	0.00
9	राजस्थान	59.53	13.16	51.01
10	त्रिपुरा	9.00	0.00	0.00
11	तमिलनाडु	0.00	9.80	0.00
12	पश्चिम बंगाल	9.00	2.30	13.31
	कुल	**300.00**	**152.74**	**204.45**

अनुलग्नक:11-ग

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत 2009-10 से 2011-12 (31.12.2011 तक) के दौरान निधि पोषित संघ संगठनों की राज्य-वार सूची

(राशि रूपये में)

क्र.सं.	पते सहित एनजीओ/वीओ का नाम	2009-10	2010-11	2011-12 (31.12.2011 तक)
आंध्र प्रदेश				
1	आंध्र प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर आश्रम एण्ड रेजीडेंसियल एजूकेशन इंस्टीट्यूशन सोसायटी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) (31इकाई)	173912250	159306090	118832038
2	चैतन्य एजूकेशनल एण्ड रूरल डेवलपमेंट, 1362000 जिला-कडप्पा, आंध्र प्रदेश	0 .	0	
	कुल	**175274250**	**159306090**	**118832038**
अरुणाचल प्रदेश				
3	भारत सेवाश्रम संघ, लखरा रोड, काहिलीपाडा, गुवाहाटी, असम (मुख्यालय) पक्के कसेंग में परियोजना, जिला–वेस्ट कमेंग, अरुणाचल प्रदेश	2204200	0	1772257
4	विवेकानन्द केन्द्रीय विद्यालय अरूणाचल प्रदेश ट्रस्ट बैंक तिनाली, ईटानगर-791111, अरूणाचल प्रदेश (सिजोशा, जिला पूर्वी कामेंग, अरूणाचल प्रदेश में परियोजना) छात्रावास परियोजना	0	750000	0
5	विवेकानन्द केंद्रा विद्यालय अरूणाचल प्रदेश ट्रस्ट, बैंक तिनाली, ईटानगर-701111, अरूणाचल प्रदेश (टाडू डोबी, पोस्ट-जीरो, जिला-लोअर, सुबन सीरी में परियोजना) अरूणाचल प्रदेश छात्रावास परियोजना	0	472500	0
	कुल	**2204200**	**1222500**	**1772257**
छत्तीसगढ़				
6	विवेकानन्द इंस्टीच्युट ऑफ सोशल हेल्थ एण्ड वेल्फेयर सर्विस, नारायणपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़	2893762	3491440	0
	कुल	**2893762**	**3491440**	**0**

गुजरात				
7	गुजरात स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट रेजिडेंशियल एजूकेशन इंस्टीट्यूट सोसायटी (जीएसआईटीडीआरईआईएस), बिरसा मुंडा भवन, गांधीनगर (36 यूनिट)	0	1500000	0
8	लोक निकेतन, ग्राम/पोस्ट-रत्नपुर, तालुक-पालनपुर, जिला-बनासकंठा, पिन-385 001, गुजरात	2821147	2650773	2810776
9	श्री सर्वोदय आश्रम ट्रस्ट, पोस्ट-सनाली तालुका-दांता, जिला-बनासकांथा, गुजरात	971758	1204410	739188
	कुल	**3792905**	**5355183**	**3549964**
झारखंड				
10	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली (मुख्यालय) लुम्बई में परियोजना	1134600	0	0
11	झारखंड विकास संस्था, एल-104, अरगारा हाउसिंक कॉलोनी, रांची, झारखंड	0	2335999	2425000
	कुल	**1134600**	**2335999**	**2425000**
मध्य प्रदेश				
12	आदर्श लोक कल्याण संस्था, जे.आर. बिरला रोड, नियर ज्ञान मंदिर, हाइयर सेकेंडरी स्कूल, सतना, मध्य प्रदेश **(2-शैक्षिक परिसर)**	0	11742275	0
13	अमय ग्रामीण उत्थान समिति, सी.एस.ए. मार्ग, राणापुर, जिला-झाबुआ, म.प्र. (छात्रावास परियोजना)	0	2285378	0
14	बंधेवाल शिक्षा समिति, 92, पुराना नारियल खेडा, भोपाल, मध्य प्रदेश	3086700	2954200	2954200
15	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, ग्राम-तिक्रिया, जिला-डिंडोरी, म.प्र. **(2-शैक्षिक परिसर)**	0	9223300	0

16	मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेजीडेंशियल एंड आश्रम एजूकेशनल इंस्टीट्यूट सोसायटी, सतपूड़ा भवन, भोपाल, म.प्र. **(13 इकाइयां)**	0	0	7047094
17	म.प. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 166-ई, मुनिनगर, उज्जेन, मध्य प्रदेश	0	4542741	0
18	पुष्पा कान्वेंट एजुकेशनल सोसायटी, भोपाल, मध्य प्रदेश	0	4992860	2496430
19	पाण्डेय शिक्षा समिति, गांव बाम्राहा, साथा, मध्य प्रदेश	0	7131000	0
20	राजेंद्र आश्रम ट्रस्ट, ग्राम/पोस्ट काठीवाड़ा, जिला- झबुआ, म.प्र.	0	2561772	2561772
21	सव्य सांची सेंटर फोर अरबन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, पोस्ट अमर निकुंज अर्जुन नगर, सिद्धी, जिला सिद्धी पिन-486661, मध्य प्रदेश	5410639	10689078	0
22	श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम, माई की बगिया, अमरकंटक, जिला अनुपुर, पिन-484886, मध्य प्रदेश	0	838053	600129
23	दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 7-ई, रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली (मुख्यालय) सतना में परियोजना, मध्य प्रदेश	1080000	0	0
24	ग्रामीण सेवा केन्द्र, ग्राम/पोस्ट मंडलीनाथु, तहसील-राणापुर, जिला-झाबुआ, पिन-457993, मध्य प्रदेश	1845950	4015758	0
25	मध्यप्रदेश आदिवासी सेवक संघ, जिला-शहदोल, मध्य प्रदेश	0	15927000	0
	कुल	**11423289**	**76903415**	**15659625**
महाराष्ट्र				
26	संधि निकेतन शिक्षण संस्था, वड़गाँव, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र	2770400	5144400	0
	कुल	**2770400**	**5144400**	**0**

ओडिशा				
27	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, अस्वखोला, पोस्ट- करमुल, जिला धेनकेनाल, ओडिशा	3071700	3681150	0
28	ब्राइट कैरियर एकाडमी, एट-डोलोकनडेप, चंदनबाद एरिया पोस्ट-जेपौर, जिला-कोरापुट, पिन-764001, ओडिशा	3201256	3002000	0
29	कस्तूरबा गांधाी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, एट/उत्कल ब्रांच, पीओ-सत्यभामापुर, जिला कटक, पिन-754200, ओडिशा	1206695	0	1689728
30	कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेश्न लीमे राजनगर, पोस्ट-जैयपोर, सुनाबेदा, जिला कोरापुट, ओडिशा	3345795	3712500	0
31	लिबरेशन एजूकेशन एण्ड एक्शन फोर डेवलपमेंट (एलईएडी) पोस्ट-जैयपोर, ग्रा. सुन्दरगढ़, जिला कोरापुट, ओडिशा	2975027	3008828	0
32	मर-म्यूनिंग आश्रम, औरबिन्दो नगर, पोस्ट जयपोर, जिला-कौरापुट, ओडिशा	2246200	2246200	0
33	एनवाईएसएडीआरआई, ऐट-संथसारा, पी.ओ.-संथापुर, जिला-धेनकेनाल, ओडिशा	2732455	3170150	0
34	ओडिशा मॉडल ट्राइबल एजूकेशन सोसायटी, भुवनेश्वर, ओडिशा (19 इकाइयां)	78408342	76424178	0
35	परकल्पा, ग्राम/पोस्ट- ज्योतिपुर, तहसील-क्योंझर, ओडिशा	3417760	3968420	0
36	सवेंन्ट ऑफ इंडिया सोसायटी ग्राम/पोस्ट-रायगाडा, तहसील- रायगाडा, ओडिशा	1196845	1398154	0
37	सेवा समाज, जिला रायगडा, ओडिशा	3536400	0	2061027
38	सोशल एजुकेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट (एसईईडी) एन-2/152, आईआरसी गांव, नयापाली, भुवनेश्वर, ओडिशा	2229990	2751100	0
39	सोसायटी फॉर नेचर, हेल्थ एण्ड एजूकेशन (एसएनईएच), प्लाट नं.- एनडी-19-20, आईआरसी गांव, नयापाली, वीआईपी ऐरिया, भुवनेश्वर, ओडिशा	6385250	6198720	0

40	श्री रामाकृष्ण आश्रम ग्राम एवं पोस्ट - बादारोहिला, आंगुल ओडिशा	3128700	0	5113100
41	टैगोर सोसायटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, भुवनेश्वर, ओडिशा	784736	0	0
42	सर्वोदय समिति, कोरापुट, ग्राम/पोस्ट : कोरापुट पिन-764020, जिला कोरापुट, ओडिशा	6015800	2999100	0
43	होली होम-डाईनमुडां छाक, पोस्ट-तानवत जिला-नउ पाडा, ओडिशा	0	782164	0
	कुल	**123882951**	**113342664**	8863855
राजस्थान				
44	महावीर जैन विद्यालय संस्थान, उदयपुर, राजस्थान	0	0	1505800
45	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति, हिन्टा, पोस्ट- भंडर उदयपुर, राजस्थान	8535523	4288047	0
46	राजस्थान बाल कल्याण समिति ग्राम एवं पोस्ट - झाडोल (फलासिया) जिला-उदयपुर, राजस्थान	3088120	4212800	0
	कुल	**11623643**	**8500847**	**1505800**
	कुल योग	**335000000**	**375602538**	**152608539**

अनुलग्नक:11-ग का राज्यवार सारांश

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत 2009-10 से 2011-12 (31.12.2011 तक) के दौरान गैर सरकारी संगठनों/राज्य संचालित स्वायत्त समितियों को निर्मुक्त की गई राज्य-वार निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12 (31.12.11 तक)
1	आंध्र प्रदेश	17.53	15.93	11.88
2	अरुणाचल प्रदेश	0.22	0.12	0.18
3	छत्तीसगढ़	0.29	0.35	0.00
4	गुजरात	0.38	0.54	0.35
5	झारखंड	0.11	0.23	0.24
6	मध्य प्रदेश	1.14	7.69	1.57
7	महाराष्ट्र	0.28	0.51	0.00
8	ओडिशा	12.39	11.33	0.89
9	राजस्थान	1.16	0.85	0.15
	कुल	**33.50**	**37.55**	**15.26**

अनुलग्नक:11-घ

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 से 2011-12 (31.12.2011 तक) के दौरान वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	2009-10	2010-11	2011-2012 (31.12.2011 तक)
	असम			
1	डा. अम्बेडकर मिशन कामरूप, असम	3000000	0	0
2	ग्राम विकास परिषद, गांव रंगालू, डाकघर-जुमारमुर, जिला- नौगांव असम	0	3120000	0
3	पठारी वोकेशनल इंस्टीटड्यूट बार लाइब्रेरी, नौगांव, असम	2400000	0	0
	कुल	**5400000**	**3120000**	**0**
	कर्नाटक			
4	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्यापीठ संस्था, देवेनगिरि	1940000	1108000	0
	कुल	**1940000**	**1108000**	**0**
	मध्य प्रदेश			
5	बंधोवाल शिक्षा समिति, भोपाल	0	3120000	0
	कुल	**0**	**3120000**	**0**
	मेघालय			
6	नोंगक्रेम यूथ डेवलपमेंट एशोसिएशन पी.ओ. - नांगक्रेम, वाया - मैडमरितिंग, शिलांग - 793021	3288000	0	0
	कुल	**3288000**	**0**	**0**
	नागालैंड			
7	विटोले वूमन सोसायटी कोहिमा, नागालैंड	4686000	0	0
8	वूमेन वेलफेयर सोसायटी जूम्हेबोटो, नागालैंड	4686000	0	0
	कुल	**9372000**	**0**	**0**
	तमिलनाडु			
9	भाराथीयार माक्कल नलवालू संघम, 82, सनयासी कुंडु एक्सटेनशन, किचीपालायाम, सलेम-636015	0	1446000	0
	कुल	**0**	**1446000**	**0**
	कुल योग	**20000000**	**8794000**	**0**

अनुलग्नक:11-घ का राज्यवार (केवल गैर-सरकारी संगठनों के लिए) सारांश

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान (31.12.2011 तक) गैर-सरकारी संगठनों को की गई राज्यवार निर्मुक्तियाँ (केवल गैर-सरकारी संगठनों के लिए)				
				(करोड़ रुपये में)
क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12 (31.12.11 तक)
1	असम	0.540	0.31	0.00
2	गुजरात	0.000	0.00	0.00
3	कर्नाटक	0.194	0.11	0.00
4	मध्य प्रदेश	0.000	0.31	0.00
5	मेघालय	0.329	0.00	0.00
6	नागालैंड	0.937	0.00	0.00
	तमिलनाडु	0.000	0.14	0.00
	कुल	**2.000**	**0.87**	**0.00**

अध्याय 12
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास के लिए कार्यक्रम

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए योजना (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के विकास की योजना के रूप में ज्ञात)

12.1 अनुसूचित जनजातियो में कुछ जनजातीय समूह हैं जिनमें घटती हुई या स्थिर जनसंख्या, साक्षरता का निम्न स्तर, कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी है और वे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। ये समूह हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं, क्योंकि वे संख्या में बहुत कम हैं, उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक विकास का कोई महत्वपूर्ण स्तर प्राप्त नहीं किया है तथा वे सामान्यत खराब अवसंरचना एवं प्रशासनिक समर्थन वाले सुदूर क्षेत्रों में निवास करते हैं। 17 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में 75 ऐसे समूहों की पहचान की गई तथा उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची **अनुलग्नक: 12-क** पर है। इन समूहों मे से प्रत्येक समूह संख्या में कम हैं और इन्होंने सामाजिक और आर्थिक प्रगति के किसी महत्वपूर्ण स्तर को प्राप्त नहीं किया है तथा सामान्यतया उनका वास स्थान दूर है जहां प्रशासनिक तथा अवसंरचना आधार खराब है। इसलिए ये अनुसूचित जनजातियों में सबसे अधिक कमजोर समूह बन जाते हैं। अत: इसे प्राथमिकता दी जाती है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, उनकी आबादी के घटते रुझान को नियंत्रित किया जाए तथा उनके विकास को बढ़ावा दिया जाए।

12.2 उद्देश्य : आदिम जनजातीय समूह अत्यंत कमजोर वर्ग है इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित तथा राज्य योजनाओं से पर्याप्त धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता है। 1998-99 में आदिम जनजाति समूहों के अनन्य विकास के लिए 100% केन्द्रीय रूप से वित्त पोषित एक अलग योजना आरंभ की गई। इस बीच ज्ञान और प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर वर्ष 2008-09 में इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधित किया गया है।

12.3 कार्यक्षेत्र : इस योजना में अनुसूचित जनजातियों में से केवल 75 अभिज्ञात आदिम जनजातीय समूह शामिल किए गए हैं। यह योजना अत्यंत लचीली है तथा यह प्रत्येक राज्य को उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने मे सक्षम बनाती है, जिन्हें वे अपने आदिम जनजातीय समूहों के लिए संगत तथा उनके सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश के लिए उपयुक्त मानते हैं। इस योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यकलापों में आवास, भूमि संवितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशु विकास, संपर्क सड़कों का निर्माण, प्रकाश संबंधी आयोजन के लिए ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों की संस्थापना, जनश्री बीमा योजना सहित सामाजिक सुरक्षा अथवा पीटीजी, विशेषकर खानाबदोश प्रकार के पीटीजी, के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेत कोई अन्य नवाचारी कार्यकलाप हैं। इस योजना के अंतर्गत निधियां उन मदों/कार्यकलापों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जो आदिम जनजातीय समूहों के जीवन, संरक्षण और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिनके लिए राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना द्वारा अथवा संविधान के अनुच्छेद 275(1) और जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन निधियों के उपयोग को अभिशासित करने वाले दिशानिर्देशों द्वारा विशेष रूप से निधियां प्रदान नहीं की गई हैं। निधियों और कार्यकर्ताओं की समाभिरूपता का सामान्य सिद्धांत भी लागू होता है।

गावों में प्रदान की गई, डीकेडीए, पारसाली, रायगढ़ लघु परियोजना सौर प्रकाश प्रणाली

एलएसडीए, सेरंगा, जिला गजपति में सओरा पीटीजी का समुदायिक घर

कुलुसिंग गॉव/18 सख्यां में सिंचाई परियोजना तथा चावल की खेती। बेन आयकुट एरिया 22 एकड़ में लघु परियोजना, एलएसडीए, पोवसिंगी, जिला–रायगढ़

एलडीएसए, सेरंगो, जिला–गजपति में अजयगारा गांव से जनतारा तथा कुनुरूमति गांव तक ड्रेंस सहित सीसीडी सडक

डीकेडीए, पारसाली, जिला रायगढ़ में डोंगरिया कोंध के लिए अग्नि रोधी आवास

डीकेडीए, कुर्ली के डोगरिया कोंध द्वारा अनन्नास की खेती तथा विपणन तथा डोगरिया कोंध, पारसली, जिला-रायगढ द्वारा केले की खेती

खजूरी गाँव, डीकेडीए, कुर्ली, चाटीकोना में पाईप जल परियोजना

दीदाई पीटीजी गाँव, डीडीए, कुदुमुलुगुमा, जिला-मलकानगिरि में नल कूप

12.4 योजना (सीसीडी योजनाओं) का कार्यान्वयन: वर्ष 2011-12 के दौरान 31.12.2011) तक दीर्घकालिक "आदिम जनजातियों के लिए संरक्षण-व-विकास (सी.सी.डी.) योजना" के कार्यान्वयन को जारी रखा गया। संरक्षण-व-विकास योजनाओं को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने पांच वर्षों के लिए स्वयं द्वारा किए गए आधारभूत सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निवास स्थान विकास दृष्टिकोण को अपनाकर तैयार किया था और मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने इन्हें अनुमोदित किया था। संरक्षण-व-विकास योजनाओं में प्रत्येक वित्त वर्ष के वार्षिक प्रावधानों तथा उस कार्यकलाप के कार्यान्वयन में लगाए गए अभिकरण का भी उल्लेख किया जाता है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से यह कहा गया है कि उनके राज्य में पाए गए सभी आदिम जनजातीय समूहों के लिए समानुपातिक रूप से वित्तीय संसाधन प्रदान करने को तथा इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उपायों को उपयुक्त रूप से शामिल करके कार्यकलापों को किया जाना सुनिश्चित किया जाए। एक ही क्षेत्र में दोहरे हस्तक्षेप से बचा जाए। नवाचारी योजनाओं और प्रक्रियाविधियों के माध्यम से सुपुर्दगी तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।

12.5 सीसीडी योजनाओं की जांच और अनुमोदन

एक विशेषज्ञ समिति राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रस्तुत सीसीडी योजनाओं की जांच करती है। विशेषज्ञ समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है :

1. सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष।

2. संबंधित संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय - सह-अध्यक्ष।
3. सलाहकार, योजना आयोग।
4. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
5. पीटीजी के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण से एक विशेषज्ञ।
6. निदेशक (एसजी-1 और एसजी-2), जनजातीय कार्य मंत्रालय।
7. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्य को देख रहे निदेशक/ उपसचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
8. निदेशक/उप-सचिव (एनजीओ) - सदस्य-सचिव।

अध्यक्ष को, जब कभी अपेक्षित हो, किसी अन्य अधिकारी (अधिकारियों)/गैर-सरकारी विशेषज्ञ सदस्य (सदस्यों) को सहयोजित करने की स्वतंत्रता है।

12.6 अनुमोदित संरक्षण-व-विकास योजनाओं के अनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान (31.12.2011 तक) प्राथमिकता वाले कार्यकलापों के आधार पर 8 राज्यों अर्थात् आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा,, राजस्थान, तमिलनाडु तथा त्रिपुरा को निधियां निर्मुक्त की गई हैं।

12.7 राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किए जाने वाले कार्यकलापों की अनुसूची और उन्हें जारी रखने तथा पूरे होने के संभावित समय के बारे में सूचना प्रस्तुत करें ताकि परियोजना की प्रगति का अनुवीक्षण कारगर ढंग से किया जा सके। उनसे यह सुनिश्चित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि क्षेत्रीय स्तर पर उपयुक्त सुपुर्दगी तंत्र की व्यवस्था हो और संरक्षण-व-विकास योजनाओं को इस उद्देश्यार्थ राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के पर्यवेक्षण में कार्यान्वित किया जाए।

12.8 कार्यान्वयन अभिकरण : यह योजना राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभिन्न अभिकरणों जैसे समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं (आई टी डी पी)/एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों (आईटीडीए), जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) तथा गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से संरक्षण-व-विकास योजनाओं के अनुसार कार्यान्वित की जाती है।

12.9 वित्तपोषण पद्धति : यह एक 100% केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। निधियां सीसीडी योजना में किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार एक किस्त में राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त की जाती हैं। गैर-सरकारी संगठनों के पक्ष में निधियां, सीसीडी योजना के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सीधे निर्मुक्त की जाती हैं।

12.10 निगरानी : सीसीडी योजना के कार्यान्वयन को मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा तथा इस प्रयोजन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त की जा सकने वाली स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा निगरानी की जानी अपेक्षित है। मंत्रालय के पास किसी भी समय निगरानी और प्रगति को सुधारने के लिए प्रपत्र अथवा दिशानिर्देश निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निर्धारित प्रपत्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित होती है। इस रिपोर्ट में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्यों को शामिल करना भी अपेक्षित होता है।

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए तैयारी

12.11 मंत्रालय ने सभी हितधारियों के संहयोग से समग्र सीसीडी योजनाएं तैयार करने के लिए राज्य सरकारों के साथ पहले ही कवायद शुरू कर दी है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पीटीजी समुदायों की आवश्यकताओं तथा वर्तमान योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित सीसीडी योजनाओं की कमियों को घ्यान में रखते हुए आवश्यक जमीनी स्तर के कार्य करने का सुझाव दिया गया है। सीसीडी योजनाओं के परिणामों के अनुवीक्षणीय होने के साथ उपयुक्त कार्यान्वयन अनुसूची होनी चाहिए। योजनाओं की तैयारी के लिए मंत्रालय द्वारा राज्यों को निम्नलिखित पहलु दर्शाए गए हैं:

- छोटी जनसंख्या वाले पीटीजी तथा वे पीटीजी जिनकी संख्या स्थिर है/घट रही है पर विशेष घ्यान दिया जाना चाहिए।
- प्रत्येक पीटीजी के विकास का बैंचमार्क निर्धारित किया जाए तथा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए।
- राज्य/केन्द्र की अन्य योजनाओं के अधिकतम लाभों का उपयोग करना तथा निरूपणाधीन योजनाओं में विभिन्न विभागों से समर्थन प्राप्त करना है।

- स्वास्थ्य प्राप्त आय सृजन, शिक्षा तथा शिल्प विकास, आवास, सड़क संपर्क, भूमिहीन को भूमि प्रदान करना, भूमि का विकास, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के केन्द्रित क्षेत्रों पर आवश्यकता आधारित हस्तक्षेपों को शामिल करने के अलावा योजनाओं में प्रबल पोषण पर ध्यान केन्द्रित करना।

- सीसीडी योजनाओं को विभिन्न स्तरों पर निगरानी के लिए अंत:निर्मित तंत्र निर्दिष्ट करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीटीजी की निधियों का विपथण नहीं हो रहा है, विशिष्ट कदम उठाना।

जनश्री बीमा योजना (जे बी वाई)

12.12 मंत्रालय समस्त आदिम जनजातीय समूहों के प्रत्येक परिवार से एक कमाने वाले सदस्य को भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कवर प्रदान कर रहा है। जिनके जीवन का बीमा किया गया है उन्हें निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे:-

(i) दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में बीमित व्यक्ति के नजदीकी संबंधी को 50,000 रुपये का भुगतान;

(ii) सामान्य मृत्यु की अवस्था में बीमित व्यक्ति के नजदीकी संबंधी को 20,000 रुपये;

(iii) आंशिक अपंगता की स्थिति में 20,000 रुपये; एवं

(iv) बीमित व्यक्ति के 9वीं कक्षा और उससे ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाले दो बच्चों को 300 रुपये प्रति तिमाही शिक्षा अनुदान।

12.13 आबंटन : समग्र 11वीं योजना का अनुमोदित परिव्यय 670.00 करोड़ रुपये है। वर्ष 2011-12 के दौरान आदिम जनजातीय समूहों के विकास की योजना के तहत किया गया वार्षिक आबंटन और इस संबंध में किया गया व्यय पिछले दो वर्षों के आबंटन और व्यय के ब्यौरे के साथ **तालिका 12.1** में दिया गया है:-

(करोड़ रु. में)

तालिका 12.1 : वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 तक आबंटन एवं निर्मुक्ति

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2009-10	160.00	83.62 **	83.62
2010-11	185.00	244.20 **	178.87
2011-12 तक	244.00	244.00 **	159.73

** पूर्वोत्तर पूल से निधियों सहित

12.14 वर्ष के दौरान निष्पादन : संरक्षण-व-विकास योजनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 के दौरान 8 राज्यों को 159.73 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। इस योजना के तहत पिछले दो वर्षों और वर्ष 2011-12 (31.12.2011 तक) के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों का विवरण **अनुबंध-12 (ख)** में दिया गया है।

अनुलग्नक : 12-क

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में ज्ञात) के राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार नाम

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		पीटीजी जनसख्या का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	1.	चेचूं
		2.	बोण्डो गाडाबा
		3.	गुटोब गाडाबा
		4.	डोंगरिया खोण्ड
		5.	कुलिया खोंड
		6.	कोलाम
		7.	कोण्डा रेड्डी
		8.	कोण्डासवारा
		9.	बोण्डा पोरजा
		10.	खोण्ड पोरजा
		11.	पारेंगी पोरोजा
		12.	थोटी
2.	बिहार (झारखंड सहित)	13.	असुर (बिहार और झारखंड)
		14.	बिरहोर (बिहार और झारखंड)
		15.	बिरजिया (बिहार और झारखंड)
		16.	हिल खारिया (झारखंड)
		17.	कोरवा (बिहार और झारखंड)
		18.	मल पहारिया (बिहार और झारखंड)
		19.	परहइया (बिहार और झारखंड)
		20.	सौरिया पहारिया (बिहार और झारखंड)
		21.	सावर (बिहार और झारखंड)
3.	गुजरात	22.	कोलघा
		23.	काथोडी
		23.	कोतवालिया
		24.	पधार
		25.	सिधि
4.	कर्नाटक	27.	जेनू कुरूबा
		28.	कोरागा
5.	केरल	29.	चोलानाइकायन
		30.	कदार
		31.	कट्टूनायकन
		32.	कोरागा
		33.	कुरूम्बा
6.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	34.	अबूझ मारिया (छत्तीसगढ़)
		35.	बैगा (मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़)
		36.	भारिया (मध्य प्रदेश)
		37.	बिरहोर (छत्तीसगढ़)
		38.	हिल कोरबा (छत्तीसगढ़)
		39.	कमार (छत्तीसगढ़)
		40.	सहरिया (मध्य प्रदेश)
7.	महाराष्ट्र	41.	कटकारिया/कथोडिया
		42.	कोलाम
		43.	मारिआ गोण्ड
8.	मणिपुर	44.	मारम नागा
9.	ओडिशा	45.	चुकतिया भूंजिया
		46.	बिरहोर
		47.	बोड़ो
		48.	डिडाई
		49.	डोंगरिया खोण्ड
		50.	जुआंग
		51.	खारिया
		52.	कुटिया खोण्ड
		53.	लानजिया सौराव
		54.	लोधा
		55.	मनकिरडिया
		56.	पौडी भूयान.
10.	राजस्थान	57.	साउरा

		58. सहरिया
11.	तमिलनाडु	59. इरूला 60. कट्टूनायकन 61. कोटा 62. कोरूम्बा 63. पानियान 64. टोडा
12.	त्रिपुरा	65. रियांग
13.	उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित)	66. बुकसा (उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड)
		67. राजी (उत्तराखंड)
14.	पश्चिम बंगाल	68. बिरहोर 69. लोधा 70. टोटो
15.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	71. ग्रेट अण्डमानीज 72. जरावा 73. ओन्गेज 74. सेंटेनली 75. शोम पेन

अनुलग्नक 12-ख

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी टी जी) (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में ज्ञात) के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष 2009-10 से 2011-12 (31-12-2011 तक) के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र का नाम	राज्य/गैर-सरकारी संगठनों/कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	2009-10	2010-11	2011-12 (31-12-11 तक)
1	आंध्र प्रदेश	1) आंध्र प्रदेश सरकार	0.000	2292.400	2292.400
2	अंडमान और निकोबार	1) अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.000	184.000	0.000
3	छत्तीसगढ़	1) छत्तीसगढ़ सरकार	0.000	2244.790	1655.390
		2) विश्वास, नारायणपुर, जिला बस्तर	10.696	7.486	0.000
		3) रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला बस्तर	6.893	5.330	4.380
4	झारखंड	2) भारत सेवा आश्रम संघ, सोनारी, जमशेदपुर	168.595	155.856	128.845
		3) भारत सेवाश्रम संघ, पाकुर, पश्चिम बंगाल	53.436	31.893	38.480
		4) भारत सेवा आश्रम संघ, बाराजुरी, वाया-घाटशिला, झारखंड	50.000	30.932	0.000
5	केरल	1) केरल सरकार	10.000	0.000	1210.000
6	कर्नाटक	1) कर्नाटक सरकार	0.000	6000.000	0.000
		2) स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, हंचिपुरा रोड, सारागुर, ताल- एचडी कोटे, मैसूर जिला, 571121, कर्नाटक	20.474	0.000	0.000
7	मध्य प्रदेश	1) मध्य प्रदेश सरकार	5067.800	5428.200	5570.150
8	महाराष्ट्र	1) महाराष्ट्र सरकार	556.125	3459.835	0.000
		2) महारोगी सेवा समिति, बरोरा (लोक बिरादरी प्रकल्प), हेमाकक्ष , पीओ-भमरागढ़, जिला-गढ़चिरौरी, पिन-442710, महाराष्ट्र	28.194	27.772	0.000

9	**ओडिशा**	1) ओडिशा सरकार	1228.700	1226.680	918.550
10	**राजस्थान**	1) राजस्थान सरकार	0.000	1280.280	2677.000
11	**तमिलनाडु**	1) तमिलनाडु सरकार	0.000	476.000	1075.940
		2) नीलगिरी आदिवासी वेलफेयर एसोसिएशन, कोटागिरी, नीलगिरी जिला,	61.663	77.581	85.100
12	**त्रिपुरा**	1) त्रिपुरा सरकार	461.800	315.700	317.000
13	**उत्तराखंड**	1) उत्तराखंड सरकार	100.140	0.000	0.000
14	**पश्चिम बंगाल**	1) पश्चिम बंगाल सरकार	537.235	0.000	0.000
		कुल योग	**8361.751**	**23244.735**	**15973.235**

राज्यवार सारांश अनुलग्नक 12-ग

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (पूर्व में आदिम जनजातियों के विकास की योजना) के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 (31.12.2011 तक) निर्मुक्त की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12 (31-12-2011 तक)
1	आंध्र प्रदेश	0.000	2292.440	2292.400
2	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.000	184.000	0.000
3	छत्तीसगढ़	17.589	2257.606	1659.770
4	झारखंड	272.031	218.681	167.325
5	केरल	10.000	0.000	1210.000
6	कर्नाटक	20.474	6000.000	0.000
7	मध्यप्रदेश	5067.800	5428.200	5570.150
8	महाराष्ट्र	584.319	3487.607	0.000
9	ओडिशा	1228.700	1226.680	918.550
10	राजस्थान	0.000	1280.280	2677.000
11	तमिलनाडु	61.663	553.581	1161.040
12	त्रिपुरा	461.800	315.700	317.000
13	उत्तराखंड	100.140	0.000	0.000
14	पश्चिम बंगाल	537.235	0.000	0.000
	कुल	**8361.751**	**23244.775**	**15973.235**

अध्याय 13
अनुसंधान, सूचना और जनसंचार

अनुसंधान

13.1 अनुसूचित जनजातियों जैसे अति महत्वपूर्ण मानवशास्त्रीय मूल्यों वाले लोगों से संबंधित विषयों में अनुसंधान के महत्व को कम नहीं माना जा सकता है। हालांकि, इस प्रकार के अनुसंधान कई संगठनों, यथा-भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों द्वारा किए जा रहे हैं, तथापि जनजातीय कार्य मंत्रालय भी इस प्रकार के अनुसंधानों को एक सीमा तक निधियां देना महत्वपूर्ण मानता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुसंधान योजना के निम्नलिखित दो घटक हैं: -

(1) राज्य और केन्द्र के मध्य 50 : 50 के आधार पर जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को अनुदान।

(2) अखिल भारतीय स्वरूप अथवा अन्तर्राज्यीय स्वरूप की परियोजनाओं को सहायता। अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययन करने, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं को आयोजित करने तथा जनजातीय मुद्दों से संबंधित साहित्य का प्रकाशन करने के लिये संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों को 100% के आधार पर अनुदान दिए जाते हैं।

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता - अनुदान

13.2 इस योजना के अधीन अब तक आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 18 जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं।

13.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों को जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को प्रशासनिक लागत सहित अपने व्यय पूरे करने के लिए 50% केन्द्रीय हिस्सा तथा संघ शासित प्रदेशों को 100% अनुदान निर्मुक्त करता है।

13.4 ये संस्थान राज्य सरकारों को योजनाएं बनाने में सहायता करने, अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययनों का संचालन, आंकड़े एकत्र करने, प्रशिक्षण संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करने, पारम्परिक कानूनों का आलेखन करने, जनजातीय कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना करने तथा इनसे संबंधित अन्य कार्यकलाप संचालित करने में सहायता करने के कार्य में लगे हुए हैं ।

13.5 मंत्रालय जनजातीय कला, शिल्प एवं वास्तु संस्कृति के संरक्षण हेतु जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की अनुसंधान गतिविधियों के भाग के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थान के प्रांगण में जनजातीय संग्रहालय के निर्माण के लिए भी सहायता देता है।

13.6 पूरे देश में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों में इस समय किए जा रहे सभी कार्यों का कारगर समेकन करने के लिए तथा इस संबंध में नए कार्यकलाप करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नोडल जनजातीय अनुसंधान संस्थान (एनटीआरआई) की संकल्पना तैयार की है। नोडल जनजातीय अनुसंधान संस्थान इस संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय को नीतिगत निवेश प्रदान करेगा, अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययन संचालित करेगा तथा इन्हें समेकित करेगा तथा जनजातीय अनुसंधान संस्थान के इस प्रकार के अन्य संबंधित कार्यकलाप, जिन्हें इनके कार्यभार के तहत सम्मिलित किया गया है, को पूरा करेगा। निम्नलिखित तालिका में चुनिंदा नोडल जनजातीय अनुसंधान संस्थानों और इनसे संबंधित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को दर्शाया गया है :

टी आर आई	समूह में अन्य टी आर आई
ओडिशा	आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह
महाराष्ट्र	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात
मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान
असम	मणिपुर और त्रिपुरा

नोडल जनजातीय अनुसंधान संस्थान के उद्देश्य और लक्ष्य इस प्रकार हैं :

(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्यों के कल्याण विभागों को नीतिगत निवेश प्रदान करना;

(ख) ऐसे अध्ययन और कार्यक्रम बनाना जो जनजातीय व्यक्तियों की जीवनशैली के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं में सुधार कर सकें अथवा इनके संबंध में सहायता प्रदान कर सकें;

(ग) जनजातियों की समस्याओं, उनके अकादमिक, कार्यकारी तथा विधायी क्षेत्रों के मामलों से संबंधित मुद्दों का मुख्य केन्द्र बनाना;

(घ) संबंधित अनुसंधान संस्थानों और संगठनों तथा अकादमिक निकायों के साथ समेकन करना तथा इनके साथ नेटवर्क स्थापित करना;

(ङ) अनुसंधान और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानदण्ड निर्धारित करना।

वर्ष 2011-12 के लिए बजट आबंटन 5.00 करोड़ रूपए है जिसकी तुलना में 31.12.2011 तक 3.06 करोड़ रूपए निर्मुक्त कर दिए गए हैं।

अखिल भारतीय या अन्तर्राज्यीय स्वरूप की सहायक परियोजनाएं -

13.7 यह योजना अध्ययन, सेमिनार/कार्यशालाओं और जनजातीय साहित्य को प्रकाशित करने के माध्यम से जनजातीय मुद्दों और विकास की योजनाओं/कार्यों के बारे में लोगों में ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने के लिए वर्ष 1979-80 से चलाई जा रही है। इस योजना के अधीन निम्नलिखित गतिविधियों के लिए 100% आधार पर गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है :

(i) अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन

(ii) अनुसूचित जनजातियों के लिए विकासोन्मुख कार्यक्रमों से संबंधित कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों तथा जनजातीय लोगों और उनके क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान एवं अनुभव का प्रचार-प्रसार, एवं

(iii) जनजातीय विकास से संबंधित साहित्य का प्रकाशन।

13.8 अनुसंधान अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों को अनुसंधान मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए सहायता दी जाती है। 8-12 माह में पूरी की जाने वाली प्रत्येक परियोजना के लिए अनुसंधान अनुदान सामान्य तथा अधिकतम 2.50 लाख रुपए है।

13.9 अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन करने की इच्छुक अनुसंधान संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों को इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन करना होता है।

13.10 संवीक्षा एवं स्वीकृति : परियोजना/प्रस्तावों की संवीक्षा की जाती है और उनका चयन अनुसंधान सलाहकार समिति करती है, जिसमें जनजातीय कार्य/विकास के क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति होते हैं और इसका गठन जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में किया जाता है।

13.11 वर्ष 2011-12 के दौरान अनुसंधान अध्ययन/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए 2 बैच में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। मंत्रालय की अनुसंधान परामर्शदात्री समिति द्वारा 6 अनुसंधाान अध्ययनों तथा 7 संगोष्ठियों/कार्यशालाओं की स्वीकृति हेतु सिफारिश की गई है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 40.00 लाख रूपए के बजट परिव्यय की तुलना में 3.32 लाख रू. की राशि 31.12.2011 तक स्वीकृत कर दी गई है।

13.12 संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों को कार्यशालाओं/सम्मेलन के लिए अथवा संस्थाओं के समूह को कार्यशालाओं/सम्मेलन आयोजित करने के लिए सहायता-अनुदान निर्मुक्त किया जाता है जिससे अनुसंधान

निष्कर्षों का प्रचार-प्रसार करने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अभिनिर्धारित करने, जनजातीय समूहों की कला, संस्कृति और परम्परा तथा जनजातीय विकास से संबंधित मुद्दों को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलती है। प्रस्तावों की संवीक्षा की जाती है और इनका चयन, जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव/उप-महानिदेशक/आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के अधिकारियों से गठित आंतरिक चयन समिति द्वारा किया जाता है।

13.13 सहायता की प्रमात्रा : संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों को निम्नलिखित प्रतिमान पर अनुदान दिए जाते हैं :

संगोष्ठी/कार्यशाला की अवधि	धनराशि रु. में
एक दिन के लिए	50,000/-
दो दिन के लिए	75,000/-
तीन दिनों के लिए (अपवादात्मक मामलों में जहां क्षेत्रीय दौरे अनिवार्य हैं)	1,00,000/-

13.14 अलिखित जनजातीय लोकवार्ताओं सहित जनजातीय विकास पर अच्छी पुस्तकें लिखने अथवा अनुवाद करने के लिए प्रमुख लेखकों/रचयिताओं को बढ़ावा देने हेतु, मंत्रालय प्रधिमानत: उस संस्थान को अनुदान प्रदान करता है, जिससे ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं। एक परियोजना/पुस्तक के प्रकाशन के लिए अधिकतम 30,000 रु. की सहायता दी जाती है। वर्ष 2011-12 के दौरान, (31.12.2011 तक) कोई वैध प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

निगरानी एवं मूल्यांकन अध्ययन

13.15 इस योजना के अधीन, अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ एवं विकासार्थ जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का मूल्यांकन विशिष्ट एजेंसियों द्वारा कराया जाता है तथा मंत्रालय द्वारा 100% अनुदान दिए जाते हैं।

13.16 वर्ष 2011-12 के दौरान 2.00 करोड़ के बजट अनुमान में से 31.12.2011 तक 96.81 लाख रु. की राशि निर्मुक्त की गई है। मैसर्स वयाम टैक्नोलॉजी लि0 थापर हाउस, 124, जनपथ, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को 2010-13 की अवधि के लिए परियोजनाओं की स्वतंत्र समवर्ती निगरानी के लिए एक स्वतंत्र नोडल निगरानी एजेंसी के रुप में निर्मुक्त किया गया है।

सूचना और मास मीडिया

13.17 मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं की मुख्य विशेषताओं वाली एक पुस्तिका का भी मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/कार्यान्वयन कार्य एजेंसियों को वितरण करके प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रकाशित कर रहा है ताकि कार्यान्वयन प्रक्रिया में उन्हें सुविधा हो। मंत्रालय की अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों को उजागर करने के लिए समय-समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देता है।

13.18 'विज्ञापन और प्रचार' नामक इस उप-योजना के तहत बजट अनुमान 2011-12 के लिए 3.00 करोड़ रुपए की तुलना में 31.12.2011 तक 2.79 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

जनजातीय त्यौहारों का आयोजन

13.19 'जनजातीय त्यौहारों के आयोजन' की योजना में अनुसूचित जनजातियों में अंतर-निहित प्रतिभा को प्रोत्साहित करके तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके स्थानीय, जिला राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत जनजातीय कलाकारों/लोक कलाकारों तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और जनजातीय कलाओं तथा परम्परागत जनजातीय खेलकूद को संरक्षित रखने, प्रोत्साहित करने तथा प्रचार-प्रसार करने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक मेले, त्यौहार तथा खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

13.20 इस योजना के तहत जागरूकता पैदा करने, जनजातीय कला और संस्कृति तथा परम्परागत खेलकूद कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर तरीके से अभिनिर्धारित तथा तात्कालिक आवश्यकता पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा।

13.21 इस योजना के तहत जनजातीय सांस्कृतिक त्यौहारों तथा परम्परागत खेलकूद कार्यकलापों इत्यादि को उनके अपने वातावरण में आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों को सदस्यता/अनुदान भी प्रदान किए जाते हैं। असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा तथा त्रिपुरा नामक 8 राज्यों को अपने स्वयं के वातावरण में जनजातीय त्यौहारों को आयोजित करने के लिए निधियां निर्मुक्त कर दी गई हैं।

13.22 जनजातियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फोटो प्रभाग के सहयोग से **"काम में लगे जनजातीय कलाकार"** विषय पर मार्च, 2012 में **पाचवीं राष्ट्रीय स्तर की फोटो प्रतियोगिता** का आयोजन किया। इस फोटो प्रतियोगिता के माध्यम से, उनकी जीवन शैली का सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक संघटकों को स्पष्ट करने का एक प्रयास किया गया है। जनजातियों के जीवन के असाधारण पहलुओं को खोजने के लिए तथा प्रदर्शन, संप्रेषण और मनोरंजन के कलात्मक रूप में उन्हें सुरक्षित करने के लिए ऐसी फोटो प्रतियोगिताएं सभी शौकीन और जनजातीय फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करेंगी।

13.23 दिनांक 20 से 22 मार्च, 2012 तक संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सिरिफोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में एक तीन दिवसीय जनजातीय पर्व आयोजित किया गया है। नृत्य पर्व का उद्देश्य स्पंधित जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देना तथा जनजातीय नृत्य एवं संगीत को प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान करना है। वर्ष 2011-12 के दौरान इस योजना के तहत 1.50 करोड़ रू. के बजट आबंटन में से 31.12.2011 तक 0.37 करोड़ रू. की राशि स्वीकृत की गई है।

राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार

13.24.1 मंत्रालय ने वर्ष 2007-08 से एक नई योजना "राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार" शुरू की है। इस पुरस्कार को राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार कहा जाता है। जनजातीय जनसंख्या की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जनजातियों के कुछ सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया है। उनके द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां इस तथ्य के कारण भी बहुमूल्य हैं कि प्रतिकूल और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार की सफलता की कहानियों का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए ताकि उनसे संबंधित व्यक्ति जनजातीय जनसंख्या की भावी पीढ़ियों के आदर्श बन सकें। इस प्रकार की उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने से जनजातीय लोगों की सकारात्मक छवि को प्रस्तुत करने का मार्ग प्रशस्त होगा और समाज की सोच को भारतीय समाज में जनजातीय लोगों की बहुमुखी भूमिका को स्वीकार करने तथा इसे प्रोत्साहित करने के लिए परिवर्तित किया जा सकेगा। इस प्रकार की उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के लिए वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है। पात्र उपलब्धियों के चयन को सरल बनाने के लिए जिला और राज्य दोनों स्तरों पर पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया स्थापित करके योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है।

पुरस्कार का स्वरूप

(क) **सर्वोत्तम जनजातीय उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार:**

इन क्षेत्रों अर्थात (i) खेलकूद, (ii) शिक्षा, (iii) संस्कृति, (iv) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और जैव-विविधता संरक्षण तथा किसी अन्य क्षेत्र में (उत्कृष्ट योगदान) करने के लिए दो पुरस्कारों (एक जनजातीय उपलब्धि प्राप्त करने वाली महिला के लिए और दूसरा जनजातीय उपलब्धि प्राप्त करने वाले पुरुष के लिए दिए जाते हैं।

प्रत्येक पुरस्कार में 2 लाख रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्राफी प्रदान की जाती है।

(ख) **अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की गई अनुकरणीय सामुदायिक सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार :**

अलग-अलग व्यक्तियों और संगठनों अर्थात गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वैच्छिक संगठनों और समुदाय आधारित समूहों द्वारा किसी अनुसूचित जनजातीय समुदाय के विकास के लिए किए गए अनुकरणीय योगदान के लिए एक पुरस्कार दिया जाएगा। इस श्रेणी के नकद पुरस्कार में 5 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र तथा ट्राफी होगी।

(ग) **सर्वोत्तम कार्य करने वाली एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी)/एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण को राष्ट्रीय पुरस्कार :**

सर्वोत्तम कार्य-निष्पादन करने वाली एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी)/एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण (आईटीडीए) के लिए एक पुरस्कार होगा। इस नकद पुरस्कार में 5 लाख रुपए नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्राफी दी जाएगी। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना/एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण को पुरस्कार से प्राप्त धनराशि का उपयोग सामुदायिक परिसम्पत्तियां तैयार करने में करना होगा। पुरस्कार की धनराशि को उनकी किसी

स्कीम के तहत उपलब्ध धनराशि अथवा उनकी स्वयं की निधियों में मिलाया जा सकता है।

13.24.2 इस अवसर पर खेल, शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट जनजातीय उपलब्धिकर्ताओं तथा जनजातीय कल्याण के प्रति उत्कृष्ट योगदान करने वालों को राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार 2011-12 दिए गए थे। श्रीमती बिन्नी यंगा (माया) को अनुसूचित जनजातियों के लिए अर्पित अनुकरणीय सामुदायिक सेवा हेतु पुरस्कार दिया गया है जिसमें 5.00 लाख रू. नकद, एक प्रशस्ति पत्र तथा एक ट्रॉफी दी गई थी। श्रीमती एम.सी.मैरी कोम को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सर्वोत्तम जनजातीय उपलब्धि कर्ता का पुरस्कार दिया गया जिसमें 2.00 लाख रू. नकद का पुरस्कार, एक प्रशस्ति तथा एक ट्रॉफी दी गई तथा जनजातीय कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वोत्तम जनजातीय उपलब्धिकर्ता का पुरस्कार श्री गुरू रेवबेन माशंगवा को भी प्रदान किया गया था।

श्रीमती बिन्नी यंगा (माया) माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री महादेव सिंह खंडेला की उपस्थिति में माननीय जनजातीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री श्री वी. किशोर चंद्र देव से अनुसूचित जनजातियों को अर्पित अनुकरणीय सामुदायिक सेवा के लिए पुरस्कार प्राप्त करते हुए, जिसमें पांच लाख रूपये का नगद इनाम, प्रशस्ती पत्र तथा ट्रॉफी दी जाती है।

उत्कृष्ट केन्द्र

13.25 अनुसंधान संस्थान और संगठनों को जनजातीय कार्य मंत्रालय देश के जनजातीय समुदायों के मध्य अल्पकालिक अनुसंधान और विस्तारी कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। इन अनुसंधान अध्ययनों को नियमित आधार पर जारी रखने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित संस्थानों/संगठनों को देश की जनजातियों के विकास के लिए दीर्घकालिक और नीति आधारित अनुसंधान अध्ययनों को निर्धारित करने के संबंध में उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में चुना है और मान्यता प्रदान की है ताकि इन्हें इन अध्ययनों में शामिल किया जा सके:-

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद।

(ख) बी.ए.आई.एफ. विकास अनुसंधान प्रतिष्ठान, पुणे।

(ग) भाषा अनुसंधान और प्रलेखन केन्द्र, वडोदरा।

13.26 इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों की जनजातीय समुदायों से संबंधित गुणवत्तामूलक, कार्योन्मुख और नीति आधारित अनुसंधान करने की सांस्थानिक संसाधन क्षमताओं में वृद्धि करना तथा इन्हें सुदृढ़ करना है।

13.27 ऐसे कार्यक्षेत्रों जिनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, में अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ जनजातीय लघु वन उत्पाद (एम.एफ.पी.) अधिकार; अनुसूची v और अनुसूची vi के क्षेत्रों में महिला अधिकार; लघु और बड़ी परियोजना से प्रभावित जनजातीय परिवारों/जनजातीय क्षेत्रों के विस्थापन, अंतरण, पुनर्स्थापना और पुनर्वास से संबंधित अनुसंधान अध्ययन जनजातीय मुद्दों इत्यादि से संबंधित मामले पर सम्मेलन/कार्यशालाओं का आयोजन; जनजातीय कलाकृतियों इत्यादि का प्रलेखन शामिल है।

13.28 उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में घोषित संस्थानों/संगठनों को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत सहायता-अनुदान प्रदान किया जाता है। बजट अनुमान 2011-12 में 65.00 लाख रुपये के आबंटन जिसकी तुलना में 31.12.2011 तक 30.00 लाख रू. की राशि निर्मुक्त कर दी गई है।

जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान

13.29 अनुसूचित जनजातियों एसटी द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित चालू योजनाओं में से एक है जिसका प्रयास एकता की भावना पैदा करना है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों में मेजबान एवं अतिथि के बीच एक-दूसरे की सर्वोत्तम जीवन शैली एवं रिति-रिवाज़ों से परिचित होना है तथा ज्ञान में अभिवृद्धि करना है।

जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित है :-

1. यात्राओं के माध्यम से छात्रों एवं शिक्षकों सहित अनुसूचित जनजातियों को दूसरे राज्यों/जनजातियों के विभिन्न विकास, कल्याण तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों एवं सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रथाओं से बेहतर ढंग से सीखने को मिलता है
2. अनुसूचित जनजातियों को अद्यतन कृषि तकनीकी, पशुपालन, गैर-काष्ठीय वनोत्पाद के प्रसंस्करण (एनटीएफपी), लघु उद्योगों इत्यादि से परिचय होता है
3. खेल विकास तथा/अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रोत्साहन के माध्यम से जनजातियों में निहित प्रतिभाओं को निखारना एवं संवारना

13.30 इस योजना के अनुसार प्रत्येक समूह में 10 जनजातीय व्यक्ति होते हैं। प्रत्येक समूह में अधिक से अधिक एक समुदाय से 4 जनजातियों एवं स्थानीय निकाय से 5 महिलाएं हो सकती है। कोई भी व्यक्ति एक यात्रा से अधिक के लिए चुने जाने का पात्र नहीं है। इसके चयन में उच्चविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों एवं जनजातीय अनुसंधान संस्थानों/स्वायत्त जिला परिषदों/ग्राम परिषदों को तरजीह दी जायेगी। सहभागी 3-टीयर ए सी से यात्रा करने के पात्र हैं। आवास और यात्राओं का प्रबंध मेजबान राज्य द्वारा किया जाता है। इस यात्रा के दौरान भाग लेने वालों को दैनिक भत्ते का भुगतान भी किया जाता है। राज्यों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा किया गया व्यय मंत्रालय द्वारा पूरा किया जाता है, बशर्ते यह निर्धारित मानकों के अनुसार हो।

माननीय जनजातीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री, माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार 2011-12 के विजेताओं तथा जनजातीय लोक कलाकारो के साथ 'प्रकृति, 2012' में उपस्थित

अध्याय 14

पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान

पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय विकास

14.1 योजना आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के विकास के विशेष कार्यक्रमों के लिए अपने बजट आबंटन में से कम से कम 10% का निर्धारण करना आवश्यक है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसरण में मंत्रालय पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के विकास के लिए निधियों का आबंटन कर रहा है। सामान्यतया कुल बजट आबंटन के 10% से अधिक धनराशि आबंटित की जाती है।

14.2 मंत्रालय विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को अनुदान निर्मुक्त करता है। ''मंत्रालय गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान'' की योजनाओं के तहत कम साक्षरता वाले जिलों में जनजातीय लड़कियों की शिक्षा को सुदृढ़ करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए सीधे अनुदान देता है। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान को छोड़कर, राज्य सरकारों से नए प्रस्तावों की प्राप्ति पर तथा योजनाओं के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता के अधीन सभी योजनाओं के अंतर्गत अनुदान निर्मुक्त किए जाते हैं। मंत्रालय इस विषय पर पूरा ध्यान रखता है। ऐसी केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को अनुदान निर्मुक्त किया जाए और पूर्वोत्तर राज्यों को इन योजनाओं के अंतर्गत बजट आबंटन के कम से कम 10% का प्रवाह सुनिश्चित करता है।

14.3 वर्ष 2009-10 से 2011-12 (31.12.2011 तक) की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत की गई निर्मुक्तियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक 14-(क)** में दर्शाया गया है। यह सूचना नीचे दी गई **आकृति 14(i)** में भी दी गई है:

आकृति 14(i): केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में की गई निर्मुक्तियां

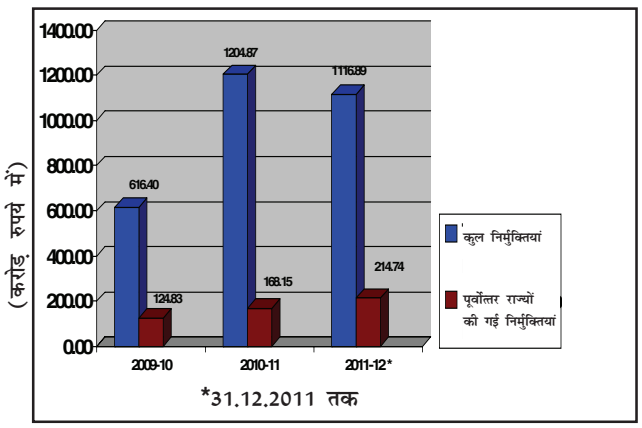

14.4 वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 (31.12.2011 तक) की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन वर्षवार निधियों के प्रतिशत प्रवाह को नीचे दी गई आकृति 14(ii) में दर्शाया गया है:

आकृति 14(ii) : केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम को निधियों के प्रवाह की प्रतिशतता

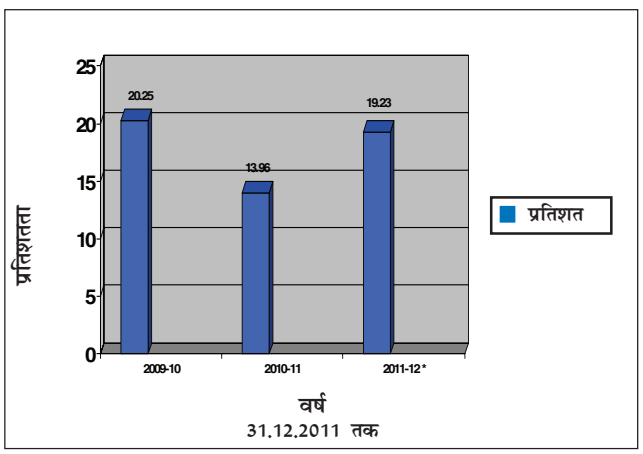

14.5 वित्तीय वर्ष 2011-12 (31.12.2011 तक) के लिए यही आंकड़े **अनुलग्नक 14-ख** में दिए गए हैं।

अनुलग्नक : 14-क

वर्ष 2009-10 से 2011-12 (31.12.2011) तक के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को वर्षवार निर्मुक्त की गई राशि

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	2009-10		2010-11 *		2011-12	
		पूर्वोत्तर	कुल	पूर्वोत्तर	कुल	पूर्वोत्तर	कुल
I	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं	230.28	19.89	496.5230	25.51	333.23	13.01
II	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	386.12	104.94	708.3470	142.6379	783.66	201.73
	उप जोड़ (I + II)	616.40	124.83	1204.87	168.15	1116.89	214.74
	उपर्युक्त I और II की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र को निर्मुक्त की गई राशि का प्रतिशत		20.25		13.96		19.23
III	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	481.24	51.33	931.7277	69.35	777.17	57.25
IV	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन अनुदान	399.10	35.75	999.8841	117.63	720.90	75.61
V	अनुसूची-5 क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय बच्चों के शैक्षिक विकास हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (I से V तक)	1996.74	211.91	3136.4818	355.1279	2614.96	347.60
	उपर्युक्त I से V तक की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र को निर्मुक्त की गई राशि का प्रतिशत		**10.61**		**11.32**		**13.29**

* विनियोजन लेखा स्तर-III के अनुसार

अनुलग्नक 14-ख

वर्ष 2011-12 (31-12-11 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निर्मुक्त की गई राशि

(₹ करोड में)

क्र. सं.	राज्य	असम	अरुणाचल प्रदेश	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल	अखिल भारत कुल*	अखिल भारतीय स्तर पर निर्मुक्त राशि में पूर्वोत्तर क्षेत्र की हिस्से दारी प्रतिशतता*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
क	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं**											
1	कोचिंग एवं संबद्ध योजना तथा अनुकरणीय	0.92	4.43	0.31	2.80	0.00	0.18	0.00	0.17	8.81	31.69	27.80
	सेवा हेतु पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों											
	के लिए एनजीओ को सहायता अनुदान											
2.	**जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण**											
	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	0.00
	एनजीओ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	10.38	1.73
4	जनजातीय उत्पादों/उपज का बाजार विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00
5	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.28	0.85	11.52	7.38
6	**विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास**											
	एनजीओ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00
	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	3.17	157.16	2.02
7	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
8	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00
9	उत्कृष्ट संस्थान/उच्च श्रेणी शिक्षा संस्थान की योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	0.00
10	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00
ख	**केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं**											
1	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां, पुस्तक बैंक तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन की योजना	42.11	0.00	47.42	24.49	33.98	17.14	0.68	7.06	172.88	670.17	25.80
2	अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.54	27.56	37.59	73.32
4	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम की स्थापना की योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.65	0.00

5	**अनुसंधान सूचना, जनशिक्षा, जनजातीय उत्सव तथा अन्य**											
	अनुसंधान प्रशिक्षण (2225)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राष्ट्रीय जनजातीय कार्य पुरस्कार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
	सूचना एवं मास मीडिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00
	उत्कृष्टता केन्द्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अखिल भारतीय तथा अन्तर्राज्यीय प्रकृति की समर्थनकारी परियोजना	0.0000	0.00	0.0008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0008	0.0080	10.00
	जनजातीय उत्सव का आयोजन	0.075	0.00	0.075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.075	0.225	0.30	75.00
	जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण-जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान (3601)	0.4084	0.00	0.5550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0988	1.0622	3.06	34.71
	कुल योग	**0.4834**	**0.00**	**0.6308**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.1738**	**1.288**	**6.25**	20.61
6	निगरानी एवं मूल्यांकन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
7	सूचना प्रौद्योगिकी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
ग	**विशेष केन्द्रीय सहायता**											
1	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	24.72	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	3.84	21.64	57.25	777.17	7.37
2	संविधान के अनुछेद 275(1)के तहत सहायता अनुदान	34.19	5.32	9.37	0.00	4.89	9.98	2.590	9.27	75.61	720.90	10.49
	कुल	**102.42**	**21.95**	**64.78**	**27.86**	**38.87**	**27.30**	**7.11**	**57.30**	**347.60**	**2614.96**	**13.29**

*अंतिम (वेतन एवं लेखा कार्यालय के अनुसार)

अध्याय 15
जेंडर संबंधी मामले

15.1 संविधान में न केवल महिलाओं को समानता प्रदान की गई है, बल्कि राज्यों को भी महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेद के उपाय अपनाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था के ढांचे के भीतर, हमारे कानूनों, विकासात्मक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति करना रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा 1990 में किया गया था ताकि महिलाओं के अधिकारों और कानूनी हकदारिता का संरक्षण किया जा सके। भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1993) में किए गए प्रावधान के अनुसार पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के लिए आरक्षण किया गया है। इस व्यवस्था से स्थानीय स्तरों पर निर्णय करने के कार्य में उनकी भागीदारी को ठोस आधार प्रदान किया गया है।

15.2 किसी भी देश के समग्र सामाजार्थिक विकास के लिए समस्त विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। इसलिए, सामान्य रूप से महिलाओं का दर्जा बढ़ाना और विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी महिलाओं का दर्जा बढ़ाना न केवल नैतिक दृष्टि से बल्कि नीतिगत दृष्टि से भी आवश्यक है।

15.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रति चिंतित है। अनुसूचित जनजातियां अपने सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन और अलग-थलग होने के कारण एक समूह के रूप में कष्ट झेलते हैं। मंत्रालय की प्रमुख नीतियों का लक्ष्य तद्नुसार, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों और महिलाओं, दोनों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। तथापि, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं अक्सर अधिक नुकसान उठाती हैं। इसलिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सामान्य योजनाओं से महिलाओं को समान रूप से लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के प्रयास करते समय कुछ विशेष योजनाएं भी बनाई हैं, जो अनुसूचित जनजाति महिलाओं और लड़कियों के लिए ही हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करते हुए योजना के तहत उपलब्धियों को **अनुलग्नक:15** में दर्शाया गया है।

15.4 मंत्रालय द्वारा भारतीय संविधान की धारा 275 (1) और जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं। अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता दी जाती है। मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन भी किया जाता है जो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में जनजातीय लड़कियों और महिलाओं के उन्नयन पर केन्द्रित हैं, ताकि वे आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा के साथ जीवन बिता सकें।

15.5 अनुसूचित जनजातियों में कम महिला साक्षरता एक विशेष चिंता की बात होने के कारण 1993-94 में जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता विकास के लिए "कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षणिक परिसरों की स्थापना" योजना की शुरूआत की गई थी। इसका वर्ष 2008-09 में संशोधन किया गया तथा इसका नाम "कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण" रखा गया। संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। योजना का क्रियान्वयन 2001 की जनगणना के अनुसार 54 चिह्नित किए गए कम साक्षरता वाले जिलों में किया जा रहा है जहां अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 25 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम या इससे थोड़ी बहुत कम-ज्यादा है। उपरोक्त 54 चिह्नित किए गए जिलों के अतिरिक्त किसी भी जनजातीय ब्लॉक या जिले में जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 25 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम या थोड़ी-बहुत कम ज्यादा है, को भी इसमें शामिल किया गया है। आदिम जनजातीय समूहों वाले क्षेत्रों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। इस योजना का उद्देश्य सामान्य महिला जनसंख्या

और जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तर के अंतर को कम करना है, ऐसा चिह्नित किए गए जिलों या ब्लॉकों, विशेष तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा आदिम जनजाति समूहों के क्षेत्रों में जनजातीय लड़कियों का 100% नामांकन करके तथा प्रारंभिक स्तर पर उपयुक्त माहौल बनाकर बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों में कमी लाकर किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासन की स्वायत्तशासी सोसायटी/संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा। योजना नियमित विद्यालयों में उपस्थित होने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने पर बल देती है और जहां पांच कि.मी. की दूरी के अंदर विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं, विद्यालय और छात्रावास सुविधाओं, दोनों पर विचार किया जा सकता है। संशोधित योजना में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनाओं का अभिसरण करने की अभिकल्पना की गई है। यह प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों के साथ-साथ मिडिल/माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है तथा अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को स्कूल में बनाए रखने के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करती है। औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त, संशोधित योजना में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का विभिन्न व्यवसायों में दक्षता उन्नयन करने पर भी ध्यान दिया गया है। संशोधित योजना में प्रत्येक कम साक्षरता वाले जिले में जिला शिक्षा सहायता एजेंसी (डीईएसए) की स्थापना की भी अभिकल्पना की गई है जो 100 प्रतिशत नामांकन को सुनिश्चित करने तथा मॉनीटर, फेसिलिटेटर की भूमिका निभाने तथा विभिन्न संस्थाओं के साथ सहायता सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्रयास करेगी।

15.6 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशसनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2011-12 के दौरान अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति को (1) अधिकतम वार्षिक आय सीमा, (2) पाठ्यक्रमों के समूहन में संशोधन तथा अनुरक्षण और (3) अन्य भत्तों की दर में परिवर्तन के साथ दिनांक 01.07.2010 से संशोधित कर दिया गया है। ये छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के पात्र लडकों तथा लडकियों को प्रदान की जाती है जिनके माता पिता अभिभावकों की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.00 लाख रू. है।

15.7 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत' अनुदान प्रदान करने की योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों को शेष देश के बराबर लाने के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण अवसंरचना के सृजन और उन्नयन से संबंधित विशिष्ट परियोजनाएं प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकारों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, किसी योजना की आयोजना से लेकर उसके कार्यान्वयन तक महिलाओं की भागीदारी सहित परियोजनाएं/ योजनाएं तैयार करने में महिलाओं को प्रभावित करने वाली चिन्तनीय बातों/मुद्दों को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। परियोजनाएं इस प्रकार बनायी जानी चाहिए कि परियोजनाओं से महिलाओं को पर्याप्त, कम से कम 30%, लाभ मिले।

15.8 योजना के तहत स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और व्यावसायिक शिक्षा स्तर पर अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत निधियां प्रदान की जाती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करके जनजातीय विद्यार्थियों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, जो अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति तथा अपने गांवों से स्कूल दूर स्थित होने के कारण अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते। इस योजना में विद्यार्थियों के लिए नए छात्रावासों के निर्माण तथा वर्तमान छात्रावास भवनों का विस्तार करने का प्रावधान है। जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना हेतु इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति की लड़कियों हेतु आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय निधियां प्रदान की जाती हैं। इन संशोधनों को 1.4.2008 से लागू किया गया तथा यह आशा की जाती है कि अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा को बढ़ाने में इसका व्यापक प्रभाव होगा।

15.9 जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं/परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक शीर्ष संस्थान है। इस निगम ने जनजातीय महिलाओं के आय सृजन के लिए रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जनजातीय महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए 'आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना' (एएमएसवाई) नामक योजना प्रारंभ की है। योजना के तहत, निगम 50,000 रु. की इकाई लागत तक वाली

योजनाओं/परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा लाभार्थियों से 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से अत्यधिक रियायती दर पर ब्याज वसूल किया जाता है।

15.10 वर्ष के दौरान एएमएसवाई के तहत एनएसटीएफडीसी ने 6197 महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास हेतु 9 नई योजनाओं जिसमें एनएसटीएफडीसी का हिस्सा 16.54 करोड़ रू. (31.12.2011 तक) है, के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

15.11 निगम मार्केटिंग सहायता अनुदान सहित अन्य आय सृजन योजनाओं के तहत महिला लाभार्थियों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, निगम एनएसटीएफडीसी वित्तीय सहायता के तहत और अधिक महिला लाभार्थियों को भी शामिल करने का प्रयास कर रहा है।

15.12 वर्ष 2001-02 में "जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान" नामक योजना शुरू की गई है ताकि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जनजाति के लोग 10-12 दिन की अवधि के लिए देश के अन्य भागों की यात्रा कर सकें। इसका पूरा व्यय मंत्रालय वहन करता है। योजना के अनुसार 10 जनजातीय लोगों के प्रत्येक दल/समूह में कम से कम पांच महिलाएं सम्मिलित होंगी। इससे उनके संदर्श को व्यापक बनाया जा सकेगा और देश में हो रहे विकास के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जा सकेगी ।

15.13 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की उपलब्धियों को मान्यता देने के उद्देश्य से 2007-08 से 'राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार' नामक एक योजना प्रारम्भ की है। व्यक्तिगत श्रेणी के अन्तर्गत, एक पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता महिला होगी।

15.14 जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी कुछ योजनाओं में 50% लड़कियों अथवा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखता है। उदाहरण के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 50% सीटें अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के लिए होती हैं। एम.फिल एवं पी. एच.डी के लिए राष्ट्रीय राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत यूजीसी को निर्देश जारी किए गए हैं कि 50% छात्रवृत्तियां महिलाओं को प्रदान करने के प्रयास किए जाएं। प्रत्येक वर्ष राज्य/संघ शासित क्षेत्र से दो जनजातीय लोगों को दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक महिला और एक पुरुष को भेजे।

15.15 "विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत, जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता का अर्थ है गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए समुदाय आधारित आय सृजनकारी कार्यकलाप। दिशानिर्देशों में यह निर्धारित है कि निधियों का 30% "महिला संघटक" के लिए अलग रखा जाना है और महिला लाभार्थियों के आय सृजनकारी कार्यकलापों के लिए खर्च किया जाना है। ❑

अनुलग्नक:15

वर्ष 2011-12 तक के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजनाओं/कार्यक्रमों का नाम	उपयोजनाओं के ब्यौरे	पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर 2011-12 का बजट अनुमान	पता लगाने योग्य, मापने योग्य और निगरानी करने योग्य आउटपुट/परिणाम	31.12.2011 तक उपलब्ध लक्ष्य
1.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सर्मथन	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम - सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई)	21.60	(i) सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (ii) क्षेत्रवार सृजित (क) कृषि और संबद्ध; (ख) औद्योगिक; (ग) सेवाएं	वर्ष के दौरान (31.12.2011)एएमएसवाई के तहत एनएसटीएफडीसी ने 6197 महिला लाभार्थियो के आर्थिक उत्थान के लिए 16.54 करोड रू स्वीकृत किए है। इसके अलावा लघु ऋण योजना सहित अन्य आय सृजन कारी योजना के तहत महिला लाभार्थियों को कवर किया गया है
2.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता	जनजातीय उपयोजना के विशेष केंद्रीय सहायता	999ण्08 (पूर्वोत्तर राज्यों सहित)	(i) सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजातीय लाभार्थियों की संख्या। (ii) घटकवार भौतिक परिसम्पत्तियां/सृजित अवसर; (क) कृषि/बागवानी-हैक्ट. में (ख) वाटरशेड विकास/ मृदा एवं नमी संरक्षण-हैक्ट में (ग) पशुपालन-संख्या में (घ) पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जिसमें वनों का विकास शामिल है- हैक्ट. में अथवा खरीदे गए लघुवन उत्पादों की मात्रा (ङ) वन ग्रामों का विकास-1500; (च) उद्यमशीलता- का विकास-सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या (छ) सभी घटकों में कवर की गई महिलाओं का प्रतिशत; राज्यों द्वारा की गई सभी परियोजनाओं के प्रकार लक्ष्य और परिणाम पर निर्भर होंगे और परिणामों का निर्धारण सभी परियोजनाओं की स्वीकृति/ कार्यान्वयन के पश्चात ही किया जा सकता है।	31.12.2011 तक टीएसपी को एससीए के अंतर्गत 777.17 करोड़ रू. निर्मुक्त किए गए हैं। इसमें से 233.00 करोड़ रू. दिशानिर्देशों के अधीन महिला लाभार्थियों हेतु खर्च किए जाने के लिए निर्धारित हैं। भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि कार्यक्रम/योजनाएं परिवारोन्मुख हैं तथा आवंटन आधारित प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा वर्ष के दौरान संप्रेषित किए जाते हैं जिनका निरुपण राज्य सरकारों द्वारा केंद्र/राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ समेकित/ जोड़कर किया जाता है।
3.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन की योजनाएं	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन की योजनाएं	517.50	उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने (क) ग्रुप I (ख) ग्रुप II (ग) ग्रुप III (घ) ग्रुप IV पूरा कर लिया है।	31.12.2011 तक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को 1603904 प्रत्याशित लाभार्थियों के लिए प्रत्याशित 669.03 करोड़ रु. निर्मुक्त किए गए है, जिसमें अध्ययन के सभी ग्रुपों में कुल 447475 प्रत्याशित महिला लाभार्थियों के लिए 193.44 करोड रू शामिल हैं।

क्र. सं.	योजनाओं/कार्यक्रमों का नाम	उपयोजनाओं के ब्यौरे	पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर 2010-11 का बजट अनुमान	पता लगाने योग्य, मापने योग्य और निगरानी करने योग्य आउटपुट/परिणाम	31.12.2010 तक उपलब्ध लक्ष्य
4.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	68.00	(i) निर्मित छात्रावासों की क्षमता (ii) अधिभोग दर	विभिन्न राज्य सरकारों/ संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्व-विद्यालयों को 163 छात्रावासों के लिए 37.59 करोड़ रु. निर्मुक्त किए हैं गए जिसमें लड़कियों के 34 छात्रावासों के लिए 24.15 करोड़ रु. शामिल हैं।
5.	अनुसंधान, सूचना और जनशिक्षा, जनजातीय त्यौहार और अन्य	जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान	0.45	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	इस योजना में 10 व्यक्तियों के प्रत्येक समूह में कम से कम पांच महिलाओं को शामिल करने का प्रावधान है। 2011-12 के दौरान अलग अलग राज्य सरकारो के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए है।
6.	अनुसंधान, सूचना और जनशिक्षा, जनजातीय त्यौहार और अन्य	राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार	0.17	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	अलग-अलग श्रेणी के अन्तर्गत पुरस्कार प्राप्त करने वालों में एक महिला होनी चाहिए।
7.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान के कार्यक्रम	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान	1052.09	(i) चूंकि निधियन जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना में अंतराल को भरने के लिए तथा प्रशासन के स्तर सुधार के लिए है, इससे जनजातीय क्षेत्रों में जीवन की समग्र रूप से प्रगति होगी। तथापि, परियोजनावार परिमाणीकरण सम्भव नहीं है। दिशा निर्देशों में यह प्रावधान है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले संबंधित मुद्दे, आयोजना से कार्यान्वयन स्तर तक महिलाओं की सहभागिता सहित परियोजनाओं/योजनाओं की तैयारी में, केन्द्रीय स्थान पर होने चाहिए। परियोजनाएं इस प्रकार से नियोजन की जाएं कि महत्वपूर्ण लाभ, कम से कम 30% अनुपात में, महिलाओं के लिए लक्षित हो। (ii) एकलव्य आदर्श आवासीय (ईएमआरएस)-150 विद्यालय	22 राज्यों में 151 विद्यालय जिसमें से 92 प्रचालन में है (वर्ष 2011-12 के दौरान 14 विद्यालय स्वीकृत किए गए है
8.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.) की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण (जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास हेतु कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षणिक परिसर की पूर्ववर्ती योजना)	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति (अ.ज.) की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	40.00	निधिपोषित शैक्षणिक परिसरों और लाभ प्राप्त अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की संख्या	योजना विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए है। वर्ष 2011-12 के दौरान (31.12.2010 तक), 14 शैक्षणिक परिसरों को निधिपोषित किया गया है जिसमें अनुसूचित जनजातियों की 9004 लड़कियों को कवर किया गया है और 15.26 करोड़ रु. निर्मुक्त किये गए हैं।

अध्याय 16
विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अंतर्गत विकलांग विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान

16.1 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना :-

पाठ्यक्रम का स्तर	वाचक भत्ता (रुपये प्रति माह)
ग्रुप-I, II	240
ग्रुप-III	200
ग्रुप-IV	160

अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान किया गया है:

(क) नेत्रहीन अध्येताओं के लिए वाचक भत्ता:

(ख) विकलांग विद्यार्थियों के लिए 160 रुपये प्रतिमाह तक परिवहन भत्ते का प्रावधान, यदि ऐसा विद्यार्थी उस छात्रवास में नहीं रहता है, जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है। विकलांग व्यक्ति की विकलांगता को (समान अवसर अधिकार और पूर्ण सहभागिता का संरक्षण) अधिनियम, 1955 के अनुसार विकलांगता, नेत्रहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग चिकित्सा, सुनने में परेशानी, चलने संबंधी विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी के रुप में परिभाषित किया गया है।

(ग) कम अग्रांग विकलांगता वाले गंभीर रुप से विकलांग अध्येता दिवा छात्रों के लिए 160 रुपये प्रतिमाह की दर से अंगरक्षण भत्ता

(घ) किसी शैक्षिक संस्थान के छात्रवास में रहने वाले, गंभीर रुप से हड्डी रोग से पीड़ित विकलांग छात्र, जिसे किसी सहायक की आवश्यकता होती है, को सहायता प्रदान करने के इच्छुक छात्रावास के किसी कर्मचारी को 160 रुपये प्रतिमाह का विशेष वेतन अनुमत है।

(ड.) मानसिक मंदता और मानसिक रुप से बीमार व्यक्तियों को अतिरिक्त कोचिंग के लिए 240 रुपये प्रतिमाह भत्ता।

(ख) से (घ) में प्रावधान कुष्ठ रोग मुक्त विद्यार्थियों के लिए भी लागू होंगे।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्रतिभा उन्नयन:

16.2 जहां कहीं संभव हो, 3% अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों को शामिल करने का प्रावधान है। छात्रवृत्ति की राशि के अतिरिक्त, विकलांग विद्यार्थियों को निम्नलिखित सहायता दी जाती है:-

(क) कक्षा 9 से 12 में नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए 150 रुपये प्रतिमाह का वाचक भत्ता;

(ख) विकलांग विद्यार्थियों के लिए 100 रुपये प्रतिमाह तक परिवहन भत्ता, यदि ऐसा विद्यार्थी उस छात्रावास में नहीं रहता है, जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है। उक्त अधिनियम के अनुसार विकलांगता को नेत्रहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग चिकित्सा, सुनने में परेशानी, चलने संबंधी विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी के रुप में परिभाषित किया गया है।

(ग) किसी शैक्षिक संस्थान अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रबंधित छात्रवास में रहने वाले, गंभीर रुप से हड्डी रोग से पीड़ित विकलांग छात्र, जिसे किसी सहायक की आवश्यकता होती है, को सहायता प्रदान करने के इच्छुक छात्रावास के किसी कर्मचारी को 150 रुपये प्रतिमाह का विशेष वेतन अनुमत है।

(घ) निम्न अग्रांग विकलांगता वाले गंभीर रुप से विकलांग दिवा स्कोलर विद्यार्थियों के लिए 100 रुपए प्रतिमाह अंगरक्षण भत्ता।

(ख) से (घ) में दिए गए प्रावधान कुष्ठ रोग मुक्त से उपचारित विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

16.3. शारीरिक रुप से विकलांग और दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के मामलों में 2000 रुपए प्रतिमाह की दर से अंगरक्षण/वाचक सहायता प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास

16.4. योजना के प्रावधानों में यह व्यवस्था है कि अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रावासों के कुछ कमरे/ब्लॉक अवरोधमुक्त तथा रैम्प इत्यादि जैसी सुविधाओं के साथ निर्मित किए जाएं।

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना

16.5. योजना के प्रावधानों में यह व्यवस्था है कि अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रावासों के कुछ कमरे/ब्लॉक अवरोधमुक्त तथा रैम्प इत्यादि जैसी सुविधाओं के साथ निर्मित किए जाएं।

एनजीओ की योजनाएं

16.6. राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे एनजीओ की योजनाओं के तहत तथा विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास की योजना के तहत निधियां प्राप्त कर रहे एनजीओ को सलाह दें कि वे विकलांग लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006 के अनुसार आवासीय विद्यालयों/गैर-आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, 10 या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों तथा सामुदायिक केन्द्रों जैसे भवनों में ''अवरोध मुक्त वातावरण'' जैसी सुविधाएं प्रदान करें।

❑

अध्याय 17
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

17.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12.10.2005 से प्रभावी हुआ। जैसा कि अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में बताया गया है, मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी नियमावली तैयार करके उसे मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) और (2) की शर्तों के अनुसार मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। संबंधित अनुदेशों को मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। पीसी एंड वी अनुभाग को मंत्रालय से संबंधित 'सूचना का अधिकार' अधिनियम के तहत किए गए आवेदनों को प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया है। प्राप्त सभी आवेदनों तथा फीस के रजिस्टर में सही ढंग से प्रविष्टियां करने के बाद, आवेदनों को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु मंत्रालय के संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के पास अग्रेषित किया जाता है। मंत्रालय से संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों तथा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों का विवरण **अनुलग्नक: 17-क तथा 17 ख** में दिया गया है। इन अधिसूचनाओं को (यथा संशोधित) इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.tribal.gov.in) पर डाल दिया गया है। मंत्रालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए श्री जगदीश कुमार पोपली, निदेशक (पीएण्डसी) को ''नोडल अधिकारी'' मनोनीत किया गया है।

17.2 इसी प्रकार की अधिसूचनाएं/नियम पुस्तिकाएं (i) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड); (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी); और (iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रकाशित की हैं और उन्हें अपने-अपने संगठनों की वेबसाइट पर डाल दिया है तथा इन्हें इस मंत्रालय की वेबसाइट से जोड़ दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत (दिनांक 1.4.2011 से 31.12.2011 तक) प्राप्त आवेदनों तथा उनके दिए गए उत्तर के विवरण निम्नांकित हैं :

'सूचना का अधिकार अधिनियम' के अधीन प्राप्त आवेदनों की संख्या	–	441
उत्तर दिए गए आवेदनों की संख्या	–	430

❑

अनुलग्नक : 17-क

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (के.जन.सूचना अधिकारी) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची			
क्र.सं.	**अधिकारी का नाम**	**पदनाम**	**पता/दूरभाष सं0**
1.	श्री असित गोपाल	निदेशक (एनजीओ)	कमरा सं. 401, बी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष: 23070508
2.	श्री ए.के. श्रीवास्तव	निदेशक (राज्य अनुदान)	कमरा सं. 212, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115, दूरभाष : 23387444
3.	श्री जगदीश कुमार पोपली	निदेशक (प्रशासन, पी एंड सी)	कमरा सं. 214, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष : 23073706
4.	सुश्री संतोष	निदेशक (योजना एवं विविध)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष: 26182823
5.	श्री के. टोथांग	निदेशक (अनुसंधान एवं मीडिया)	कमरा सं. 281, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, दूरभाष : 26182428
6.	श्री सुब्रता दास	उप सचिव (सीपीएण्डआर)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष : 26182814
7.	श्रीमती सुनीता	उप सचिव (आईएफडी)	कमरा नं. 216-एच, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष: 23387396
8.	डा पूनम श्रीवास्तव	सयुक्त निदेशक (शिक्षक)	कमरा नं. 736, ए-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष: 23073176
9.	श्री असित गोपाल	निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (सी एंड एल एम)	कमरा सं. 401, 'बी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115.
10.	श्री सुब्रता दास	उप सचिव (सांख्यिकी) (अतिरिक्त प्रभार)	कमरा सं. 241, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, दूरभाष : 26182814

***31.12.2011 तक**

अनुलग्नक : 17-ख

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में अपीलीय प्राधिकारी (अ.प्रा.) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	नाम, पदनाम और पता	दूरभाष संख्या	प्रभाग/अनुभाग
1.	श्री ए.एन. झा. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कमरा सं. 637, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23381730	एकीकृत वित्त प्रभाग
2.	डॉ. बचित्तर सिंह संयुक्त सचिव, कमरा सं. 741, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23073489	एसजी/प्रशासन/सामान्य/ पीसी एंड वी/एफआरए/ आरएंडएम/सीपीएंडआर
3.	डा (श्री) साधना राउत संयुक्त सचिव, कमरा सं. 722, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23383622	एनजीओ/शिक्षा/सी एंड एल एम
4.	श्री शीलेदीतया चौधरी उप-महानिदेशक (सांख्यिकी), कमरा सं. 241, अगस्त क्रांति भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	26182094	सांख्यिकी

अध्याय 18

विभागीय लेखा संगठन

लेखा संरचना :

18.1 विभाग, अर्थात् जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव मुख्य लेखा अधिकारी हैं। वे अपने इस उत्तरदायित्व को वित्तीय सलाहकार एवं विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से निभाते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक मंत्रालय के लेखा संगठन के प्रमुख हैं।

संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय, जो भुगतान संबंधी कार्यों को निष्पादित करता है, बजट एवं सभी प्रकार के लेन-देन का संकलन एवं उस पर निगरानी रखता है, के माध्यम से विभाग से संबंधित लेखा मामलों का उत्तरदायित्व प्रधान लेखा कार्यालय का है। लेखा संबंधी कार्यों में बिलों/वाउचरों की पूर्व लेखा परीक्षा, भुगतान की निर्मुक्ति, बजट की उपलब्धता के अनुसार व्यय पर नियंत्रण, मंत्रालय के मासिक लेखे को कम्प्यूटरीकृत करना, विनियोजन लेखे की तैयारी, केन्द्रीय लेन-देन का विवरण, संघ वित्त लेखा, अन्य संबंधित कार्य यथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान, पीएओ को चेकबुक की आपूर्ति/प्रापण, व्यय की प्रगति की निगरानी हेतु सचिव को योजनावार व्यय का विवरण देना, प्राप्ति बजट की तैयारी, महालेखा नियंत्रक के साथ समन्वयन का कार्य करना, आदि शामिल हैं।

18.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय में भुगतान एवं व्यय की निगरानी का कार्य नई दिल्ली स्थित एक मात्र वेतन एवं लेखा कार्यालय के माध्यम से होता है। यह वेतन एवं लेखा कार्यालय, मासिक लेखा सीधे महालेखा नियंत्रक, खान मार्किट, नई दिल्ली को प्रस्तुत करता है।

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, शास्त्री भवन इस मंत्रालय अर्थात् जनजातीय कार्य मंत्रालय हेतु प्रत्यायित बैंक है।

18.3 लेखे का कम्प्यूटरीकरण

18.3.1 लेखा प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करने में एक महत्त्वपूर्ण कदम महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा की गई पहल के कारण उठाया गया जो कॉम्पैक्ट (सीओएमपीएसीटी) पैकेज का कार्यान्वयन है, जो वेतन एवं लेखा कार्यालय के अधिकांश क्रियाकलापों के निष्पादन में भूमिका निभाता है। कॉम्पैक्ट का विकास करने का समग्र उद्देश्य वेतन एवं लेखा कार्यालय में क्रियाकलापों में गति एवं सटीकता लाना है, साथ ही, एक ही डाटा को बार-बार हाथ से लिखने के नियमित कठिन कार्य से निजात दिलाना है। इस पैकेज के माध्यम से कम्प्यूटर समर्थन का उपयोग किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक बार डाटा एंटर करने पर उसे पुनः किसी अन्य प्रयोजन, यथा मासिक लेखा संकलन अथवा एमआईएस रिपोर्ट बनाने इत्यादि हेतु दोबारा एंटर करने की आवश्यकता नहीं रहती है।

इस प्रणाली से न केवल बेहतर लेखा कार्य तथा सूचना प्रबंधन संभव हुआ है बल्कि लेखा सूचनाओं के विश्लेषण में भी इससे सहायता मिली है। बहुत से ऐसे कार्य हैं, विशेषतः लेखा समायोजना जिनमें मानव श्रम की आवश्यकता है। यह पैकेज ऐसे कार्यों में सहायता करने के साथ-साथ इस प्रणाली के माध्यम से वित्तीय नियंत्रण को बढ़ाने तथा सटीकता में सुधार करता है। यह पैकेज कम्प्यूटरीकृत वैलिडेशन के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण एवं लेखे की सुविधा देता है एवं इस प्रकार लेखे की गुणवत्ता के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कॉम्पैक्ट के सभी मॉड्यूल्स यथा पूर्व जांच, संकलन, सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन, का वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा उपयोग किया जाता है।

इसके अतिरिक्त प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत करने में अभिवृद्धि हेतु मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय में कई उपाय किए जा रहे हैं, जिनके विषय में प्रशिक्षण हेतु कर्मचारियों को नियमित रूप से इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एण्ड फाइनांस (आईएनजीएएफ) में भेजा जाता है।

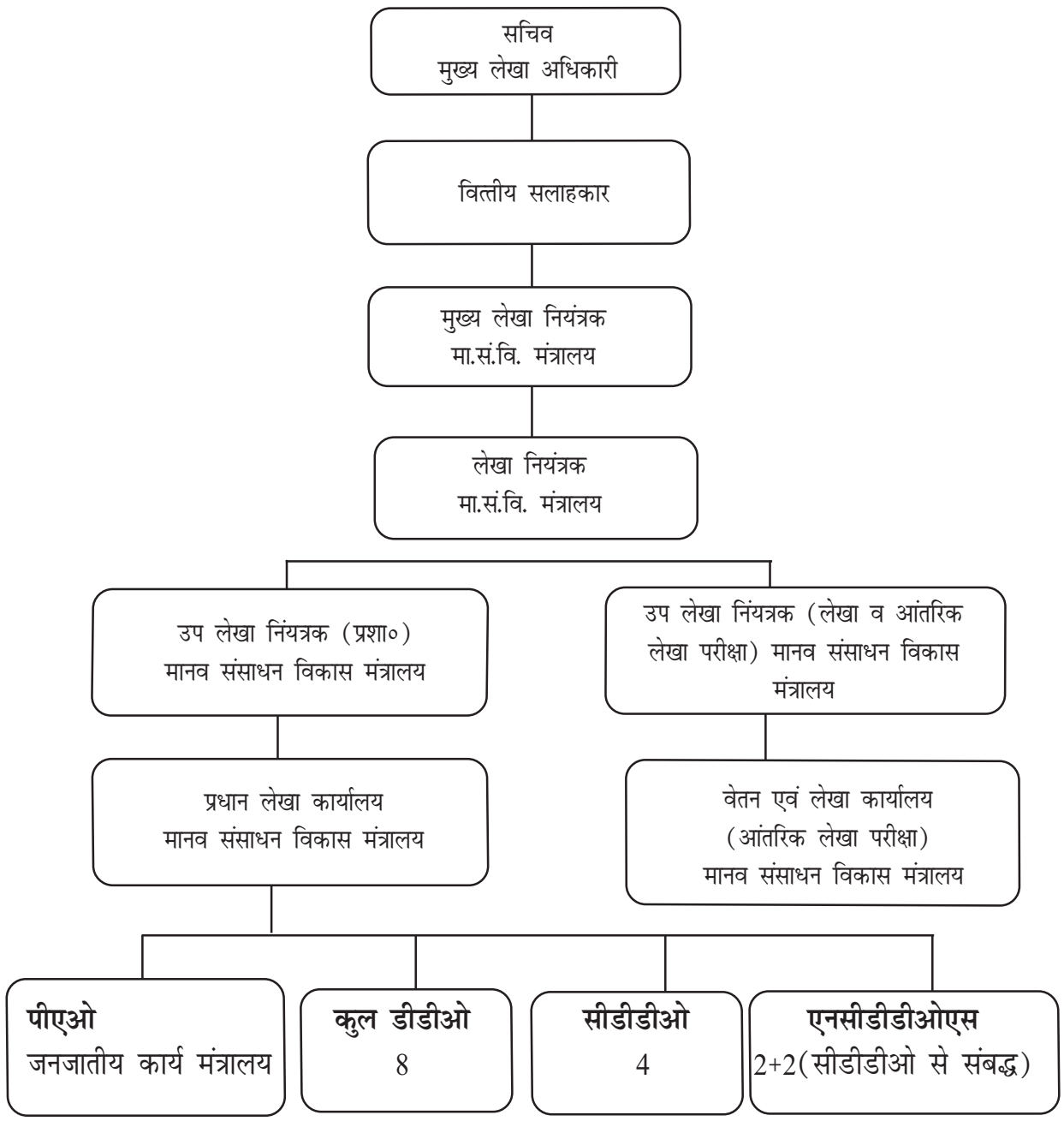

18.4 ई-लेखा

वेतन एवं लेखा कार्यालय वेबसाइट पर दैनिक आधार पर ई-लेखा में बेबसाइट www.cga.nic.in/elekha/elekhahome.asp पर कॉम्पैक्ट डाटा अपलोड कर रहा है, ताकि प्रधान लेखा कार्यालय एवं महालेखा नियंत्रक विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों की निगरानी कर सके तथा पीएओ के कार्य में पारदर्शिता ला सके।

ई-लेखा की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. मंत्रालय के व्यय की स्थिति का दैनिक आधार पर अभिनिश्चयन
2. इससे योजनावार व्यय की और अधिक प्रभावी रूप से निगरानी होती है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ सभी योजनाओं की निगरानी न केवल

इस मंत्रालय द्वारा अपितु प्रधानमंत्री कार्यालय तथा वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा ई-लेखा के माध्यम से भी होती है।

3. वेतन एवं लेखा कार्यालय में लंबित बिलों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है।

18.5 केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली:

केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली, की शुरूआत भारत सरकार से राज्यों तथा अन्य कार्यान्वयन एन्टीटीज को निधियों के प्रवाह अथवा उनसे जिला तथा उपमंडल एवं व्यय स्थानों को निधियों के प्रवाह पर विश्वसनीय डाटा हेतु की गई है। तदनुसार, इस मंत्रालय की सभी योजना स्कीमों का इस उद्देश्य हेतु विशेष सॉफ्टवेयर, अर्थात् केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली के माध्यम से नक्शा बनाया गया है। इस विभाग के सभी कर्मचारियों को इसके संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न संगठनों/इकाइयों को सहायता अनुदान की निर्मुक्ति की स्थिति को कोई भी देख सकता है। विभाग ने भी इसे अत्यंत लाभदायक पाया है। इस प्रणाली में नई उपयोगिता विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यान्वयनकारी एजेंसी के बैंक खातों में अनुपयोजित निधियों/अनुदानों को देखने के लिए प्रदान की गई है।

18.6 नई पेंशन योजना:

नई पेंशन योजना की शुरूआत उन सभी कर्मचारियों के लिए की गई, जिनकी नियुक्ति 1.1.2004 के बाद हुई है। इस योजना के तहत वेतन (ग्रेड पे सहित) मंहगाई भत्ते के साथ 10 प्रतिशत सभी ऐसे कर्मचारियों के वेतन से लेकर तथा उसके बराबर के हिस्सों के सरकार के अंशदान को सम्मिलित रूप से एनएसडीसी (सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी) के पास उसके ट्रस्टी बैंक (बैंक ऑफ इंडिया) के माध्यम से जमा किया जाता है। यह योजना इस मंत्रालय में चालू है।

18.7 आंतरिक लेखा परीक्षा:

प्रधान लेखा कार्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई, जो पारंपरिक लेखा परीक्षा आयोजित करती है, अलग-अलग योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन तथा उसके विषय में अवगत कराने के कार्य में शामिल है। अनुपालन/नियामक लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा संकीर्ण सीमाओं से बाहर निकलकर निम्नांकित पर भी ध्यान देता है:

- सामान्यत: आंतरिक नियंत्रण की औपचारिकता एवं प्रभाव के आकलन तथा विशेषत: वित्तीय प्रणाली की मजबूती तथा वित्तीय एवं लेखा रिपोर्टों की विश्वसनीयता;
- रिस्क फैक्ट्र्स (जो परिणाम बजट में हैं, उनके सहित) की पहचान एवं निगरानी;
- धन की महत्ता के सुनिश्चियन हेतु सेवा सुपुर्दगी प्रणाली की सक्षमता, प्रभाव तथा कम व्यय संबंधी महत्वपूर्ण आकलन।
- सुविधा एवं मध्यावधियों में सुधार लाने हेतु एक प्रभावी निगरानी प्रणाली

रिकार्ड के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय में बकाया पैराओं की संख्या निम्नांकित तालिका में दी गई है:-

1.	31.3.2010 तक बकाया पैराओं की संख्या	58
2.	2010-11 के दौरान जोड़े गए पैराओं की सं.	00
3.	2010-11 के दौरान समायोजित पैराओं की संख्या	14
4.	31.3.2011 तक बकाया पैराओं की संख्या	44

18.8 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पैराओं पर की गई कार्रवाई टिप्पण (एटीएन):

जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पैराओं पर कृत कार्रवाई टिप्पण (एटीएन) की स्थिति से संबंधित विवरण **अनुलग्नक 18-क** पर दिया गया है।

18.9 उपयोगिता प्रमाण पत्र:

मंत्रालय द्वारा विभिन्न संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान से संबंधित समूची सूचनाओं हेतु एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रभावी निगरानी तथा मूल्यांकन हेतु मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने एक सॉफ्टवेयर का विकास किया है।

इस सॉफ्टवेयर में डाटा एंन्ट्री के चार स्तर हैं। प्रथम स्तर पर मंत्रालय स्वीकृति विवरण एंटर करता है। द्वितीय स्तर पर

सहायता अनुदान को देख रहे आहरण एवं वितरण अधिकारी बिलों के विवरण एंटर करते हैं तथा तृतीय एवं चतुर्थ स्तरों पर वेतन एवं लेखा कार्यालय अंतिम रूप से बिलों के भुगतान हेतु उसका सत्यापन करते हैं तथा उन्हें स्वीकार करते हैं।

यह कार्यक्रम विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें तैयार करता है, जो मंत्रालय/विभाग द्वारा निर्गम निरूपण में उपयोगी होते हैं। साथ ही, मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट में इस सॉफ्टवेयर से लिंक है ताकि ऐसी रिपोर्टों में रूचि रखने वाले लोग इसका अवलोकन कर सकें। इन रिपोर्टों का संक्षिप्त सारांश निम्नांकित है: ❑

रिपोर्टें	
1.	वर्ष वार सारांश
2.	ब्यूरो वार सारांश
3.	ब्यूरो प्रभाग वार सारांश
4.	ब्यूरो डिविजन सैक्शन वर्ष वार सारांश
5.	ब्यूरो डिविजन सैक्शन वर्षवार
6.	गारंटी एवं योजनावार उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थिति का सारांश
7.	अनुदान का वर्ष एवं प्रकृति वार सारांश
8.	वर्ष, महीना तथा राज्यवार निर्मुक्त अनुदान का सारांश
9.	वर्ष, राज्य, एवं जिलावार निर्मुक्त, अनुदान का सारांश
10.	वर्ष, एवं गारंटीवार निर्मुक्त अनुदान का सारांश
11.	वर्ष एवं योजनावार निर्मुक्त अनुदान का सारांश
12.	वर्ष स्कीम ग्रारंटी तथा राज्यवार निर्मुक्त अनुदान का सारांश

अनुलग्नक : 18

जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित कृत कार्रवाई (एटीएन) टिप्पण की स्थिति

			पैराओं/पीए रिपोर्ट, जिन पर एटीएन लंबित है			
क्र. सं.	**वर्ष**	पैरा/पीए रिपोर्ट की संख्या जिस पर ऑडिट द्वारा जांच के बाद पीएसी को एटीएन सौंपा गया है।	वैसे एटीएन की संख्या जिन्हें मंत्रालय ने प्रथम बार भी नहीं भेजा।	भेजे गए एटीएन, की संख्या, जिन्हें मंत्रालय को टिप्पणियों सहित वापस किया गया है तथा ऑडिट मंत्रालय द्वारा उनकी पुनः प्रस्तुति की प्रतीक्षा कर रहा है।	भेजे गए एटीएन की संख्या किन्तु जिन्हें आडिट द्वारा वेट नहीं किया गया । अपनी टिप्पणियों सहित वापस नहीं किया है।	ऑडिट द्वारा अंतिम रूप से जांच किए गए परन्तु मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किए गए एटीएन की संख्या
1	1999	-	-	1	-	-
2	2002	-	-	-	1	-
3.	2003	-	-	-	-	-
4.	2005	1	-	-	-	-
5.	2006	-	-		-	-
6	2007	1	1	-	-	-
7	2008	-	-	-	1	-
	कुल	**2**	**1**	**1**	**2**	**-**

जांच टिप्पणियां दिनांक 17.01.2012 को प्राप्त हुई है। निगरानी प्रकोष्ठ हेतु एटीएन भेजने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

अध्याय 19

नागरिक/ग्राहक चार्टर

पता: शास्त्री भवन,
नई दिल्ली- 110 115

वेबसाइट आई डी: www.tribal.nic.in

जारी करने की तिथि: फरवरी, 2011

अगली समीक्षा: फरवरी, 2013

परिदृश्य

सामान्य जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मानव विकास सूचकांकों (एचडीआई) में अन्तराल को घटाना और समाप्त करना तथा उनकी जीवन शैली, उनके प्राकृतिक संसाधन आधार पर प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग करने एवं संसूचित चुनाव में समर्थ बनाने के लिए अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक तथा आर्थिक रुप से सशक्त बनाना।

मिशन

भारत सरकार के विभिन्न लाइन मंत्रालयों के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय, बहु आयामी रणनीति के माध्यम से देश में सारी अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जो निम्नानुसार हैं:

1. वैधानिक एवं कार्यकारी हस्तक्षेपों को तैयार करना एवं उनका संवर्धन करना,
2. लक्षित क्षेत्र एवं जनसंख्या उपागमों के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तरों के उन्नयन को सरल बनाना, तथा
3. आजीविका अवसरों में बढ़ोत्तरी तथा पोषण समर्थन, शिक्षा, आवश्यक शिल्पों के लिए तथा मौसम की परिस्थितियों और अन्य विपत्ति वाली स्थितियों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र के लिए आधारभूत अवसंरचना का पुन:सृजन करना।

मुख्य सेवाएं / कार्य संपादन

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नम्बर	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क	
								श्रेणी	तरीका राशि
1) क) ख)	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्मुक्त वितीय सहायता : लक्षित अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कल्याण एवं सामाजिक-आर्थिक विकास, लक्षित अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की गरीबी का उन्मूलन तथा उद्यमशीलता का विकास!	25	श्री ए.के श्रीवास्तव (निदेशक(एसजी)	ak.srivastav@nic.in	9910544323 (23387444)	I/II किस्त की स्वीकृति /निर्मुक्ति जारी करना (जैसा लागू हो)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं
						मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संवीक्षा एवं अनुमोदन	लागू नही	लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं
						राज्य सरकारों संघ राज्य/क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	1) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) 2) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति 3) विगत वर्षों में निर्मुक्त अनुदान जहां उपयोगित प्रमाण पत्र देय हैं, के लिए व्यय रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं
2	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ संस्थानों/एनजीओ को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता : क) जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों के रुप में शैक्षिक सुविधाएं,	15	डॉ. पुनम श्रीवास्तव (संयुक्त निदेशक (शिक्षा)	punam.srivastava@nic.in	9868758825	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की ओर से प्रस्ताव आमंत्रित करना	शून्य	लागू नहीं	

मुख्य सेवाएं / कार्य संपादन

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नम्बर	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
						I/II किस्त की स्वीकृति /निर्मुक्ति जारी करना (जैसा लागू हो)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारासे संवीक्षा एवं अनुमोदन	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	1) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र 2) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट 3) छात्रवासों तथा आश्रम विद्यालयों के लिए सरकारी भूमि की उपलब्धता, पीडब्ल्यूडी निर्माण दरों की अनुसूची, सौर ऊर्जा प्रणाली की योजना/घटक तथा वर्षा जल सन्दोहन प्रणाली के संबंध में सत्यापन की भी आवश्यकता है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

मुख्य सेवाएं / कार्य संपादन

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नम्बर	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
3	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ संस्थानों/एनजीओ को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता : क) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, (ख) अनुसूचित जनजातियों में सबसे कमजोर वर्ग विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का सामाजिक आर्थिक विकास (ग) मूल्यांकन एवं स्वास्थ्य परियोजनाएं	15	श्री असित गोपाल (निदेशक(एनजीओ)	asitgopal77@gmail.com	9650010049 (23070508)	I/II किस्त की स्वीकृति /निर्मुक्ति जारी करना (जैसा लागू हो) मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारासे संवीक्षा एवं अनुमोदन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से एनजीओ द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	सिक्योरिटी बोंड लागू नहीं 1) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र 2) लेखों का लेखा परीक्षित विवरण 3) प्रबंधन समिति की सूची 4) स्टाफ सदस्यों की सूची 5) लाभार्थियों की सूची 6) जिला समाहर्ता की जांच रिपोर्टें 7) वार्षिक रिपोर्ट 8) राज्य स्तरीय बहुआयामी समिति की सिफारिशें	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं

मुख्य सेवाएं / कार्य संपादन

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नम्बर	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
							9) किराया एग्रीमेंट 10) किराया आकलन प्रमाण पत्र 11) सिक्यूरिटि बाण्ड 12) इलेक्ट्रोनिक भुगतान स्वीकार करने के लिए अनुज्ञप्ति पत्र 13) संगठन द्वारा यथा हस्ताक्षरित निबंधन एवं शर्तें			
4	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/ संस्थानों/एनजीओ को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता : क) जनजातीय लोगों से सर्बधित मुद्दों पर अनुसंधान, संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करना, ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन अध्ययन ग) जनजातीय त्यौहारों, दौरों का आदान-प्रदान	10	श्री के. टोथांग (उपसचिव) (आर एंड एम)	touthang@nic.in	9971800727 (26182428)	अखबारों में विज्ञापन तथा मंत्रालय की वेब साइट के माध्यम से प्रस्तावों को आमंत्रित करना	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						अनुसूची के अनुसार स्वीकृति जारी करना तथा I, II और III किस्तों की निर्मुक्ति	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						अनुसंधान परामर्शदात्री समिति द्वारा संवीक्षा एवं चयन	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

मुख्य सेवाएं / कार्य संपादन

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नम्बर	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क	
								श्रेणी	तरीका राशि
						राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से संगठनों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव, वार्षिक रिपोर्टें, लेखा परीक्षित लेखे, ज्ञापन तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र। दूसरी और अंतिम किस्त की निर्मुक्ति चार्टर्ड एकाउंटेंट की ओर से जीएफआर 19क में लेखों के लेखा परीक्षित विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर की जाएगी	लागू नहीं	लागू नहींलागू नहीं
5	निम्नलिखित कार्य के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता: भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ तथा राज्य स्तरीय निगमों को सहायता	5	श्री एस. दास (उपसचिव (सीपीएंडआर)	das.subrata13@gmail.com	9818893570 (26182814)	स्वीकृति जारी करना तथा I/II किस्त की निर्मुक्ति (जैसा लागू हो)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहींलागू नहीं
						मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संवीक्षा एवं अनुमोदन	शून्य	लागू नहीं	लागू नहींलागू नहीं

मुख्य सेवाएं / कार्य संपादन

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नम्बर	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
						राज्य सरकार के माध्यम से ट्राइफेड/एसटीडीसी द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	1) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र 2) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय लाइन मंत्रालयों/ विभागों के दस्तावेज/मामले, विधान प्रस्ताव, मंत्रिमंडल टिप्पणी तथा ईएफसी ज्ञापन	10	सुश्री संतोष (निदेशक) (पीएंडएम)	santosh58@nic.in	9717616313 (26182823)	संबंधित मंत्रालय/ विभाग तक अपने विचार संप्रेषित करना	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						संगत साहित्य से मंत्रणा करते हुए गहराई से अध्ययन तथा जनजातीय लोगों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण और मूल्यांकन तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अपने विचार तैयार करना	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों से नीति दस्तावेजों, विधान	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

मुख्य सेवाएं / कार्य संपादन

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नम्बर	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
						प्रस्तावों, मंत्रिमंडल टिप्पणियों, इएफसी ज्ञापन आदि की प्राप्ति				
7	विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों तथा योजना आयोग में गठित विभिन्न कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदल तथा शासन परिषदों की बैठकों में सुझावों/नीति अंतर्निवेशों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना	10	सुश्री संतोष (निदेशक, पीएंडएम)	santosh58@nic.in	9717616313 (26182823)	संगत साहित्य से मंत्रणा करते हुए गहराई से अध्ययन तथा अपने विचारों को तैयार करना	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						बैठकों में अपने विचारों की प्रस्तुति	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों तथा योजना आयोग के कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदलों, शासन परिषदों की ओर से कार्यसूची मदों की प्राप्ति	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8	मंत्रालय के कर्मचारियों/सेवा प्रदायकों की शिकायतों/पीड़ाओं का निवारण तथा निपटान	10	श्री जे.के. पोपली (निदेशक(प्रशासन)	jk.popli@nic.in	9868833090 (23073706)	जांच एवं आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						शिकायत की प्राप्ति	समर्थन दस्तावेज/ आदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						आवेदक को उत्तर देना	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सेवा मानक

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार	सफलता सूचकांक	सेवा मानक	एकक	भार	डाटा स्रोत
1.	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- (क) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी का कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास, (ख) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी का गरीबी उन्मूलन और उद्यमशीलता विकास	25.0	समय	40	दिन	25.0	मंत्रालय रिकार्ड
2.	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- (क) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शैक्षिक सुविधाएं, (ख) अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्तियां	15.0	समय	45	दिन	15.0	मंत्रालय रिकार्ड
3.	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- (क) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (ख) विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों(पीटीजी), अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक कमजोर वर्ग का सामाजिक आर्थिक विकास	15.0	समय	45	दिन	15.0	मंत्रालय रिकार्ड
4.	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- (क) जनजातीय संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करना, (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं पर निगरानी और मूल्यांकन अध्ययन (ग) जनजातीय त्यौहारों, दौरों का आदान-प्रदान	10.0	समय	45	दिन	10.0	मंत्रालय रिकार्ड

सेवा मानक

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार	सफलता सूचकांक	सेवा मानक	एकक	भार	डाटा स्रोत
5.	निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और राज्य स्तरीय निगमों को समर्थन	5.0	समय	45	दिन	5.0	मंत्रालय रिकार्ड
6.	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय लाइन मंत्रालयों/ विभागों के नीति संबंधी दस्तावेजों/ मामलों/विधायी प्रस्तावों, मंत्रिमंडल टिप्पणियों और ईएफसी ज्ञापनों पर इनपुट/टिप्पणियां प्रदान करना	10.0	समय	25	दिन	10.0	मंत्रालय रिकार्ड
7.	विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों और योजना आयोग में गठित विभिन्न कार्यकारी दलों की बैठकों में सुझावों/नीतिगत इनपुट, विशेषज्ञ समूहों/कार्यबलों और अभिशासी परिषदों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के हितों का प्रतिनिधित्व करना।	10.0	समय		दिन	10.0	मंत्रालय रिकार्ड
8.	मंत्रालय के कर्मचारियों/ सेवा प्रदायकों की शिकायतों का समाधान और निपटान।	10.0	समय	30	दिन	10.0	मंत्रालय रिकार्ड

शिकायत निवारण तंत्र

वैबसाइट **http:pgportal.gov.in/** यूआरएलपर दर्ज करें।

क्र.सं.	लोक शिकायत अधिकारी का नाम	हैल्पलाइन नं.	ईमेल	मोबाइल नं.
1	श्री जे.के. पोपली, निदेशक	23073706	jk.popli@nic.in	9868833090
2	श्री आर.एस. मीणा, कार्यकारी निदेशक, ट्राइफेड	26522652	rsmeena@nic.in	9868100042
3	श्री अनिल पी.सी. रवेन, वरिष्ठ प्रबंधक (परि.) एनएसटीएफडीसी	26712539	raven/oraon@mail.com	9873015939

हितधारकों / ग्राहकों की सूची

क्र. सं.	हितधारक / ग्राहक
1	अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित केन्द्रीय/ राज्य मंत्रालय/ विभाग
2	केन्द्रीय/ राज्य सरकार के निकाय
3	संस्थान (यूजीसी/ शैक्षिक संस्थान)
4	ट्राइफेड
5	एनएसटीएफडीसी
6	एसटीडीसी
7	जनजाति अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)
8	गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)
9	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)
10	राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
11	नागरिक

जिम्मेदारी केंद्र और अधीनस्थ संगठन

(2010-2011)

1	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)	26866084	snehlatakumar@trifed.nic.in	9810234143	एनसीयूआई बिल्डिंग, दूसरा तल, 3-इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110006
2	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	26712519	gursaroop@yahoo.co.in	9911370094	एनबीसीसी टावर, 5वां तल, हॉल, नं. 1 भीकाजीकामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

सेवा प्राप्तकर्ताओं से निर्देशात्मक प्रत्याशाएं

क्रम संख्या	सेवासे निर्देशात्मक प्रत्याशाएं
1	वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पूर्ण आवेदन (सभी दृष्टियों से) (अपेक्षित दस्तावेज www.tribal.gov.in उपलब्ध हैं)
2	प्रस्ताव की शीघ्र और समय से प्रस्तुति।
3	निर्धारित अवधि में निधियों की उपयोगिता को सुनिश्चित करना।
4	किसी नीति/विधान/ योजनात्मक हस्तक्षेप के गुण-दोषों के विश्लेषण और अध्ययन के लिए पर्याप्त समय/ नोटिस देना।